



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(राजस्व संबद्ध विभाग)



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(राजस्व संबद्ध विभाग)

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय – सूची

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	<i>प्रस्तावना</i>	iii
	<i>कार्यकारी सारांश</i>	v
अध्याय I: सामान्य		
1.1	इस प्रतिवेदन के बारे में	1
1.2	लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1
1.3	वित्तीय संब्यवहार का सारांश	2
1.4	लेखापरीक्षा प्राधिकार	4
1.5	लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	4
1.6	लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर शासन की प्रतिक्रिया	5
1.7	अभिस्वीकृति	8
अध्याय II: वाणिज्यिक कर विभाग		
2.1	परिचय	10
2.2	कर प्रशासन	10
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	11
2.4	“माल और सेवा कर के अंतर्गत संक्रमणकालीन प्रत्यय (ट्रांजिशनल क्रेडिट)” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	13
2.5	“माल और सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय (रिफंड) दावों के प्रसंस्करण” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	27
2.6	“मध्य प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 (वैट) की धारा 20 के अंतर्गत प्रकरणों के निर्धारण” पर अनुपालन लेखापरीक्षा	42
अध्याय III: खनिज साधन विभाग		
3.1	“मध्य प्रदेश में जिला खनिज प्रतिष्ठानों की निधियों के प्रशासन और उपयोग” पर अनुपालन लेखापरीक्षा	53
परिशिष्ट		69
संक्षिप्त रूपों की शब्दावली		219

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के राजस्व से संबंधित दो विभागों अर्थात् वाणिज्यिक कर विभाग एवं खनिज साधन विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं। लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्यों, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अधीन संपादित की गयी है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2020-21 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही वे प्रकरण भी जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किंतु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। वर्ष 2020-21 के आगे की अवधि के प्रकरण भी, जहाँ आवश्यक था, सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

I अध्याय—I: सामान्य

इस प्रतिवेदन में माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत रिफंड दावों के प्रसंस्करण की लेखापरीक्षा, जीएसटी के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा, वैट के अंतर्गत प्रकरणों के निर्धारणों और मध्य प्रदेश में जिला खनिज फाउंडेशन की निधियों का प्रशासन और उपयोग से संबंधित चार कंडिकाएँ (दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित) सम्मिलित हैं। प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल राजस्व प्रभाव ₹ 324.63 करोड़ है।

● राजस्व का बकाया

यह देखा गया कि 31 मार्च 2021 तक वाणिज्यिक कर विभाग और पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित राजस्व का बकाया ₹ 5,174.71 करोड़ था। इस राशि में वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित ₹ 2,594.04 करोड़ तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित ₹ 192.82 करोड़ विगत पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे।

(कंडिका 1.3.3)

● लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वसूली

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग पर “मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण एवं संग्रहण” विषय पर अनुपालन लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा ने मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के कम आरोपण के 71 प्रकरणों को इंगित किया। विभाग ने निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2022) में ₹ 0.58 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 43 प्रकरणों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। स्वीकृत 43 प्रकरणों में से अब तक (सितम्बर 2022) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर 21 प्रकरणों में ₹ 0.34 करोड़ की वसूली की गई तथा 10 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आरआरसी) जारी किये गए। इसके अतिरिक्त, इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित 2,076 प्रकरणों की ₹ 157.17 करोड़ मूल्य की लेखापरीक्षा आपत्तियों में से विभागों की ओर से कोई स्वीकृति नहीं दी गई। साथ ही, 2021-22 के दौरान, राज्य आबकारी विभाग में 2020-21 से पहले के वर्षों में इंगित किए गए लेखापरीक्षा अवलोकनों के संबंध में चार प्रकरणों में ₹ 0.69 करोड़ की राशि भी वसूल की गई थी।

(कंडिका 1.6.2)

II अध्याय—II: वाणिज्यिक कर विभाग

● जीएसटी के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट

मध्य प्रदेश माल और सेवा कर (एमपीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 140 करदाताओं को मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) को जीएसटी व्यवस्था में आगे ले जाने में सक्षम बनाती है। 45 वृत्त कार्यालयों में 2,357 चयनित दावों की जाँच में अनानुपालन के 314 प्रकरण पाये गए जहाँ वाणिज्यिक कर विभाग ने करदाताओं द्वारा किये गए ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को सत्यापित करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया था। करदाताओं द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त करने से तीन वर्ष से ज्यादा होने के बाद भी ऐसे क्रेडिट को विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। इस गैर-सत्यापन से सरकारी खजाने को राजस्व हानि का जोखिम होता है। अतः विभाग को करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की शुद्धता का सत्यापन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की लेखापरीक्षा में जीएसटी के अन्तर्गत नहीं आने वाले माल पर अस्वीकार्य आईटीसी का लाभ उठाने, गलत तरीके से प्राप्त ट्रांजिशनल क्रेडिट के रिवर्सल पर ब्याज का भुगतान न करने, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अतिरिक्त राशि के जमा किये

जाने, ट्रान-1 में अधिक/अनियमित क्रेडिट को अग्रेषित किये जाने और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के गैर-अनुपालन के कारण अस्वीकार्य ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किये जाने के विभिन्न दृष्टांत पाये गये। इन कमियों का कुल राजस्व प्रभाव ₹ 86.93 करोड़ का था। यह अनुशंसा की जाती है कि नमूना जाँच किए गए प्रकरणों (2,215) के आकार और अधिक/गलत दावों की संख्या (314) को देखते हुए, विभाग लेखापरीक्षा नमूने में सम्मिलित नहीं किए गए समान प्रकरणों की गहन जाँच कर सकता है और समय सीमा के भीतर सुधारात्मक कार्रवाही कर सकता है। ऐसे प्रकरणों की निगरानी/सुधार करने के लिए इनका एक डेटाबेस भी रखा जा सकता है।

(कंडिका 2.4)

● जीएसटी के अंतर्गत रिफंड दावों का प्रसंस्करण

कर का समयबद्ध रिफंड मौजूदा व्यवसाय के लिए अवरुद्ध निधियों के विमोचन द्वारा, कार्यशील पूंजी, विस्तार और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। जीएसटी कानूनों का उद्देश्य रिफंड प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करना है। मध्य प्रदेश माल और सेवा कर (एमपीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 54 करदाताओं को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शेष राशि रिफंड का दावा करने की शक्ति देती है। लेखापरीक्षा ने 67 वृत्त और एक संभाग कार्यालय में 01 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि से संबंधित कुल 1,011 में से 447 प्री-ऑटोमेशन और 564 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड दावों की नमूना जाँच की। प्रक्रियाओं के अनुपालन की लेखापरीक्षा से मुख्य रूप से पावती जारी करने, रिफंड आदेश जारी करने, शून्य दर आपूर्ति के अनंतिम रिफंड की स्वीकृति में विलंब और रिफंड दावों की उतरोत्तर लेखा परीक्षा न कराया जाना पता चला। विभाग को करदाताओं द्वारा दाखिल की गई घोषणाओं की सत्यता को सत्यापित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इनपुट कर क्रेडिट के रिफंड, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड, पूंजीगत माल पर रिफंड आदि के प्रकरणों की लेखापरीक्षा में व्यवसायियों को दिये गए अधिक रिफंड, अनियमित भुगतान, अस्वीकार्य रिफंड आदि का पता चला। इन कमियों का कुल राजस्व प्रभाव ₹ 10.36 करोड़ का था। नमूना जाँच किए गए नमूना प्रकरणों के आकार (1,011) और अनियमित रिफंड दावों की संख्या (167) को देखते हुए विभाग ऐसे प्रकरण जो लेखापरीक्षा नमूने में सम्मिलित नहीं हैं, उनकी गहन जाँच और एक समय सीमा के भीतर सुधारात्मक कार्रवाही कर सकता है।

(कंडिका 2.5)

● एम. पी. वेट अधिनियम, 2002 की धारा 20 के अंतर्गत प्रकरणों का निर्धारण

विभाग की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि क्या कर योग्य टर्नओवर उचित रूप से निर्धारित किया गया था और कर की उचित दरें लागू की गईं, और क्या इनपुट कर की छूट दावा और उसकी स्वीकृति ठीक प्रकार से दी गई थी। 2014-15 से 2017-18 (पहली तिमाही तक) की अवधि के लिए 33 चयनित कार्यालयों में 90,878 निर्धारण मामलों और अन्य संबंधित अभिलेखों में से कुल 33,812 की नमूना-जाँच में निर्धारण मामलों में चूक और गलतियों के विभिन्न प्रकरणों का पता चला हालांकि विभाग का समग्र कार्य संतोषजनक पाया गया। ऐसे विभिन्न प्रकरण देखे गए जहां निर्धारण अधिकारियों ने व्यवसायियों के सही टर्नओवर का निर्धारण करने में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया था, या कर की गलत दर लागू की थी या सीएसटी अधिनियम के तहत अनियमित रियायत दी थी या तो प्रवेश कर नहीं लगाया था या इसे स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर गलत दरों पर लगाया था या स्वीकार्य इनपुट कर छूट आदि के विरुद्ध अत्यधिक इनपुट कर छूट की अनुमति दी थी। इन कमियों का कुल राजस्व प्रभाव ₹ 21.13 करोड़ का था।

(कंडिका 2.6)

III अध्याय—III: खनिज साधन विभाग

● मध्य प्रदेश में जिला खनिज प्रतिष्ठानों की निधियों के प्रशासन और उपयोग

भारत में खनन क्षेत्र बड़े पैमाने पर स्थानीय क्षेत्र और खनन क्षेत्रों के पास रहने वाली आबादी के कमजोर वर्गों को प्रभावित करता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन क्षेत्रों और प्रभावित व्यक्तियों को उनके क्षेत्रों में खनिज संपदा से लाभान्वित हो और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, मध्य प्रदेश शासन ने उन जिलों में जो खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित हैं वहाँ जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) की स्थापना की। शासन ने खनन पट्टा धारकों द्वारा डीएमएफ को किए जाने वाले भुगतान के संयोजन, कार्यों और भुगतान के तरीके को विनियमित करने के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 (डीएमएफ नियम) भी बनाए। राज्य के 22 जिले जहाँ मुख्य खनिज उपलब्ध हैं, लेखापरीक्षा ने डीएमएफ की उच्च प्राप्तियों वाले नौ जिलों की नमूना जाँच की और इन चयनित जिलों में डीएमएफ निधि के संग्रह, प्रशासन और व्यय से संबंधित 2018–19 से 2020–21 के तीन वर्षों के अभिलेखों की जाँच की। लेखापरीक्षा ने विभिन्न प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालनों को प्रकट किया जैसे कि मण्डल और कार्यकारी समिति की पर्याप्त बैठक का आयोजन न करना, खनन प्रभावित क्षेत्र और प्रभावित लोगों की सूची जैसे बुनियादी अभिलेखों का रखरखाव न करना, देय और भुगतान की गई डीएमएफ राशि का रजिस्टर न बनाना, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा डीएमएफ खातों की अपर्याप्त और अनियमित लेखापरीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार न करना, जिलेवार डीएमएफ डेटा और वेबसाइट में इसकी गतिविधियों को प्रदर्शित न करना आदि। इसके अलावा, डीएमएफ के निधि प्रबंधन की लेखापरीक्षा ने डीएमएफ में कम योगदान से संबंधित अनियमितताओं का खुलासा किया जैसे की पट्टेदारों द्वारा रेत से डीएमएफ योगदान का उपयोग न करना, विलंबित भुगतानों पर ब्याज न वसूला जाना, डीएमएफ में निधि का व्यर्थ पड़े रहना, कार्य निष्पादन करने वाली एजेंसियों से अप्रयुक्त राशि की वसूली न होना आदि। साथ ही, डीएमएफ से निष्पादित विभिन्न कार्यों की लेखापरीक्षा में निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में अनियमितताएं, कार्य पूर्ण होने में विलम्ब, प्रारंभ नहीं किये गये कार्यों में अग्रिमों की वसूली न होना तथा ठेकेदारों को किए गए भुगतान आदि में अनियमितता का पता चला। इन कमियों का कुल राजस्व प्रभाव ₹ 206.21 करोड़ का था। अतः जिला खनिज प्रतिष्ठानों को निधियों के कुप्रबंधन और/या अप्रयुक्त डीएमएफ निधियों की गैर-वसूली के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने की आवश्यकता है।

(कंडिका 3.1)

अध्याय I

सामान्य

अध्याय I

सामान्य

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) के कार्यक्षेत्र में आने वाले मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा) के पाँच¹ राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों में से लेखा परीक्षित किए गए तीन² विभागों में से दो विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित विषय सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधायिका के संज्ञान में लाना है। यह अपेक्षित है कि इस प्रतिवेदन के निष्कर्ष कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्य करने, उपयुक्त नीतियाँ बनाने एवं ऐसे निर्देश जारी करने में सहायक होंगे, जिनसे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हो एवं शासन व्यवस्था बेहतर करने में योगदान मिले।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना एवं आवृत्त क्षेत्र, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रति विभागों एवं शासन की प्रतिक्रिया एवं पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही की प्रतिपादित करता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा

राज्य में सचिवालय स्तर पर इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पाँच प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों द्वारा किया जाता है एवं निदेशकों/आयुक्तों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

चार्ट 1.1: लेखापरीक्षित इकाइयों के कार्य

वाणिज्यिक कर विभाग

- वाणिज्यिक कर विभाग मध्य प्रदेश मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2002 (एमपी वैट अधिनियम), केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सीएसटी अधिनियम), प्रवेश कर अधिनियम, 1976 (ईटी अधिनियम), मध्य प्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 एवं मध्य प्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 के अंतर्गत माल एवं सेवाओं पर राजस्व एकत्रित करता है। विभाग 01 जुलाई 2017 से प्रभावी, मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत माल एवं सेवाओं पर राजस्व का प्रशासन एवं संग्रह करता है।

खनिज साधन विभाग

- खनिज साधन विभाग, सचिव, खनिकर्म, मध्यप्रदेश शासन के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करता है। विभाग के मुख्य कार्य एवं गतिविधियाँ राज्य के खनिज भंडारों का व्यवस्थित सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन, खनिजों का प्रशासन, एवं उनका दोहन, अन्वेषण लाइसेंस एवं खनन पट्टे जारी करना, खनन योजनाओं की स्वीकृति, रॉयल्टी, किराया, शुल्क की वसूली आदि हैं। यह विभिन्न प्रासंगिक अधिनियमों एवं नियमों जैसे खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957, खनिज रियायत नियम, 1960, खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 आदि का प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन करता है।
- इसके अतिरिक्त, विभाग राज्य के इष्टतम एवं सतत विकास के लिए खनिज संसाधनों का उचित दोहन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की खनिज नीति, 2010 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है।

¹ वाणिज्यिक कर विभाग, खनिज साधन विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज्य आबकारी विभाग एवं परिवहन विभाग।

² वाणिज्यिक कर विभाग, खनिज साधन विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग।

<p>पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग</p>	<ul style="list-style-type: none"> पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग दस्तावेजों के पंजीकरण का काम करता है एवं आम जनता द्वारा विभिन्न दस्तावेजों/उपकरणों के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क निर्धारित करने एवं एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग समय-समय पर संशोधित भारतीय स्टाम्प (आईएस) अधिनियम, 1899 एवं पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रशासन एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करता है।
<p>राज्य आबकारी विभाग</p>	<ul style="list-style-type: none"> मध्य प्रदेश राज्य आबकारी विभाग राज्य में मदिरा व्यापार के प्रशासन एवं निगरानी के लिए उत्तरदायी है। यह मदिरा एवं मादक दवाओं के निर्माण, कब्जे, बिक्री, आयात, निर्यात एवं परिवहन, एवं उत्पाद शुल्क के संग्रह से संबंधित कानून एवं नियम बनाने के लिए उत्तरदायी है। यह मनोरंजन शुल्क एवं उसके संग्रह से संबंधित नीतियाँ, कानून एवं नियम बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। विभाग अवैध मदिरा की रोकथाम के साथ उत्पाद शुल्क एवं मनोरंजन शुल्क की चोरी को रोकने के लिए भी उत्तरदायी है।
<p>परिवहन विभाग</p>	<ul style="list-style-type: none"> परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। परिवहन विभाग मुख्य रूप से मोटर वाहन अधिनियम, 1988, मध्य प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (संशोधित 1993) के प्रावधानों एवं उक्त दोनों अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य का परिवहन विभाग बहुविषयक दृष्टिकोण से कार्य करता है। यह सड़क परिवहन क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के दायरे को बढ़ाता है, राज्य में सड़क उपयोगकर्ता के अनुकूल एक परिवहन प्रशासन प्रदान करता है, सड़क पर उनके आवागमन को सुरक्षित एवं आरामदायक बनाकर सार्वजनिक हितों की रक्षा करता है। राज्य में अधिक कुशल, जीवंत एवं उत्पादक सड़क परिवहन प्रबंधन प्रणाली के लिए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति देता है।

विभागों की लेखापरीक्षा में इन विभागों के प्रशासनिक कार्यालयों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा सम्मिलित है।

1.3 वित्तीय संव्यवहार का सारांश

1.3.1 विभागों की प्राप्तियाँ

उपरोक्त लेखापरीक्षित इकाईयों से संबंधित तीन वर्षों की अवधि 2018-19 से 2020-21 के दौरान प्राप्तियों का सारांश नीचे तालिका 1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: 2018-19 से 2020-21 के दौरान प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)				
स. क्र.	प्राप्तियाँ / विभाग	2018-19	2019-20	2020-21
1.	बिक्री, व्यापार पर कर एवं एसजीएसटी (वाणिज्यिक कर विभाग)	28,411.69	31,705.49	30,553.84
2.	खनिज प्राप्तियाँ (खनिज साधन विभाग)	3,933.56	4,320.22	4,557.28
3.	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस (पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग)	5,277.99	5,568.60	6,816.53
4.	आबकारी शुल्क (राज्य आबकारी विभाग)	9,542.15	10,829.35	9,526.34
5.	वाहन कर (परिवहन विभाग)	3,008.26	3,251.23	2,749.15
योग		50,173.65	55,674.89	54,203.14

स्रोत: प्रासंगिक वर्षों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखों से एकत्रित आँकड़े।

1.3.2 विभागों का व्यय

मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान किए गए व्यय का सारांश नीचे तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: 2018-19 से 2020-21 के दौरान व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	2018-19	2019-20	2020-21
1.	वाणिज्यिक कर विभाग	209.04	199.96	207.84
2.	खनिज साधन विभाग	684.01	740.64	760.55
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	102.05	115.35	778.28
4.	राज्य आबकारी विभाग	1,715.27	1,819.40	1,305.57
5.	परिवहन विभाग	82.32	85.50	90.24
योग		2,792.69	2,960.85	3,142.48

स्त्रोत: प्रासंगिक वर्षों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के विनियोग लेखों से एकत्रित आँकड़े।

1.3.3 राजस्व का बकाया

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागों से संबंधित राजस्व की 31 मार्च 2021 तक लंबित राशि का विवरण नीचे तालिका 1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3: राजस्व की बकाया राशि

(₹ करोड़ में)

विभाग	लंबित राशि का विवरण 31 मार्च 2021		कारण
	कुल	पाँच वर्ष से अधिक के लिए	
वाणिज्यिक कर	4,743.32	2,594.04	विभाग ने उत्तर दिया कि वसूली कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत नई वसूली योग्य राशि की संस्थापना की जाती है एवं बकाया राशि की अधिकतम वसूली के लिए वसूली की कार्यवाही पूरे वर्ष चलती रहती है।
पंजीयन एवं मुद्रांक	431.39	192.82	विभाग ने उत्तर दिया कि दस्तावेजों की फोटोकॉपी के आधार पर पंजीकृत प्रकरणों में, मूल दस्तावेज पक्षकारों के पास होते हैं एवं रूपांतरण की प्रक्रिया आदि के कारण, ऐसे पक्ष मूल स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क जमा करने में रुचि नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रकरणों के बहुत पुराने होने, संपत्ति के कई हस्तांतरण, दस्तावेजों के पूर्व लेखकों की मृत्यु एवं पक्षकारों के पूरे पते की अनुपलब्धता के चलते वसूली प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही, क्रेता की मृत्यु के कारण, उसके कानूनी उत्तराधिकारी प्रायः शुल्क जमा करने में रुचि नहीं लेते हैं।
योग	5,174.71	2,786.86	

स्त्रोत: संबंधित विभागों द्वारा दी गई सूचना।

तालिका 1.3 से देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग में वर्ष 2020-21 के अंत में पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि, विभाग के कुल बकाया का लगभग 54.69 प्रतिशत है। इसी प्रकार पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में वर्ष 2020-21 के अंत में पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि विभाग के कुल बकाया का लगभग 44.70 प्रतिशत है। विभागों ने सूचित किया है कि वसूली एक सतत् प्रक्रिया है तथापि पुराने बकाया का बड़ा प्रतिशत दर्शाता है कि वसूली के लिए इन विभागों द्वारा गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे थे। शेष तीन विभागों, खनिज साधन, राज्य आबकारी एवं परिवहन विभाग द्वारा अनुरोध किये जाने के बावजूद (सितम्बर 2022) सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

1.4 लेखापरीक्षा प्राधिकार

लेखापरीक्षा के लिए सीएजी का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 (डीपीसी अधिनियम) से व्युत्पन्न है।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

वर्ष 2021-22 के दौरान उपरोक्त पाँच राजस्व विभागों की कुल 590 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 71 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। 'माल और सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय (रिफंड) दावों के प्रसंस्करण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा' एवं 'माल और सेवा कर के अंतर्गत संक्रमणकालीन प्रत्यय (ट्रांजिशनल क्रेडिट) पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा' के लिए, नमूना दावों की जाँच क्रमशः 67 एवं 45 वृत्त कार्यालयों (कुल 84 वृत्त कार्यालयों में से) में की गई थी।

यह प्रतिवेदन चार लेखापरीक्षा कंडिकाओं (कंडिका 2.4 से 3.1) के रूप में दो विभागों³ के अंतर्गत चार लेखापरीक्षा विषयों पर प्रेक्षणों को प्रस्तुत करता है।

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि कोई दी गई विषय वस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन, एक इकाई या इकाइयों के समूह) के संबंध में जानकारी, सभी महत्वपूर्ण मसलों पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं आदि, के साथ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन एवं लोक अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुपालन में है।

निम्नलिखित अनुक्रमण सारणी, आयोजन की प्रक्रिया, लेखापरीक्षा के संचालन एवं लेखापरीक्षा परिणामों के निरूपण को दर्शाती है:

³ वाणिज्यिक कर विभाग एवं खनिज साधन विभाग।

चार्ट 1.2: योजना, लेखापरीक्षा का संचालन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना

जोखिम का मूल्यांकन संस्थाओं/योजनाओं इत्यादि की लेखापरीक्षा हेतु आयोजनों के जोखिमों के मूल्यांकन पर आधारित होती है जिसमें कुछ मानदण्ड सम्मिलित होते हैं जैसे,

- वसूला गया राजस्व
- बजटीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ
- कर निर्धारण एवं संग्रहण में बकाया
- आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन
- हितधारकों की चिंताएं, आदि

लेखापरीक्षा योजना में सुनिश्चित किया जाता है:

- लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं प्रकार—वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली
- विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षित की इकाइयों और लेन-देन के नमूने

निरीक्षण प्रतिवेदन इस आधार पर जारी किए जाते हैं:

- अभिलेखों की संवीक्षा/ऑकड़ों का विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्यों का परीक्षण
- लेखापरीक्षा प्रश्नों के प्रस्तुत उत्तर/सूचना
- इकाई प्रमुख/स्थानीय प्रबंधन के साथ वार्ता

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इनसे तैयार किये जाते हैं:

- निरीक्षण प्रतिवेदन या प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दी गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियां
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग/शासन की प्रतिक्रिया

इस प्रकार से तैयार किया गया लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में रखने के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रत्येक इकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात, एक निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जिसमें लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित होते हैं, इकाई के प्रमुख को इस निवेदन के साथ जारी किया जाता है कि वे उक्त नि.प्र. प्राप्ति के एक माह के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा प्रेक्षण या तो हटा दिए जाते हैं या अनुपालन हेतु उन पर आगे की कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को, जिन पर शासन में उच्चतम स्तर पर ध्यान देना अपेक्षित होता है, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के पहले प्रारूप कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा के रूप में, शासन को उनके प्रत्युत्तर हेतु जारी किया जाता है। तत्पश्चात लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है। ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधानसभा के पटल पर रखने हेतु मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.6 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर शासन की प्रतिक्रिया

1.6.1 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर प्रतिक्रिया

सभी विभागों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर अपने उत्तर भेजने होते हैं⁴। सितंबर 2021

⁴ म.ले (सा.सा.क्षे.ले.प) द्वारा 2017 में जारी मैनुअल ऑफ रिपोर्ट (सिविल) की कंडिका 3.3 के अनुसार।

से अप्रैल 2022 के दौरान पाँच प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ जिनमें 'माल और सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय (रिफंड) दावों के प्रसंस्करण' और 'माल और सेवा कर के अंतर्गत संक्रमणकालीन प्रत्यय (ट्रांजिशनल क्रेडिट)' पर दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं 'मध्य प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम (एमपी वैट अधिनियम), 2002 की धारा 20 के अंतर्गत प्रकरणों के निर्धारण', 'मध्य प्रदेश में जिला खनिज प्रतिष्ठानों की निधियों के प्रशासन और उपयोग' तथा 'मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण' पर तीन अनुपालन लेखापरीक्षाएँ सम्मिलित थी, संबंधित विभागों⁵ के सचिवों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की एवं उनका ध्यान आकर्षित करने तथा छः सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रिया भेजने के अनुरोध के साथ अग्रेषित किए गए थे। इस संबंध में अक्टूबर 2021 एवं जुलाई 2022 के बीच अनुस्मारक भी भेजे गए थे। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया था कि इन कंडिकाओं को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने की संभावना है, जिसे राज्य विधायिका के समक्ष रखा जाएगा एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को शामिल करना वांछनीय होगा। सितंबर 2022 तक किसी भी प्रारूप कंडिका के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

1.6.2 लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वसूली

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई 71 इकाइयों में, लेखापरीक्षा ने ₹ 170.24 करोड़ के कुल वित्तीय प्रभाव वाले 2,157 लेखापरीक्षा अवलोकनों को इंगित किया। इंगित किए गए ₹ 170.24 करोड़ में से 71 प्रकरण संपत्तियों के कम निर्धारण, खनन पट्टे में रॉयल्टी पर विचार न करने एवं जमीन के विकास से संबंधित समझौतों पर पंजीकरण शुल्क की कम वसूली के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के कम आरोपण के संबंध में थे।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2022) में सूचित किया कि उसने 71 प्रकरण स्टाम्प न्यायालय, जो प्रकरणों पर निर्णय लेने के लिए कानूनी निकाय है। 43 प्रकरण जिनमें ₹ 0.58 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ है, विभाग द्वारा स्वीकार किए गए। मान्य 43 प्रकरणों में से अब तक (अगस्त 2022) 21 प्रकरणों में ₹ 0.34 करोड़ की राशि लेखापरीक्षा के निर्देश पर वसूल की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, 10 प्रकरणों में, राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) जारी किए गए हैं एवं शेष 12 प्रकरणों में वसूली प्रारंभ करने के लिए कार्यवाही जारी है। आगे, विभाग द्वारा स्वीकार किए गए 43 प्रकरणों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए 16 अन्य प्रकरण अभी भी स्टाम्प न्यायालय के विचाराधीन हैं ताकि आगे स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सके (अगस्त 2022)। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों में निर्धारण एवं संग्रहण प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शासन के निरंतर प्रयासों की सराहना की जाती है।

इसके अतिरिक्त राज्य आबकारी विभाग में 2020-21 से पहले के वर्षों में इंगित की गई लेखापरीक्षा अवलोकनों के लिए चार प्रकरणों में ₹ 0.69 करोड़ की राशि वसूल की गई है।

1.6.3 पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) पर प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर कार्यालय प्रमुख एवं उच्चतर अधिकारियों द्वारा प्रत्युत्तर दिया जाना एवं उचित सुधारात्मक कार्यवाही करना अपेक्षित होता है।

मार्च 2022 के अंत में पाँच विभागों से संबंधित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से पता चला कि ₹ 20,314.52 करोड़ मूल्य के 3,896 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 20,141 कंडिकाएँ बकाया थीं, जिनका विवरण तालिका 1.4 में दर्शाया गया है। इनमें से ₹ 1,949.23 करोड़ मूल्य की 6,287 कंडिकाओं वाले 1,664 निरीक्षण प्रतिवेदनों (43 प्रतिशत) 10 से अधिक वर्षों से बकाया हैं। यहां तक कि 2020-21 के दौरान जारी किए गए 42 निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्रथम उत्तर जो संबंधित कार्यालय प्रमुखों द्वारा एक माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने थे, प्राप्त नहीं हुए हैं।

⁵ वाणिज्यिक कर विभाग (3), खनिज साधन विभाग (1), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (1)।

तालिका 1.4: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का विभाग-वार विवरण

स. क्र.	विभाग का नाम	लंबित नि.प्र की संख्या	लंबित कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	10 से अधिक वर्षों से लंबित नि.प्र	10 से अधिक वर्षों से लंबित कंडिकाएँ	10 से अधिक वर्षों से लंबित कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	जारी नि.प्र के संबंध में एक माह में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
1.	वाणिज्यिक कर	1,627	10,276	4,464.24	777	3,175	596.38	0
2.	खनिज साधन	373	2,054	5,109.13	120	360	595.37	18
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक	841	2,593	1,064.45	214	415	47.25	15
4.	राज्य आबकारी शुल्क	460	1,915	9,080.74	173	427	404.61	9
5.	परिवहन	595	3,303	595.96	380	1,910	305.62	0
	योग	3,896	20,141	20,314.52	1,664	6,287	1,949.23	42

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यवाही के अभाव से गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के जारी रहने का जोखिम होता है। इसके परिणामस्वरूप शासकीय प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण का कमजोर होना, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अकुशल एवं अप्रभावी वितरण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार एवं राजकोष को हानि भी हो सकती है।

1.6.4 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों से अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के विधान सभा में प्रस्तुतिकरण के तीन माह⁶ के भीतर, इनपर की गई कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही को विधिवत इंगित करते हुए विभागीय उत्तर प्रस्तुत करें। इस प्रयोजन के लिए विभागों को लोक लेखा समिति से किसी नोटिस या बुलावे की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

31 मार्च 2022 तक, चार विभागों से वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 37 कंडिकाओं पर विभागीय उत्तर लंबित है। विवरण तालिका 1.5 में नीचे दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.5: पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर लंबित विभागीय उत्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विभाग	विभागीय उत्तर 31.03.2022 तक लंबित	राज्य विधानसभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	विभागीय उत्तरों की प्राप्ति की नियत तिथि
2013-14	राज्य आबकारी	03	22 जुलाई 2015	22 अक्टूबर 2015
2015-16	राज्य आबकारी	07	24 मार्च 2017	24 जून 2017
2016-17	राज्य आबकारी	01	10 जनवरी 2019	10 अप्रैल 2019
	वाणिज्यिक कर	01		
2017-18	पंजीयन एवं मुद्रांक	04	21 सितंबर 2020	21 दिसंबर 2020
	राज्य आबकारी	01		
2018-19	खनिज साधन	07	21 दिसंबर 2021	21 मार्च 2022
	वाणिज्यिक कर	08		
	पंजीयन एवं मुद्रांक	05	21 दिसंबर 2021	21 मार्च 2022
	योग	37		

⁶ लोक लेखा समिति के पैरा 5 (क) परिचायक संदर्शिका 2004, मप्र राज्य विधानसभा सचिवालय।

1.6.5 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों से अपेक्षित होता है कि वे लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों की प्राप्ति की तिथि से छः माह के भीतर सिफारिशों पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। 31 मार्च 2022 तक, मध्य प्रदेश शासन के पाँच विभागों के संबंध में 228 कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे। विवरण परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

1.7 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), मध्य प्रदेश, वाणिज्यिक कर विभाग, खनिज साधन विभाग और पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधिकारियों द्वारा विभागों की लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार प्रकट करता है।

अध्याय II
वाणिज्यिक कर विभाग

अध्याय II वाणिज्यिक कर विभाग

सारांश

माल और सेवा कर के अंतर्गत संक्रमणकालीन प्रत्यय (ट्रांजिशनल क्रेडिट) पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा:

ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावों के 2,357 प्रकरणों की नमूना-जाँच के दौरान अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के निम्नलिखित मुद्दे देखे गए:

- विभाग में ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए तंत्र का न होना;
- जीएसटी के दायरे में नहीं आने वाली माल पर भी अस्वीकार्य इनपुट कर क्रेडिट का लाभ लिया जाना;
- करदाताओं द्वारा ट्रान-1 में अग्रेषित किए गए अतिरिक्त क्रेडिट के दृष्टांत;
- वैट विवरणी दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट के अनियमित दावे के दृष्टांत; तथा
- वैट विवरणी आदि में आईटीआर शेष को गलत तरीके से अग्रेषित करने के कारण अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे आदि के उदाहरण।

कमियों के इन दृष्टांतों का राजस्व पर समग्र प्रभाव ₹ 86.93 करोड़ का था।

माल और सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय (रिफंड) दावों के प्रसंस्करण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा:

जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के दौरान संसाधित किए गए 447 प्री-ऑटोमेशन और 564 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों की नमूना-जाँच में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के निम्नलिखित मुद्दों का पता चला:

- रिफंड दावों की पावती, रिफंड आदेशों की स्वीकृति और कमी ज्ञापन जारी करने में विलम्ब होना;
- आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि किए बिना रिफंड दिया जाना;
- रिफंड दावों की उत्तरोत्तर लेखापरीक्षा न किया जाना;
- इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का अस्वीकार्य और अतिरिक्त रिफंड दिया जाना; तथा
- जीएसटीएन पोर्टल आदि में जीएसटीआर-2ए के सत्यापन न होने के कारण अतिरिक्त रिफंड दिया जाना।

कमियों के इन दृष्टांतों का राजस्व पर समग्र प्रभाव ₹ 10.36 करोड़ का था।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 20 के अंतर्गत निर्धारण पर अनुपालन लेखापरीक्षा:

33,812 निर्धारण अभिलेखों की नमूना-जाँच में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के निम्नलिखित मुद्दों का पता चला:

- निर्धारण प्राधिकारियों ने गलत टर्नओवर का निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप कर का कम आरोपण हुआ और न्यूनतम आरोपणीय शास्ति का आरोपण नहीं हुआ;
- निर्धारण प्राधिकारियों ने कर योग्य माल को कर मुक्त/कर प्रदत्त के रूप में माना जिसके परिणामस्वरूप कर का कम आरोपण हुआ और न्यूनतम आरोपणीय शास्ति का आरोपण नहीं हुआ;
- निर्धारण प्राधिकारी कर की सही दर और कटौतियों/समायोजनों को लागू करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप कर का कम आरोपण हुआ;
- माल पर प्रवेश कर या तो नहीं लगाया गया था या स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश पर गलत दरों पर लगाया गया था; तथा
- निर्धारण प्राधिकारियों ने स्वीकार्य इनपुट कर छूट आदि के विरुद्ध अत्याधिक इनपुट कर छूट की अनुमति दी।

कमियों के इन दृष्टांतों का राजस्व पर समग्र प्रभाव ₹ 21.13 करोड़ का था।

2.1 परिचय

वाणिज्यिक कर विभाग मध्य प्रदेश शासन के लिए उच्चतम राजस्व प्राप्ति लेखांकित करता है। विभाग नीचे दर्शाये गए विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत माल और सेवाओं पर राजस्व एकत्र करता है:

- मध्य प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 (एमपी वैट अधिनियम);
- केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सीएसटी अधिनियम);
- मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (एंट्री टैक्स एक्ट);
- मध्य प्रदेश वृत्ति कर, 1995; तथा
- मध्य प्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011

एमपी वैट अधिनियम, 2002 की धारा 20 में प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी का प्रत्येक वर्ष अलग से आंकलन करने का प्रावधान है। वैट और सीएसटी को संबंधित अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यवसायी के कर योग्य टर्नओवर पर लगाया जाना था, जबकि मध्य प्रदेश स्थान क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (प्रवेश कर अधिनियम), और उसके अंतर्गत जारी नियम और अधिसूचना के तहत स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए प्रवेश करने वाले माल के मूल्य पर निर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर लगाया जाना था।

राज्य में 01 जुलाई 2017 से मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी अधिनियम) के लागू होने के बाद से पूर्ववर्ती अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत किये गए राज्य के मौजूदा करदाताओं को जीएसटी सिस्टम पोर्टल के द्वारा पंजीकरण द्वारा जीएसटी में परिवर्तित किया जा रहा है।

इस अध्याय में माल और सेवा कर के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा, माल और सेवा कर के अंतर्गत रिफंड दावों के प्रसंस्करण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और एमपी वैट अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत प्रकरणों के निर्धारण की अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण सम्मिलित हैं।


2.2 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। वाणिज्यिक कर आयुक्त विभाग के प्रमुख हैं। वाणिज्यिक कर विभाग, वाणिज्यिक कर आयुक्त के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है। अधिनियम के अंतर्गत वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा सौंपे गए कार्य के निष्पादन में अतिरिक्त वाणिज्यिक कर आयुक्तों, उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों, वाणिज्यिक कर अधिकारियों, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों और वाणिज्यिक कर निरीक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अधि), वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अधि), सहायक आयुक्त (स.आ.वा.क) और उपायुक्तों (सं.उ.वा.क) को प्रकरणों के निर्धारण की शक्तियाँ निहित की गई हैं।

विभाग के पदानुक्रम और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों को नीचे **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1: संगठनात्मक ढांचा




2.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, माल और यात्रियों पर कर और एसजीएसटी से वाणिज्यिक कर विभाग की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 2.2 में दर्शायी गई है:

चार्ट 2.2: 2016-17 से 2020-21 के दौरान वाणिज्यिक कर प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)



स्रोत: मध्य प्रदेश सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के राजस्व¹ में काफी वृद्धि हुई। 2016-17 से 2020-21 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना से 2017-18 में 5.79 प्रतिशत और 2020-21 में 3.84 प्रतिशत की गिरावट को छोड़कर वर्ष-दर-वर्ष वाणिज्यिक करों से राजस्व में वृद्धि हुई है। 2017-18 से 2019-20 के दौरान राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से (0006)-एसजीएसटी घटक में वृद्धि के कारण है, जो 2017-18 के दौरान ₹ 8,696.12 करोड़ से बढ़कर ₹ 18,508.49 करोड़ (112.83 प्रतिशत) हो गया। यह वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान और बढ़कर ₹ 20,447.78 करोड़ (10.48 प्रतिशत) हो गया। हालांकि कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020-21 के राजस्व में पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में ₹ 1,221.73 करोड़ (3.84 प्रतिशत) की गिरावट आई।

माल और सेवा कर के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट, रिफंड दावों के प्रसंस्करण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निर्धारण पर अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न विभिन्न लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को आगामी कंडिका 2.4 से 2.6 में दर्शाया गया है।

¹ विभागीय राजस्व के आंकड़े विभिन्न शीर्षों के तहत लेखाबद्ध कुल आंकड़े हैं (0006)-राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी), (0040)-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, जैसे वैट, और (0042)-माल और यात्रियों पर कर, अर्थात् प्रवेश कर।

2.4 “माल और सेवा कर के अंतर्गत संक्रमणकालीन प्रत्यय (ट्रांजिशनल क्रेडिट)” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.4.1 परिचय

माल और सेवा कर (जीएसटी) का प्रारम्भ देश में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले और एकत्र किए जाने वाले कई विभाज्य करों को प्रतिस्थापित किया है। यह केंद्र और राज्यों द्वारा समान कर आधार पर एक साथ लगाया जाता है। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) अतः राज्यिक आपूर्ति पर लगाया जाता है तथा एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है। इनपुट माल, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल पर उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का आउटपुट कर देयता के विरुद्ध समायोजन जीएसटी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह करों के व्यापक प्रभाव से बचाएगा और विक्रेता से खरीदार तक प्रत्यय (क्रेडिट) का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करता है। मौजूदा कानूनों से जीएसटी व्यवस्था में इनपुट कर के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी अधिनियम में एक संक्रमणकालीन व्यवस्था को सम्मिलित किया गया था ताकि मौजूदा कानून के अंतर्गत भुगतान किए गए समुचित करों या शुल्कों के संबंध में इनपुट कर का दावा करने का अधिकार और रीति का प्रावधान किया जा सके।

संक्रमणकालीन प्रत्यय (ट्रांजिशनल क्रेडिट) के प्रावधान सरकार और व्यवसाय दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यापार के लिए संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रावधान, पूर्व विधान की विवरणी से संचित क्रेडिट तथा कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल, नियत दिन पर स्टॉक में रखे तैयार माल के संबंध में इनपुट कर के साथ-साथ पूंजीगत माल से संबंधित क्रेडिट का जीएसटी व्यवस्था में पारगमन सुनिश्चित करते हैं। ये प्रावधान करदाताओं के ऐसे इनपुट क्रेडिट को केवल तभी स्थानांतरित करने में सक्षम बनाते हैं जब उनका उपयोग व्यवसाय के सामान्य क्रम में या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया जाता है। सरकार के दृष्टिकोण से स्वीकार्य ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि जीएसटी राजस्व के नकदी प्रवाह की सीमा निर्धारित करेगी और इसलिए राजस्व के हित में केवल स्वीकार्य और योग्य ट्रांजिशनल क्रेडिट को ही जीएसटी में अग्रेषित किया जाना चाहिए।

2.4.2 इनपुट कर के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर के वैधानिक प्रावधान

मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (एमपीजीएसटी) की धारा 140 और 142 करदाताओं को मौजूदा कानूनों के अंतर्गत अर्जित आईटीसी को जीएसटी व्यवस्था में अग्रेषित करने हेतु सक्षम बनाती है। उक्त धाराओं के साथ एमपीजीएसटी नियम 2017 के नियम 117 से 121 इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। करदाताओं द्वारा एमपीजीएसटी अधिनियम की सुसंगत धाराओं तथा एमपीजीएसटी नियमों के सुसंगत नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले ट्रान-1² और ट्रान-2³ विवरणियों की उपयुक्त तालिकाओं में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया जाना था।

सभी पंजीकृत करदाता जिन्होंने प्रथम व्यवस्था (अधिनियम की धारा 10) के अंतर्गत कर के भुगतान का विकल्प नहीं चुना हो, वे नियत दिन से 90 दिनों के भीतर ट्रान-1 विवरणी दाखिल करके ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र थे। ट्रान-1 विवरणी दाखिल करने की समय सीमा शुरू में 27 दिसंबर 2017 तक और बाद में 31 मार्च 2020 तक उन करदाताओं के लिए जो प्रणाली में तकनीकी खामियों के कारण ट्रान-1 विवरणी दाखिल नहीं कर सके थे और उन प्रकरणों के लिए जिन्हें जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित किया गया था, के लिए बढ़ा दी गई थी।

² ट्रान-1 करदाताओं द्वारा पुराने नियमों के तहत भुगतान किए गए कर के क्रेडिट का दावा करने के लिए दाखिल की जाने वाली विवरणी है।

³ ट्रान-2 करदाताओं द्वारा पुराने नियमों के तहत भुगतान किए गए कर के क्रेडिट का दावा करने के लिए दाखिल की जाने वाली विवरणी है, यदि कर-प्रदत्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।

2.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

ट्रान-1 और ट्रान-2 विवरणी के अंतर्गत दावा किए गए और आईटीसी के रूप में करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में जमा किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट, करदाताओं की जीएसटी आउटपुट देयता के विरुद्ध समायोजित किए जाएंगे। इसलिए ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का जीएसटी राजस्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, एमपीजीएसटी के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा आश्वासन प्राप्ति की दृष्टि से निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई है:

- क्या वैट के ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के लिए एक पर्याप्त और प्रभावी तंत्र मौजूद था, यदि हाँ, तो विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन और सत्यापन के लिए परिकल्पित तंत्र एमपीजीएसटी के संबंध में पर्याप्त और प्रभावी था।
- क्या कर निर्धारितियों द्वारा जीएसटी व्यवस्था में अग्रेषित किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे।

2.4.4 लेखापरीक्षा मानदंड

ट्रांजिशनल क्रेडिट के लेखापरीक्षा के मानदंड में एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 और 142 के प्रावधानों के साथ एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 से 121, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और राज्य कर विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाएं/परिपत्र सम्मिलित हैं।

2.4.5 लेखापरीक्षा नमूना

एमपीजीएसटी के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के 2,357 प्रकरणों को एमपीजीएसटी के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए चुना गया है।

2.4.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत प्रदान किए गए इनपुट कर के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था के अंतर्गत करदाताओं द्वारा दाखिल किये गये ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावों की विवरणी, ट्रान-1 और ट्रान-2 दोनों की समीक्षा सम्मिलित थी। समीक्षा की अवधि को नियत तिथि⁴ से मार्च 2020 के अंत तक सम्मिलित किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में अधिनियम के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए निर्दिष्ट नियमों के अनुपालन की जाँच सम्मिलित थी।

राज्य में कुल 84 वृत्त कार्यालयों में से 45 के अधिकार क्षेत्र में ट्रांजिशनल क्रेडिट के 2,357 नमूना प्रकरणों के सत्यापन के लिए फरवरी 2021 और अप्रैल 2021 के बीच लेखापरीक्षा की गई। विभिन्न पत्राचार (जनवरी से फरवरी 2021) के बावजूद विभाग का कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण प्रवेश सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सका। तथापि, लेखापरीक्षा, विभाग प्रमुख और संबंधित वृत्त कार्यालयों को सूचित करते हुए संचालित की गई थी। सितंबर 2021 में विभाग को प्रारूप प्रतिवेदन जारी किया गया था। मई 2022 तक उत्तर प्रतीक्षित था। विभाग को पत्र और अनुस्मारक जारी करने के बावजूद निर्गम सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सका। शासन/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था। (सितम्बर 2022)।

राज्य में एमपीजीएसटी के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट के प्रकरणों की संख्या के संदर्भ में समग्र स्थिति तालिका 2.1 में दर्शायी गई है:

⁴ नियत दिन या तिथि वह तिथि है जिस दिन से एमपीजीएसटी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, यानि 01 जुलाई 2017।

तालिका 2.1: एमपीजीएसटी के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट के नमूना प्रकरणों एवं लेखापरीक्षित प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

एमपीजीएसटी के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रकरणों की कुल संख्या	दावा किये गये क्रेडिट की कुल राशि	नमूना प्रकरणों की संख्या	नमूना प्रकरणों में दावा किये गये क्रेडिट की कुल राशि	लेखापरीक्षित प्रकरणों की संख्या	लेखापरीक्षित प्रकरणों में दावा किये गये क्रेडिट की राशि	नमूना प्रकरणों में से अभिलेख प्रस्तुत न किये गये प्रकरणों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई ⁵	नमूना प्रकरणों की राशि जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई
विभाग से जानकारी लंबित	विभाग से जानकारी लंबित	2,357	303.72	2,215	295.04	142	8.67

लेखापरीक्षा ने 2,215 प्रकरणों की जाँच की और ₹ 86.93 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावों में अनुपालन विचलन के 314 प्रकरण (14 प्रतिशत) पाए गये।

2.4.7 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

चयनित करदाताओं के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की लेखापरीक्षा के लिए कार्यप्रणाली में वृत्त कार्यालयों के पास उपलब्ध ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित अभिलेखों की जाँच सम्मिलित थी। व्यक्तिगत ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन में ऐसे दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ मौजूदा कानूनों के अंतर्गत पिछले छः माह की विवरणियों में करदाताओं द्वारा दावा किए गए ऐसे वैट क्रेडिट की जाँच सम्मिलित थी, जो नियत तिथि से तुरंत पहले के हैं। इसके अलावा, पूंजीगत माल, पारगमन में इनपुट या कर प्रदत्त स्टॉक से संबंधित दावा किए गए इनपुट कर के संबंध में वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के वैट का निर्धारण न होने के कारण वृत्त कार्यालय में संबंधित अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण राज्य कर विभाग के माध्यम से करदाताओं से दस्तावेज माँगे गए थे। हालांकि, करदाताओं के अभिलेखों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण हम 2,357 नमूना प्रकरणों में से 142 प्रकरणों में पूंजीगत वस्तुओं, पारगमन में माल और कर प्रदत्त स्टॉक, वैट विवरणी, ईसीएल आदि से संबंधित ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की लेखापरीक्षा नहीं कर सके, जैसा कि कंडिका 2.4.9.12 में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को दो लेखापरीक्षा उद्देश्यों के अनुरूप क्रमशः प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों के अंतर्गत लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई प्रमुख महत्वपूर्ण टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है, जैसा कि तालिका 2.2 में संक्षेपित किया गया है:

⁵ ट्रान-1 की तालिका में 142 प्रकरण हैं तालिका 5(सी)-38 प्रकरण, तालिका 7(बी)-42 प्रकरण, तालिका 6(बी) एवं 7(बी)-1 प्रकरण, तालिका 7(सी)-48 प्रकरण, तालिका 6(बी) और 7(सी)-1 प्रकरण, तालिका 7(बी) और 7(सी)-5 प्रकरण, तालिका 7(डी)-2 प्रकरण, तालिका 10(ए)-3 प्रकरण और तालिका 11-2 प्रकरण।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	आपत्ति की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना		पाई गई आपत्तियों की संख्या		नमूने के प्रतिशत के रूप में कमियाँ	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्रणालीगत मुद्दा							
1.	विभाग में सत्यापन तंत्र का मौजूद न होना						
अनुपालन मुद्दे							
2.	जीएसटी के दायरे में नहीं आने वाले माल पर अस्वीकार्य आईटीसी का लाभ उठाना	2,215	295.04	18	1.14	0.81	0.39
3.	ट्रांजिशनल क्रेडिट के रिवर्सल पर ब्याज का भुगतान न करना	2,215	295.04	12	0.27	0.54	0.09
4.	ट्रान-1 में दावा की गई क्रेडिट से ईसीएल में अधिक राशि क्रेडिट की जाना	2,215	295.04	2	0.04	0.09	0.01
5.	ट्रान-1 में अधिक क्रेडिट अग्रेषित किया जाना	2,215	295.04	136	71.27	6.14	24.16
6.	ट्रान-1 में एक ही क्रेडिट का दो बार गलत लाभ उठाना	2,215	295.04	13	0.14	0.59	0.05
7.	वैट विवरणी दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	2,215	295.04	68	3.97	3.07	1.35
8.	वैट व्यवस्था में अपंजीकृत व्यवसायी द्वारा क्रेडिट का अनुचित अग्रेषण	2,215	295.04	5	0.24	0.23	0.08
9.	वैट विवरणी में आईटीआर बैलेंस को गलत तरीके से अग्रेषित किये जाने के कारण ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक दावा	2,215	295.04	41	8.59	1.85	2.91
10.	वैट की संशोधित विवरणी से अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट का अस्वीकार्य दावा	2,215	295.04	17	0.58	0.77	0.20
11.	ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित अन्य अनियमितताएं	2,215	295.04	2	0.69	0.09	0.23
योग				314	86.93		

2.4.8 प्रणालीगत मुद्दा

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग में ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन तंत्र से संबंधित कुछ प्रणालीगत मुद्दे मौजूद हैं, जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

2.4.8.1 विभाग में सत्यापन तंत्र का न होना

ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और करदाताओं के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को विनियमित करने में नियंत्रण जोखिम होता है। एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 121 के अनुसार ट्रान-1 में निर्दिष्ट ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि को सत्यापित किया जाएगा एवं करदाताओं द्वारा गलत तरीके से दावा किए गए क्रेडिट के संबंध में कार्यवाही शुरू की जाएगी।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने देखा कि ट्रांजिशनल क्रेडिट के सभी 2,357 चयनित प्रकरण 45 वृत्त कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में थे। करदाताओं द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त करने से तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट का सत्यापन नहीं किया गया था। संबंधित उपायुक्त/सहायक आयुक्त (सं.उ.वा.क/स.आ.वा.क) राज्य कर ने बताया (फरवरी से अप्रैल 2021) कि विभाग ने ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रकरणों के सत्यापन के लिए फील्ड कार्यालयों को कोई निर्देश जारी नहीं किये थे।

इस प्रकार, विभाग में ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के लिए विशिष्ट तंत्र के न होने के कारण वैट व्यवस्था से संबंधित सभी ट्रांजिशनल क्रेडिट मामले असत्यापित रहे। विभागीय अधिकारियों द्वारा सुसंगत अभिलेखों के साथ ट्रांजिशनल क्रेडिट के गैर-सत्यापन के कारण नमूना प्रकरणों में परिहार्य राजस्व हानि हुई जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है। उपरोक्त दृष्टि से अन्य ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रकरणों में राजस्व हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

2.4.9 अनुपालन मुद्दे

अनुपालन मुद्दे व्यक्तिगत निर्धारितियों द्वारा जीएसटी व्यवस्था में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट की वैधता और स्वीकार्यता से संबंधित हैं। एमपीजीएसटी अधिनियम की संबंधित उप-धाराओं/धारा के अंतर्गत निर्दिष्ट अंतर्निहित शर्तों के तहत ट्रान-1 एवं ट्रान-2 विवरणियों की उपयुक्त तालिकाओं में करदाताओं द्वारा दावा किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट के घटक, नीचे तालिका 2.3 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 2.3: ट्रांजिशनल क्रेडिट घटकों और प्रासंगिक अधिनियम प्रावधानों का विवरण

स. क्र.	विवरणीयाँ	तालिका संख्या	ट्रांजिशनल क्रेडिट के घटक	अधिनियम की प्रासंगिक उप-धाराएं/धाराएं
1.	ट्रान-1	5(सी)	अंतिम विवरणी से क्रेडिट की अंतशेष राशि	140 (1)
2.	ट्रान-1	6(बी)	पूंजीगत माल पर अप्रयुक्त क्रेडिट	140 (2)
3.	ट्रान-1	7(बी)	पारगमन में इनपुट/इनपुट सेवा पर क्रेडिट	140 (5)
4.	ट्रान-1	7(सी)	कर प्रदत्त स्टॉक पर क्रेडिट-इनवॉइस के साथ	140 (3)
5.	ट्रान-1	7(डी)	कर प्रदत्त स्टॉक पर क्रेडिट-बिना इनवॉइस के साथ	धारा 140(3) का परंतुक और एमपीजीएसटी नियम का नियम 117(4)
6.	ट्रान-1	10(ए) एवं (बी)	एजेंट के पास रखे माल/पूंजीगत माल पर क्रेडिट	142 (14)
7.	ट्रान-1	11	नियत दिन से पहले भुगतान किए गए कर और नियत दिन के बाद की गई आपूर्ति के संबंध में क्रेडिट	142 (11)(सी)
8.	ट्रान-2	5	बिना इनवॉइस के दावा किए गए स्टॉक पर दिया गया क्रेडिट	धारा 140(3) का परंतुक और एमपीजीएसटी नियम का नियम 117(4)

2.4.9.1 जीएसटी के दायरे में नहीं आने वाली माल पर अस्वीकार्य आईटीसी का लाभ लिया जाना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(2) के अनुसार पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर राज्य कर, परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तिथि से प्रभावी होगा। पेट्रोल और डीजल को अभी तक सरकार द्वारा जीएसटी के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है और ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी से मार्च 2021) कि आठ वृत्तों⁶ में 18 करदाताओं ने ₹ 1.14 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था जो कि पेट्रोल और डीजल का शेष इनपुट कर छूट (आईटीआर) था, जिसे 2017-18 की पहली तिमाही के वैट विवरणी में क्रेडिट अग्रेषण के रूप में दिखाया गया था। चूंकि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर लगाने के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए ₹ 1.14 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा स्वीकार्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाए अनुसार ₹ 1.14 करोड़ के अस्वीकार्य ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद स.आ.वा.क राज्य कर, बीना ने बताया (मार्च 2021) कि करदाता केंद्रीय अधिकार क्षेत्र में था। अन्य संबंधित सं.उ.वा.क/स.आ.वा.क राज्य कर, ने बताया (फरवरी से मार्च 2021) कि वैट निर्धारण के समय प्रकरणों के सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जीएसटी दायरे में माइग्रेशन से पहले करदाता राज्य के अधिकार क्षेत्र में था। इसलिए ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावे को संबंधित स.आ.वा.क द्वारा सत्यापित किया जाना था।

शासन को प्रारूप प्रतिवेदन सितम्बर 2021 में जारी किया गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.4.9.2 गलत तरीके से लिए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट के रिवर्सल पर ब्याज का भुगतान न करना

एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 121 के अनुसार, नियम 117 के उप-नियम (3) के अंतर्गत जमा की गई राशि की वसूली अधिनियम की धारा 73 या जैसा भी प्रकरण हो, धारा 74 के अंतर्गत शुरू की जा सकती है। धारा 73 या 74 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए करदाता को अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत उस पर देय ब्याज के साथ गलत तरीके से लिए गए क्रेडिट की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(1) यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है लेकिन सरकार को कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है तो उस अवधि के लिए 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करें जिसके लिए कर या उसका कोई भाग बकाया रहता है।

लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी से मार्च 2021) कि सात वृत्त कार्यालयों⁷ से संबंधित ट्रांजिशनल क्रेडिट के 12 प्रकरणों में करदाताओं ने ट्रान-1 में ₹ 83.12 लाख के अधिक या अनुचित क्रेडिट का दावा किया था। यद्यपि उन्होंने गलत तरीके से लिए गए क्रेडिट को 123 से 1,288 दिनों के विलंब के बाद, स्वयं वापस कर दिया था, करदाताओं ने ₹ 26.75 लाख के देय ब्याज के विरुद्ध केवल ₹ 0.19 लाख के ब्याज का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.56 लाख के ब्याज का अनारोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में दर्शाया गया है। विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट के गैर-सत्यापन के अलावा, जैसा कि पहले बताया गया था, गलत तरीके से लिए गए क्रेडिट के रिवर्सल पर लागू ब्याज लगाने और वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

⁶ बीना, देवास, धार, नरसिंहपुर, राजगढ़, रतलाम-1, संधवा और उज्जैन-3।

⁷ छिंदवाड़ा-2, कटनी-2, मंडला, पीथमपुर, राजगढ़, रतलाम-1 एवं शिवपुरी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद सं.उ.वा.क राज्य कर, पीथमपुर ने कहा (मार्च 2021) कि नियमानुसार वसूली की जायेगी। तीन उपायुक्तों⁸ ने बताया (फरवरी से मार्च 2021) कि प्रकरणों की जाँच के बाद कार्यवाही की जाएगी और शेष तीन स.आ.वा.क⁹ ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया था।

शासन को प्रारूप प्रतिवेदन सितम्बर 2021 में जारी किया गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था। (सितम्बर 2022)।

2.4.9.3 ट्रान-1 में दावा की गई राशि से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अधिक राशि क्रेडिट करना

एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117(1) के अनुसार, एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में इनपुट कर का क्रेडिट लेने के हकदार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को इनपुट कर क्रेडिट की राशि निर्दिष्ट करते हुए ट्रान-1 में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसका वह उक्त धारा के प्रावधानों के अंतर्गत हकदार है। इसके अलावा, एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117(3) के अनुसार ट्रान-1 विवरणी में निर्दिष्ट क्रेडिट की राशि को सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी पीएमटी-2 में बनाए गए आवेदक के ईसीएल में जमा किया जाएगा। इसलिए, ईसीएल में क्रेडिट को ट्रान-1 विवरणी में दावा किए गए क्रेडिट से अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा (फरवरी से मार्च 2021) कि दो वृत्त कार्यालयों¹⁰ में दो करदाताओं ने उनके द्वारा दाखिल ट्रान-1 विवरणी के अनुसार ₹ 33.14 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था जबकि ईसीएल में क्रेडिट किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट की वास्तविक राशि ₹ 37.12 लाख थी। इस प्रकार, करदाताओं के ईसीएल में अतिरिक्त आईटीसी राशि ₹ 3.98 लाख जमा की गई थी जो करदाताओं द्वारा ट्रान-1 में दावा किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि से अधिक थी, जैसा कि परिशिष्ट 2.3 में वर्णित है। इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 3.98 लाख के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, सं.उ.वा.क राज्य कर, पीथमपुर ने बताया (मार्च 2021) कि करदाता ने अपनी दो इकाईयों में से केवल एक इकाई के वैट के शेष क्रेडिट का दावा किया था, जबकि उसी जीएसटीआईएन के अंतर्गत अन्य इकाई के शेष वैट क्रेडिट का दावा ट्रान-1 में नहीं किया जा सका था। हालांकि, दोनों इकाईयों की क्रेडिट राशि ईसीएल में जमा कर दी गई थी। सं.उ.वा.क राज्य कर, जबलपुर-1 ने कहा (फरवरी 2021) कि वैट निर्धारण के समय प्रकरण के सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रत्येक इकाई के जीएसटी-पूर्व व्यवस्था के शेष क्रेडिट को ट्रान-1 विवरणी में निर्दिष्ट करने के बाद ही ईसीएल में जमा किया जाना था।

शासन को प्रारूप प्रतिवेदन सितम्बर 2021 में जारी किया गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.4.9.4 ट्रान-1 में अधिक क्रेडिट का अग्रेषण

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के अनुसार, कंपोजीशन करदाता के अलावा एक पंजीकृत व्यक्ति, मौजूदा कानून के अंतर्गत नियत दिन से ठीक पहले दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित, उसके द्वारा दी गई विवरणी में अग्रेषित किये गए वैट क्रेडिट की राशि को अपने ईसीएल में लेने का हकदार है।

⁸ राजगढ़, रतलाम-1 एवं शिवपुरी।

⁹ छिंदवाड़ा-2, कटनी-2 एवं मंडला।

¹⁰ जबलपुर-1 एवं पीथमपुर।

लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी से अप्रैल 2021) 40 वृत्त कार्यालयों¹¹ में ट्रांजिशनल क्रेडिट के 136 प्रकरणों में करदाताओं ने ₹ 5.75 करोड़ के पात्र वैट क्रेडिट, जिसे 2017-18 के पहली तिमाही के वैट विवरणी में अग्रेषित किया गया था, के विरुद्ध ₹ 77.02 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। इस प्रकार, करदाताओं ने **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित वैट विवरणी के शेष क्रेडिट से ₹ 71.27 करोड़ के अधिक का ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था।

विवरणी में वैट क्रेडिट के शून्य शेष के प्रकरण जो कि ट्रान में गलत आंकड़ों के साथ अग्रेषित हुए

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त 136 प्रकरणों में 22 वृत्त कार्यालयों में 32 प्रकरणों में करदाताओं के पास 2017-18 की पहली तिमाही की विवरणी में वैट क्रेडिट का कोई शेष नहीं था (शून्य शेष), लेकिन उन्होंने गलत तरीके से राशि ₹ 67.59 करोड़ का दावा किया था एवं आईटीसी प्राप्त की थी। आगे यह भी देखा गया कि इन 32 प्रकरण में से स.आ.वा.क बैडन के नॉर्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड के एक ही प्रकरण में इस करदाता द्वारा ट्रान-1 में ₹ 65.65 करोड़ के गलत अतिरिक्त क्रेडिट का दावा किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि विभाग ने वैट अभिलेखों के साथ ट्रांजिशनल क्रेडिट का सत्यापन नहीं किया। इसलिए करदाताओं द्वारा गलत तरीके से दावा किए गए क्रेडिट की वसूली करने में विभाग विफल रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, संबंधित सं.उ.वा.क/स.आ.वा.क राज्य कर ने कहा (फरवरी से अप्रैल 2021) कि वैट निर्धारण के समय प्रकरणों के सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी जबकि स.आ.वा.क राज्य कर, छिंदवाड़ा 2 ने कोई उत्तर नहीं दिया था।

शासन को प्रारूप प्रतिवेदन सितम्बर 2021 में जारी किया गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.4.9.5 ट्रान-1 की पृथक-पृथक तालिका में दो बार एक ही क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के अनुसार पंजीकृत करदाता आईटीआर की अप्रयुक्त राशि को अग्रेषित करने के हकदार थे जिसे 2017-18 की पहली तिमाही के वैट विवरणी में दिखाया गया है। साथ ही, एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(3) ऐसे स्टॉक पर जीएसटी व्यवस्था में वैट क्रेडिट के पारगमन की सुविधा प्रदान करती है, जिनमें मौजूदा कानून के अंतर्गत इनवॉइस या अन्य निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर कर प्रदत्त होने के साक्ष्य हों।

लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी से मार्च 2021) कि आठ वृत्त कार्यालयों में¹² 13 करदाताओं ने ₹ 14.04 लाख का क्रेडिट अग्रेषित किया जिसे वैट की अंतिम विवरणी में अप्रयुक्त शेष क्रेडिट के रूप में दिखाया गया था एवं ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में दावा किया गया था। पुनः करदाताओं ने ट्रान-1 की तालिका 7(सी) में भी क्रेडिट की समान राशि ₹ 14.04 लाख का दावा किया था। इन प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने देखा कि तालिका 5(सी) में दावा की गई क्रेडिट की राशि पिछले वैट विवरणी से ली गई थी। ट्रान-1 की तालिका 7(सी) में दावा किए गए क्रेडिट के संबंध में न तो मौजूदा कानून के अंतर्गत छूट प्राप्त या कर मुक्त माल से संबंधित कोई विवरण तालिका में दिया गया था और न ही माल पर कर के भुगतान का कोई इनवॉइस/दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था। इस प्रकार, तालिका 7(सी) में दावा किया गया क्रेडिट प्रावधानों के अनुसार नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.04 लाख के अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट का गलत लाभ उठाया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

¹¹ अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा-1, छिंदवाड़ा-2, देवास, धार, हरदा, होशंगाबाद, इटारसी, जबलपुर-1, जबलपुर-2, जबलपुर-3, जबलपुर-4, जावरा, झाबुआ, कटनी, कटनी-2, खंडवा, खरगोन, मंडीदीप, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, पीथमपुर, राजगढ़, रतलाम-1, संधवा, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन-1, उज्जैन-2, उज्जैन-3, विदिशा एवं बैदन।

¹² छतरपुर, धार, कटनी-1, मंदसौर, पीथमपुर, रतलाम, उज्जैन-1 एवं बैदन।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, सं.आ.वा.क राज्य कर, मंदसौर और उज्जैन-1 ने ट्रान-1 की विभिन्न तालिकाओं में दो बार एक ही क्रेडिट का दावा करने के कारणों पर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि अन्य सं.उ.वा.क/सं.आ.वा.क राज्य कर ने कहा (फरवरी से अप्रैल 2021 तक) कि वैट निर्धारण के समय प्रकरणों के सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

शासन को प्रारूप प्रतिवेदन सितम्बर 2021 में जारी किया गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.4.9.6 वैट विवरणियाँ दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

नियत दिन से ठीक पहले दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि को एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 140(1) के अंतर्गत आईटीसी के रूप में ईसीएल में अग्रेषित किया जा सकता है। हालांकि, करदाता एमपीजीएसटी के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे नियत दिन से ठीक पहले छः माह (जनवरी से जून 2017) की अवधि के लिए मौजूदा कानून के अंतर्गत आवश्यक सभी विवरणीय प्रस्तुत नहीं करते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी से अप्रैल 2021) कि 25 वृत्त कार्यालयों¹³ के 68 प्रकरणों में करदाताओं ने पिछले छः माह (2016-17 की चौथी तिमाही या 2017-18 की पहली तिमाही या दोनों) की वैट की त्रैमासिक विवरणी दाखिल नहीं की थी। हालांकि, करदाताओं ने ट्रान-1 की तालिका 5(सी) के अंतर्गत अनियमित रूप से ₹ 3.97 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में दर्शाया गया है। इसलिए दावा अधिनियम के ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधानों के विपरीत था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद संबंधित सं.उ.वा.क/सं.आ.वा.क राज्य कर ने कहा (फरवरी से अप्रैल 2021) कि वैट निर्धारण के समय प्रकरणों के सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

शासन को प्रारूप प्रतिवेदन सितम्बर 2021 में जारी किया गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2022)।

2.4.9.7 अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा वैट क्रेडिट का अनुचित अग्रेषण

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) यह निर्धारित करती है कि मौजूदा कानून यानी वैट के अंतर्गत दाखिल अंतिम विवरणी के अनुसार क्रेडिट के अंतिम शेष को जीएसटी व्यवस्था में ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है। ट्रांजिशनल क्रेडिट तभी मान्य होगा जब पिछले छः माह (जनवरी से जून 2017) के लिए विवरणी को मौजूदा कानून के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया हो।

चार वृत्त कार्यालयों¹⁴ में लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी से मार्च 2021) कि पाँच करदाता पंजीकृत नहीं थे और उन्हें जीएसटी-पूर्व व्यवस्था में वैट विवरणी दाखिल नहीं करना चाहिए था। इसके बाद भी उन्होंने तालिका 5(सी) के अंतर्गत ₹ 24.33 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। ट्रान-1 में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण आईटीसी का दावा मान्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.33 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.7 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संबंधित सं.उ.वा.क/सं.आ.वा.क राज्य कर ने कहा (फरवरी से मार्च 2021) कि वैट निर्धारण के समय प्रकरणों के सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

शासन को प्रारूप प्रतिवेदन सितम्बर 2021 में जारी किया गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

¹³ बालाघाट, भिंड, बीना, छतरपुर, छिंदवाड़ा-1, देवास, धार, जबलपुर-1, जबलपुर-2, जबलपुर-3, जबलपुर-2, झाबुआ, कटनी-1, मंडीदीप, मंडला, मंदसौर, राजगढ़, रतलाम-1, रतलाम-2, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन-1 एवं बैदना।

¹⁴ देवास, धार, जबलपुर-1 एवं जबलपुर-3।

2.4.9.8 वैट विवरणी में आईटीआर बैलेंस को त्रुटिपूर्ण अग्रेषित किये जानें के कारण ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक दावा

एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 140(1) के अनुसार यदि पिछले छः माह (पिछली दो तिमाहियों) की विवरणियाँ मौजूदा कानून के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हों तो पंजीकृत करदाता 2017-18 की पहली तिमाही के वैट विवरणी में उपलब्ध आईटीआर की अप्रयुक्त राशि को जीएसटी में आईटीसी के रूप में ट्रान-1 की तालिका 5(सी) के अन्तर्गत अग्रेषित करने और दावा करने के हकदार थे।

वैट विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (फरवरी से अप्रैल 2021) कि 22 वृत्त कार्यालयों¹⁵ में 41 करदाताओं ने 2016-17 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च) की वैट विवरणी में अग्रेषित दर्शाया गये ₹ 10.49 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) की वैट विवरणी में ₹19.05 करोड़ की राशि का क्रेडिट अग्रेषित किया था। इस प्रकार, करदाताओं ने 2017-18 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) की वैट विवरणी में ₹ 8.56 करोड़ के आईटीआर के अतिरिक्त क्रेडिट का दावा किया था। इसके अलावा, करदाताओं ने ₹ 17.90 करोड़ के मान्य वैट क्रेडिट के विरुद्ध ₹ 17.93 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का भी दावा किया, जिसे 2017-18 की पहली तिमाही के वैट विवरणी में अग्रेषित दिखाया गया था। परिणामस्वरूप, करदाताओं ने वैट विवरणी के शेष क्रेडिट से अधिक राशि के ₹ 0.03 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। इस प्रकार, करदाताओं द्वारा ₹ 8.59 करोड़ के अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट का गलत दावा किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.8** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, स.आ.वा.क राज्य कर, छिंदवाड़ा-2 ने कोई उत्तर नहीं दिया जबकि अन्य सं.उ.वा.क/स.आ.वा.क राज्य कर ने कहा (फरवरी से अप्रैल 2021) कि वैट निर्धारण के समय प्रकरणों के सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

शासन को प्रारूप प्रतिवेदन सितम्बर 2021 में जारी किया गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.4.9.9 वैट संशोधित विवरणी में अग्रेषित क्रेडिट से ट्रान-1 में अधिक दावा की गई अमान्य ट्रांजिशनल क्रेडिट

एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 142(9)(ए) के अनुसार जहां वैट अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किसी भी विवरणी को नियत दिन के बाद संशोधित किया जाता है और इस तरह के संशोधन के अनुसार आईटीसी की कोई भी राशि अस्वीकार्य पाई जाती है तो उसे एमपीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा और इस प्रकार वसूल की गई राशि एमपीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत आईटीसी के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। इसके अलावा, एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 121 के अनुसार, एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 या 74 के अंतर्गत करदाताओं द्वारा गलत तरीके से लिए गए किसी भी क्रेडिट की माँग और वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की जाएगी।

संशोधित वैट विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (फरवरी से अप्रैल 2021) कि सात वृत्त कार्यालयों¹⁶ में 17 प्रकरणों में, 2017-18 की पहली तिमाही के संशोधित विवरणियों में ₹ 32.39 लाख की क्रेडिट राशि का अंतिम शेष उपलब्ध था। हालांकि, करदाताओं ने पहले ही 2017-18 की पहली तिमाही की मूल/पिछली विवरणी के आधार पर ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में ₹ 89.91 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। इस प्रकार, करदाताओं ने **परिशिष्ट 2.9** में दर्शाए अनुसार ₹ 57.52 लाख के अस्वीकार्य ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था, जिसे नियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित करदाताओं से वसूल किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, संबंधित सं.उ.वा.क/स.आ.वा.क राज्य कर ने कहा (फरवरी से अप्रैल 2021) कि वैट निर्धारण के समय प्रकरणों के सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

¹⁵ बालाघाट, भिंड, बीना, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा-2, देवास, धार, जबलपुर-2, जबलपुर-3, जबलपुर-4, झाबुआ, कटनी-1, खंडवा, खरगोन, मंडीदीप, पीथमपुर, राजगढ़, रतलाम-1, सेंधवा, शहडोल, शाजापुर एवं उज्जैन-2।

¹⁶ देवास, जबलपुर-1, खंडवा, मंदसौर, नीमच, पीथमपुर एवं राजगढ़।

शासन को प्रारूप प्रतिवेदन सितम्बर 2021 में जारी किया गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.4.9.10 आईटीआर की अस्वीकार्य/अधिक राशि को ट्रान-1 में अग्रेषित किया जाना और इनपुट कर क्रेडिट के रूप में लिया जाना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति, मौजूदा कानून के अंतर्गत प्रस्तुत 30 जून 2017 तक की अवधि से संबंधित विवरणी में वैट क्रेडिट की अग्रेषित राशि को ट्रान-1 की तालिका 5(सी) के अंतर्गत दावा करते हुए अपने ईसीएल में लेने का हकदार है। जब तक कि उक्त क्रेडिट, मौजूदा कानून के अंतर्गत आईटीसी के रूप में स्वीकार्य न हो जाए एवं एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत आईटीसी के रूप में भी स्वीकार्य हो तब तक पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14(1एडी) यह निर्धारित करती है कि, जहां एक पंजीकृत व्यवसायी इनपुट कर के भुगतान के बाद दूसरे ऐसे व्यवसायी से अनुसूची II के भाग III में निर्दिष्ट तेंदू पत्ता खरीदता है और:

- अ) इस प्रकार खरीदे गए तेंदूपत्ता को मध्य प्रदेश राज्य के भीतर बेचता है; या
- ब) बीड़ी के निर्माण में इसका उपभोग करता है और निर्मित बीड़ी को एमपी राज्य के भीतर या अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचता है या इसे भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात करता है, वह इस तरह के इनपुट कर की राशि के आईटीआर का दावा कर सकता है या उसे इसकी अनुमति होगी।

वृत्त कार्यालय, बुरहानपुर में वैट विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान देखा गया (मार्च 2021) कि एक व्यवसायी मैसर्स सिटी सेंटर मॉल नासिक प्रा. लिमिटेड (टिन नंबर 23399108450 और जीएसटीआईएन नंबर 23AACCC6422B1ZE) ने 2016-17 की चौथी तिमाही से 2017-18 की पहली तिमाही के विवरणी में ₹ 0.91 करोड़ की आईटीआर की राशि को रिवर्सल के पश्चात ₹ 1.45 करोड़ का आईटीआर अग्रेषित किया था। चूंकि व्यवसायी ने 2016-17 की चौथी तिमाही में अंतरराज्यीय व्यापार (राज्य के बाहर बेचा) के दौरान तेंदूपत्ता का 90 प्रतिशत स्टॉक का विक्रय किया था, रिवर्सल राशि की गणना ₹ 1.56 करोड़ (तिमाही के लिए ₹ 1.73 करोड़ प्राप्य आईटीआर का 90.12 प्रतिशत) के रूप में की जानी थी। निर्धारण प्राधिकारी ने भी ₹ 1.45 करोड़ की अग्रेषित राशि पर विचार करते हुए 2017-18 के प्रकरण का निर्धारण किया था। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 में व्यवसायी ने अपने पुराने तेंदूपत्ता स्टॉक का 81.74 प्रतिशत राज्य के बाहर विक्रय किया था, जिस पर उसने पहले ही आईटीआर का लाभ उठाया था। चूंकि व्यवसायी ने वर्ष के दौरान माल का क्रय नहीं किया था रिवर्सल राशि की गणना ₹ 0.66 करोड़ (₹ 0.81 करोड़ के उपलब्ध आईटीआर का 81.74 प्रतिशत) की जानी थी। ₹ 0.15 करोड़ (₹ 0.81-₹ 0.66) के शेष आईटीआर के विरुद्ध तिमाही के लिए देय ₹ 0.16 करोड़ की कर राशि के समायोजन के बाद 2017-18 की पहली तिमाही के अंत में व्यवसायी के पास कोई आईटीआर उपलब्ध नहीं था लेकिन व्यवसायी ने ₹ 0.62 करोड़ की राशि के ट्रांजिशनल क्रेडिट की अस्वीकार्य राशि का दावा किया था और उसका लाभ उठाया था।

इंगित किए जाने के बाद, स.आ.वा.क राज्य कर, बुरहानपुर ने उत्तर दिया (मार्च 2021) कि 2016-17 के प्रकरण का निर्धारण लेखापरीक्षा विंग, इंदौर द्वारा किया गया था एवं जिसके अनुसार ₹ 1.45 करोड़ का आईटीआर वर्ष 2107-18 में अग्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा टिप्पणी को दर्शाते हुए एक पत्र लेखापरीक्षा विंग, इंदौर को उनकी राय लेने के लिए भेजा गया है। स.आ.वा.क ने आगे कहा कि वर्ष 2017-18 के लिए वैट प्रकरण का निर्धारण आदेश ₹ 1.45 करोड़ की अग्रिम राशि को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्ष 2017-18 में व्यवसायी द्वारा तेंदूपत्ता क्रय नहीं किया गया था एवं व्यवसायी ने अंतरराज्यीय व्यापार में अपने तेंदू पत्ते का प्रारंभिक स्टॉक बेच दिया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि तथ्यों के सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

शासन को प्रारूप प्रतिवेदन सितम्बर 2021 में जारी किया गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.4.9.11 दो जीएसटी पंजीकरण के अंतर्गत एक ही क्रेडिट का अनियमित रूप से लाभ उठाना

एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 140(1) के अनुसार, पंजीकृत करदाता ट्रान-1 की तालिका 5(सी) के माध्यम से 2017-18 की पहली तिमाही की वैट विवरणी में उपलब्ध आईटीआर की अप्रयुक्त राशि को अग्रेषित और दावा करने के हकदार थे।

वृत्त कार्यालय, हरदा की लेखापरीक्षा के दौरान मेसर्स श्री कृष्णा सॉ मिल (टिन 23604600491) के वैट विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (मार्च 2021) कि 2017-18 की पहली तिमाही की विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की अंतिम शेष राशि ₹ 6.96 लाख थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि जीएसटी के दो पंजीकरण संख्या वाले करदाता ने नवंबर 2017 के माह में जीएसटी पंजीकरण संख्या 23ACBFS7832D1ZD के लिए ट्रान-1 दाखिल किया था और ₹ 6.96 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। इसे 17 नवंबर 2017 को ईसीएल में ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में दर्शाया गया था। करदाता ने नवंबर 2017 के माह में फिर से ट्रान-1 दाखिल किया था और अन्य जीएसटी पंजीकरण संख्या 23AABFK0471G1ZU के अन्तर्गत ₹ 6.96 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था और यह 23 नवंबर 2017 को ईसीएल में परिलक्षित हुआ था। इस प्रकार करदाता ने दोनों जीएसटी पंजीकरणों के अंतर्गत ₹ 6.96 लाख के समान ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रेषित किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटी पंजीकरण संख्या 223AABFK0471G1ZU का पंजीकरण डेटा, वैट पंजीकरण डेटा के साथ मेल नहीं होने के कारण ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा स्वीकार्य नहीं था और इस प्रकार इस जीएसटी पंजीकरण के अंतर्गत दावा किए गए ₹ 6.96 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा अनियमित था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद स.आ.वा.क राज्य कर, हरदा ने कहा (मार्च 2021) कि वैट निर्धारण के समय प्रकरणों के सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

शासन को प्रारूप प्रतिवेदन सितम्बर 2021 में जारी किया गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.4.9.12 अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण पूंजीगत माल, पारगमन में माल एवं कर प्रदत्त स्टॉक से संबंधित ट्रांजिशनल क्रेडिट लेखापरीक्षा में असत्यापित रहना

एमपीजीएसटी अधिनियम की प्रासंगिक धारा के अनुसार जैसा कि उपर कंडिका 2.4.9 में उल्लेख किया गया है, पूंजीगत माल और स्टॉक के संबंध में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा ट्रान-1 की विभिन्न तालिकाओं में एमपीजीएसटी अधिनियम एवं नियम की संबंधित धाराओं/नियमों में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन किया जाना था।

ट्रान-1 विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि (फरवरी 2021 से अप्रैल 2021) कि पूंजीगत माल, पारगमन में माल एवं कर-प्रदत्त स्टॉक के संबंध में ट्रांजिशनल क्रेडिट के 113 दावों में 29 वृत्त कार्यालयों से संबंधित 104 करदाताओं (फुटनोट 5 में विस्तृत) ने ट्रान-1 और ट्रान-2 की संबंधित तालिका में ₹ 6.12 करोड़ की राशि के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था जैसा कि नीचे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: पूंजीगत माल, पारगमन में माल एवं कर-प्रदत्त स्टॉक के संबंध में दावा किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	ट्रान-1 की तालिका	वृत्त कार्यालयों की संख्या	संबंधित तालिका में दावों की संख्या	ट्रान-1/ट्रान-2 में दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि
1.	6 बी	2	2	0.40
2.	7 बी	20	48	3.49
3.	7 सी	22	56	0.97
4.	7 डी	02	02	0.20
5.	10 ए	3	3	0.79

स.क्र.	ट्रान-1 की तालिका	वृत्त कार्यालयों की संख्या	संबंधित तालिका में दावों की संख्या	ट्रान-1/ट्रान-2 में दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि
6.	11	2	2	0.27
योग			113	6.12

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित वृत्त कार्यालय ने न तो उपर्युक्त प्रकरणों में दावा किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट का सत्यापन किया और न ही 2017-18 की पहली तिमाही के लिए उपरोक्त प्रकरणों का वैट निर्धारण किया। आगे, 104 करदाताओं के 113 दावों के संबंध में करदाताओं द्वारा ऐसे ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ लेने के लिए अधिनियमों और नियमों में उल्लिखित निर्धारित शर्तों की पूर्ति के सत्यापन के लिए संबंधित वृत्त कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। पूंजीगत माल, पारगमन में माल और कर-प्रदत्त स्टॉक पर प्राप्त ट्रांजिशनल क्रेडिट के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों के अभाव में, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के संदर्भ में आईटीसी की स्वीकार्यता और पात्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इस प्रकार, परिशिष्ट 2.10 में दर्शाए अनुसार ₹ 6.12 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा असत्यापित रहा एवं विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट का सत्यापन न करने के कारण इन प्रकरणों में राजस्व की हानि से इंकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के अलावा, 2,357 नमूना प्रकरणों में से 38 प्रकरणों¹⁷ में 12 वृत्त कार्यालयों ने ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के लिए प्रासंगिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे जैसा कि परिशिष्ट 2.11 में दर्शाया गया है। इसलिए, इन प्रकरणों में भी करदाताओं द्वारा दावा किए गए ₹ 2.55 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद संबंधित सं.उ.वा.क/स.आ.वा.क राज्य कर ने कहा (फरवरी से अप्रैल 2021) कि वैट निर्धारण के समय प्रकरणों के सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

शासन को प्रारूप प्रतिवेदन सितम्बर 2021 में जारी किया गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.4.10 निष्कर्ष

एक प्रणाली के दृष्टिकोण से हमने देखा कि विभाग ने वैट विवरण के साथ किसी भी ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रकरण को सत्यापित नहीं किया यद्यपि यह एक बार का महत्वपूर्ण कार्य था। करदाताओं द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी विभाग ने अभी तक वृत्त कार्यालयों को ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया। ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रकरणों के सत्यापन के लिए विशिष्ट तंत्र की मौजूदगी के अभाव में जब तक कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित नहीं किया गया। तब तक विभाग ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावों की विभिन्न कमियों से अनभिज्ञ था, जिसके कारण शासन को राजस्व की परिहार्य हानि हुई।

अनुपालन के दृष्टिकोण से 2,215 लेखापरीक्षित प्रकरणों में से 314 प्रकरण जिनके अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे उनमें हमने अनुपालन विचलन देखे जो 14.18 प्रतिशत की त्रुटि दर स्थापित करते हैं। मुख्य रूप से देखी गई कमियों और अनियमितताओं में आखिरी वैधानिक विवरणी से क्रेडिट के अंतिम शेष का अग्रेषण, वैट विवरणी दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाना, अस्वीकार्य माल पर क्रेडिट लिया जाना, वैट विवरणियों में आईटीआर शेष को गलत तरीके से अग्रेषित करने के कारण अधिक दावा किया जाना, ट्रांजिशनल क्रेडिट के प्रत्यावर्तन पर ब्याज का भुगतान न किया जाना आदि सम्मिलित थे।

₹ 8.67 करोड़ राशि के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के 142 प्रकरणों में ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के लिए माँगे गए अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। वृत्त कार्यालयों के पास प्रासंगिक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ट्रांजिशनल क्रेडिट

¹⁷ ये 38 प्रकरण तालिका 2.1 में उल्लिखित 142 प्रकरणों के भाग हैं, जहां वृत्त कार्यालय ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे।

प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य था या अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ लिया गया था या किसी भी कालातीत लिखतों के साथ नहीं लिया गया था।

2.4.11 सिफारिश

- विभाग को करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- नमूना जाँच किए गए प्रकरणों (2,215) के आकार और अधिक/गलत दावों की संख्या (314) को देखते हुए विभाग लेखापरीक्षा नमूने में सम्मिलित नहीं किए गए समान प्रकरणों की कड़ाई से जाँच कर सकता है और समय सीमा के भीतर सुधारात्मक कार्यवाही कर सकता है। ऐसे प्रकरणों की निगरानी/सुधार करने के लिए इनका एक डाटाबेस भी रखा जा सकता है।

2.5 “माल और सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय (रिफंड) दावों के प्रसंस्करण” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.5.1 परिचय

कर का समयबद्ध रिफंड मौजूदा व्यवसाय के लिए अवरुद्ध निधियों के विमोचन द्वारा, कार्यशील पूंजी, विस्तार और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। जीएसटी कानूनों का उद्देश्य रिफंड प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करना है। दावा और स्वीकृति प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने पर विचार किया गया। हालांकि, दिसंबर 2018 तक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण आवेदकों को फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01 ए में रिफंड आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता थी तथा उसी का प्रिंट आउट लेकर और इसे सभी सहायक दस्तावेजों के साथ क्षेत्राधिकारी कर कार्यालय में भौतिक रूप से जमा किया जाना था। उन रिफंड आवेदनों का प्रसंस्करण मैन्युअल रूप से किया गया था। जनवरी 2019 से सभी सहायक दस्तावेजों के साथ जीएसटी फॉर्म आरएफडी-01 ए में रिफंड आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाने थे। हालांकि, रिफंड आवेदन को प्रस्तुत करने के बाद प्रसंस्करण के चरणों को मैन्युअल रूप से जारी रखा गया।

रिफंड प्रक्रिया 26 सितंबर 2019 से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गई जिसमें आवेदन जमा करने से लेकर प्रसंस्करण तक सभी चरणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया।

2.5.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत रिफंड प्रकरणों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित बिन्दुओं का आंकलन करने के लिए आयोजित की गई थी:

- रिफंड की स्वीकृति के संबंध में जारी अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता।
- कर अधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की प्रभावशीलता।
- रिफंड आवेदनों के निपटान में विभागीय अधिकारियों के प्रदर्शन की जाँच करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र की मौजूदगी।

2.5.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

जुलाई 2017 और जुलाई 2020 के बीच फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान इंदौर कमिश्नरी में संसाधित किए गए रिफंड प्रकरणों की दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान जाँच की गई। जीएसटीएन से पैन-इंडिया रिफंड डेटा प्राप्त किया गया था और विस्तृत जाँच के लिए रिफंड प्रकरणों का एक नमूना चुना गया था। आयुक्त, राज्य कर के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (दिसंबर 2020) आयोजित किया गया था, जिसमें कार्यकारी को ईकाइयों के चयन के साथ-साथ विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दायरे और कार्यप्रणाली के बारे में सूचित किया गया था। प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सितम्बर 2021 में शासन एवं विभाग को अग्रेषित किया गया था। विभाग को पत्र और अनुस्मारक जारी करने के बावजूद प्रारूप को अंतिम रूप दिए जाने तक (मई 2022) निर्गम सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सका। शासन/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.5.4 नमूना चयन

जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के दौरान 84 वृत्त कार्यालयों में से 64 वृत्त कार्यालयों में संसाधित किए गए कुल रिफंड प्रकरणों में से 447 प्री-ऑटोमेशन¹⁸ और 564 पोस्ट-ऑटोमेशन¹⁹ रिफंड प्रकरणों की लेखापरीक्षा की गई। इनके अलावा, पाँच और रिफंड प्रकरणों की भी दोहरा भुगतानों की जाँच के लिए लेखापरीक्षा की गई।

¹⁸ 37-वृत्त और 01-संभाग की 38 ईकाइयों से संबंधित 447 प्री-ऑटोमेशन प्रकरण।

¹⁹ 564 पोस्ट-ऑटोमेशन प्रकरण 64-वृत्त की 64 ईकाइयों से संबंधित हैं।

2.5.5 कानूनी प्रावधान

निम्नलिखित धाराएँ/नियम/अधिसूचनाएँ/परिपत्र रिफंड का दावा करने के लिए दिशानिर्देश/प्रक्रिया प्रदान करते हैं :

- (अ) मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13, 17, 49, 54 से 58 और धारा 77;
 (ब) मध्य प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 60, 89 से 97 अ तक;
 (स) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 से 16 और 19; और
 (द) जीएसटी रिफंड के अंतर्गत समय-समय पर केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी)/केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचनाएँ/परिपत्र।

2.5.6 लेखापरीक्षा परिणाम

ऑटोमेशन से पहले और बाद के रिफंड प्रकरणों में लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को तीन उद्देश्यों के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई और इस प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण प्रेक्षकों को निम्न श्रेणियों के अंतर्गत तालिका 2.5 में उल्लेखित किया गया है:-

तालिका 2.5: प्री-ऑटोमेशन और पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों में लेखापरीक्षा टिप्पणीवार विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	लेखापरीक्षा प्रेक्षकों की प्रकृति (केवल सांकेतिक)	लेखापरीक्षा नमूना		कमी देखी गई		नमूने के प्रतिशत के रूप में कमी
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1.	पावती जारी करने में देरी	1,011	311.76	203	-	20.08
2.	रिफंड आदेश जारी करने में विलम्ब	1,011	311.76	135	-	13.35
3.	शून्य दर आपूर्ति पर अनंतिम रिफंड की स्वीकृति में विलम्ब	280	82.24	36	-	12.86
4.	कमी ज्ञापन जारी करने में विलम्ब	1,011	311.76	2	-	0.20
5.	रिफंड दावों की उत्तरोत्तर लेखापरीक्षा का संचालन न करना	1,011	311.76	1,011	-	100
6.	शून्य दर आपूर्ति के अलावा अन्य प्रकरणों में अनंतिम रिफंड का अनियमित दिया जाना	286	64.38	5	0.67	1.75
7.	पोर्टल पर परिलक्षित जीएसटीआर-2ए के सत्यापन न होने के कारण अतिरिक्त रिफंड भुगतान	1,011	311.76	35	3.11	3.46
8.	रिफंड आवेदन में दिखाया गया आईटीसी प्रस्तुत दस्तावेजों की तुलना में अधिक होने के कारण रिफंड का अधिक भुगतान	1,011	311.76	13	0.10	1.28
9.	इनपुट सेवाओं और अन्य अपात्र इनपुट पर रिफंड का अनियमित भुगतान	489	161.39	3	0.06	0.61
10.	कार्य अनुबंध के लिए इंवेर्टेड ड्यूटि स्ट्रक्चर (आईडीएस) का अस्वीकार्य रिफंड	305	108.55	4	2.48	1.31
11.	जब इनपुट सप्लाय और आउटपुट सप्लाय दोनों जीएसटी की समान दर पर हों जब रिफंड का दिया जाना	305	108.51	1	0.01	0.32
12.	अधिक टर्नओवर पर आईडीएस का अनियमित रिफंड	305	108.51	8	0.46	2.62
13.	उच्च टर्नओवर और शुद्ध आईटीसी पर विचार करने पर अनियमित रिफंड	305	108.51	5	0.70	1.64
14.	आपूर्ति के समय के निर्धारण में त्रुटि के कारण अधिक रिफंड	119	41.55	4	0.25	3.36

स.क्र.	लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की प्रकृति (केवल सांकेतिक)	लेखापरीक्षा नमूना		कमी देखी गई		नमूने के प्रतिशत के रूप में कमी
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	
15.	निर्यात सेवाओं के अधिक टर्नओवर के कारण अप्रयुक्त आईटीसी का अनियमित रिफंड	119	41.55	1	0.001	0.84
16.	रिफंड की अनियमित स्वीकृति जिसमें शून्य दर आपूर्ति प्रकरणों पर पूंजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी सम्मिलित है	161	40.70	2	0.09	1.24
17.	समायोजित कुल टर्नओवर के कम निर्धारण के कारण अधिक रिफंड	119	41.55	2	0.01	1.68
18.	आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापित किए बिना अस्वीकार्य रिफंड का दिया जाना	280	82.24	8	1.54	2.86
19.	विविध मुद्दे	1,011	311.76	76	0.88	7.52
योग				1,554	10.36	

अनुपालन संबंधी कमियाँ

2.5.7 समय के भीतर पावती जारी न किया जाना

एमपीजीएसटी नियम 2017 के नियम 90(1) में प्रावधान है कि यदि आवेदन सभी तरह से पूर्ण पाया जाता है तो उचित अधिकारी के पास रिफंड दावा दाखिल करने के पंद्रह दिनों के भीतर पावती जारी की जाएगी। प्री-ऑटोमेशन प्रकरणों के संबंध में 15 दिनों की निर्धारित अवधि की गणना सभी निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ मैनुअल रूप से रिफंड आवेदन जमा करने की तिथि से की जाएगी।

इसके अलावा, सीबीईसी परिपत्र संख्या 17/2017 दिनांक 15/11/2017 के पैरा 2.4, 2.9 और 3.2 के अनुसार पावती रसीद संख्या (एआरएन) प्राप्त होने पर निर्धारित द्वारा फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01 ए को मैनुअल रूप से प्रस्तुत किया जाना था। अधिकार क्षेत्र के उचित अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए बनाए गए निर्धारित रिफंड रजिस्टर में रिफंड दावे की प्राप्ति की प्रविष्टि करना आवश्यक है।

हमने 447 प्री-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों की नमूना जाँच की (दिसंबर 2020 से जनवरी 2021) जिसमें नौ वृत्तों के 12 रिफंड प्रकरणों में पावती जारी करने में 5 से 317 दिनों विलम्ब पाया गया। 11 प्रकरणों में पाँच दिनों से लेकर तीन माह तक विलम्ब और एक प्रकरण में छः माह से अधिक का विलम्ब था। इसके परिणामस्वरूप सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 90 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, 18 वृत्त के 79 प्रकरणों में करदाताओं को स्टाम्प रसीद न देने और पावती जारी न करने के कारण पावती में देरी का पता नहीं लगाया जा सका। विवरण **परिशिष्ट 2.12** में दर्शाया गया है।

564 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों में से 30 वृत्त में 112 प्रकरणों में 1 से 170 दिनों का विलम्ब पाया गया (फरवरी से अप्रैल 2021)। इनमें से 107 प्रकरणों में एक दिन से लेकर तीन माह तक विलम्ब और पाँच प्रकरणों में तीन से छः माह तक का विलम्ब पावती जारी करने में देखा गया। विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद रिफंड स्वीकृति प्राधिकारियों ने प्री-ऑटोमेशन प्रकरणों के संबंध में उत्तर दिये (दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021) कि विभिन्न कारणों से जैसे कि दस्तावेजों को जमा करने में देरी, प्रभारी अधिकारी का स्थानान्तरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी में रुकावट और बिजली की आपूर्ति, अतिरिक्त काम का बोझ आदि के कारण पावती जारी करने में विलम्ब हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरएफडी-2 में पावती मैनुअल आवेदन प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर जारी की जानी थी और लेखापरीक्षा ने केवल उन्हीं प्रकरणों को इंगित किया है जिनमें मैनुअल आवेदन प्राप्त होने के बाद विलम्ब हुआ था।

पोस्ट-ऑटोमेशन प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.5.8 समयावधि में रिफंड स्वीकृत न होना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(5) और (7) में प्रावधान है कि उचित अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर रिफंड की स्वीकृति देनी होगी। इसके अलावा, एमपीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 56 के अनुसार यदि आवेदक को वापस किया जाने वाला कोई कर, आदेश आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर वापस नहीं किया जाता है तो उसपर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

447 प्री-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों में यह देखा गया (दिसंबर 2020 से जनवरी 2021) कि 11 वृत्त और एक संभाग के 27 प्रकरणों में रिफंड की स्वीकृति में दो दिनों से लेकर 299 दिनों तक का विलंब देखा था। इनमें से 17 प्रकरणों में दो दिनों से तीन माह, आठ प्रकरणों में तीन माह से छः माह और दो प्रकरणों में छः माह से अधिक का विलंब देखा गया। इसके परिणामस्वरूप सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(7) के प्रावधानों के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 92 का पालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, रिफंड के विलंबित भुगतान के लिए विभाग ने अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत करदाताओं को ₹ 10.92 लाख की राशि का देय ब्याज का भुगतान नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, 16 वृत्त के 48 प्रकरणों में करदाताओं को आरएफडी-01 रिफंड आवेदन के लिए मुद्रांकित रसीद उपलब्ध नहीं कराने के कारण रिफंड स्वीकृति में विलम्ब सुनिश्चित नहीं किया जा सका। विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दर्शाया गया है।

जाँचे गए 564 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों में (फरवरी से अप्रैल 2021) 22 वृत्त के 60 प्रकरणों में दो दिनों से लेकर 128 दिनों का विलंब देखा गया। इनमें से 58 प्रकरणों में रिफंड ऑर्डर की स्वीकृति में दो दिनों से लेकर तीन माह तक और दो प्रकरणों में तीन से छः माह का विलंब देखा गया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने रिफंड के विलम्बित भुगतान के लिए अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत करदाताओं को ₹ 2.36 लाख के देय ब्याज का भुगतान नहीं किया। विवरण **परिशिष्ट 2.15** में दर्शाया गया है।

इन्हें इंगित किए जाने पर रिफंड स्वीकृति प्राधिकारियों ने प्री-ऑटोमेशन प्रकरणों के संबंध में कहा (दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021) कि व्यवसायी द्वारा सहायक दस्तावेज जमा करने में देरी के कारण रिफंड स्वीकृति आदेश जारी करने में देरी हुई थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के लिए कमी ज्ञापन जारी नहीं किए गए थे और पहले के एआरएन पर रिफंड की स्वीकृति दी गई थी।

पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.5.9 शून्य दर आपूर्ति पर अनंतिम रिफंड समयावधि में स्वीकृत न होना

एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 91 में प्रावधान है कि कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद शून्य दर आपूर्ति पर अनंतिम रिफंड पावती के 7 दिनों के भीतर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि 161 प्री ऑटोमेशन शून्य दर आपूर्ति रिफंड प्रकरणों में से सात वृत्त के 12 रिफंड प्रकरणों में 2 से 121 दिनों तक अनंतिम रिफंड की स्वीकृति में देरी हुई थी। इसके अतिरिक्त, तीन रिफंड प्रकरणों (वृत्त-पीथमपुर) में अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं किया गया था यद्यपि सात दिनों के बाद प्रपत्र आरएफडी-6 में अंतिम स्वीकृति जारी की गई थी। विवरण **परिशिष्ट 2.16** में दर्शाया गया है।

119 पोस्ट-ऑटोमेशन शून्य दर रिफंड प्रकरणों में से छः वृत्त के 17 प्रकरणों में अनंतिम रिफंड की स्वीकृति में 1 से 67 दिनों तक देरी देखी गई (दिसंबर 2020 से जनवरी 2021)। इसके अतिरिक्त, चार रिफंड प्रकरणों (वृत्त-11 इन्दौर, 12 इन्दौर एवं पीथमपुर) में अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.17** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद रिफंड स्वीकृति प्राधिकारियों ने सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पूर्ण रिफंड की स्वीकृति के बारे में बताया (दिसंबर 2020-अप्रैल 2021) कि नियत समय में रिफंड जारी किया गया था लेकिन गलती से गलत प्रेषण तिथि दर्ज की गई थी। इसके अलावा अन्य कारणों

जैसे कि अतिरिक्त कार्यभार के कारण अनंतिम रिफंड विलम्ब से स्वीकृत किया जाना तथा वृत्त द्वारा केवल रिफंड स्वीकृति आदेश आदि जारी किया जाना और किसी अन्य वृत्त द्वारा अनंतिम रिफंड स्वीकृति आदेश जारी किया गया आदि भी बताया गया था।

उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि 90 प्रतिशत रिफंड पावती तिथि से अनंतिम रिफंड के रूप में सात दिनों के भीतर स्वीकृत किया जाना था। गलत प्रेषण तिथि दर्ज करने के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। रिफंड से संबंधित उत्तर अप्रासंगिक थे क्योंकि लेखापरीक्षा प्रेक्षण अनंतिम रिफंड की स्वीकृति में देरी से संबंधित थे।

पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.5.10 डेफिशियेंसी मेमो (कमी ज्ञापन) जारी करने में विलम्ब

एमपीजीएसटी नियम 2017 के नियम 90(3) के अनुसार यदि कोई कमी देखी जाती है, तो उचित अधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर आवेदक को कमियों के बारे में सूचित करेगा। यदि डेफिशियेंसी मेमो (कमी ज्ञापन) के संचार के तीस दिनों के भीतर उत्तर (प्री-ऑटोमेशन के प्रकरण में) या नया आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो उचित अधिकारी रिफंड के रूप में दावा की गई राशि के पुनः क्रेडिट के लिए एक आदेश पारित करेगा।

447 प्री-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों में से यह देखा गया (दिसंबर 2020 से जनवरी 2021) कि एक वृत्त के दो प्रकरणों²⁰ में कमी ज्ञापन जारी करने में देरी (14 दिन और 35 दिन) थी। इस प्रकार इन दो प्रकरणों में कमी ज्ञापन जारी करने के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया गया था।

इन्हें इंगित किए जाने पर रिफंड स्वीकृति प्राधिकारी ने कहा (दिसंबर 2020 से जनवरी 2021) कि व्यवसायियों द्वारा सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में देरी के कारण कमी ज्ञापन जारी करने में देरी हुई थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के लिए कमी ज्ञापन जारी नहीं किए गए थे और पहले एआरएन पर रिफंड की स्वीकृति दी गई थी।

2.5.11 रिफंड दावों की उत्तरवर्ती लेखापरीक्षा न होना

सीबीईसी परिपत्र संख्या 17/17/2017-जीएसटी दिनांक 15/11/2017 ने शून्य दर आपूर्ति के रिफंड की मैनुअल प्रसंस्करण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से निर्धारित किया है। परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि मैनुअल रूप से संसाधित रिफंड आवेदन चाहे किसी भी राशि के हों इनकी पूर्व लेखापरीक्षा की आवश्यकता नहीं है जब तक कि बोर्ड द्वारा इस हेतु अलग से विस्तृत दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि रिफंड आदेश की उत्तरोत्तर लेखापरीक्षा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रहेगी। यह प्रक्रिया सीबीईसी परिपत्र संख्या 24/24/2017 दिनांक 21 दिसंबर 2017 के अंतर्गत मैनुअल रूप से संसाधित सभी प्रकार के रिफंड आवेदनों के लिए बढ़ा दी गई थी।

इंदौर कमिश्नरी में 38 इकाइयों (37 वृत्त और एक संभाग) की लेखापरीक्षा के दौरान प्री-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों के संबंध में यह देखा गया (दिसंबर 2020 से जनवरी 2021) कि सभी चयनित 447 रिफंड प्रकरण उत्तरोत्तर लेखापरीक्षा के लिए नहीं भेजे गए थे।

इंदौर कमिश्नरी में 64 इकाइयों की लेखापरीक्षा के दौरान पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों के संबंध में यह देखा गया (फरवरी से अप्रैल 2021) कि सभी चयनित 564 रिफंड प्रकरण उत्तरोत्तर लेखापरीक्षा के लिए नहीं भेजे गए थे।

इसके परिणामस्वरूप बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के कारण राजकोष को राजस्व की संभावित हानि भी हो सकती है।

²⁰ वृत्त पीथमपुर-कमर्शियल सिन बैग्स लिमिटेड (एआरएन-AA231118284107C 14 दिनों की देरी और एआरएन - AA230518012641L 35 दिनों की देरी)।

इन्हें इंगित किये जाने पर रिफंड स्वीकृति प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2020 से अप्रैल 2021) कि आयुक्त से निर्देश प्राप्त होने के बाद अपेक्षित प्रक्रिया की जायेगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजकोष को राजस्व की हानि की संभावना से बचने के लिए रिफंड आदेश की उत्तरोत्तर लेखापरीक्षा किया जाना चाहिए था।

2.5.12 अनियमित अनंतिम रिफंड का दिया जाना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) के अनुसार माल या सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति या दोनों के कारण रिफंड के किसी भी दावे के मामले में पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दावा किए गए रिफंड का 90 प्रतिशत अनंतिम आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है और उसके बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद रिफंड दावे के अंतिम निपटान के लिए उप धारा (5) के अंतर्गत एक आदेश दिया जा सकता है। अतः अनंतिम रिफंड की अनुमति माल और/या सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के कारण दी जाती है न कि अन्य श्रेणियों के अंतर्गत।

जाँच किए गए (दिसंबर 2020 से जनवरी 2021) 286 प्री-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों (शून्य दर के अलावा) में से दो वृत्त के पाँच रिफंड प्रकरणों²¹ में देखा गया था कि विभाग ने शून्य दर आपूर्ति के प्रकरणों के अलावा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और डीमड एक्सपोर्ट के लिये 90 प्रतिशत राशि का अनंतिम रिफंड जारी किया था।

इस प्रकार, इन प्रकरणों में अनंतिम रिफंड के दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 67 लाख अनियमित रिफंड जारी किया था।

इन्हें इंगित किए जाने पर रिफंड स्वीकृति प्राधिकारियों ने कहा (दिसंबर 2020 से जनवरी 2021) कि कोषागार से भुगतान के कारण अनंतिम रिफंड (आरएफडी-04) और उसी राशि का अंतिम रिफंड (आरएफडी-06) जारी किया गया था जबकि आरएफडी-05 केवल एक बार जारी किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनंतिम रिफंड (आरएफडी-04) की स्वीकृति की अनुमति केवल शून्य दर आपूर्ति पर ही दी जाती है न कि अन्य श्रेणियों के अंतर्गत।

2.5.13 इनपुट कर क्रेडिट पर रिफंड

2.5.13.1 पोर्टल पर दर्शाए गए जीएसटीआर-2ए के सत्यापन न होने के कारण अतिरिक्त रिफंड

सीबीआईसी बोर्ड के परिपत्र संख्या 59 दिनांक 04 सितंबर 2018 के अनुसार रिफंड दावे के साथ दावेदार के प्रासंगिक अवधि जिसके लिए रिफंड का दावा किया गया है उसका फॉर्म जीएसटीआर-2ए का प्रिंट-आउट संलग्न होना चाहिये। यदि जीएसटीआर-2 ए में आईटीसी परिलक्षित नहीं होता है तो उचित अधिकारी, यदि आवश्यक समझे तो चालान की हार्ड कॉपी के लिए माँग कर सकता है।

सीबीआईसी परिपत्र संख्या 125/44/2019-जीएसटी दिनांक 18 नवम्बर 2019 के अनुसार अप्रयुक्त आईटीसी के रिफंड के आवेदकों को संबंधित अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-2ए की एक प्रति अपलोड करनी होगी, जिसके लिए रिफंड का दावा किया गया है। आवेदक अनुलग्नक-बी के रूप में संलग्न प्रारूप में सभी चालानों का विवरण भी अपलोड करेंगे। चालान की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ जिनके संबंध में आईटीसी के रिफंड का दावा किया जा रहा है और जिन्हें अनुबंध-बी में आईटीसी के लिए मान्य घोषित किया गया है लेकिन जो फॉर्म जीएसटीआर-2 ए में प्रदर्शित नहीं हैं उनको आवेदक द्वारा अपलोड किया जाएगा।

इसके अलावा, एमपीजीएसटी नियम 2017 का नियम 36(4) सीबीआईसी अधिसूचना संख्या 49/2019-केंद्रीय कर दिनांक 09 अक्टूबर 2019 द्वारा सम्मिलित किया गया और अधिसूचना संख्या 75/2020-केंद्रीय कर दिनांक 26 दिसम्बर 2019 के अंतर्गत संशोधित किया गया था। इसके अनुसार चालान या डेबिट नोटों के संबंध में एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया जा

²¹ वृत्त देवास का एक डीमड एक्सपोर्ट केस ₹ 0.04 करोड़ का और वृत्त-1 उज्जैन के चार इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर प्रकरण ₹ 0.63 करोड़ की राशि के।

सकता है जिसका विवरण धारा 37 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपलोड नहीं किया गया है पर यह मान्य क्रेडिट के 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

जाँच किए गए 447 प्री-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों (दिसंबर 2020 से जनवरी 2021) में से चार वृत्त के 15 प्रकरणों में यह देखा गया कि विभाग द्वारा विचार किया गया शुद्ध आईटीसी जीएसटीएन पोर्टल में परिलक्षित जीएसटीआर-2 ए से अधिक था। करदाता ₹ 1.33 करोड़ रिफंड के पात्र थे तथापि विभाग ने ₹ 2.19 करोड़ स्वीकृत किए। इसके परिणामस्वरूप पोर्टल पर जीएसटीआर-2 ए से शुद्ध आईटीसी के आंकड़े मेल न खाने के कारण ₹ 0.86 करोड़ की अनियमित रिफंड प्रदान किया गया। इसके अलावा ऐसे मेल न खाने वाले इनवॉइस की प्रतियाँ भी अभिलेखों में नहीं पाई गईं। विवरण **परिशिष्ट 2.18** में दर्शाया गया है।

जाँच किए गए 564 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों में से (फरवरी से अप्रैल 2021), पाँच वृत्त के 20 रिफंड प्रकरणों में, विभाग ने जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर-2 ए में परिलक्षित शुद्ध आईटीसी के आंकड़ों से मेल किए बिना मेल न खाने वाले इनवॉइस की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ सत्यापित किए बिना रिफंड आवेदन में घोषित शुद्ध आईटीसी के आधार पर रिफंड को स्वीकृति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़²² का अधिक रिफंड दिया गया। विवरण **परिशिष्ट 2.19** में दर्शाया गया है।

इन्हें इंगित किए जाने पर प्री-ऑटोमेशन प्रकरणों के मामले में रिफंड स्वीकृति प्राधिकारियों ने कहा (दिसंबर 2020 से जनवरी 2021) कि इन प्रकरणों की पुनः जाँच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। अन्य उत्तरों में यह भी बताया गया कि आईटीसी का चालान उपलब्ध होने पर आईटीसी की रिफंड की स्वीकृति दी जा सकती है भले ही जीएसटीआर-2 ए में परिलक्षित न हो या जीएसटीआर-2 ए अस्तित्व में नहीं था आदि।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चालानों की हार्ड कॉपी उत्तरों के समर्थन में लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.5.13.2 उपलब्ध अभिलेखों की तुलना में रिफंड आवेदन में ज्यादा दर्शाये गए आईटीसी के कारण अतिरिक्त रिफंड दिया जाना

एमपीजीएसटी नियम 60 आवक आपूर्ति के विवरण प्रस्तुत करने के रूप और तरीके को निर्धारित करता है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसे एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में संदर्भित किया गया है, उसको माल की आवक आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कर अवधि के दौरान प्राप्त माल या सेवाएं अथवा दोनों को फॉर्म जीएसटीआर-2ए के भाग ए, भाग बी और भाग सी में निहित विवरणों के आधार पर उप-अनुभाग (1) में निर्दिष्ट विवरण तैयार करके इसे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटीआर-2ए में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसी तरह, जीएसटी नियम 61 ने मासिक विवरणी जमा करने के रूप और तरीके को निर्धारित किया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र को डेबिट करता है और फॉर्म जीएसटीआर-3 में विवरणी के भाग ब में विवरण सम्मिलित करता है वह कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या अधिनियम के अंतर्गत देय किसी भी अन्य राशि के लिए अपनी देयता का निर्वहन किया माना जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2020 से जनवरी 2021) कि 447 प्री-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों में से मेसर्स आस्ककॉन हेल्थकेयर (वृत्त-1 उज्जैन) और मेसर्स एकमे यूनिवर्सल सेफ जोन प्रा. लिमिटेड (वृत्त-1 ग्वालियर) में विभाग ने शुद्ध आईटीसी को जीएसटी आरएफडी-01 में अधिकतम रिफंड गणना के लिए माना था जो कि करदाता द्वारा जमा किए गए जीएसटीआर-2ए/जीएसटीआर-3बी में उल्लेखित शुद्ध आईटीसी की तुलना में अधिक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ चार लाख का अधिक भुगतान हुआ।

²² वृत्त-3 भोपाल (एक प्रकरण ₹ 0.38 करोड़), वृत्त-9 इंदौर (आठ प्रकरण ₹ 0.42 करोड़), वृत्त-14 इंदौर (तीन प्रकरण ₹ 0.07 करोड़), वृत्त-11 इंदौर (सात प्रकरण ₹ 1.37 करोड़), वृत्त-5 भोपाल (एक प्रकरण ₹ 0.005 करोड़)।

इसके अलावा 564 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों में से 11 में लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी से अप्रैल 2021) कि अधिकतम रिफंड राशि की गणना के उद्देश्य से जीएसटीआर-2 ए/जीएसटीआर-3 बी/स्टेटमेंट-1 में उल्लेखित आईटीसी की तुलना में शुद्ध आईटीसी को अधिक लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन न करने के कारण ₹ 6.12 लाख²³ के रिफंड का अधिक भुगतान हुआ।

इन्हें इंगित किए जाने पर रिफंड स्वीकृति अधिकारियों ने प्री-ऑटोमेशन प्रकरणों के लिए विभिन्न उत्तर दिए (दिसंबर 2020 से मार्च 2021) जैसे कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी, उचित जाँच के बाद रिफंड की स्वीकृति दी गई थी, और पोस्ट-ऑटोमेशन प्रकरणों के मामले में सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी, करदाता से माँग की गई उसके द्वारा ₹ 1,520 की राशि जमा की गई। नौ प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

अंतिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2022)।

2.5.14 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड

2.5.14.1 इनपुट सेवाओं और अन्य अपात्र इनपुट पर रिफंड का अनियमित भुगतान

एमपीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(3) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट की रिफंड का दावा कर सकता है जहाँ आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से इनपुट पर कर की दर अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हुआ हो (अर्थात् इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर)। इसके अलावा, एमपीजीएसटी नियम 2017 के नियम 89(5) में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (आईडीएस) के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की अधिकतम रिफंड का सूत्र निर्धारित किया गया है।

$$\text{अधिकतम रिफंड राशि} = \left\{ \begin{array}{l} \text{(इनवर्टेड ड्यूटी शुद्ध आईटीसी /} \\ \text{माल के प्रदाय का टर्नओवर)} \times \text{समायोजित टर्नओवर} \end{array} \right\} - \text{ऐसे इनवर्टेड ड्यूटी वाले माल की आपूर्ति पर देय कर}$$

नियम के अनुसार शुद्ध आईटीसी में केवल प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट पर प्राप्त आईटीसी सम्मिलित होता है और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त क्रेडिट सम्मिलित नहीं होता है।

184 प्री-ऑटोमेशन आईडीएस रिफंड प्रकरणों में से श्री बिहारी ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड (वृत्त-3 ग्वालियर) के दो रिफंड प्रकरणों में देखा गया (दिसंबर 2020) कि विभाग ने रिफंड प्रदान करते समय ₹ दो लाख की इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी को मान्य किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ दो लाख की राशि के अनियमित रिफंड की अनुमति दी गई।

305 पोस्ट-ऑटोमेशन आईडीएस रिफंड प्रकरणों में से माधुरी रिफाइनेर्स प्राइवेट लिमिटेड (वृत्त-11 इंदौर) के रिफंड मामले में यह देखा गया (अप्रैल 2021) विभाग ने रिफंड आवेदनों में घोषित शुद्ध आईटीसी के आधार पर रिफंड की स्वीकृति दी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आवक आपूर्ति विवरण में घोषित ₹ 18 लाख की इनपुट सेवाओं और अपात्र माल के क्रेडिट को रिफंड दावे के लिए शुद्ध आईटीसी में सम्मिलित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ चार लाख का अधिक रिफंड दिया गया।

इन्हें इंगित किए जाने पर प्री-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों के संबंध में रिफंड स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों ने कहा (दिसंबर 2020) कि देयकों की उचित जाँच के बाद रिफंड स्वीकृत किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इनपुट सेवाओं पर लिए गए क्रेडिट को शुद्ध आईटीसी की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए था।

पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2022)।

²³ वृत्त-दतिया (छ: प्रकरण ₹ 0.02 करोड़), वृत्त-2 ग्वालियर (एक प्रकरण ₹ 0.01 करोड़), वृत्त-2 उज्जैन (एक प्रकरण ₹ 0.001 करोड़), वृत्त-नीमच (एक केस ₹ 0.01 करोड़), वृत्त-होशंगाबाद (एक केस ₹ 0.02 करोड़), वृत्त-रतलाम (एक केस ₹ 0.0002 करोड़)।

2.5.14.2 कार्य संविदा के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का अस्वीकार्य रिफंड

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2(119) के अनुसार, "कार्य संविदा से जहाँ किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, संनिर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी संविदा के निष्पादन में माल में संपत्ति का (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) अंतरण अंतर्वलित है।"

इसके अलावा, धारा 17(5)(ग) के अनुसार "(संयंत्र या मशीनरी से भिन्न) कार्य संविदा सेवाएँ, जब उनकी पूर्ति स्थावर संपत्ति के संनिर्माण के लिए की जाती है, वहाँ सिवाय जहाँ वह कार्य संविदा सेवा आगे और पूर्ति के लिए कोई आवक सेवा है" के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा।

305 पोस्ट-ऑटोमेशन आईडीएस रिफंड प्रकरणों में से तीन रिफंड प्रकरणों में²⁴ यह देखा गया (मार्च से अप्रैल 2021) कि विभाग ने आईडीएस के लिए ₹ 2.03 करोड़ की रिफंड राशि स्वीकृत की जबकि व्यवसायी ने सरकारी सहायक कंपनियों को एक कार्य ठेकेदार के रूप में माल की आपूर्ति की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.03 करोड़ का अस्वीकार्य रिफंड दिया गया। इसके अलावा, मेसर्स ओ पी गुप्ता प्रा. लिमिटेड (वृत्त-6 भोपाल) के प्रकरण में करदाता को एक कार्य ठेकेदार के रूप में पंजीकृत किया गया था और करदाता द्वारा आईडीएस के कारण रिफंड के लिए आवेदन किया गया था। ठेकेदार द्वारा जावक आपूर्ति विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था जो दर्शाता है कि आवक आपूर्ति का उपयोग निर्माण उद्देश्य के लिए किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.45 करोड़ की अस्वीकार्य रिफंड दिया गया।

इन्हें इंगित किए जाने पर रिफंड स्वीकृति प्राधिकारियों ने कहा (मार्च से अप्रैल 2021) कि करदाता कार्य संविदा सेवा की अतिरिक्त आपूर्ति में लगा हुआ है इसलिए सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली अचल संपत्ति के रूप में मान्य नहीं है और कार्य संविदा सेवा के क्षेत्र से बाहर है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तीन प्रकरणों में करदाताओं को माल की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए जारी किए गए कार्य आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किया गया कार्य एक कार्य संविदा है। मेसर्स ओ पी गुप्ता के प्रकरण में अभिलेखों में जावक आपूर्ति विवरण नहीं पाया गया।

2.5.14.3 इनपुट आपूर्ति और आउटपुट आपूर्ति दोनों जीएसटी की समान दर पर रिफंड दिया जाना

एमपीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(3) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के रिफंड का दावा कर सकता है, जहाँ इनपुट पर कर की दर के कारण क्रेडिट जमा हुआ है, जो आउटपुट आपूर्ति (यानी इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) पर कर की दर से अधिक है।

305 पोस्ट-ऑटोमेशन आईडीएस रिफंड प्रकरणों में से मेसर्स प्रमोद एंड ब्रदर्स (वृत्त-भिंड) के रिफंड दावे में यह देखा गया (मार्च 2021) कि विभाग ने ₹ एक लाख की अपात्र रिफंड को स्वीकृति दी थी जहाँ इनपुट आपूर्ति और आउटपुट आपूर्ति पर जीएसटी की 18 प्रतिशत की सामान दर थी।

प्रकरण को रिफंड स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.5.14.4 अतिरिक्त टर्नओवर पर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का अनियमित रिफंड

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (मार्च से अप्रैल 2021) कि जाँच किए गए 305 पोस्ट-ऑटोमेशन आईडीएस रिफंड प्रकरणों में से आठ रिफंड प्रकरणों²⁵ में व्यवसायियों द्वारा स्टेटमेंट-1ए और जीएसटीआर-3बी में घोषित टर्नओवर प्रस्तुत रिफंड आवेदन की तुलना में कम था। इसको और टर्नओवर को आवश्यक दस्तावेजों से सत्यापित किए बिना विभाग द्वारा स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 0.46 करोड़ का

²⁴ वृत्त-5 भोपाल, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड एआरएन-AA2302200221456 राशि ₹ 1.11 करोड़, प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड एआरएन-एए2303200022753 राशि ₹ 0.76 करोड़ और स्पार्क इलेक्ट्रिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड और एन के इंटरप्राइजेज जेवी एआरएन AA230120009898G राशि ₹ 0.16 करोड़।

²⁵ वृत्त-मुर्ना (चार प्रकरण ₹ 0.44 करोड़), वृत्त-2 ग्वालियर (एक प्रकरण ₹ 0.0001 करोड़), वृत्त-3 ग्वालियर (एक प्रकरण ₹ 0.007 करोड़), वृत्त-4 ग्वालियर (एक प्रकरण ₹ 0.0008 करोड़), वृत्त-पीथमपुर (एक प्रकरण ₹ 0.009 करोड़)।

अधिक रिफंड दिया गया।

प्रकरण को रिफंड स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.5.14.5 उच्च टर्नओवर और शुद्ध आईटीसी पर विचार करने पर अनियमित रिफंड

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 के अनुसार किसी भी कर अवधि के अंत में एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) की रिफंड का दावा किया जा सकता है। एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(5) में उस सूत्र को निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण माल की आपूर्ति के मामले में रिफंड दिया जाएगा।

$$\text{रिफंड राशि} = \left\{ \begin{array}{l} \text{(माल और सेवाओं की} \\ \text{इनवर्टेड दर आपूर्ति का} \\ \text{टर्नओवर} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{शुद्ध} \\ \text{आईटी} \\ \text{सी)} \end{array} \right\} \div \left\{ \begin{array}{l} \text{समायोजित} \\ \text{कुल} \\ \text{टर्नओवर} \end{array} \right\} - \left\{ \begin{array}{l} \text{माल और सेवाओं की} \\ \text{ऐसी इनवर्टेड दर आपूर्ति} \\ \text{पर देय कर} \end{array} \right\}$$

जाँचे गए 305 पोस्ट-ऑटोमेशन आईडीएस रिफंड प्रकरणों की जाँच में पाया गया कि (अप्रैल 2021) दो वृत्त के पाँच रिफंड प्रकरणों में²⁶ व्यवसायियों द्वारा जमा किए गए रिफंड आवेदन के आधार पर रिफंड स्वीकृत किया गया था, जबकि टर्नओवर और शुद्ध आईटीसी जो कि स्टेटमेंट-1ए और जीएसटीआर-3बी में घोषित किया गया था वह विभाग द्वारा विचार किए गए रिफंड आवेदन से कम था। इसके परिणामस्वरूप आवश्यक दस्तावेजों से टर्नओवर और शुद्ध आईटीसी को सत्यापित न करने से ₹ 70 लाख का रिफंड अधिक दिया गया।

प्रकरण को रिफंड स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.5.15 शून्य दर आपूर्ति-कर के भुगतान के बिना निर्यात

2.5.15.1 आपूर्ति के समय के निर्धारण में त्रुटि के कारण अधिक रिफंड

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति का समय निम्नलिखित तिथियों में से पूर्वतम तिथि वाला होगा, अर्थात:-

- आपूर्तिकर्ता को बीजक जारी करने की तिथि, यदि बीजक धारा 31 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर जारी किया गया है या भुगतान की प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो; या
- सेवा उपलब्ध कराने की तिथि, यदि बीजक धारा 31 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है या भुगतान की प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो; या
- जहां खंड (अ) या खंड (ब) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, ऐसे मामलों में, जिस तिथि को प्राप्तकर्ता अपने खाते की पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दिखाता है।

119 पोस्ट-ऑटोमेशन शून्य दर रिफंड प्रकरणों में यह देखा गया (अप्रैल 2021) कि चार रिफंड प्रकरणों (वृत्त-11 इंदौर) में सेवाओं के निर्यात के कारण रिफंड प्रोसेसिंग अधिकारी ने बीजक की तिथि पर विचार किया जबकि बैंक वसूली प्रमाण पत्र की तिथि/विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र कर अवधि में की गई आपूर्ति से पहले की थी। इसके परिणामस्वरूप बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) या विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) की तिथि पर विचार न करने के कारण ₹ 25 लाख²⁷ का अधिक रिफंड दिया गया।

प्रकरण को रिफंड स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

²⁶ वृत्त-3 ग्वालियर (चार प्रकरण ₹ 0.70 करोड़) एवं वृत्त नीमच (एक प्रकरण ₹ 0.001 करोड़)।

²⁷ वृत्त-11 इंदौर (चार प्रकरण ₹ 0.25 करोड़)।

2.5.15.2 निर्यात सेवाओं के अधिक टर्नओवर के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की अनियमित रिफंड

सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(2) के अनुसार उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन को लागू फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01 में अनुलग्नक 1 में उल्लेखित दस्तावेजी साक्ष्य जैसे कि सेवाओं के निर्यात के मामले में चालान की संख्या और तिथि और संबंधित बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) या विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि तय हो सके कि रिफंड आवेदक को देय है:-

119 पोस्ट-ऑटोमेशन शून्य रिफंड प्रकरणों में से यह देखा गया (अप्रैल 2021) कि मेसर्स सीडीएन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (वृत्त-11 इंदौर) के एक रिफंड प्रकरण में विभाग ने रिफंड आवेदन में प्रस्तुत ₹ 2.01 करोड़ की सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के टर्नओवर को माना जबकि करदाताओं ने ₹ 1.71 करोड़ के बीआरसी/एफआईआरसी का विवरण प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, पोर्टल पर जीएसटीआर-2 ए में दर्शाए गए ₹ तीन लाख के बजाय अधिकतम रिफंड गणना के लिए माना गया शुद्ध आईटीसी ₹ चार लाख का था। इसके परिणामस्वरूप विवरण 1-क के सत्यापन के बिना ₹ 10,000 अधिक रिफंड हुआ।

प्रकरण को रिफंड स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2022)।

2.5.15.3 शून्य दर आपूर्ति प्रकरणों में पूंजीगत माल पर रिफंड का अनियमित भुगतान

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 के अनुसार किसी भी कर अवधि के अंत में एक पूंजीकृत व्यक्ति द्वारा अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट की रिफंड का दावा किया जा सकता है। एमपीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 89(4) एक सूत्र को निर्धारित करता है जिसके अनुसार माल या सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के मामले में रिफंड दिया जाएगा।

$$\text{रिफंड राशि} = \frac{\text{(माल की शून्य-दर आपूर्ति का टर्नओवर)}}{\text{सेवाओं की शून्य-दर आपूर्ति का टर्नओवर}} \times \frac{\text{शुद्ध आईटीसी}}{\text{समायोजित कुल टर्नओवर}}$$

(यहाँ, शुद्ध आईटीसी का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट से है। इस प्रकार, पूंजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी पर विचार नहीं किया जाएगा।)

161 प्री-ऑटोमेशन शून्य दर रिफंड प्रकरणों में से मेसर्स टेक्टा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (वृत्त-नरसिंहपुर) और मेसर्स डीएन इंटरप्राइजेज (वृत्त-14 इंदौर) के रिफंड दावों में देखा गया (जनवरी 2021) कि कर-अवधि क्रमशः जुलाई 2017 से मार्च 2018 और जून 2018 से मार्च 2019 के लिए ₹ 13 लाख के अप्रयुक्त आईटीसी के रिफंड की स्वीकृति दी गई थी। रिफंड राशि की गणना के लिए नेट आईटीसी की गणना करते समय करदाता ने पूंजीगत माल पर प्राप्त ₹ नौ लाख के आईटीसी को सम्मिलित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ नौ लाख के रिफंड की अधिक स्वीकृति हुई जो कि एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के साथ पठित धारा 73 के अनुसार ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

इंगित किए जाने के बाद एक प्रकरण में रिफंड स्वीकृति प्राधिकारी ने आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (जनवरी 2021) कि वसूली के लिए संशोधित स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। एक अन्य प्रकरण में, रिफंड स्वीकृति प्राधिकारी ने कहा कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

अंतिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2022)।

2.5.15.4 आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापित किए बिना अस्वीकार्य रिफंड का अनुदान दिया जाना

एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(2) के अनुसार आवेदक को उप-नियम (1) के अंतर्गत रिफंड आवेदन के साथ फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01 में अनुलग्नक-1 में प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराना चाहिए ताकि यह तय हो सके की आवेदक को रिफंड देय है।

167 प्री-ऑटोमेशन शून्य दर रिफंड प्रकरणों में से यह देखा गया (जनवरी 2021) कि विभाग ने कर के भुगतान हुए बिना निर्यात के लिए दो प्रकरणों (मेसर्स केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड और मेसर्स जेडी

इंपेक्स) में रिफंड को स्वीकृति दी थी। यहाँ करदाताओं ने ₹ 0.93 करोड़ के रिफंड का दावा किया और संपूर्ण दावा स्वीकृत किया गया था। प्रासंगिक अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि करदाताओं ने शून्य दर आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था और न ही निर्यात बीजकों/शिपिंग बिलों की प्रति अभिलेखों में प्रस्तुत की थी। इस प्रकार माल के निर्यात के टर्नओवर का पता नहीं लगाया जा सका। तथापि, विभाग ने आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना ₹ 0.93 करोड़ की राशि के अस्वीकार्य रिफंड को स्वीकृत किया।

119 पोस्ट-ऑटोमेशन शून्य दर रिफंड प्रकरणों (अप्रैल 2021) में से विभाग ने चार वृत्त के छः प्रकरणों में कर के भुगतान के बिना निर्यात के लिए रिफंड की स्वीकृति दी थी। करदाताओं ने ₹ 0.84 करोड़ के रिफंड का दावा किया जिसके विरुद्ध ₹ 0.81 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। प्रासंगिक अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि मैसर्स डीसीपीएल इंटरनेशनल के प्रकरण में माल की शून्य दर आपूर्ति के टर्नओवर के लिए ₹ 2.84 करोड़ के शिपिंग देयकों पर विचार किया गया था। तथापि, करदाता द्वारा केवल ₹ 2.61 करोड़ के शिपिंग देयक प्रस्तुत किए गए थे। तदनुसार, करदाता ₹ 0.22 करोड़ के रिफंड के लिए पात्र था जबकि विभाग ने ₹ 0.24 करोड़ के रिफंड की स्वीकृति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.02 करोड़ का अस्वीकार्य रिफंड दिया गया। पाँच अन्य प्रकरणों में करदाताओं ने ₹ 0.59 करोड़ के रिफंड का दावा किया जो विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए थे। हालांकि, शून्य दर आपूर्ति के विवरण में उल्लिखित बीजकों को न तो भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसगेट) पर सत्यापित किया गया था और न ही निर्यात बीजको की प्रति करदाता द्वारा अपलोड की गई थी। इस प्रकार माल के निर्यात के टर्नओवर का पता नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार विभाग ने आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना रिफंड की स्वीकृति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.61 करोड़²⁸ का अस्वीकार्य रिफंड दिया गया।

इन्हें इंगित किए जाने पर, मेसर्स केईसी इंटरनेशनल के प्री-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरण के संबंध में रिफंड स्वीकृति प्राधिकारी ने कहा (जनवरी 2021) कि निर्यात बीजक और प्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य के पर्याप्त दस्तावेज प्रकरण के साथ संलग्न हैं। तथापि, करदाता को ब्याज सहित ₹ 2,01,283 के लिए माँग माँग नोटिस डीआरसी-1ए में जारी किया गया था। इसके अलावा, मेसर्स जेडी इम्पेक्स के प्रकरण में रिफंड स्वीकृति प्राधिकारी ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि मेसर्स केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रकरण में निर्यात बीजकों और शिपिंग बिलों के दस्तावेज अभिलेख में नहीं पाए गए थे और इसलिए लेखापरीक्षा ने ₹ 0.91 करोड़ के अतिरिक्त रिफंड को इंगित किया था। साथ ही, आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए 01 अप्रैल 2021 को रिफंड स्वीकृति प्राधिकारी को अनुस्मारक भी जारी किया गया था। तथापि, विभाग ने इंगित किए गए ₹ 0.91 करोड़ के अधिक रिफंड के विरुद्ध ब्याज सहित केवल ₹ 0.02 करोड़ के लिए माँग पत्र जारी किया था। मेसर्स जेडी इंपेक्स से संबंधित प्री-ऑटोमेशन रिफंड के एक अन्य प्रकरण में अंतिम कार्यवाही प्रतीक्षित है। साथ ही, छः पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2022)।

2.5.16 विविध

2.5.16.1 आपूर्तिकर्ता जिसने जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल करना बंद कर दिया और पंजीकरण रद्द कर दिया गया उसका आईटीसी का रिफंड

सीजीएसटी परिपत्र संख्या 125/44/2019-जीएसटी दिनांक 18 नवंबर 2019 ने निर्धारित किया कि कर अवधि के लिए कोई भी रिफंड दावा तभी दाखिल किया जा सकता है जब उस रिफंड दावे की तिथि पर या उसके पहले तक देय सभी विवरणियाँ फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी में प्रस्तुत कर दी गई हों।

564 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों में से यह देखा गया (अप्रैल 2021) कि फर्म मेसर्स एचएस सर्विस प्रोवाइडर (वृत्त-1 जबलपुर) ने फरवरी 2020 माह के लिए ₹ पाँच लाख के आईटीसी के रिफंड का दावा किया। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि आपूर्तिकर्ता ने अक्टूबर 2018 के माह के बाद विवरणी दाखिल नहीं की थी और उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार इस प्रकरण में निर्धारिती को

²⁸ वृत्त-2 सतना (एक प्रकरण ₹ 0.05 करोड़), वृत्त-3 ग्वालियर (तीन प्रकरण ₹ 0.47 करोड़), वृत्त-9 इंदौर (एक प्रकरण) ₹ 0.02 करोड़, वृत्त-नीमच (एक प्रकरण ₹ 0.07 करोड़)।

₹ पाँच लाख रिफंड कर दिया गया यद्यपि आपूर्तिकर्ता ने करों का भुगतान नहीं किया था और शासन को निकट भविष्य में राशि मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

प्रकरण को रिफंड स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.5.16.2 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शेष राशि सुनिश्चित किए बिना रिफंड स्वीकृत किया जाना

एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 49(6) में प्रावधान है कि कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत देय किसी अन्य राशि के भुगतान के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शेष राशि रिफंड की जा सकती है।

564 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों की जाँच में (अप्रैल 2021) से तीन वृत्त²⁹ के तीन रिफंड दावों में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आवेदन की तिथि या कर अवधि जिसके लिए रिफंड आवेदन किया गया था के लिए कोई शेष राशि नहीं मिली। तथापि, रिफंड स्वीकृति प्राधिकारी ने ₹ दो लाख के अमान्य रिफंड की स्वीकृत की थी।

प्रकरण को रिफंड स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.5.16.3 समयबाधित आवेदन पर रिफंड स्वीकृत किया जाना

एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 54(1) के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे उसके द्वारा भुगतान किये गए किसी कर या किसी अन्य राशि पर देय किसी कर या ब्याज के रिफंड का आवेदन करना हो तो वह इस संबंध में आईजीएसटी/सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के उचित अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रासंगिक तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पहले आवेदन कर सकता है। कमी ज्ञापन के बाद दिए गए आवेदन को एक नए आवेदन के रूप में माना जाएगा।

564 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों में से यह देखा गया (अप्रैल 2021) कि दो वृत्त³⁰ के तीन प्रकरणों में प्रासंगिक तिथि से दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद दावा दायर किया गया था, इसके बावजूद विभाग ने दावे को स्वीकृति दी थी। प्रावधानों के अनुसार विभाग को समयबाधित दावे पर विचार नहीं करना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 26 लाख के अधिक रिफंड की स्वीकृति हुई।

प्रकरण को रिफंड स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.5.16.4 दो बार पेमेंट एडवाईज जारी करने के कारण रिफंड का दोहरा भुगतान

लेखापरीक्षा ने पाँच वृत्त³¹ के आठ रिफंड प्रकरणों में दोहरे भुगतान का होने पाया (अप्रैल, अगस्त और सितंबर 2021)। यहाँ रिफंड स्वीकृति प्राधिकारी ने एकल रिफंड स्वीकृति आदेश (आरएफडी-6) के विरुद्ध दो बार पेमेंट एडवाईज (आरएफडी-5) जारी की थी। जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं को ₹ 51 लाख के रिफंड का दोगुना भुगतान हुआ।

इन्हें इंगित किए जाने पर रिफंड स्वीकृति प्राधिकारियों ने कहा (जुलाई से सितंबर 2021) कि तकनीकी समस्या के कारण सिस्टम में पेमेंट एडवाईज प्रदर्शित नहीं हो रही थी। इसलिए पेमेंट एडवाईज जारी करने की आगे की प्रक्रिया फिर से दोहरा दी गई। दोहरे भुगतान को देखते हुए डीआरसी-03 जारी किया गया और संबंधित करदाताओं से अधिक किया गया भुगतान जमा करवाया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोहरा भुगतान के इन आठ प्रकरणों में से यद्यपि पाँच प्रकरणों में राशि लेखापरीक्षा के पूर्व जमा कर दी गयी थी किन्तु दो प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर राशि जमा करायी गयी तथा एक प्रकरण में वसूली प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2022)।

²⁹ वृत्त-2 जबलपुर (एक प्रकरण ₹ 0.02 करोड़), वृत्त-4 जबलपुर (एक प्रकरण ₹ 0.005 करोड़), वृत्त-4 ग्वालियर (एक प्रकरण ₹ 0.003 करोड़)।

³⁰ वृत्त-13 इंदौर (एक प्रकरण ₹ 0.005 करोड़), वृत्त-2 ग्वालियर (दो प्रकरण ₹ 0.25 करोड़)।

³¹ वृत्त-15 इंदौर (दो प्रकरण ₹ 0.06 करोड़), वृत्त-7 इंदौर (एक प्रकरण ₹ 0.02 करोड़), वृत्त-12 इंदौर (तीन प्रकरण ₹ 0.04 करोड़), वृत्त-1 इंदौर (एक प्रकरण ₹ 0.39 करोड़), वृत्त-हरदा (एक प्रकरण ₹ 0.0001 करोड़)।

2.5.16.5 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिफंड राशि का डेबिट न होना

एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 41 के प्रावधान के अनुसार सामान्य पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के लिए फॉर्म जीएसटी पीएमटी-02 में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बनाए रखा जाता है और इनपुट कर क्रेडिट के प्रत्येक दावे को इस लेजर में क्रेडिट किया जाता है। जहाँ एक पंजीकृत व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से किसी भी अप्रयुक्त राशि की रिफंड का दावा किया है वहाँ दावा की गई राशि को उक्त लेजर में डेबिट किया जाता है।

आगे सीबीआईसी के परिपत्र संख्या 59/33/2018-जीएसटी, दिनांक 04 सितंबर, 2018 के पैरा 3.5 में स्पष्ट किया गया है कि रिफंड आवेदन तभी दाखिल किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को पैरा 3.2 में निर्दिष्ट तरीके से डेबिट किया गया हो (पैरा 3.3 के साथ पढ़ें) और एआरएन सामान्य पोर्टल पर जारी हो गया हो।

जाँचे गए 447 प्री-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों (जनवरी 2021) में से मेसर्स हर्बज हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड (वृत्त-1 उज्जैन) के रिफंड प्रकरण में न तो दावेदार और न ही विभाग ने बोर्ड द्वारा स्पष्ट किए गए अनुसार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफंड योग्य राशि को डेबिट करने के आदेश का पालन किया। इसके कारण ₹ चार लाख का अनियमित रिफंड दिया गया।

इंगित किए जाने के बाद रिफंड स्वीकृति प्राधिकारी ने कहा (जनवरी 2021) कि तकनीकी त्रुटि के कारण डेबिट प्रविष्टि नहीं की गई थी।

2.5.16.6 समकक्ष राज्य कर अधिकारी को स्वीकृति आदेश अग्रेषित करने में विलम्ब

सीबीआईसी परिपत्र संख्या 24/24/2017 दिनांक 21 दिसंबर 2017 में कहा गया है कि स्वीकृत रिफंड राशि का भुगतान केवल केंद्र या राज्य सरकार के संबंधित कर प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार केंद्रीय कर प्राधिकारी या राज्य कर/केंद्र शासित प्रदेश कर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रिफंड आदेश को संबंधित स्वीकृत कर का रिफंड या उपकर के भुगतान के उद्देश्य से सात कार्य दिवसों के भीतर संबंधित समकक्ष प्राधिकारी को सूचित किया जाना था।

वित्त वर्ष 2017-18 से 31 जुलाई 2020 तक संबंधित राज्य कमिश्नरी द्वारा समकक्ष प्राधिकारी को प्रेषित रिफंड स्वीकृति आदेशों के अग्रेषण के अभिलेखों का सत्यापन करते समय 447 रिफंड प्रकरणों की जाँच की गई (दिसंबर 2020 से जनवरी 2021)। यह देखा गया कि नौ वृत्त के ₹ 17.96 करोड़ के 60 रिफंड आदेशों में नोडल अधिकारी को केन्द्रीय कर प्राधिकारी को अग्रेषित करने के लिए 52 प्रकरणों में एक दिन से तीन माह तक, पाँच प्रकरणों में तीन से छः माह तथा तीन प्रकरणों में छः माह से अधिक का विलम्ब हुआ। विवरण परिशिष्ट 2.20 में दर्शाया गया है।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

2.5.16.7 समायोजित कुल टर्नओवर के कम निर्धारण के कारण अतिरिक्त रिफंड दिया जाना

सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 89(4) के अनुसार "समायोजित कुल टर्नओवर" का अर्थ है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रासंगिक अवधि के दौरान हुआ टर्नओवर जैसा कि धारा 2 के खंड (112) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसमें शून्य दर आपूर्ति के अलावा अन्य छूट वाली आपूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होता है।

564 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड प्रकरणों में से मेसर्स बिस्किट बास्केट फूड्स प्रा. लिमिटेड (वृत्त-5 भोपाल) और गीतांजलि एंटरप्राइजेज (वृत्त-3 इंदौर) में यह देखा गया (मार्च से अप्रैल 2021) कि अधिकतम रिफंड दावे के लिए आवेदनों में लिया गया समायोजित कुल टर्नओवर जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-3बी विवरणी में घोषित टर्नओवर से कम था। इसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर-1 से समायोजित टर्नओवर का सत्यापन न होने के कारण ₹ एक लाख का अधिक रिफंड दिया गया।

इन्हें इंगित किए जाने पर रिफंड स्वीकृति प्राधिकारियों ने बताया (अप्रैल 2021) कि जावक आपूर्ति के विवरण में घोषित टर्नओवर में क्रेडिट नोट को समायोजित करने के बाद रिफंड की स्वीकृति दी गई थी और सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जीएसटीआर-3 बी में घोषित समायोजित कुल टर्नओवर रिफंड आवेदन जीएसटीआर-1 में दावा किए गए और विभाग द्वारा मान्य किए गए टर्नओवर से कम था।

2.5.17 निष्कर्ष

एक प्रणाली के दृष्टिकोण से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसे कई दृष्टांत मिले जहाँ विभाग ने उन अधिनियम, नियमों आदि के मौजूदा प्रावधानों का पालन नहीं किया था, जो रिफंड के दिए जाने के संबंध में जारी किए गए थे। रिफंड आदेश स्वीकृत करने में विलम्ब, अनंतिम रिफंड का अनियमित तरीके से दिया जाना, आई.टी.सी. रिफंड के अधिक दिए जाने के दृष्टांत मिले। इसके अतिरिक्त, अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन के बिना रिफंड के अस्वीकार्य भुगतान, सत्यापन जाँच की कमियाँ और इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल आदि पर रिफंड के अनियमित आदि से संबंधित प्रकरण भी देखे गये। विभाग द्वारा रिफंड दावों की उत्तरोत्तर लेखापरीक्षा भी नहीं कराई गई जिससे राजस्व की संभावित हानि भी हो सकती है।

अनुपालन के दृष्टिकोण से हमने विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत रिफंड प्रकरणों में ₹ 10.36 करोड़ की राशि के अनुपालन विचलन को देखा जैसा कि ऊपर कंडिका 2.5.6 में वर्णित किया गया है।

2.5.18 सिफारिश

- विभाग को करदाताओं द्वारा दाखिल की गई घोषणाओं की सत्यता को सत्यापित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- नमूना-जाँच किए गए नमूना प्रकरणों के आकार (1,011) और अनियमित रिफंड दावों की संख्या (167) को देखते हुए विभाग ऐसे प्रकरण जो लेखापरीक्षा नमूने में सम्मिलित नहीं हैं उनकी गहन जाँच और एक समय सीमा के भीतर सुधारात्मक कार्यवाही कर सकता है।

2.6 "मध्य प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम (एम.पी. वैट अधिनियम), 2002 की धारा 20 के अंतर्गत प्रकरणों के निर्धारण" पर अनुपालन लेखापरीक्षा

2.6.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विभाग की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने की दृष्टि से की गई थी कि:

- कर योग्य टर्नओवर की गणना सही ढंग से की गई थी एवं कर की उचित दरें लगाई गई थीं; तथा
- इनपुट कर छूट का दावा एवं निपटान उचित रूप से किया गया था।

2.6.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निम्न से प्राप्त मानदंडों के विरुद्ध मानक किया गया था:

- एमपी वैट अधिनियम, 2002;
- प्रवेश कर अधिनियम, 1976; (ईटी अधिनियम)
- केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956; (सीएसटी अधिनियम)
- राज्य शासन द्वारा जारी नियम और निर्देश, परिपत्र/छूट प्रदान करने संबंधी अधिसूचनाएं; तथा
- न्यायालयों और अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय।

2.6.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति

एमपी वैट, ईटी और सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत वाणिज्यिक कर विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा जुलाई 2021 और नवंबर 2021 के दौरान की गई थी और इसमें 2014-15 से 2017-18 (प्रथम तिमाही)³² तक चार वर्षों की अवधि के निर्धारण सम्मिलित थे। लेखापरीक्षा 115³³ कार्यालयों में से 33 चयनित कार्यालयों³⁴ (छ: संभागीय, सात क्षेत्रीय एवं 20 वृत्त कार्यालय) में निर्धारण एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की नमूना-जाँच के माध्यम से की गई थी। नमूना चयन उस अवधि के आधार पर किया गया था जिसके लिए इकाईयाँ लेखापरीक्षा के लिए लंबित थीं। तदनुसार, उच्चतम लंबित निर्धारण प्रकरण वाली शीर्ष 33 इकाईयों को लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। साथ ही आयुक्त कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग से भी जानकारी एकत्रित की गई। 33 चयनित कार्यालयों में निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) ने 2014-15 से 2017-18 (प्रथम तिमाही तक) की अवधि के लिए कुल 90,878 निर्धारण प्रकरण लेखापरीक्षा को प्रदान किए।

लेखापरीक्षा के दौरान, मुख्य रूप से वित्तीय महत्ता के आधार पर सभी चयनित कार्यालयों में कुल 33,812 निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच की गई थी। अनानुपालन मुद्दे, जहाँ कहीं भी देखे गए हैं उन्हें आगामी कंडिकाओं में समान प्रकृति की लेखापरीक्षा आपत्तियों को एकत्रित करके दर्शाया गया है।

2.6.4 लेखापरीक्षा परिणाम

नमूनाकृत इकाईयों के कुल 90,878 प्रकरणों में से नमूना-जाँच किये गए 33,812 (37 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा में संबंधित अधिनियमों/संहिताओं/नियमावली के साथ विचलन/अनानुपालन के दृष्टांत सामने आए जिनके कारण 208 प्रकरणों में ₹ 21.13 करोड़ की राशि का कम कर आरोपण हुआ और शास्ति सहित अस्वीकार्य/अधिक इनपुट कर छूट दी गई जिसका विवरण नीचे तालिका 2.6 में दर्शाया गया है:

³² जीएसटी अधिनियम 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया था।

³³ कुल 131 इकाईयों में से 16 इकाईयाँ लेखापरीक्षा विषय से असंबंधित थीं।

³⁴ सं.उ.वा.क.: सं-खंडवा, सं-रतलाम, सं-छिंदवाड़ा, सं-2 ग्वालियर, सं-3 इंदौर, एलटीयू इंदौर। स.आ.वा.क.: सं-1, सं-3 (प्रीती श्रीवास्तव), सं-3 (प्रीती जोहरी), इंदौर, सं-1, भोपाल, सं-1,2 सं-ग्वालियर, सं-छिंदवाड़ा वा.क.अधि: वृत्त-3, 6 भोपाल, वृत्त-4, 6, 11, 12, 14, 15 इंदौर, वृत्त-2, 3 ग्वालियर, वृत्त-2 उज्जैन, वृत्त-3 वृत्त-जबलपुर, शहडोल, रीवा, खंडवा, छतरपुर, हरदा, सिवनी, बीना और बुरहानपुर।

तालिका 2.6: राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणियाँ

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणियाँ	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	राशि
1.	टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण	67	3.49
2.	कर की त्रुटिपूर्ण दर लागू करना	18	2.86
3.	सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अनियमित रियायत दिया जाना	21	3.79
4.	प्रवेश कर का अनारोपण अथवा कम आरोपण	33	1.12
5.	त्रुटिपूर्ण कटौती/समायोजन	11	1.25
6.	भाग III माल पर इनपुट कर छूट मान्य करना	01	6.03
7.	प्रावधानों के विरुद्ध अतिरिक्त इनपुट कर छूट मान्य करना	38	1.86
8.	उचित सत्यापन के बिना इनपुट कर छूट मान्य करना	19	0.73
योग		208	21.13

ऊपर वैट अधिनियम और प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा आपत्तियों की आठ व्यापक श्रेणियाँ हैं, जिनका विवरण आगामी कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

विभाग के अधीन अन्य इकाईयाँ जो कि नमूना लेखापरीक्षा में सम्मिलित नहीं हैं, में भी ऐसी ही अनियमितताएँ, त्रुटियाँ या चूक हो सकती हैं। अतः विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाईयों की जाँच कर सकता है कि करारोपण अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनानुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.6.5 टर्नओवर की त्रुटिपूर्ण परिगणना के कारण वैट का कम आरोपण

एमपी वैट अधिनियम 2002 की धारा 2(z) के अनुसार एक व्यवसायी के किसी अवधि से संबंधित टर्नओवर का तात्पर्य व्यवसायी द्वारा उस अवधि में सामग्रियों के विक्रय, अथवा आपूर्ति से प्राप्त अथवा प्राप्य कुल विक्रय मूल्य है, जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर उपरोक्त सामग्री का वापसी मूल्य सम्मिलित नहीं है। कर योग्य टर्नओवर (टी.टी.ओ) निर्धारित करने के उद्देश्य से, एमपी वैट अधिनियम³⁵ विक्रय मूल्य के योग में सम्मिलित होने पर कर भुगतान किए गए सामान कर मुक्त माल और कर की राशि के विक्रय मूल्य की कटौती का प्रावधान करता है।

33 चयनित कार्यालयों में 14,662 प्रकरणों के निर्धारण अभिलेखों की नमूना-जाँच से ज्ञात हुआ कि 22 कार्यालयों के 67 प्रकरणों में निधारण प्राधिकारी, निर्धारण के समय सही सकल टर्नओवर (जीटीओ)/ कर योग्य टर्नओवर निर्धारित करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.49 करोड़ की राशि के कर का अवनिर्धारण हुआ। विवरण नीचे तालिका 2.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.7: टर्नओवर के त्रुटिपूर्ण निर्धारण का विवरण

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	निर्धारित करने योग्य जीटीओ	निर्धारित जीटीओ	कम निर्धारण	अवनिर्धारण
1.	नि.प्रा. ने जीटीओ का निर्धारण करते समय चल संपत्ति के वास्तविक विक्रय मूल्य पर विचार नहीं किया।	26	313.05	293.57	1.95	0.80

³⁵ एम.पी. वैट अधिनियम की धारा 2(x) के अंतर्गत।

सं.क्र.	लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	निर्धारित करने योग्य जीटीओ	निर्धारित जीटीओ	कम निर्धारण	अवनिर्धारण
2.	नि.प्रा. ने व्यवसायियों के लेखापरीक्षित खातों में दर्ज की गई तुलना में कम विक्रय मूल्य निर्धारित किया।	22	245.50	240.82	4.68	0.39
3.	नि.प्रा. ने वास्तविक की तुलना में कम लाभ को ध्यान में रखते हुए कम जीटीओ निर्धारित किया	07	12.56	11.31	1.27	0.11
4.	'टर्नओवर' में ऐसी विक्रय के प्रभावी होने की तिथि से छः माह के भीतर विक्रय वापसी (यदि कोई हो) का मूल्य सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के भीतर एक इकाई को की गई किसी भी विक्रय को कर से छूट दी गई है। नि.प्रा. ने बिना दस्तावेज के सेज को लौटाए गए माल/सेज को की गई विक्रय पर छूट की अनुमति दी।	05	266.84	266.21	0.63	0.07
5.	कार्य संविदा के प्रकरण में नि.प्रा. ने 'सामग्री' और 'श्रम' घटकों को त्रुटिपूर्ण तरीके से निर्धारित किया और श्रम के अधिक दावे की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप कम निर्धारण हुआ।	05	12.16	8.82	3.34	0.33
6.	धारा 9ए के तहत सूचीबद्ध माल (रेत, गिट्टी आदि) के जीटीओ की गणना मात्रा के आधार पर की जाती है। नि.प्रा. ने 9ए माल के मात्रा के आधार पर उनके मूल्य का आंकलन करने के बजाय उनके बिक्री मूल्य पर कर लगाया जिसके परिणामस्वरूप अवनिर्धारण हुआ।	02	48.76	12.86	35.90	1.79
योग		67	898.87	833.59	47.77	3.49

प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 2.21 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जुलाई 2021 से नवंबर 2021) संबंधित नि.प्रा. ने बताया (जुलाई 2021 से नवंबर 2021) कि प्रकरणों का सत्यापन किया जाएगा और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी गई है (सितंबर 2022)।

फरवरी 2022 में प्रकरणों को वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन को अग्रेषित किया गया। विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जून 2022) में कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति वाले प्रकरण समीक्षाधीन हैं और प्रकरणों को फिर से खोलने के लिए पाँच कैलेंडर वर्ष की अवधि उपलब्ध है।

तथ्य यह है कि विभाग निर्गम सम्मेलन (जून 2022) तक लेखापरीक्षा आपत्ति प्रकरणों में किसी भी वसूली को अंतिम रूप नहीं दे सका।

2.6.6 कर की त्रुटिपूर्ण दर लागू करने के कारण कम निर्धारण

एमपी वैट अधिनियम की अनुसूची-2 और उसके अंतर्गत जारी अधिसूचना विभिन्न वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर की दर को निर्धारित करती है, सिवाय उन वस्तुओं के जो अधिनियम की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्दिष्ट हैं या जिन्हें अधिसूचना के माध्यम से छूट दी गई है।

अनुसूची-2 के भाग 3 में निर्दिष्ट माल और धारा 9ए के अंतर्गत अधिसूचित माल के संबंध में कर प्रदत्त माल का अर्थ है ऐसा कोई भी माल, जो किसी व्यवसायी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पंजीकृत व्यवसायी से क्रय किया गया हो।

33 चयनित कार्यालयों के अंतर्गत निर्धारण अभिलेखों की नमूना-जाँच से ज्ञात हुआ कि 18 प्रकरणों में (10 कार्यालयों से संबंधित), नि.प्रा. द्वारा :

- चार प्रकरणों में, त्रुटिपूर्ण तरीके से इलास्टिक टेप, ताना बुना हुआ कपड़ा (पाँच प्रतिशत पर कर योग्य) को कर मुक्त माल के रूप में माना गया और तदनुसार ₹ 32.35 करोड़ के टर्नओवर का आंकलन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ की राशि का कर नहीं लगाया गया।
- दो प्रकरणों में, मोबाइल फोन के विक्रय के ₹ 1.32 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर (14 प्रतिशत पर कर योग्य) को कर प्रदत्त³⁶ (छूट) विक्रय के रूप में माना गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.18 करोड़ की राशि का कर नहीं लगाया गया।
- 12 प्रकरणों में, हाई बे लाइट/फ्लड लाइट, आरसीसी पोल, मोटर पाटर्स, फ्लोटिंग डॉक, पेट प्रीफॉर्म्स, तिपहिया, फर्नीचर, प्लांट और उपकरण इत्यादि जैसी वस्तुओं पर कर की त्रुटिपूर्ण दर लागू की, जिसमें ₹ 21.40 करोड़ का कुल टर्नओवर सम्मिलित था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ की राशि के कर का कम आरोपण हुआ।

इस प्रकार, कर की त्रुटिपूर्ण दरों को लागू करने के कारण कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनियमित निर्धारण के परिणामस्वरूप कुल ₹ 2.86 करोड़ के कर का कम निर्धारण हुआ। विवरण परिशिष्ट 2.22 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जुलाई 2021 से नवंबर 2021), स.आ.वा.क. संभाग 3, इंदौर ने कहा (सितंबर 2021) कि मेसर्स कोहिनूर इलास्टिक प्रा. लिमिटेड³⁷ ने इलास्टिक टेप को कर मुक्त माल माना था। इसके अलावा, स.आ.वा.क. ने यह भी कहा कि चूंकि 'इलास्टिक टेप' पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, इसलिए इसे वैट अधिनियम की अनुसूची-1³⁸ के अनुसार कर मुक्त माल के रूप में माना जाना चाहिये।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपीलीय बोर्ड का उक्त निर्णय वर्ष 1999 में पारित किया गया था जब पिछला मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम लागू था (वैट व्यवस्था के प्रारंभ होने से पहले) और इसलिए वह वैट अधिनियम के अंतर्गत निर्धारण/पुनर्निर्धारण पर लागू नहीं है। इसके अलावा, 'इलास्टिक टेप' को केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ '5,806' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और इसलिए यह कर मुक्त नहीं है जैसा कि विभाग द्वारा दावा और निर्धारण किया गया।

अन्य प्रकरणों के संबंध में, नि.प्रा. ने बताया (जुलाई 2021 से नवंबर 2021) कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी गई (सितंबर 2022)।

फरवरी 2022 में प्रकरणों को वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन को अग्रेषित किया गया। विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जून 2022) में कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति वाले प्रकरण समीक्षाधीन हैं और प्रकरण को फिर से खोलने के लिए पाँच कैलेंडर वर्ष की अवधि उपलब्ध है।

तथ्य यह है कि विभाग निर्गम सम्मेलन (जून 2022) तक लेखापरीक्षा आपत्ति प्रकरणों में किसी भी वसूली को अंतिम रूप नहीं दे सका।

³⁶ कर दत्त माल (वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 में वर्गीकृत) वे माल हैं जिन पर बिक्री के पहले बिंदु पर कर लगाया जाना है और उसके बाद दूसरी और बाद की बिक्री पर कोई कर नहीं लगाया जाना है।

³⁷ आ.वा.क आदेश अप्रैल 1999।

³⁸ वैट अधिनियम की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या 48 के अनुसार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट कपड़े कर के भुगतान से मुक्त हैं।

2.6.7 बिना घोषणा प्रपत्रों के रियायतें देने के कारण सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कर का कम निर्धारण

सीएसटी (पंजीकरण और टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12 के साथ पठित केंद्रीय विक्रय कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अंतर्गत, कोई व्यवसायी अंतर-राज्यीय विक्रय हेतु प्रपत्र 'सी' में विधिवत भरा हुआ एवं क्रेता व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करता है, तो ऐसा विक्रय, दो प्रतिशत की रियायती दर पर कर योग्य है, अन्यथा ऐसा विक्रय, कर की स्थानीय दर पर कर योग्य है। वैट अधिनियम/नियमों के नियम 12(5) के साथ पठित धारा 6ए के अनुसार, यदि विक्रय के अन्यथा एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही होती है और इस तरह के लेनदेन का समर्थन फॉर्म 'एफ' में घोषणा द्वारा किया जाता है, तो व्यवसायी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा, सीएसटी अधिनियम की धारा 4(4) के अनुसार, फॉर्म 'एच' में घोषणा द्वारा समर्थित निर्यात विक्रय, कर के लिए उत्तरदायी नहीं है। सीएसटी अधिनियम के प्रावधान वैट अधिनियम के तहत निर्धारण/पुनर्निर्धारण के प्रकरण में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होते हैं।

33 चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जाँच से ज्ञात हुआ कि 21 प्रकरणों (16 कार्यालयों से संबंधित) में, नि.प्रा. ने 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लिए व्यवसायियों की विवरणियों का निर्धारण करते समय त्रुटिपूर्ण तरीके से अंतर-राज्यीय विक्रय पर रियायती दर पर कर की अनुमति दी जबकि विवरण फॉर्म प्रपत्र 'सी' में विधिवत भरी हुए घोषणाओं द्वारा समर्थित नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.95 करोड़ के कर का अवनियोजन हुआ। त्रुटिपूर्ण विवरणियाँ प्रस्तुत करने पर ₹ 2.84 करोड़ से अनधिक शास्ति भी आरोपणीय थी। विवरण **परिशिष्ट 2.23** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जुलाई 2021 से नवंबर 2021), संबंधित नि.प्रा. ने बताया (जुलाई 2021 से नवंबर 2021) कि प्रकरणों का सत्यापन किया जाएगा और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी गई है (सितंबर 2022)।

फरवरी 2022 में प्रकरणों को वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन को अग्रेषित किया गया। विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जून 2022) में कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति वाले प्रकरण समीक्षाधीन हैं और प्रकरणों को फिर से खोलने के लिए पाँच कैलेंडर वर्ष की अवधि उपलब्ध है।

तथ्य यह है कि विभाग निर्गम सम्मेलन (जून 2022) तक लेखापरीक्षा आपत्ति प्रकरणों की किसी भी वसूली को अंतिम रूप नहीं दे सका।

2.6.8 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

ईटी अधिनियम, 1976 एवं उसके अंतर्गत जारी नियम और अधिसूचनाएँ प्रावधानित करतें हैं कि स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए प्रवेश करने वाले माल पर निर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर आरोपणीय होगा। इसके अलावा, ईटी अधिनियम की धारा 4ए प्रावधानित करती है कि अधिसूचित वस्तुओं³⁹ पर प्रवेश कर वर्धित दर पर आरोपणीय है।

33 चयनित कार्यालयों में 7,169 निर्धारण अभिलेखों और संबंधित दस्तावेजों जैसे लेखापरीक्षित खातों, क्रय सूचियों आदि के प्रति सत्यापन और नमूना-जाँच से ज्ञात हुआ कि 12 कार्यालयों में 33 प्रकरणों में प्लड लाइट, कोयला, दूध उत्पाद, पीपी बैग, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, रिफाइंड तेल आदि जैसे सामानों पर प्रवेश कर स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश पर या तो नहीं लगाया गया था या त्रुटिपूर्ण दरों पर कम लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ के प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ। विवरण नीचे **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है:

³⁹ ट्रांसफार्मर, पीपी, बुने हुए बैग, आदि जैसे माल, जिन्हें राज्य शासन द्वारा उच्च दरों पर कर आरोपण हेतु अधिसूचित किया गया है।

तालिका 2.8: प्रवेश कर के कम आरोपण/अनारोपण का विवरण

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सार	लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	मूल्य
1.	नि.प्रा. ने स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे माल को कर-दत्त/कर मुक्त माल मानकर त्रुटिपूर्ण कटौती की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ।	09	0.31
2.	नि.प्रा. ने अधिनियम की धारा 4ए के अनुसार अधिसूचित माल पर कर की बढ़ी हुई दर का आरोपण नहीं किया।	08	0.12
3.	नि.प्रा. ने माल के क्रय टर्नओवर को कम आँककर प्रवेश कर का कम निर्धारण किया।	08	0.12
4.	नि.प्रा. ने दो प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत की दर पर प्रवेश कर लगाया जिसके परिणामस्वरूप अवनिर्धारण हुआ।	06	0.20
5.	नि.प्रा. ने कर देय माल को 'छूट प्राप्त माल' मानकर त्रुटिपूर्ण कटौती की अनुमति दी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है <ul style="list-style-type: none"> • एक प्रकरण में, व्यवसायी ने 'बस बॉडी' को 'भारी माल वाहन' मानकर छूट का दावा किया और नि.प्रा. ने इसकी अनुमति दी, और; • एक अन्य प्रकरण में, व्यवसायी ने 'रिफाइंड तेल' को 'कच्चा तेल' मानकर छूट का दावा किया और नि.प्रा. ने इसकी अनुमति दी। 	02	0.37
योग		33	1.12

प्रकरण-वार विवरण परिशिष्ट 2.24 में दर्शाया गया है।

इन्हें इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021), सं.उ.वा.क खंडवा ने एक प्रकरण के संबंध में कहा (अगस्त 2021) कि व्यवसायी कच्चे खाद्य तेल को स्थानीय क्षेत्र में लाया था और इसलिए इसे दिसंबर 2010 और फरवरी 2011 की शासन की अधिसूचनाओं⁴⁰ के अनुसार प्रवेश कर से छूट दी गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारण अभिलेखों से स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है कि व्यवसायी 'रिफाइंड सोया ऑयल' और 'आरबीडी पॉम ऑयल' को स्थानीय क्षेत्र में लाया जो कि तैयार रिफाइंड खाद्य तेल की श्रेणी में आते हैं न कि कच्चे खाद्य तेल की। संबंधित नि.प्रा., निर्धारण के समय, इसे ध्यान में रखने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ।

शेष 32 प्रकरणों के संबंध में, संबंधित नि.प्रा. ने बताया (जुलाई 2021 से नवंबर 2021) कि अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में प्रकरण की सूचना नहीं दी गई है (सितंबर 2022)।

फरवरी 2021 में प्रकरणों को वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन को अग्रेषित किया गया। विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जून 2022) में कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति वाले प्रकरण समीक्षाधीन हैं और प्रकरण को फिर से खोलने के लिए पाँच कैलेंडर वर्ष की अवधि उपलब्ध है।

तथ्य यह है कि विभाग निर्गम सम्मेलन (जून 2022) तक लेखापरीक्षा आपत्ति प्रकरणों की किसी भी वसूली को अंतिम रूप नहीं दे सका। इस प्रकरण में आगे की प्रगति के बारे में लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

2.6.9 स्रोत पर कर कटौती का त्रुटिपूर्ण समायोजन

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 26(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यवसायी और केंद्र शासन या किसी राज्य शासन के बीच अनुबंध के अनुसरण में किसी माल की विक्रय या आपूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में किसी व्यवसायी को किसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, भुगतान से पहले, जहाँ भी बिल की कुल राशि पाँच हजार रुपये से अधिक है, शासन द्वारा व्यवसायी को कर के रूप

⁴⁰ शासन की अधिसूचना सं. 96 दिनांक 13 दिसंबर 2010 और शासकीय अधिसूचना सं 16 दिनांक 31 मार्च 2011।

में देय राशि के बराबर राशि की कटौती करेगा, और इसे राज्य शासन को इस तरह से भुगतान करेगा जैसा कि निर्धारित हो। धारा 26(2) में उक्त तीन प्रतिशत कर या निर्धारित एकमुश्त दर (जिस ठेकेदार ने संरचना का विकल्प चुना है) के अनुसार कर की कटौती का प्रावधान है।

33 चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जाँच से ज्ञात हुआ कि पाँच कार्यालयों से जुड़े 11 प्रकरणों में, संबंधित नि.प्रा. ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के त्रुटिपूर्ण/अधिक समायोजन की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। विवरण परिशिष्ट 2.25 में दर्शाया गया है।

इन्हें इंगित किए जाने पर (जुलाई 2021 से नवंबर 2021), नि.प्रा. ने कहा (जुलाई 2021 से नवंबर 2021) कि प्रकरणों का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी गई है (सितंबर 2022)।

फरवरी 2022 में प्रकरणों को वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन को अग्रेषित किया गया। विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जून 2022) में कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति वाले प्रकरण समीक्षाधीन हैं और प्रकरणों को फिर से खोलने के लिए पाँच कैलेंडर वर्ष की अवधि उपलब्ध है।

तथ्य यह है कि विभाग निर्गम सम्मेलन (जून 2022) तक लेखापरीक्षा आपत्ति प्रकरणों की किसी भी वसूली को अंतिम रूप नहीं दे सका।

2.6.10 भाग 3 माल पर इनपुट कर छूट का अनियमित दिया जाना

एमपी वैट अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार, अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 1, 2, 3 ए और भाग 4 में उल्लिखित वस्तुओं पर इनपुट कर छूट (आईटीआर) स्वीकार्य है। पार्ट-3 में सम्मिलित वस्तुएँ, कर दत्त वस्तुएँ हैं और इन वस्तुओं पर आईटीआर स्वीकार्य नहीं है। एमपी वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 में सूचीबद्ध वस्तुओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से बेचा जाने वाला मिट्टी का तेल सम्मिलित है।

उपायुक्त, लार्ज टैक्सपेयर इकाई, इंदौर के कार्यालय में कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना-जाँच से ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान एक व्यवसायी (मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, टिन 2317114993, प्रकरण संख्या-1064206) ने राज्य के एक पंजीकृत व्यवसायी से ₹ 107.77 करोड़ की राशि का केरोसिन क्रय किया, जिस पर व्यवसायी ने ₹ 15.09 करोड़ के आईटीआर का दावा किया। नि.प्रा. ने तदनुसार निर्धारण के दौरान आईटीआर दावों की अनुमति दी। निर्धारण आदेशों और अन्य संबंधित अभिलेखों के आधार पर, लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि व्यवसायी ने राज्य के बाहर से ₹ 78.83 करोड़ मूल्य का मिट्टी का तेल भी क्रय किया; जिसके विरुद्ध व्यवसायी ने माल के अंतर-राज्यीय स्टॉक हस्तांतरण के कारण बाहरी व्यवसायियों को ₹ 32.13 करोड़ मूल्य का मिट्टी का तेल हस्तांतरित किया। इस प्रकार, वर्ष के दौरान व्यवसायी का मिट्टी के तेल का शुद्ध कुल क्रय (आवक स्टॉक) ₹ 154.47 करोड़ का था। इसके एवज में व्यवसायी ने ₹ 104.22 करोड़ की राशि पीडीएस के माध्यम से बेची जाने का खुलासा किया।

विवरण नीचे तालिका 2.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: क्रय और विक्रय का विवरण

(राशि ₹ में)

स्थानीय क्रय	अंतर-राज्यीय क्रय विवरण		पीडीएस के माध्यम से विक्रय	
			स्थानीय क्रय	शुद्ध अंतरराज्यीय क्रय ⁴¹
1,07,76,30,510	क्रय	78,83,44,077	57,51,42,756	46,70,11,254
	घटाया जाएँ: स्टॉक ट्रांसफर निवल:	32,13,32,533	(कुल विक्रय का 40.49 प्रतिशत)	
		46,70,11,254		

⁴¹ व्यवसायी को पीडीएस के माध्यम से बिक्री के रूप में अधिकतम राशि की अनुमति दी गई है ताकि न्यूनतम कर प्रभाव की गणना की जा सके। नि.प्रा. खातों के अनुसार वास्तविक बिक्री की गणना/निर्धारण कर सकते हैं।

चूँकि पीडीएस के माध्यम से किए गए विक्रय का 40 प्रतिशत स्थानीय क्रय से था, इसलिए प्रावधानों के अनुसार स्थानीय क्रय के 40 प्रतिशत पर आईटीआर स्वीकार्य नहीं था। इस प्रकार, पीडीएस के माध्यम से विक्रय की अनदेखी करके संपूर्ण स्थानीय क्रय पर नि.प्रा. द्वारा आईटीआर की त्रुटिपूर्ण अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 6.03 करोड़⁴² का अतिरिक्त आईटीआर दिया गया।

इस ओर ध्यान दिलाने पर नि.प्रा. ने कहा कि अभिलेखों के सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

फरवरी 2021 में प्रकरणों को वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन को अग्रेषित किया गया था।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जून 2022) में कहा कि प्रकरण की वर्तमान स्थिति से यथा समय लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

इस संबंध में आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी गई थी (सितंबर 2022)।

2.6.11 इनपुट कर रिबेट (आईटीआर) से संबंधित मुद्दे

एमपी वैट अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यवसायी, कुछ शर्तों⁴³ को पूरा करने पर, इनपुट कर में से इनपुट कर छूट का दावा कर सकेगा या यह उसको अनुमत होगा। इसके अतिरिक्त, यदि बिल, चालान, या कैश मेमोरेंडम में विक्रय करने वाले पंजीकृत व्यवसायी द्वारा एकत्रित कर की राशि और क्रय करने वाले पंजीकृत व्यवसायी⁴⁴ के टिन को अलग से इंगित नहीं किया जाता है, तो कोई इनपुट कर छूट का दावा नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी।

आईटीआर से संबंधित मुद्दों पर बाद की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.6.11.1 प्रावधान के विरुद्ध अतिरिक्त आईटीआर मान्य करना

33 चयनित कार्यालयों में चयनित 14,662 निर्धारण अभिलेखों की नमूना-जाँच से ज्ञात हुआ कि 13 कार्यालयों में 38 प्रकरणों में नि.प्रा. ने नीचे तालिका 2.10 में दर्शाये गए विवरण के अनुसार अधिक आईटीआर की अनुमति दी:

तालिका 2.10: अतिरिक्त आईटीआर मान्य किए जाने का विवरण

सं. क्र.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण श्रेणियाँ (सारांश)	लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	धारा 26ए के अंतर्गत अधिसूचित माल (सोयाबीन, सरसों, आदि) आईटीआर के लिए पात्र नहीं हैं। नि.प्रा. ने धारा 26ए में अधिसूचित माल के क्रय पर अपात्र आईटीआर दावों की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप कम निर्धारण हुआ।	03	0.33
2.	धारा 14(1)(ए)(1ए) के अनुसार वास्तविक स्थानीय विक्रय या देय सीएसटी (अंतर-राज्यीय विक्रय) पर, जो भी कम हो, आईटीआर का दावा/अनुमति दी जा सकती है। नि.प्रा. ने व्यवसायियों को अंतरराज्यीय विक्रय (केवल देय सीएसटी की अनुमति देने के बजाय) पर पूर्ण आईटीआर का दावा करने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप आईटीआर की अधिक छूट हुई।	11	0.42
3.	कार्य संविदा के प्रकरण में, संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री आईटीआर के लिए पात्र हैं। नि.प्रा. ने काम करने वाले ठेकेदारों को मशीनरी, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स आदि की क्रय पर आईटीआर की अनुमति दी, भले ही इस तरह के आईटीआर दावे को अस्वीकृत किया जाना था।	02	0.48

⁴² ₹ 1,07,76,30,510 का 40 प्रतिशत = ₹ 43,10,52,204। ₹ 43,10,52,204 पर 14 प्रतिशत की दर से आईटीआर दावा = ₹ 6,03,47,309।

⁴³ यदि कोई पंजीकृत व्यवसायी मध्य प्रदेश राज्य के भीतर, अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किसी अन्य ऐसे व्यवसायी से इनपुट कर के भुगतान के बाद, उक्त अनुसूची के भाग 2 और भाग 3 (ए) में निर्दिष्ट माल के अतिरिक्त कोई भी माल खरीदता है, तो वह इनपुट कर की राशि का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी की विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

⁴⁴ एमपी वैट अधिनियम के नियम 9 के अंतर्गत।

सं. क्र.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण श्रेणियाँ (सारांश)	लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	मूल्य
4.	धारा 14(1) के अनुसार, निर्माता कच्चे माल, मशीनरी और पैकिंग सामग्री सहित निर्माण में उपयोग के लिए क्रय किये गए माल पर आईटीआर का दावा कर सकते हैं। नि.प्रा. ने अपात्र वस्तुओं जैसे वेब्रिज, कार, फर्नीचर, आंतरिक सजावट आदि की खरीद पर आईटीआर की अनुमति दी।	04	0.08
5.	अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त 2007 के अनुसार, भवन निर्माण सामग्री और कार्यालय उपकरण जैसे सामानों पर आईटीआर की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, आईटीआर की अनुमति केवल क्रय पर है। नि.प्रा. ने भवन निर्माण सामग्री और कार्यालय उपकरण की खरीद पर त्रुटिपूर्ण तरीके से आईटीआर की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप कम निर्धारण हुआ।	04	0.17
6.	एमपी वेट अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत, ₹ एक करोड़ से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करने होते हैं। नि.प्रा. ने आईटीआर दावों की अनुमति देते समय, लेखापरीक्षित खातों के आधार पर व्यवसायियों द्वारा की गई वास्तविक क्रय/क्रय-वापसी पर विचार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप क्रय/क्रय-वापसी पर आईटीआर अधिक दिया गया।	06	0.14
7.	30 जून 2017 को समाप्त तिमाही के लिए एक व्यवसायी ने मशीनरी के क्रय पर आईटीआर का दावा किया। हालांकि क्रय अक्टूबर 2017 के बाद किया गया था (जब वेट लागू नहीं था) यानी लेन-देन की अवधि के बाद और इसलिए अनुमति नहीं दी जानी थी, नि.प्रा. ने इसकी अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप अस्वीकार्य दावा और कम निर्धारण हुआ।	01	0.04
8.	<ul style="list-style-type: none"> तीन प्रकरणों में नि.प्रा. ने कर-मुक्त माल के निर्माण पर अंतर दर के बजाय आईटीआर के पूर्ण दावे की त्रुटिपूर्ण अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप आईटीआर की अधिक छूट मिली। पेट्रोल/डीजल के वाष्पीकरण के नुकसान पर आईटीआर की अनुमति नहीं है। तीन प्रकरणों में नि.प्रा. ने वाष्पीकरण हानि पर आईटीआर घटक की त्रुटिपूर्ण गणना की, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसायियों को अनुचित लाभ हुआ। यदि माल नहीं बेचा गया है तो पूर्ण आईटीआर की अनुमति नहीं है (विक्रय के अन्यथा माल के निपटान के संदर्भ में)। एक प्रकरण में नि.प्रा. ने इसकी अनुमति दी। 	07	0.20
योग		38	1.86

अपात्र होने के बावजूद आईटीआर की अनुमति देने में नि.प्रा. की अनियमित कार्यवाही के परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रकरणों में ₹ 1.86 करोड़ की राशि के कर की कम वसूली हुई। विवरण **परिशिष्ट 2.26 (क)** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त प्रकरणों में नि.प्रा. ने अधिक/त्रुटिपूर्ण आईटीआर की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.86 करोड़ के कर की कम करोड़ वसूली हुई।

इन्हें इंगित किए जाने पर (जुलाई 2021 से नवंबर 2021), नि.प्रा. ने कहा (जुलाई 2021 से नवंबर 2021) कि प्रकरणों का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी गई है (सितंबर 2022)।

फरवरी 2022 में प्रकरणों को वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन को अग्रेषित किया गया। विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जून 2022) में कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति वाले प्रकरण समीक्षाधीन हैं और प्रकरण को फिर से खोलने के लिए पाँच कैलेंडर वर्ष की अवधि उपलब्ध है।

तथ्य यह है कि विभाग निर्गम सम्मेलन (जून 2022) तक लेखापरीक्षा आपत्ति प्रकरणों की किसी भी वसूली को अंतिम रूप नहीं दे सका।

2.6.11.2 उचित सत्यापन के बिना इनपुट कर छूट की अनुमति

33 चयनित कार्यालयों में नमूना 14,662 प्रकरणों के निर्धारण अभिलेखों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि 08 कार्यालयों से जुड़े 19 प्रकरणों में व्यवसायियों द्वारा किए गए आईटीआर दावों में अनियमितताएं थीं जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- 13 प्रकरणों में व्यवसायियों द्वारा आईटीआर का दावा करने के लिए जमा किए गए क्रय बिल में क्रेता का टिन नंबर नहीं दर्शाया गया था या क्रय का प्रमाण उपलब्ध नहीं था या अंतर-राज्यीय क्रय पर आईटीआर का दावा किया गया था। इस प्रकार, इनवॉइस की अवहेलना की जानी थी और एमपी वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आईटीआर की अनुमति दी जानी थी।
- चार प्रकरणों में व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत क्रय विवरण संबंधित विक्रेता व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विक्रय विवरण से मेल नहीं खाता। नि.प्रा. ने इसे ध्यान में नहीं रखा, परिणामस्वरूप अधिक आईटीआर मान्य किया गया।
- दो प्रकरणों में पिछली तिमाहियों/कर-अवधियों से आईटीआर का अधिक अग्रेषण हुआ जिसके परिणामस्वरूप व्यवसायियों को अनुचित लाभ दर्शाया गया।

नि.प्रा. उपरोक्त सभी प्रकरणों में, आईटीआर दावों की शुद्धता का पता लगाने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.73 करोड़ का आईटीआर त्रुटिपूर्ण रूप से दिया गया और उस सीमा तक कम निर्धारण हुआ। विवरण परिशिष्ट 2.26 (ब) में दर्शाया गया है।

इन्हें इंगित किए जाने पर (जुलाई 2021 से नवंबर 2021), नि.प्रा. ने कहा (जुलाई 2021 से नवंबर 2021) कि प्रकरणों का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी। फरवरी 2022 में प्रकरणों को वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन को अग्रेषित किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति से सूचित नहीं किया गया है (सितंबर 2022)।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जून 2022) में कहा कि केवल फॉर्म-75 में बेमेल के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आईटीआर स्वीकार्य नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस श्रेणी के अंतर्गत फॉर्म-75 बेमेल के केवल कुछ प्रकरणों को लिया गया है जहाँ अंतर अधिक था और शेष प्रकरण अन्य श्रेणियों के हैं जैसे क्रय बिल पर क्रेता के टीआईएन का उल्लेख नहीं किया जाना, जो कि एमपी वैट अधिनियम की धारा 14(6)(x) के अनुसार आवश्यक है।

2.6.12 निष्कर्ष

वाणिज्यिक कर विभाग की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभाग ने सामान्य रूप से संबंधित अधिनियम/नियमों के प्रावधान का अनुपालन किया था। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न दृष्टांत इंगित किए गए जहाँ नि.प्रा. ने व्यवसायियों के सही कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करने में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था, स्वीकार्य के विरुद्ध अत्याधिक इनपुट कर छूट की अनुमति दी अथवा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नहीं/कम लगाया था।

अध्याय III
खनिज साधन विभाग

अध्याय III खनिज साधन विभाग

3.1 "मध्य प्रदेश में जिला खनिज प्रतिष्ठानों की निधियों के प्रशासन और उपयोग" पर अनुपालन लेखापरीक्षा

सारांश

राज्य में कुल 51 जिला खनिज कार्यालय (डीएमओ) हैं और इन जिलों में राज्य सरकार द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) स्थापित किए गए हैं। राज्य के इन 51 जिला खनिज कार्यालयों में से 22 जिलों में मुख्य खनिज पाए जाते हैं। इन 22 में से लेखापरीक्षा में नौ इकाईयों के साथ एक शीर्ष इकाई अर्थात् संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म (डीजी एंड एम) को सम्मिलित किया गया था। इन नौ इकाईयों और एक शीर्ष इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित प्रेक्षण देखे गए:—

- मंडल और कार्यकारी समितियों की बैठकों के नियमित संचालन से संबंधित प्रशासनिक प्रावधानों का पालन न करना, खनिज प्रभावित क्षेत्र और प्रभावित लोगों की सूची और देय और भुगतान किए गए डीएमएफ निधि का रजिस्टर, जैसे मूलभूत अभिलेखों का रखरखाव न करना, चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा डीएमएफ के खातों की अनियमित लेखापरीक्षा, वेबसाइट में डीएमएफ गतिविधियों का प्रकटीकरण न करना आदि।
- डीएमएफ के निधि प्रबंधन में अनियमितताएं जैसे कि पट्टेदारों द्वारा डीएमएफ निधि में कम योगदान, विलंबित भुगतान पर ब्याज की वसूली न होना, डीएमएफ में निष्क्रिय पड़ी धनराशि, पात्र गतिविधियों पर असंगत व्यय करना, कार्य निष्पादन करने वाली संस्थाओं से अप्रयुक्त अग्रिम राशि की वसूली न करना आदि।
- डीएमएफ निधि से कार्य के निष्पादन में अनियमितताएं जैसे रॉयल्टी की कम कटौती, कार्य पूर्ण करने में देरी, गलत दर अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत, अनुचित सर्वेक्षण, ठेकेदारों/विक्रेताओं को किया गया अधिक भुगतान आदि।

इन उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों में कुल ₹206.21 करोड़ की राशि अंतर्निहित है।

3.1.1 प्रस्तावना

भारत में खनिज क्षेत्र, बड़े पैमाने पर स्थानीय क्षेत्र और खनिज क्षेत्रों के पास रहने वाली आबादी के कमजोर वर्गों को प्रभावित करता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये क्षेत्र और प्रभावित व्यक्ति अपने क्षेत्रों में खनिज संपदा से लाभान्वित हों और उनके जीवन स्तर के सुधार में सक्षम हों।

भारत सरकार ने खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में संशोधन किया (मार्च 2015) और एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को सक्षम करने के लिए एक नई धारा 9ब प्रविष्ट की। इसे खनिज से संबंधित कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) कहा जाएगा।

डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 8 के अनुसार संबंधित जिलों के डीएमएफ में अर्जित धन के उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) लागू की गई (सितंबर 2015) जिसका उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है। पीएमकेकेकेवाई के उद्देश्य थे (अ) खनिज प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करना (ब) खनिज जिलों में खनिज के दौरान और बाद में पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर, प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और (स) खनिज क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।

तदनुसार, मध्य प्रदेश शासन ने अधिसूचना (15 मई 2015) द्वारा खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित जिलों में 'डीएमएफ की स्थापना' की। तत्पश्चात् खनन पट्टा धारकों द्वारा डीएमएफ को किए जाने वाले भुगतान की संरचना, कार्यों और तरीके को विनियमित करने के लिए डीएमएफ नियम, 2016 भी बनाए गए (जुलाई 2016)।


इसके अलावा, खान मंत्रालय, भारत सरकार ने 12 जनवरी 2015 से डीएमएफ में योगदान की दर निर्धारित करते हुए खान और खनिज (जिला खनिज प्रतिष्ठान में योगदान) नियम, 2015 अधिसूचित (सितंबर 2015) किया। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश² (13 अक्टूबर 2017) के अनुसार कोयला और लिग्नाइट के अलावा अन्य खनिजों के प्रकरण में डीएमएफ निधि का योगदान 17 सितंबर 2015 से और कोयला, लिग्नाइट और रेत के प्रकरण में 20 अक्टूबर 2015 से वसूली योग्य था।

डीएमएफ नियमों के अलावा राज्य सरकार ने रेत खनन से डीएमएफ में योगदान के लिए मध्य प्रदेश रेत नियम, 2018 और मध्य प्रदेश (खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार) नियम, 2019 भी बनाए हैं। इस उद्देश्य के लिए तदनुसार एक अलग रेत डीएमएफ³ बनाया गया था जिसे संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रशासित किया गया था।

3.1.2 डीएमएफ की संगठनात्मक संरचना

जिला खनिज प्रतिष्ठान की प्रशासनिक संरचना डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 5 और 7 के अनुसार शासित होता है। जिला खनिज प्रतिष्ठान के लिए दो स्तरीय प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता होती है जिसमें न्यास मंडल और प्रतिष्ठान की कार्यकारी समिति सम्मिलित होती है। प्रतिष्ठान का प्रशासनिक संरचना नीचे चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.1: जिला खनिज प्रतिष्ठान की प्रशासनिक संरचना



डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 6 और 7(2) के अनुसार, प्रतिष्ठान के प्रबंधन और कार्य प्रणाली पर समग्र नियंत्रण न्यासी मंडल में निहित है, जबकि दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। न्यासी मंडल की कुछ प्रमुख भूमिकाओं में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण, पाँच वर्ष के लिए परिप्रेक्ष्य योजना की सिफारिश करना, वार्षिक योजनाओं और बजटों को अनुमोदन करना, प्रतिष्ठान के उचित कामकाज की निगरानी करना आदि सम्मिलित हैं। कार्यकारी समिति की प्रमुख

¹ जनवरी 2021 से राज्य के सभी जिलों में डीएमएफ की स्थापना की गई है।

² माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 2016 का स्थानांतरित (सिविल) प्रकरण नं. 43 दिनांक 13 अक्टूबर 2017।

³ रेत डीएमएफ (रेत खनन से) में एकत्रित धन को अलग से प्रबंधित किया जाता है और धन को मुख्य डीएमएफ से अलग से उपयोग किया जाता है। डीएमएफ और रेत डीएमएफ दोनों के संचालन का तरीका समान रहता है।

भूमिकाओं में परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, लेखा संधारण करना, कार्यों की प्रगति और निष्पादन का पर्यवेक्षण करना, वार्षिक बजट और कार्य योजना तैयार करना, लेखा और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आदि सहित वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सम्मिलित है।

उपरोक्त के अलावा, डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 13(2)(ई) के तहत, सभी डीएमएफ अपने वार्षिक उपार्जन का निर्धारित प्रतिशत राज्य खनिज निधि (एसएमएफ) को हस्तांतरित करेंगे, जो एक समिति द्वारा शासित होगा जिसका गठन डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 14 के तहत किया गया है तथा इसकी अध्यक्षता वित्त विभाग के प्रमुख सचिव करते हैं और इसमें मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव सम्मिलित होते हैं।

3.1.3 डीएमएफ निधि की प्राप्ति और व्यय की प्रवृत्ति

डीएमएफ, 2016 के नियम 8 के अनुसार, प्रतिष्ठान की निधि में (अ) मुख्य खनिज पट्टों के पट्टेदारों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर भुगतान (ब) अन्य डीएमएफ से हस्तांतरित कोई भी निधि (स) सभी ब्याज सहित प्राप्तियाँ और आय (द) संस्था के किसी व्यक्ति से प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान, यदि कोई हो (इ) राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के साथ ऋण/अनुदान और बजटीय हस्तांतरण सम्मिलित होंगे।

मार्च 2021 तक 22 जिलों की कुल प्राप्ति, डीएमएफ के व्यय और राज्य खनिज निधि में हस्तांतरण का विवरण नीचे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.1: मध्य प्रदेश के 22 जिलों (रित डीएमएफ को छोड़कर) के चयनित नमूने के संबंध में कुल प्राप्ति, डीएमएफ के व्यय और एसएमएफ को हस्तांतरण का विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान डीएमएफ निधि में कुल प्राप्ति	एसएमएफ को हस्तांतरित कुल निधि	कुल उपलब्ध डीएमएफ निधि	डीएमएफ के माध्यम से व्यय	वर्ष के अंत में अप्रयुक्त डीएमएफ निधि
2018-19 ⁴ तक	2,243.07	703.93	1,539.14	534.41	1,004.73
2019-20	795.69	255.41	540.28	371.97	168.31
2020-21	821.23	547.49	273.74	256.90	16.84
योग	3,859.99	1,506.83	2,353.16	1,163.28	1,189.88

(₹ करोड़ में)

स्रोत: संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से संकलित जानकारी।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि डीएमएफ निधि में कुल प्राप्तियों में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में 3.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, हालांकि इसी अवधि के दौरान निधि से होने वाले व्यय में 30.94 प्रतिशत की कमी आई थी। साथ ही, 31 मार्च 2021 तक कुल उपलब्ध डीएमएफ निधि ₹ 2,353.16 करोड़ में से केवल ₹ 1,163.28 करोड़ यानी 49.43 प्रतिशत व्यय किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 को ₹ 1,189.88 करोड़ डीएमएफ निधि अप्रयुक्त पड़ी रही।

3.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से की गयी थी कि क्या:

- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डीएमएफ नियमों के अनुसार योजनाएँ तैयार की गईं;
- डीएमएफ का वित्तीय प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था; तथा
- नियोजित कार्यों/गतिविधियों को समय पर और साथ ही प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया और उनके निष्पादन की उचित निगरानी की गई।

⁴ विभाग वर्ष 2018-19 से संबंधित पुष्ट आँकड़े उपलब्ध नहीं करा सका।

3.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957;
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015;
- खान और खनिज (जिला खनिज प्रतिष्ठान में योगदान) नियम, 2015;
- मध्य प्रदेश डीएमएफ नियम, 2016;
- मध्य प्रदेश रेत नियम, 2018 और 2019;
- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के दिशा निर्देश;
- मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम 2015; तथा
- केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाएं और परिपत्र।

3.1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

राज्य में कुल 51 जिला खनन कार्यालय (डीएमओ) हैं और डीएमएफ नियम, 2016 के तहत इन सभी जिलों में राज्य सरकार द्वारा डीएमएफ की स्थापना की गई है। चूंकि डीएमएफ निधि के योगदान के संबंध में गौण खनिजों पर रेत को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2021 तक कोई नियम नहीं बनाया गया था अतः डीएमएफ निधि के संग्रहण का मुख्य स्रोत मुख्य खनिजों से था। राज्य के इन 51 जिलों में से मुख्य खनिज 22 जिलों में पाए जाते हैं। इसलिए, मुख्य खनिजों से डीएमएफ प्राप्तियों के संबंध में लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र 22 जिलों में था। इन 22⁷ में से एक शीर्ष इकाई अर्थात् संचालनालय भौमिक तथा खनिकर्म (डीजीएंडएम) के साथ-साथ डीएमएफ निधि के उच्च प्राप्तियों वाली नौ⁸ इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। इकाइयों का चयन रैंडम सैम्पलिंग पद्धति के माध्यम से इकाइयों की वित्तीय महत्ता के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा सितंबर 2021 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान आयोजित की गई थी जिसमें इन चयनित जिलों में डीएमएफ निधि के संग्रह, प्रशासन और व्यय के साथ-साथ पीएमकेकेकेवाई के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की जाँच के लिए 2018-19 से 2020-21 तक पिछले तीन वर्षों की अवधि सम्मिलित थी।

निर्गम सम्मेलन सितंबर 2022 को विभाग के साथ आयोजित किया गया था।

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश लेखापरीक्षा के दौरान खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

3.1.7 प्रशासनिक प्रक्रियाओं/बैठकों/लेखों/अभिलेखों के गैर-रखरखाव आदि के गैर-अनुपालन के संबंध में सामान्य निष्कर्ष

3.1.7.1 मंडलों और कार्यकारी समितियों की बैठक

डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 5(4) के अनुसार, मंडल की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार होगी, और दो बैठकों के बीच का अंतराल आठ माह से अधिक नहीं होगा और डीएमएफ नियम, 2016 का नियम 7(3), यह निर्धारित करता है कि यदि अपेक्षित हो, प्रत्येक तिमाही में कार्यकारी समिति की कम से कम एक या एक से अधिक बैठक होगी।

⁵ "गौण खनिज" का अर्थ है पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, साधारण रेत, निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली रेत के अलावा, और कोई अन्य खनिज जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक लघु खनिज घोषित कर सकती है।

⁶ मुख्य खनिज वे हैं जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) में संलग्न पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं और सामान्य प्रमुख खनिज लिग्नाइट, कोयला, यूरेनियम, लौह अयस्क, सोना आदि हैं। यह नोट किया जा सकता है कि एमएमडीआर अधिनियम में "मुख्य खनिजों" की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है।

⁷ अलीराजपुर, अनूपपुर, बैतूल, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और उमरिया।

⁸ अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, कटनी, नीमच, सतना, शहडोल और सिंगरौली।

नौ चयनित डीएमएफ के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान, हमने देखा कि लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाले तीन वर्षों के दौरान डीएमएफ की 54 आवश्यक बैठकों के विरुद्ध मंडल की केवल 18 बैठकें आयोजित की गईं और 108 बैठकों के विरुद्ध कार्यकारी समिति की 33 बैठकें आयोजित की गईं।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में स्पष्ट किया कि डीएमएफ के शासी और कार्यकारी निकाय के हिस्से के रूप में प्रभारी मंत्री की नियुक्ति न होने के कारण बैठक नहीं हो सकी।

तथ्य यह है कि नियमित अंतराल पर बैठक का आयोजन न करना प्रतिष्ठान के प्रबंधन और कार्यप्रणाली पर समग्र नियंत्रण में कमजोरी का संकेत है। इसके परिणामस्वरूप डीएमएफ के तहत योजनाओं का अप्रभावी कार्यान्वयन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप परिप्रेक्ष्य योजना तैयार न होना, निष्पादन में विलम्ब आदि हुआ है जैसा कि उत्तरवर्ती कंडिकाओं में बताया गया है।

3.1.7.2 मंडलों और कार्यकारी समिति की अनुचित कार्यपद्धति

डीएमएफ नियम, 2016 के नियम (6) के अनुसार, प्रतिष्ठान के प्रबंधन और कार्यकरण पर, राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों या निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए मंडल का समग्र नियंत्रण होगा और पीएमकेकेकेवाई की मार्गदर्शिका के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण, पाँच वर्ष के लिए परिप्रेक्ष्य योजना की अनुशंसा, वार्षिक वित्तीय विवरणों का अनुमोदन और प्रतिष्ठान के उचित कामकाज की निगरानी करने की शक्तियां होंगी।

इसके अतिरिक्त, डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 11 के अनुपालन में प्रतिष्ठान की निधि का उपयोग पीएमकेकेकेवाई के प्रावधानों के अनुरूप गतिविधियों को करने और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना है। इसलिए, डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 7(2)(ए) और 7(2)(ई), कार्यकारी समिति को पाँच वर्ष के लिए परिप्रेक्ष्य योजना, वार्षिक बजट योजना और परिप्रेक्ष्य योजना के आधार पर कार्य योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी बनाते हैं।

नौ चयनित जिला खनिज अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान हमने देखा कि केवल पाँच⁹ जिला खनिज प्रतिष्ठान कार्यकारी समितियों ने परिप्रेक्ष्य योजनाएँ तैयार की थीं जिनकी अनुशंसा उनके संबंधित मंडलों द्वारा की गई थी। यह भी देखा गया कि कटनी में 10 कार्यों को डीएमएफ निधि के माध्यम से निष्पादित किया गया था लेकिन उन्हें परिप्रेक्ष्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था। सिंगरौली को छोड़कर किसी भी डीएमएफ द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। सिंगरौली में वर्ष 2018-19 और 2019-20 में वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई थी लेकिन मंडल द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया था। जबकि वर्ष 2020-21 में न तो वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई और न ही इसे मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। यह भी देखा गया कि किसी भी डीएमएफ ने वार्षिक बजट तैयार नहीं किया था। अतः परिप्रेक्ष्य योजना, वार्षिक कार्य योजना एवं वार्षिक बजट तैयार न होने के कारण खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु उपलब्ध धनराशि का समुचित उपयोग नहीं हो सका।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में विभाग ने प्रकरण को आगे देखने का आश्वासन दिया।

3.1.7.3 खनन प्रभावित क्षेत्र एवं प्रभावित व्यक्तियों की सूची तैयार न करना

डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 12(3) और 12(4) के अनुसार डीएमएफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों और प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसका संधारण करेगा।

नौ चयनित जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान यह पाया गया कि डीएमएफ सतना को छोड़कर किसी भी डीएमएफ ने खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की डीएमएफ नियम के अनुसार सूची तैयार नहीं की थी। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि डीएमएफ सतना में

⁹ अनूपपुर, बालाघाट, कटनी, नीमच और सिंगरौली।

₹ 21.02 करोड़ की राशि के 39 कार्यों को उन क्षेत्रों में स्वीकृत किया गया था जो खनन प्रभावित नहीं थे। यह डीएमएफ नियम, 2016 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में विभाग ने उत्तर दिया कि पीएमकेकेकेवाई राज्य दिशानिर्देशों (25 अगस्त 2022) में हाल ही में बदलाव हुए हैं और नए दिशानिर्देशों के अनुसार, पूरे राज्य को सीधे प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अगस्त 2022 में ही पूरे राज्य की पहचान सीधे प्रभावित क्षेत्र के रूप में की गई थी। हालांकि, खनन प्रभावित क्षेत्र और प्रभावित व्यक्तियों की सूची तैयार करने और इसे संधारित करने का प्रावधान 2016 में डीएमएफ नियम के अधिनियमन होने से लागू था।

3.1.7.4 देय और भुगतान की गई राशि का रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना

डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 20(2) के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जो रॉयल्टी संग्रहण के लिए अधिकृत है वह प्रत्येक पट्टेदार द्वारा देय और भुगतान की गई राशि का एक रजिस्टर रखेगा और प्रत्येक माह के अंत में समिति के सदस्य सचिव को मासिक समेकित विवरण प्रस्तुत करेगा।

जिला खनिज अधिकारी सिंगरौली एवं नीमच को छोड़कर सात¹⁰ जिला खनिज अधिकारियों ने देय एवं भुगतान की गई राशि का रजिस्टर संधारित नहीं किया था। साथ ही, उन्होंने प्रत्येक माह के अंत में समिति के सदस्य सचिव को समेकित विवरण नहीं भेजा। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में निर्धारण नहीं किया जा सका कि डीएमएफ की कितनी राशि का भुगतान किया जाना था और पट्टेदारों द्वारा वास्तव में कितना भुगतान किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में विभाग ने प्रकरण को आगे देखने का आश्वासन दिया।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

3.1.7.5 चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखे संपरीक्षित नहीं किया जाना

डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 17 में प्रावधान है कि डीएमएफ के लेखे ऐसी लेखा प्रक्रिया के अनुसार संधारित किये जाएंगे जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। डीएमएफ के लेखे खाते प्रत्येक वर्ष मंडल द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य तरीके से संपरीक्षित किये जायेंगे, और इसका प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन के साथ जन सामान्य के समक्ष रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 22 नमूना-जाँच किए गए डीएमएफ (जिन्हें प्रत्येक वर्ष संपरीक्षित किया जाना आवश्यक था) के संबंध में, 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान क्रमशः 10, 14 और 18 संपरीक्षण की कमी थी। इसके अलावा, नौ चयनित डीएमएफ में से, केवल पाँच डीएमएफ अर्थात् सिंगरौली, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट का वर्ष 2018-19 में संपरीक्षण किया गया था और वर्ष 2019-20 में केवल दो डीएमओ अर्थात् बैतूल और अनूपपुर का संपरीक्षण किया गया था। वर्ष 2020-21 के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा किसी भी चयनित डीएमओ का संपरीक्षण नहीं किया गया था। इंगित किये जाने पर, डीजीएंडएम, भोपाल ने बताया (सितम्बर 2021) कि कई जिलों में संपरीक्षण की प्रक्रिया चल रही थी।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में विभाग ने प्रकरण को आगे देखने का आश्वासन दिया।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

3.1.7.6 डीएमएफ द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया जाना

डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 18(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर, कार्यकारी समिति संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और उसे मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त, डीएमएफ नियम, 2016

¹⁰ अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, कटनी, सतना और शहडोल।

के नियम 18(2) में प्रावधान है कि यह प्रतिवेदन मंडल द्वारा इसके अनुमोदन की तिथि से एक माह के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और डीएमएफ की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 18(3) के अनुसार खनन विभाग द्वारा प्रत्येक प्रतिष्ठान का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

नौ चयनित जिला खनिज अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान यह पाया गया कि सतना को छोड़कर, आठ¹¹ जिला खनिज प्रतिष्ठानों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया, लेकिन उनका वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष नहीं रखा गया। यह भी देखा गया कि शहडोल और बैतूल के डीएमएफ में कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत कार्यों और गतिविधियों के बारे में जानकारी से वंचित थी।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में विभाग ने प्रकरण को आगे देखने का आश्वासन दिया।

3.1.7.7 सूचना की पारदर्शिता का अनुरक्षण नहीं किया जाना

डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 19 के अनुसार, प्रत्येक डीएमएफ एक वेबसाइट तैयार और उसका अनुरक्षण करेगा, जिस पर डीएमएफ की संरचना, क्षेत्र की सूची और खनन से प्रभावित व्यक्तियों की सूची, पट्टेदारों और अन्य से प्राप्त अंशदानों का तिमाही विवरण, सभी बैठकों का एजेंडा, कार्यवाही विवरण कार्यवाही प्रतिवेदन (एटीआर), वार्षिक योजनाएं, बजट, कार्य आदेश, वार्षिक प्रतिवेदन, किये जा रहे कार्यों की ऑनलाइन स्थिति, विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्वैच्छिक प्रकटीकरण की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी और अद्यतन रूप में संधारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, एक वेबसाइट (www.dmfmp.org) विकसित¹² की जानी थी जिसमें उपर्युक्त जानकारी को संधारित किया जाना था और तदनुसार अद्यतन किया जाना था।

नौ चयनित जिला खनिज कार्यालयों एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान हमने पाया कि वर्तमान में (सितम्बर 2022) ऐसी कोई वेबसाइट अस्तित्व में नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन में विभाग (सितंबर 2022) ने बताया कि राज्य ने 2017 में डीएमएफ पोर्टल (<https://www.dmfmp.org.in>) बनाया था, लेकिन इसे भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था और राज्यों को एक नए पोर्टल (<https://mines.gov.in>) पर डीएमएफ का विवरण अद्यतन करने के लिए कहा गया था। चूंकि राज्य का पोर्टल निष्क्रिय है अतः डीएमएफ से संबंधित सभी जानकारी भारत सरकार के पोर्टल (<https://mines.gov.in>) पर अपलोड की जाती है। खान विभाग मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MAPIT) की सहायता से एक राज्य डीएमएफ पोर्टल विकसित कर रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- यह इंगित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि भारत सरकार ने राज्यों को अपने स्वयं के पोर्टलों को रद्द करने के लिए कहा था। इसके अलावा, अधिकांश प्रमुख खनन राज्य जैसे छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान आदि ने अपने स्वयं के राज्य के पोर्टल को संचालित करना जारी रखा है।
- भारत सरकार का पोर्टल (<https://mines.gov.in>) केवल राज्य की सामान्य जानकारी दर्शाता है और डीएमएफ से समस्त संबंधित जानकारी नहीं दर्शाता है। इसलिए, डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 19 के तहत आवश्यक निर्धारित सूचना को किसी भी पोर्टल में प्रकट नहीं किया गया।

¹¹ अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिदवाड़ा, कटनी, नीमच, शहडोल और सिंगरौली।

¹² डीएमएफ नियम, 2016 के प्रावधान के बिंदु संख्या 5 के माध्यम से खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या एफ-19-5/2015/1212 दिनांक 19 मई 2017 के अनुपालन में।

3.1.8 डीएमएफ और एसएमएफ के निधि प्रबंधन में अनियमितताएं

डीएमएफ के प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन में डीएमएफ में कम अंशदान, डीएमएफ में किए गए अंशदान को व्यय करने में विफलता, रेत से डीएमएफ अंशदान का उपयोग न करना, डीएमएफ से व्यय निर्दिष्ट अनुपात के अनुसार नहीं किया जाना, कार्य निष्पादन एजेंसियों से अप्रयुक्त राशि की वसूली न होना आदि की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है। कमियों के इन दृष्टांत में कुल मिलाकर ₹ 206.21 करोड़ की राशि अंतर्निहित है।

3.1.8.1 डीएमएफ निधि में अंशदान में कमी/देरी

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 सितंबर 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रमुख खनिज के संबंध में डीएमएफ को किये जाने वाले अंशदान की राशि 12 जनवरी 2015 से पहले खनन पट्टों के संबंध में भुगतान की गई रॉयल्टी का 30 प्रतिशत और 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद दिए गए खनन पट्टों या पूर्वक्षण लाइसेंस-सह खनन पट्टों के संबंध में भुगतान की गई रॉयल्टी का 10 प्रतिशत होगी।

इसके अलावा, डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 10(3) में प्रावधान है कि मुख्य खनिज के सभी पट्टेदार प्रतिष्ठान में उसी आवृत्ति में अपेक्षित भुगतान करेंगे जिस अनुक्रम में राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। डीएमएफ को आवश्यक भुगतान का समय पर भुगतान करने में विफलता के प्रकरण में, डीएमएफ नियम 2016 के नियम 10(3) के अनुसार, पट्टेदार, प्रतिष्ठान को इस प्रकार देय मूल रकम के अतिरिक्त, विलम्ब अवधि के लिए 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

चयनित नौ जिला खनिज अधिकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने चार¹³ में पाया (अगस्त और दिसंबर 2021 के बीच) कि 13 पट्टेदार डीएमएफ निधि में राशि ₹ 285.67 करोड़ का अंशदान करने के लिए उत्तरदायी थे लेकिन वे केवल ₹ 210.51 करोड़ का भुगतान कर सके। इसके परिणामस्वरूप डीएमएफ निधि में ₹ 75.16 करोड़ का अंशदान कम हुआ, जिस पर ₹ 47.23 करोड़ की राशि का ब्याज भी आरोपणीय था। विवरण **परिशिष्ट 3.1(i)** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि डीएमओ सिंगरौली में एक पट्टेदार (मैसर्स सासन पावर लिमिटेड) के संबंध में डीएमएफ निधि अंशदान में एक से 10 माह तक विलंब था। इस विलम्ब पर उदग्रहणीय कुल ब्याज ₹ 10.35 करोड़ की वसूली नहीं हुई। विवरण **परिशिष्ट 3.1 (ii)** में दर्शाया गया है।

कोयले के ग्रेड के गलत वर्गीकरण के कारण डीएमएफ का कम भुगतान/गणना

कोयले पर रॉयल्टी कोयले की यथामूल्य दर¹⁴ (कोयले के विभिन्न ग्रेड के आधार पर) के 14 प्रतिशत पर तय की गई है।

एक पट्टेदार (मैसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड) के पास डीएमओ अनूपपुर के अंतर्गत बरत्राई और अमदंड में खदानें हैं। कोयले के उत्पादन और प्रेषण के संबंध में पट्टेदार द्वारा दायर मासिक विवरणी से पता चला कि जनवरी 2018 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान पट्टेदार ने 30.40 लाख मीट्रिक टन (जी3, जी6, जी7, जी8 और जी9 ग्रेड) कोयले को अपने रेलवे डिस्पैच स्टोरेज (अनूपपुर रेलवे साइडिंग में स्थित मीरा खान) को हस्तांतरित किया। जिस पर ₹ 90.59 करोड़ की रॉयल्टी देय थी। अनूपपुर रेलवे साइडिंग में अपने भंडारण डिपो से कोयले को स्थानांतरित करते समय पट्टेदार ने विवरणी में कोयले के ग्रेड को डाउनग्रेड किया जिसके परिणामस्वरूप रॉयल्टी की कम गणना हुई। नतीजतन, ₹ 90.59 करोड़ की देय रॉयल्टी के विरुद्ध, पट्टेदार ने ₹ 49.67 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 40.92 करोड़ की रॉयल्टी एवं ₹ 12.28 करोड़ के डीएमएफ का कम भुगतान हुआ। विवरण **परिशिष्ट 3.1(iii)** में दर्शाया गया है। जिला खनिज अधिकारी, विवरणी प्रस्तुत करते समय इस पहलू की जाँच करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक सरकारी देय राशि का कम भुगतान हुआ।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) के दौरान कहा कि प्रकरण की जाँच की जाएगी। इस संबंध में और प्रगति की सूचना नहीं दी गई थी (सितंबर 2022)।

¹³ बालाघाट, छिंदवाड़ा, सतना और सिंगरौली।

¹⁴ कोयले के पिट हेड मूल्य में प्रासंगिक शुल्कों को जोड़ने के बाद अंतिम मूल्य निकाला गया।

इंगित किये जाने पर खनिज अधिकारी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिंगरौली एवं सतना ने बताया (सितम्बर से नवम्बर 2022) कि जाँच के बाद वसूली की कार्यवाही की जायेगी। निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में विभाग ने प्रकरण को आगे देखने का आश्वासन दिया।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

3.1.8.2 डीएमएफ में व्यर्थ पड़ी निधि

डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 11 के अनुसार डीएमएफ की धनराशि का उपयोग पीएमकेकेकेवाई के प्रावधानों के अनुसार गतिविधियों को करने और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अन्य विकास गतिविधियों के लिए किया जाना है।

कार्यालय डी.जी. एण्ड एम., भोपाल के निधि संबंधी अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान यह देखा गया कि :

- 31 मार्च 2021 तक 22 डीएमओ द्वारा डीएमएफ निधि में जमा किए गए ₹ 3,859.99 करोड़ में से ₹ 1,506.83 करोड़ एसएमएफ को हस्तांतरित किए गए। डीएमएफ से व्यय के लिए उपलब्ध ₹ 2,353.16 करोड़ में से मात्र ₹ 1,163.28 करोड़ व्यय किए गए। शेष ₹ 1,189.88 करोड़ व्यर्थ पड़े रहे जैसा कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है (सन्दर्भ कंडिका 3.1.3)।
- नौ जिला खनिज अधिकारियों¹⁵ की नमूना-जाँच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान डीएमएफ निधि में प्राप्त ₹ 1,068.48 करोड़ में से मात्र ₹ 583.41 करोड़ व्यय किए जा सके।
- वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने निदेशक, भूविज्ञान और खनन को ₹ 300 करोड़ की राशि बिना किसी मांग के डीएमएफ के तहत बुनियादी ढांचे के काम के लिए आवंटित की (मार्च 2020)। करीब 18 माह से इस राशि को न तो सरेंडर किया गया है और न ही व्यय किया गया है।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में विभाग ने स्पष्ट किया कि डीएमएफ के शासी और कार्यकारी निकाय के हिस्से के रूप में प्रभारी मंत्री की नियुक्ति न होने के कारण परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जा सकी। उन्होंने यह भी बताया कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार कलेक्टर को मण्डल का अध्यक्ष बनाया गया है और जिलों में वित्तीय मंजूरी के लिए वह जिम्मेदार होंगे।

तथ्य यह है कि डीएमएफ में निधियां व्यर्थ पड़ी हैं और खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोग पीएमकेकेकेवाई के संभावित लाभों से वंचित रह गए हैं। इसके बावजूद, मध्य प्रदेश सरकार ने बिना किसी उचित कारण के अतिरिक्त राशि आवंटित की। परिणामस्वरूप, राशि व्यर्थ पड़ी रही, भले ही खाते में धनराशि जमा होती रही।

3.1.8.3 रेत से प्राप्त डीएमएफ निधि अंशदान का उपयोग न करना

मध्य प्रदेश रेत नियम, 2018 के नियम 11 के अनुसार रेत खनिज अंशदान ₹ 50 प्रति घन मीटर की दर से अलग से डीएमएफ खाते में जमा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, रेत नियम, 2018 के नियम 12 के अनुसार, डीएमएफ में रेत खनन के तहत प्राप्तियों के लिए अधिसूचित बैंक में एक अलग खाता खोला जाना है और रेत खनिज से प्राप्त राशि का उपयोग सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव, नदी संरक्षण, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण आदि के लिए किया जाना है।

रेत से प्राप्त डीएमएफ में अंशदान, उसका व्यय और अनुपयोगी राशि का वर्षवार विवरण जैसा कि डी.जी. एण्ड एम., भोपाल एवं राज्य खनन निगम, भोपाल के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया था, का विस्तृत विवरण तालिका 3.2 में दर्शाया गया है:

¹⁵ अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, कटनी, निमच, सतना, शहडोल और सिंगरौली।

तालिका 3.2: रेत खनन से डीएमएफ अंशदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रेत से डीएमएफ अंशदान		योग	निधि से व्यय	शेष व्यर्थ पड़ी राशि
	डीजी एंड एम भोपाल द्वारा संग्रहित	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा संग्रहित			
2018-19	65.74	0	65.74	0	65.74
2019-20	80.23	38.25	118.48	0	118.48
2020-21	2.87	158.27	161.14	2.47	158.67
योग	148.84	196.52	345.36	2.47	342.89

स्रोत: डीजी एंड एम, भोपाल और मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान रेत से डीएमएफ में प्राप्त कुल ₹ 345.36 करोड़ में से, मात्र ₹ 2.47 करोड़ की राशि व्यय की जा सकी और शेष ₹ 342.89 करोड़ अप्रयुक्त रहे। यह भी पाया गया कि रेत नियम 2019 के तहत रेत खनिज से डीएमएफ में प्राप्त राशि से संबंधित अभिलेख निदेशालय, भोपाल द्वारा संधारित नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में विभाग (सितंबर 2022) ने बताया कि कैबिनेट के फैसले के कारण, रेत खनन से एकत्र किए गए डीएमएफ निधि को रेत नियम, 2018 के तहत संचित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि निधि व्यय करने के बारे में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं थे। लेकिन रेत नियमों में हाल ही में हुए बदलाव से राज्य द्वारा संचित निधि के तहत एकत्रित राशि को वित्त विभाग द्वारा खान विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

इस प्रकार, निर्देशों और स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका जिससे निधि का उद्देश्य विफल हो गया।

3.1.8.4 डीएमएफ से व्यय निर्दिष्ट अनुपात में न किया जाना

डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 13(1)(ए) के अनुसार, डीएमएफ निधि का कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों का कल्याण, वृद्ध और विकलांग लोगों का कल्याण, कौशल विकास और स्वच्छता जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाएगा और डीएमएफ नियम 2016 के नियम 13 (1)(बी) के अनुसार शेष 40 प्रतिशत का उपयोग अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे, सिंचाई, ऊर्जा, वाटरशेड विकास और खनन प्रभावित जिलों में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसी अन्य उपाय में किया जाएगा।

अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान, यह देखा गया कि डीएमएफ निधि से व्यय वस्तुतः ऊपर बताए अनुसार निर्दिष्ट अनुपात में नहीं था। वर्ष 2020-21 तक उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ₹ 999.05 करोड़ की राशि स्वीकृत की जानी थी, जिसके विरुद्ध ₹ 860.39 करोड़ स्वीकृत किए गए जिसके परिणामस्वरूप उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ₹ 138.66 करोड़ के अनुदान की कमी हुई। इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 तक, अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ₹ 666.03 करोड़ की राशि स्वीकृत की जानी थी जबकि ₹ 804.70 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 138.66 करोड़ की अधिक राशि स्वीकृत की गई थी। विवरण तालिका 3.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.3: डीएमएफ से उच्च और निम्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में राशि का आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृत राशि	राशि जो कि डीएमएफ से आबंटित की जानी थी		राशि जो कि डीएमएफ से आबंटित की गई		प्रतिशत में कम /अधिक आवंटन	
		उच्च प्राथमिकता क्षेत्र (60%)	अन्य क्षेत्र (40%)	उच्च प्राथमिकता क्षेत्र (60%)	अन्य क्षेत्र (40%)	उच्च प्राथमिकता क्षेत्र (60%)	अन्य क्षेत्र (40%)
2018-19 तक	951.84	571.10	380.74	515.05	436.79	(-)5.89	(+)5.89
2019-20	482.54	289.52	193.01	243.05	239.49	(-)9.63	(+)9.63
2020-21	230.71	138.43	92.28	102.29	128.42	(-)15.66	(+)15.66

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में लेखापरीक्षा द्वारा किए गए अवलोकन पर ध्यान दिया और आश्वासन दिया कि विभाग भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

3.1.8.5 कार्य निष्पादन एजेंसियों से अप्रयुक्त राशि की वसूली न होना

डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 16(1) के अनुसार प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदित कार्यों को शासकीय विभागों, अभिकरणों, पंचायतीराज संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से, जो ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, के द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

चयनित नौ जिला खनिज अधिकारियों के अभिलेखों की वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए नमूना-जाँच के दौरान यह पाया गया कि छः डीएमएफ¹⁶ में 25 पूर्ण कार्यों के संबंध में स्वीकृत राशि ₹ 42.16 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 32.96 करोड़ का ही उपयोग किया जा सका। इससे ₹ 9.20 करोड़ की राशि वसूली योग्य हुई। तथापि, इसके विरुद्ध मात्र ₹ 3.84 करोड़ की राशि वसूल कर डीएमएफ को वापस की गई। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न एजेंसियों के पास पड़ी ₹ 5.36 करोड़ की अप्रयुक्त राशि की वसूली नहीं हुई। विवरण परिशिष्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में आश्वासन दिया कि ऐसे प्रकरणों में विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा और इस संबंध में प्रगति की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाएगी।

तथ्य यह है कि अप्रयुक्त राशि विभिन्न कार्य निष्पादन एजेंसियों के पास पड़ी रही और डीएमएफ को अभी तक वापस नहीं की गई (सितंबर 2022)।

3.1.8.6 राज्य खनिज निधि में अंशदान का उपयोग न करना

डीजी एंड एम भोपाल के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान कुल ₹ 1,506.83 करोड़ एसएमएफ की राशि जमा की गई थी जिसमें से 31 मार्च 2021 तक केवल ₹ 461.49 करोड़ व्यय किए गए। इस प्रकार, इस अवधि के दौरान यद्यपि ₹ 1,045.34 करोड़ की राशि उपलब्ध थी फिर भी उपलब्ध निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए नहीं किया गया था। फलस्वरूप, एसएमएफ का उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूरा नहीं हो सका और खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोग पीएमकेकेकेवाई के लाभों से वंचित रह गए।

इसके अलावा, जैसा कि पहले की तालिका 3.1 में दर्शाया गया है मार्च 2021 की अवधि तक एसएमएफ से ₹ 1,506.83 करोड़ प्राप्त राशि के विरुद्ध केवल ₹ 461.49 करोड़ (31 प्रतिशत) व्यय किए हैं जबकि डीएमएफ द्वारा प्राप्त राशि (2018-19 से 2020-21 के बीच) ₹ 2,353.16 के विरुद्ध ₹ 1,163.28 राशि (49 प्रतिशत) व्यय किए हैं। यह स्पष्ट है कि एसएमएफ में हस्तांतरणीय राशि डीएमएफ के 50 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई है इसके बावजूद एसएमएफ के माध्यम से व्यय डीएमएफ की तुलना में कम है।

¹⁶ अनूपपुर, कटनी, नीमच, सतना, शहडोल और सिंगरौली।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में कहा कि प्रकरण वित्त विभाग से संबंधित है हालांकि विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा और इस संबंध में प्रगति की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाएगी।

इस प्रकार, अंतर विभागीय समन्वय की कमी और कई विभागों की भागीदारी के कारण एसएमएफ का उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूरा नहीं हो सका और खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोग पीएमकेकेकेवाई के लाभों से वंचित रहे।

3.1.9 डीएमएफ फंड से कार्य के निष्पादन से संबंधित अनियमितताएं

निर्माण और मरम्मत सम्बन्धी कार्यों में डीएमएफ नियमों के प्रावधान के उल्लंघन में किए गए कार्य, कार्य को पूरा करने में विलम्ब और डीएमएफ फंड के माध्यम से की गई खरीद आदि से संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई विभिन्न अनियमितताओं का विवरण निम्नलिखित कड़िकाओं में दर्शाया गया है:

3.1.9.1 निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में अनियमितताएं

डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 16(1) के अनुसार प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदित कार्यों को शासकीय विभागों, अभिकरणों, पंचायतीराज संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से, जो ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है, के द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के लिए नौ चयनित जिला खनन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा निष्पादित पाँच डीएमएफ¹⁷ के तहत 15 निर्माण और मरम्मत के कार्यों में विभिन्न अनियमितताओं जैसे रायल्टी की कम कटौती, कार्य पूर्ण करने में विलम्ब, मशीनरी के उपयोग न होने पर वसूली न होना, गलत दर अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत, अनुपयुक्त सर्वेक्षण, प्रयोगशाला का स्थापित न होना, तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती न होना, डीएमएफ से प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन के पूर्व कार्य का निष्पादन, वास्तविक स्थान के अन्यत्र कार्यों का निष्पादन, अवमानक कार्य का निष्पादन आदि को देखा, जिनकी राशि ₹ 4.40 करोड़ थी। संबंधित डीएमएफ द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा अवलोकन और उत्तरों का विवरण परिशिष्ट 3.3 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में विभाग ने प्रकरण को आगे देखने का आश्वासन दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि निष्पादित कार्य डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 13 में परिभाषित प्रावधान के तहत नहीं आते थे। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

3.1.9.2 डीएमएफ के माध्यम से निष्पादित कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब

डीएमएफ नियम, 2016 के नियम 16(1) के अनुसार प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदित कार्यों को शासकीय विभागों अभिकरणों, पंचायत राज संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से, जो ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है, के द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

अ. विलम्ब के साथ पूर्ण किए गए कार्य

वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के लिए नौ चयनित जिला खनन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान यह पाया गया कि 31 मार्च 2021 तक चार डीएमएफ¹⁸ में राशि ₹ 21.27 करोड़ के कार्यों का निष्पादन एवं पूर्णतः विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के पश्चात 3 से 34 माह के विलम्ब से किया गया। इन कार्यों के पूर्ण होने में देरी के कारण प्रभावित लोगों को पीएमकेकेकेवाई का समय पर लाभ नहीं मिल सका। विवरण परिशिष्ट 3.4(प) में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, डीएमओ कटनी में यह देखा गया कि किसी भी प्रशासनिक अनुमोदन में कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा परिभाषित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, विभाग संबंधित एजेंसियों पर कार्य पूर्ण होने में देरी के लिए जिम्मेदारी तय नहीं कर सका क्योंकि प्रशासनिक अनुमोदन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

¹⁷ बैतूल, छिदवाड़ा, कटनी, सतना और सिंगरौली।

¹⁸ बालाघाट, छिदवाड़ा, कटनी और सतना।

इस प्रकार, निष्पादन एजेंसियों की गतिविधियों/प्रगति की निगरानी करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप उस सीमा तक अनुचित विलंब हुआ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में विभाग ने प्रकरण को आगे देखने का आश्वासन दिया।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

ब. कार्य जो प्रारंभ हुए किंतु अपूर्ण रहे

सात डीएमआ¹⁹ में यह देखा गया कि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से ₹ 164.97 करोड़ के 765 कार्यों में का निष्पादन किया जा रहा था लेकिन पूर्ण नहीं किया जा सका। विवरण **परिशिष्ट 3.4(ii)** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में विभाग ने बताया कि परियोजनाओं की निगरानी जिला स्तर पर कार्यकारी समिति की भूमिका और जिम्मेदारी का हिस्सा है और विभाग तदनुसार प्रकरण को देखेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने की तिथि के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना चाहिए था ताकि लाभार्थी को पीएमकेकेकेवाई का लाभ मिल सके। साथ ही कार्य की स्वीकृति से पूर्व संबंधित एजेंसी को राशि स्वीकृत करने से पूर्व अपेक्षित अनुमति एवं कार्य की व्यवहार्यता की भी जाँच कर लेनी चाहिए थी।

स. उन कार्यों में वसूली न होना जो अभी तक प्रारंभ नहीं हुए या रद्द नहीं किए गए

तीन डीएमओ²⁰ में यह देखा गया कि कार्य प्रारंभ होने से पहले ही मण्डल द्वारा अनुमोदित 54 कार्यों के लिए जनवरी 2017 और मार्च 2020 के बीच संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को कुल राशि ₹ 9.44 करोड़ का भुगतान किया गया था। लेकिन चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन कार्यों को शुरू नहीं किया जा सका। न तो राशि की वसूली की गई और न ही कोई ब्याज लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.44 करोड़ की अप्रयुक्त राशि की वसूली नहीं हुई। विवरण **परिशिष्ट 3.4(iii)** में दर्शाया गया है।

इंगित किये जाने पर डीएमओ सतना, बालाघाट एवं सिंगरौली ने बताया (सितम्बर 2021 से अक्टूबर 2021) कि निष्पादन एजेंसी को पूर्ण किये गये कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने हेतु पत्र जारी किया जा रहा है।

इस प्रकार ठेकेदार की गतिविधि/प्रगति की निगरानी में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप न कार्य ही पूर्ण हुआ अपितु सरकारी धन की रुकावट भी हुई।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में विभाग ने प्रकरण को आगे देखने का आश्वासन दिया।

यह अनुशंसा की जाती है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सकते हैं जो निधियों के कुप्रबंधन और/या अप्रयुक्त डीएमएफ निधियों की वसूली न करने के लिए जावाबदेह थे।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

3.1.10 क्रय में अनियमितताएं

3.1.10.1 फर्नीचर के क्रय के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली न होना

मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम, 2015 के नियम 5 के अनुसार क्रय स्वीकृत करने की शक्ति राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के सामान्य एवं विशेष आदेशों के अनुसार नामित अधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों द्वारा शासित होगी।

क्रय के संबंध में लेखापरीक्षा ने डीएमएफ छिंदवाड़ा में विक्रेता को किए गए एक अतिरिक्त भुगतान को देखा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

¹⁹ अनूपपुर, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, सतना और सिंगरौली।

²⁰ बालाघाट, सतना और सिंगरौली।

डीएमएफ निधि से 56 हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूलों में डेस्क और बेंच की खरीद के लिए दिनांक 17 जनवरी 2020 को ₹ 3.68 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति, डीएमएफ, छिंदवाड़ा द्वारा प्रदान की गई थी। प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार तीन फर्मों को 76 स्कूलों के लिए 3,650 डेस्क और बेंच खरीदने के लिए ₹ 3.65 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वास्तव में केवल 2,583 डेस्क और बेंच ही प्राप्त हुए थे। 1,067 डेस्क/बेंच प्राप्त न होने के बावजूद डीएमएफ छिंदवाड़ा ने विक्रेताओं को पूरा भुगतान जारी किया। इस प्रकार, सामग्री के सत्यापन के बिना विक्रेताओं को ₹ 1.07 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया जैसा कि नीचे तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: विक्रेताओं को किए गए अतिरिक्त भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

फर्म का नाम	चेक नंबर/ तिथि	ठेकेदार को किया गया भुगतान	आपूर्ति की गई वस्तुओं की मात्रा	दर / ईकाई	योग्य भुगतान	अतिरिक्त भुगतान
ग्लोरी इंटरप्राइजेज, भोपाल	722120 11/02/2020	24,97,500	835	9,990	83,41,650	8,98,950
	722144 16/03/2020	67,43,100				
माँ रेवा सेल्स, जबलपुर	722119 11/02/2020	24,97,500	720	9,990	71,92,800	77,92,200
	722145 17/03/2020	49,95,000				
	10380 20/03/2020	74,92,500				
वाहे गुरु सेल्स, जबलपुर	722118 11/02/2020	44,95,500	1,028	9,990	10,269,720	19,68,030
	10379/ 20/03/2020	77,42,250				
योग		3,64,63,350	2,583		2,58,04,170	1,06,59,180

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2022) में विभाग ने प्रकरण को आगे देखने का आश्वासन दिया। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

विभाग संबंधित अधिकारियों पर कर्तव्य की लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय कर सकता है जिनके कारण ₹ 1.07 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ है।

3.1.11 निष्कर्ष


खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई ताकि प्रभावित लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

यह देखा गया कि डीएमएफ ने कार्यकारी समितियों की बैठकें नहीं बुलाई और परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजनाएँ तैयार नहीं की। खनन प्रभावितों एवं व्यक्तियों की पहचान हेतु प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए थे तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा डीएमएफ निधि की लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी। डीएमएफ निधि में योगदान न करना/कम योगदान के विभिन्न दृष्टांत मिले। उपलब्ध डीएमएफ निधि का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप सरकारी निधि व्यर्थ पड़ी रही।

डीएमएफ निधियों से विकासात्मक कार्यों के निष्पादन की लेखापरीक्षा में विभिन्न अनियमितताओं जैसे कार्यों के निष्पादन में देरी, खरीद में अनियमितताएं और एजेंसियों से अव्ययित राशि की वसूली नहीं हो पाना देखा गया।

इस प्रकार डीएमएफ में निधियों के प्रभावी उपयोग और डीएमएफ निधियों के माध्यम से किए गए विभिन्न कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठानों के कामकाज को मजबूत करने और निगरानी में रखने की आवश्यकता है।


भोपाल
दिनांक: 30 जनवरी 2023



(प्रिया पारिख)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 2 फरवरी 2023



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(कड़िका 1.6.5 में संदर्भित)

लोक लेखा समिति द्वारा जारी सिफारिश प्रतिवेदनों की सूची जिसके संबंध में विभाग द्वारा कार्यान्वयन लंबित है

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	सिफारिश प्रतिवेदन संख्या	वाणिज्यिक कर विभाग	कड़िका क्रमांक	कुल कड़िकाएँ	
2005-06	चौदहवीं	2016-17	383	2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10		07	
2005-06	चौदहवीं	2016-17	383	5.6		01	
2006-07	चौदहवीं	2015-16	72	1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11, 2.12		07	
2007-08	चौदहवीं	2016-17	384	2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.13, 2.15, 2.17		08	
2008-09	चौदहवीं	2016-17	385	2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18		15	
2009-10	चौदहवीं	2016-17	388	2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.24, 2.25		10	
2009-10	चौदहवीं	2016-17	388	7.2, 7.3		02	
2010-11	चौदहवीं	2017-18	463	2.9.10, 2.9.13, 2.9.18, 2.9.20, 2.10.7, 2.10.8, 2.10.9, 2.10.10, 2.10.11, 2.10.12, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.22		12	
2010-11	चौदहवीं	2017-18	463	7.2, 7.3, 7.5		03	
2011-12	पंद्रहवीं	2019-20	7	2.10.9, 2.10.10, 2.10.11, 2.10.12, 2.10.13, 2.10.14, 2.10.15, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.5.8, 3.5.9, 3.5.16, 3.5.17, 3.5.18, 3.5.20, 3.5.22, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 7.3		23	
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग						योग	88
2005-06	चौदहवीं	2016-17	383	5.2, 5.3, 5.4		03	
2006-07	चौदहवीं	2015-16	72	5.2, 5.8		02	
2007-08	चौदहवीं	2016-17	384	5.2.8, 5.2.9, 5.2.11 से 5.2.21, 5.3, 5.5		03	
2008-09	चौदहवीं	2016-17	385	5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17		11	

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	सिफारिश प्रतिवेदन संख्या	कड़िका क्रमांक	कुल कड़िकाएँ
2009-10	चौदहवीं	2016-17	388	6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10,	09
2010-11	चौदहवीं	2017-18	463	6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19	13
आबकारी विभाग					
2005-06	चौदहवीं	2016-17	383	3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,	06
2006-07	चौदहवीं	2015-16	72	3.2	01
2007-08	चौदहवीं	2016-17	384	3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11	08
2008-09	चौदहवीं	2016-17	385	3.3, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3.19	09
2009-10	चौदहवीं	2016-17	388	3.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.9, 3.10, 3.12, 3.14	06
2010-11	चौदहवीं	2017-18	463	3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.13	05
खनिज साधन विभाग					
2009-10	चौदहवीं	2016-17	386	9.10, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19	09
2010-11	चौदहवीं	2016-17	390	10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16	10
2011-12	चौदहवीं	2016-17	393	8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17	10
2013-14	चौदहवीं	2017-18	471	7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12	06
2014-15	पंद्रहवीं	2019-20	9	7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.6.1, 7.6.2, 7.7, 7.10	06
परिवहन विभाग					
2008-09	चौदहवीं	2015-16	78	4.3	01
2010-11	चौदहवीं	2016-17	391	4.7.7 से 4.7.25, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13	07
योग					41
योग					35
योग					41

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	सिफारिश प्रतिवेदन संख्या	कडिका क्रमांक	कुल कडिकाएँ
2011-12	चौदहवीं	2016-17	392	4.7, 4.8, 4.9, 4.10	04
2012-13	चौदहवीं	2017-18	469	4.7.7, 4.7.8, 4.7.9, 4.7.10, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14	08
2014-15	चौदहवीं	2017-18	472	4.3, 4.4, 4.5	03
योग					23
महायोग					228

परिशिष्ट 2.1

(कांडिका 2.4.9.1 में संदर्भित)

उन व्यवसायियों के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक जिन्होंने जीएसटी में सम्मिलित नहीं किए गए मालों के लिए ट्रान-1 में एसजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया है

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	माल जिनके लिये आईटीसी का दावा किया गया (पेट्रोल, डीजल आदि)	ट्रान-1 विवरणी में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 विवरणी में लिये गये अपात्र, अस्वीकार्य क्रेडिट की राशि
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजगढ़	मॉ दयालू पेट्रोलियम	23AEXPV464CIZI	23579064782	पेट्रोल एवं डीजल	3,64,858	3,64,858
		विजासन किसान सेवा केन्द्र	23ALHPR3232P1ZT	23192404297	पेट्रोल एवं डीजल	5,71,531	5,71,531
		पचोर पेट्रोलियम	23ACAPB6823AIZI	23362403864	पेट्रोल एवं डीजल	9,17,042	9,17,042
		खजाना श्री फिलिंग स्टेशन	23ACMPB4012HIZ8	23252401354	पेट्रोल एवं डीजल	1,01,670	1,01,670
		फलोदी किसान सेवा केन्द्र	23AGDPS8620B1ZQ	23392404090	पेट्रोल एवं डीजल	14,30,053	14,30,053
		श्री देव फिलिंग स्टेशन	23AFWPM9903PIZI	23302403800	पेट्रोल एवं डीजल	1,43,069	1,43,069
2	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, धार	रामकृपा सेवा पयूल्स सेल्स	23AFEPY5422R1ZU	23719105023	पेट्रोल एवं डीजल	7,22,587	7,22,587
		जैन इन्टरप्राइजेज	23AFKJP4332BBIZI	23551602297	पेट्रोल एवं डीजल	6,30,761	6,30,761
3	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, देवास	श्री महाशक्ति फिलिंग पॉइंट	23ACFFPM5545F1ZS	23132301801	पेट्रोल एवं डीजल	23,95,207	23,95,207
4	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रतलाम-1	फोर्ट क्रशिंग मेटल	23ABDPJ1725HIZ5	23099031850	डीजल एवं अन्य माल	3,02,221	44,886

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (नेसर्स)	डीएसटीआईएन	टिन	माल जिनके लिये आईटीसी का दावा किया गया (पेट्रोल, डीजल आदि)	ट्रान-1 विवरणी में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 विवरणी में लिये गये अपात्र, अस्वीकार्य क्रेडिट की राशि
5	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन-3	नकोड़ा ऑटोमोबाइल्स	23ABJPJ8205G1ZW	23782704430	पेट्रोल एवं डीजल	6,29,456	6,29,456
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, संघवा	एम एस दया भाई पूनम भाई पटेल	23AAJFM5258M1ZW	23412200961	पेट्रोल एवं डीजल	9,86,026	9,86,026
		एमएमएस प्र्यूल्स	23AJLPB0184E1ZR	23889063975	पेट्रोल एवं डीजल	4,76,478	4,76,478
		जामरा किसान सेवा केन्द्र	23AGJPJ1397A1ZR	23309068204	पेट्रोल एवं डीजल	5,60,959	5,60,959
		चन्द्र भगा किराड़े एण्ड कंपनी	23AKHPK4928J1Z1	23062205179	पेट्रोल एवं डीजल	8,31,239	8,31,239
7	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बीना	डॉ. श्री राम साहनी एण्ड संस	23AXWPS7266H1ZO	23517403695	पेट्रोल एवं डीजल	2,61,094	2,61,094
8	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, नरसिंहपुर	दुली चंद मन्नु लाल कठल	23AAACFD9272D1ZP	23556400111	पेट्रोल, डीजल एवं लुब्रीकेंट्स	2,55,492	1,70,151
		श्री सिद्धि विनायक फिलिंग सेंटर	23AEAPL5123P1ZJ	23729034891	पेट्रोल एवं डीजल	1,23,515	1,23,515
						योग	1,13,60,582

परिशिष्ट 2.2

(कांडिका 2.4.9.2 में संदर्भित)

उन व्यवसायियों के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक जिन्होंने एसजीएसटी इनपुट कर क्रेडिट के अनुचित अधिकता के प्रत्यावर्तन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया (राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (सेससी)	जीएसटीआईएन	ट्रान-1/ईसीएल में लिये गये क्रेडिट की दिनांक	ट्रान-1/ईसीएल में लिये गये क्रेडिट की राशि	इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के प्रत्यावर्तन की दिनांक	इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के प्रत्यावर्तन की राशि	आईटीसी धारण की अवधि (दिवस में)	वसूली योग्य ब्याज @ 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष	जमा	शेष
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजगढ़	युवराज इन्फ्रा माँ गायत्री मेडिकोज	23AWIPS6437K1Z2 23AJUPM2167PIZH	28 अगस्त 2017 28 दिसंबर 2017	17,65,910 25,13,013	28 मार्च 2019 20 जुलाई 2018	17,65,910 25,13,013	578 205	5,03,357 2,54,055	0 0	5,03,357 2,54,055
2	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पीथमपुर	संजय ट्रेडर्स	23ACZPP3132H1ZE	23 दिसंबर 2017	6,44,954	26 अप्रैल 2019	6,44,954	489	1,55,531	0	1,55,531
3	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रतलाम-1	एस्क्वायर ऑटोमोबाइल्स श्री नानेश रमेश कृपा किसान सेवा केन्द्र	23ACQP422IN1ZA 23ADVVPN8021A1ZQ	12 अक्टूबर 2017 17 अक्टूबर 2017	4,24,635 2,61,274	04 फरवरी 2020 04 मार्च 2020	4,24,635 2,61,274	845 870	1,76,951 1,12,097	0 0	1,76,951 1,12,097
4	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छिंदवाड़ा-2	मोन्टी मोबाइल शॉप	23AHCPY4180C1Z1	30 अगस्त 2017	3,21,900	18 अक्टूबर 2020	2,93,911	1,145	1,65,959	0	1,65,959
5	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शिवपुरी	रघुवंशी ट्रेडर्स	23AFEP2142H1ZR	25 अगस्त 2017	28,14,292	26 दिसंबर 2017	98,422	123	5,970	0	5,970
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कटनी-2	राजेश कुमार जैन देवी प्रकाश इन्डस्ट्रीज संजय ट्रेडर्स	23ADEPJO238J1ZX 23AMLPA4945R1ZM 23BIVPD7927B1Z9	27 दिसंबर 2017 26 अक्टूबर 2017 27 दिसंबर 2017	12,60,200 5,50,679 50,338	09 मार्च 2021 10 मार्च 2021 08 मार्च 2021	12,60,200 5,50,679 50,338	1,168 1,231 1,167	7,25,875 3,34,300 28,970	0 152 19,565	7,25,875 3,34,148 9,405

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (सेसर्स)	जीएसटीआईएन	ड्रान-1/ईसीएल में लिये गये क्रेडिट की दिनांक	ड्रान-1/ईसीएल में लिये गये क्रेडिट की राशि	इनपुट कर (आईटीसी) के प्रत्यावर्तन की दिनांक	इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के प्रत्यावर्तन की राशि	आईटीसी धारण की अवधि (दिवस में)	वसूली योग्य ब्याज @ 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष	जमा	शेष
		श्री उदय मोटर्स	23BRCPB1489A1ZH	31 अगस्त 2017	97,909	10 मार्च 2021	97,909	1,288	62,190	0	62,190
7	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मंडला	प्रिया फिलिंग स्टेशन	23AKCPD8430D1ZT	19 सितंबर 2017	3,50,667	03 फरवरी 2020	3,50,667	868	1,50,105	0	1,50,105
				योग	1,10,55,771		83,11,912		26,75,360	19,717	26,55,643

परिशिष्ट 2.3

(कड़िका 2.4.9.3 में संदर्भित)

उन व्यवसायियों के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक जिन्होंने ट्रान-1 में दावा किये गये क्रेडिट से अधिक का एसजीएसटी ट्रानिशनल क्रेडिट का दावा इसीएल में किया है

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	ट्रान-1 में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ईलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ईलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ली गई अधिक क्रेडिट की राशि	(राशि ₹ में)
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पीथमपुर	हिम टेक्नोफोर्ज लिमिटेड	23AAACH3906R2ZE	32,65,117	34,56,577	1,91,460	
2	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-1	फ्रंटियर्स कार इंडिया लिमिटेड	23AABCF5695AIZX	48,853	2,55,162	2,06,309	
			योग	33,13,970	37,11,739	3,97,769	

परिशिष्ट 2.4

(कांडिका 2.4.9.4 में संदर्भित)

उन व्यवसायियों का विवरण दिखाने वाला पत्रक जिन्होंने आईटीआर से अधिक एसजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था जैसा कि वैट विवरणी में आगे अग्रहित किया जाना दर्शाया गया है

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	वैट विवरणी की दिनांक जिससे क्रेडिट को ट्रान-1 में अग्रहित किया गया	वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 विवरणी में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 में दावा किया गया अधिक क्रेडिट
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजगढ़	सिगमा इलेक्ट्रानिक्स	23AFMPK6115P1Z4	23932402823	09 अगस्त 2017	2,70,514	2,72,514	2,000
		मोहित ट्रेडर्स, ब्यावरा	23AYOPG8489P1ZE	23269039787	22 अगस्त 2017	3,18,069	3,38,414	20,345
		श्याम सुंदर ओम प्रकाश	23ACNPG3042R1ZD	23082400235	25 अगस्त 2017	1,51,912	2,62,638	1,10,726
2	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, धार	गोयल इलेक्ट्रिक	23BEDPA0055F1ZE	23299237664	29 जुलाई 2017	56	3,73,505	3,73,449
		पटेल ट्रेडर्स	23AOVPP2152D1ZZ	23201604187	19 सितंबर 2017	0	1,67,830	1,67,830
3	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पीथमपुर	विडल्स ऑटो प्राइवेट लिमिटेड	23AAAACW0964G1ZJ	23201604575	06 अक्टूबर 2017	0	3,27,754	3,27,754
4	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, देवास	देवास हाइड्रोविप प्राइवेट लिमिटेड	23AABCD3564G1ZZ	23592303003	21 दिसंबर 2017	35,48,844	40,28,847	4,80,003
		बालाजी मोटर्स	23ALIPG1064B1ZU	23179040669	21 अगस्त 2017	2,63,391	2,74,043	10,652
		विकास ट्रेडर्स	23AMLPS4650F1ZZ	23192303320	12 नवंबर 2017	3,07,579	3,18,232	10,653
		निधि एसोसिएट्स	23ABFPG3530M1ZW	23142302911	23 अगस्त 2017	14,53,590	16,39,517	1,85,927
		हिन्द सिन्टेक्स लिमिटेड	23AAAACH6203P1ZN	23182302113	23 अगस्त 2017	91,12,240	91,15,546	3,306

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	वैट विवरणी की दिनांक जिससे क्रेडिट को ट्रान्-1 में अग्रोषित किया गया	वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	ट्रान्-1 विवरणी में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ट्रान्-1 में दावा किया गया अधिक क्रेडिट
		अवंतिका मोटर्स	23AAZFA4980A1ZE	23689108421	27 नवंबर 2017	1,49,182	2,98,364	1,49,182
		पॉली टेक	23AALFPI454E1Z1	23839010921	27 सितंबर 2017	1,03,235	1,21,579	18,344
		नवकार पैकेजिंग	23AJFN5709L1Z1	23049063283	13 अक्टूबर 2017	81,865	1,13,527	31,662
		स्टील होम	23ANKPM5915H1ZY	23362305991	03 अगस्त 2017	0	1,47,636	1,47,636
		राजा फूड्स	23AM UPS4758D1ZL	23112305692	19 सितंबर 2017	0	1,83,300	1,83,300
		देवास लाइफस्टाईल	23AAM FD4403C1Z2	23619201451	01 सितंबर 2017	0	8,54,004	8,54,004
		आनंद हाइवे सर्विसेज	23CDKPR4232G1ZM	23759177575	06 दिसंबर 2017	0	4,27,349	4,27,349
5	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रतलाम-1	सूपर इलेक्ट्रानिक्स	23ARMPS4992G1Z9	23093404907	27 अगस्त 2017	1,55,275	1,87,186	31,911
		कुशल टेलीकॉम	23ADBPV1757D1ZR	23353403988	31 जुलाई 2017	1,68,918	3,24,493	1,55,575
		राठौर एग्रो सीड्स	23AFIPR9953C1Z8	23263404765	15 नवंबर 2017	2,982	3,27,937	3,24,955
		सुंदर टायर एण्ड व्हील केयर	23ACPFS4374J1ZN	23559120074	07 अगस्त 2017	9,402	1,93,002	1,83,600
		नेशनल पेट्रोकेमिकल्स	23ACFPM6509F1ZU	23403402651	29 जुलाई 2017	0	1,08,118	1,08,118
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छिंदवाड़ा-1	लालवाला इन्टरप्राइसेज	23AKIP18532G1Z8	23179215657	30 सितंबर 2017	1,85,804	1,90,793	4,989
		भगवानदास गिरधारीलाल	23ADIPA9300J1ZX	23956600002	28 जुलाई 2017	6,15,166	8,39,976	2,24,810
7		खंडेलवाल मेडिकल स्टोर्स	23AABHNI149N1Z7	23096801556	28 अगस्त 2017	11,00,594	15,01,955	4,01,361

सं. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	वैट विवरणी की दिनांक जिससे क्रैडिट को ट्रान-1 में अंग्रेषित किया गया	वैट विवरणी में उपलब्ध क्रैडिट की राशि	ट्रान-1 विवरणी में दावा की गई क्रैडिट की राशि	ट्रान-1 में दावा किया गया अधिक क्रैडिट
	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छिंदवाड़ा-2	रमा फैशन माल माधव इन्टरप्राइसेज	23AJYPG3405A1ZN 23CUOPM1904K1ZI	23966804230 23559156934	27 दिसंबर 2017 01 अगस्त 2017	1,26,401 1,50,863	1,27,401 1,53,863	1,000 3,000
8	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, होशंगाबाद	सरगाम इलेक्ट्रानिक्स साकेत एजेन्सीज अनु एजेन्सी अमन मोटर्स	23AAAXPA4995R1ZP 23GLOPS1691L1ZC 23AAOQT0218B1Z2 23AOQPM9459R1ZQ	23184200597 23099166583 23374200541 23654202424	02 नवंबर 2017 14 अगस्त 2017 30 जुलाई 2017 29 जुलाई 2017	70,253 1,56,276 0 1,02,721	1,00,253 1,69,987 5,50,241 1,55,411	30,000 13,711 5,50,241 52,690
9	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इटारसी	संजय ट्रेडर्स यूनिटी पल्प एण्ड पेपर्स महेन्द्र सिंह पटेल	23AAASPT7520N1Z0 23AAAUFU8304K2Z7 23BQCPP4576P1Z8	230744304690 23554302389 23689232387	23 सितंबर 2017 05 अगस्त 2017 18 अगस्त 2017	10,052 0 97,620	1,17,017 2,37,748 1,20,503	1,06,965 2,37,748 22,883
10	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, हरदा	बालाजी मोटर्स सुरमा स्टील फैब्रिकेशन विजय टिम्बर मार्ट	23ALJPK4741J1Z2 23ARRPPS6280E1ZH 23AAAAPV9131H1ZB	23199025923 23514602044 23144600550	21 सितंबर 2017 20 सितंबर 2017 03 नवंबर 2017	4 2,41,812 3,75,405	1,94,649 2,54,353 6,52,632	1,94,645 12,541 2,77,227
11	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन-1	ओसमेड फॉर्मलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड विजन इंजीनियरिंग सेल्स एण्ड सर्विसेज	23AAAACO6768Q1ZS 23AWGPR9021E1ZO	23622606548 23469000676	29 अगस्त 2017 13 दिसंबर 2017	5,50,309 48,786	6,46,748 82,715	96,439 33,929

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	दिन	वैट विवरणी की दिनांक जिससे क्रेडिट को ट्रान-1 में अंग्रेजित किया गया	वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 विवरणी में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 में दावा किया गया अधिक क्रेडिट
12	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन-2	अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड मिलन क्लासिक	23AAAACL6442L1ZI 23ACVPM3686M1ZR	23762701822 23562705230	29 जुलाई 2017 12 अगस्त 2017	0 0	8,57,120 4,72,109	8,57,120 4,72,109
13	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन-3	डी एण्ड डी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	23AAFCD6483J1ZG	23269179758	03 अक्टूबर 2017	0	26,00,000	26,00,000
14	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शिवपुरी	राजेश ट्रेडिंग कंपनी	23ACQPG2663K1ZF	23465701518	13 अगस्त 2017	1,61,460	2,31,142	69,682
15	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जावरा	नाकोड़ा सेल्स जतन श्री मोबाइल आयुष एजेंसीज, राजेश ट्रेडर्स	23AKTPK7050R1ZE 23BOGPA8284K1ZS 23ADQPP7291R1ZG	23142903244 23849163501 23702901481	20 सितंबर 2017 24 अगस्त 2017 26 जुलाई 2017	1,00,146 1,53,004 1,73,873	1,50,248 1,79,452 2,43,375	50,102 26,448 69,502
16	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, नीमच	नीरज कुमार निकेश कुमार फतेहलाल चोगला	23ATIPA8244M1ZL 23ANVPS2670Q1Z0	23479099809 23253200246	04 सितंबर 2017 17 अगस्त 2017	14,392 14,024	2,57,992 1,23,992	2,43,600 1,09,968
17	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, संघवा	कुतुबी स्टोर्स विकास कृषि सेवा केंद्र चोमू वलॉथ सेंटर हीरा ऑटोमोबाइल्स	23ABXPB7389R1ZK 23ACMPK2991E1ZL 23AAIHS1435H1ZB 23ADDDPC1477H1ZZ	23742201119 23072201633 234091779647 23792202983	31 जुलाई 2017 11 सितंबर 2017 25 अगस्त 2017 20 अगस्त 2017	1,32,713 77,328 3,39,054 3,77,128	1,34,018 7,37,190 3,45,911 4,71,052	1,305 6,59,862 6,857 93,924

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	वैट विवरणी की दिनांक जिससे क्रेडिट को ट्रान-1 में अंग्रेजित किया गया	वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 विवरणी में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 में दावा किया गया अधिक क्रेडिट
18	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, झाबुआ	कुसुमकांत प्रभुलाल शाह	23ACUPS4741C1ZH	23301803661	16 अक्टूबर 2017	29,309	2,08,671	1,79,362
		सुयश टायर्स	23AEFPT4497M1ZT	23521802667	29 अक्टूबर 2017	1,50,816	3,17,150	1,66,334
		साईनाथ ट्रेडर्स	23ACYFS9470Q1ZT	23809173302	27 नवंबर 2017	35,658	1,72,676	1,37,018
		पार्श्व इंटरप्राइसेज	23AASF8820B1Z9	23379196431	26 अगस्त 2017	2,82,926	3,40,183	57,257
		भगवती कृषि सेवा केंद्र	23.AM QPJ9542G1ZS	23069031756	30 अक्टूबर 2017	3,63,652	5,23,995	1,60,343
		लक्ष्मी एगो एजेंसी	23ADRPJ3447J1ZB	23631803043	10 अक्टूबर 2017	4,926	7,84,745	7,79,819
19	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मंदसौर	श्रीजी कंस्ट्रक्शन मंदसौर	23AEJPN9571J1ZO	23513104073	03 सितंबर 2017	2,48,770	3,00,000	51,230
		डोसी ट्रेडिंग कंपनी	23AAAXPD5165C1ZT	23213101425	14 जुलाई 2017	2,23,619	5,30,621	3,07,002
		आयुतोष इंटरप्राइसेज	23AESPC5113J1ZO	23079051446	31 जुलाई 2017	39,953	3,45,061	3,05,108
		कलेक्शन मोबाइल्स	23AQPG8840A1ZA	23593104514	07 अक्टूबर 2017	5,57,848	6,67,492	1,09,644
20	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, खंडवा	सत्येंद्र सिंह चौहान	23BDSPC8944D1ZH	23379143081	12 अगस्त 2017	1,16,491	1,26,712	10,221
		सुखराम कोडरमल एण्ड कंपनी	23AAKFS1711J1ZD	23502004050	22 जुलाई 2017	22,079	1,18,475	96,396
		बालाजी कंस्ट्रक्शन	23AFUPJ8153J1ZZ	23692006031	26 अगस्त 2017	5,85,495	11,89,995	6,04,500
		श्री दादाजी मोबाइल, एण्ड सर्विस (एचओ) ओम शांति केयर सेंटर (बीओ)	23AXSPP9433H1ZY	23549003675	08 अगस्त 2017	5,01,950	5,04,571	2,621

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	वैट विवरणी की दिनांक जिससे क्रेडिट को ट्रान-1 में अंग्रेषित किया गया	वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 विवरणी में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 में दावा किया गया अधिक क्रेडिट
		विश्वकर्मा फर्नीचर मार्ट	23AJDPM1173G1ZL	23072001813	14 अगस्त 2017	0	11,10,455	11,10,455
		श्री साई ट्रेडर्स	23BGXPP2074H1Z0	235990090005	28 अगस्त 2017	2,89,790	3,68,899	79,109
		श्री विनायक ऑयल इंडस्ट्रीज	23ACFSF7811B1Z5	23499136376	17 नवंबर 2017	4,25,389	4,40,134	14,745
21	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, खरगोन	राम ट्रेडर्स रामचंद्र पाटीदार	23AWLPP8572F1Z5	23272107821	28 सितंबर 2017	2,06,045	2,07,164	1,119
		सुभाष टक्कर	23AAOPT7978A1Z9	23582204408	09 नवंबर 2017	0	4,30,055	4,30,055
		लखन इंटरप्राइसेज (प्रोप. राम पटेल)	23AOBPP0983J1ZV	23792108893	30 जुलाई 2017	6,80,399	8,10,893	1,30,494
22	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-1	एम एण्ड बी इंजीनियरिंग लिमिटेड	23AAAACM7930Q1Z4	23980104720	29 जुलाई 2017	8,36,454	8,37,166	712
		विनय ट्रेडर्स	23AFFPP6419L1Z7	23375804339	08 अक्टूबर 2017	4,42,813	4,59,381	16,568
		सुपर पॉलीपैक	23ATCPS4290H1ZM	23465805114	30 जुलाई 2017	1,75,289	4,64,875	2,89,586
		गणेश इंडस्ट्रीज	23ANSPP7163L1ZA	23395809857	07 सितंबर 2017	0	3,17,000	3,17,000
		मंजीत इलेक्ट्रॉनिक्स	23AAIPU1513E1Z3	23935805389	15 सितंबर 2017	73,668	4,63,121	3,89,453
		बाहुबली टिंबर	23ADPPJ5767M1ZW	23255802562	14 जुलाई 2017	7,55,907	10,90,859	3,34,952
		गुप्ता मेडिकल हॉल	23ADBBPG3648Q1ZD	23865804894	12 अक्टूबर 2017	1,00,897	1,25,845	24,948

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	बैट विवरणी की दिनांक जिससे क्रेडिट को ट्रान-1 में अंग्रेषित किया गया	बैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 विवरणी में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 में दावा किया गया अधिक क्रेडिट
		अर्चना हाई टेक ऑटोमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	23AABCA7271K1ZP	23669008319	31 जुलाई 2017	1,35,909	1,55,958	20,049
		अरोरा ब्रदर्स	23ACSPD5203G1ZZ	23355800664	08 अगस्त 2017	357	1,61,649	1,61,292
		प्रज्ञा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	23AAFCEP5690K1Z3	23939017216	09 अक्टूबर 2017	1,65,201	1,71,362	6,161
		जी एन टिम्बर्स	23AJFPS0529L1Z4	23275800999	29 जुलाई 2017	33,862	2,33,835	1,99,973
		हर्ष ट्रेडर्स	23AVBPS7648J1Z6	23735808312	28 जुलाई 2017	6,18,761	19,49,324	13,30,563
		प्रज्ञा इंटरप्राइसेज	23ACWPV4889N1Z8	23125807920	30 जुलाई 2017	1,88,194	6,94,352	5,06,158
23	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-2	पारस राम मूलचंदानी	23AAEFP4931D1ZN	23935803255	29 सितंबर 2017	0	10,45,000	10,45,000
24	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-3	प्रभु इंटरप्राइसेज एस जी कंप्यूटर्स, एण्ड पेरिफेरल्स इन्फो सोल्यूशन रेवा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड महाकोशल रेफ्रेक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	23A,AM FPI686M1ZQ 23ADDPT0981B1ZV 23AABFI2330Q1ZH 23AADCR6820P1Z3 23AAECM4903B2Z3	23669013072 23886003151 23096003925 23026005758 23686001030	01 अगस्त 2017 01 अगस्त 2017 30 जुलाई 2017 02 सितंबर 2017 28 जुलाई 2017	0 3,81,849 12,785 1,36,972 55,82,872	1,18,251 4,55,261 1,11,562 1,39,352 2,04,08,613	1,18,251 73,412 98,777 2,380 1,48,25,741

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	वैट विवरणी की दिनांक जिससे क्रेडिट को ट्रान-1 में अंग्रेषित किया गया	वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 विवरणी में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 में दावा किया गया अधिक क्रेडिट
		आर विशाम इंटरप्राइसेज़	23ADFPJ6907M1ZE	23896003970	26 जुलाई 2017	4,97,327	4,99,406	2,079
25	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-4	डीके इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज तेजवाला इंजीनियरिंग कंपनी इन्डस्ट्रीयल इन्स्ट्रुमेन्टस् सुनील होसरी प्रा. लिमिटेड जय ब्रदर्स अम्बे ट्रेडर्स	23AABFD6912H1ZT 23ABNPL1527D1Z1 23AEVPC4838D2ZJ 23AAUCS3850M1ZR 23AUSPJ0242K1ZM 23ACHPA7831N1ZK	23845901711 23185902268 23926105173 23779181744 23769114718 23775904320	24 अगस्त 2017 29 अगस्त 2017 21 नवंबर 2017 02 अगस्त 2017 31 अगस्त 2017 18 सितंबर 2017	1,10,28,191 0 12,331 1,96,137 0 33,47,857	1,11,22,120 1,21,410 1,31,331 3,07,402 3,27,701 34,05,372	93,929 1,21,410 1,19,000 1,11,265 3,27,701 57,515
26	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, अनूपपुर	कंवर इंटरप्राइसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	23AAACCK6205E1Z3	23509090688	19 सितंबर 2017	2,81,792	70,99,830	68,18,038
27	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शहडोल	भास्कर रिसोर्स प्रा. लिमिटेड	23AAACCB6407B1ZE	23069110423	17 दिसंबर 2017	0	2,81,941	2,81,941
28	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मंडीदीप	स्टैन्डर्ड सर्फ़क्टेंट लिमिटेड उमाशंकर शर्मा	23AABCS9608N1Z0 23BBNPS8184G1Z4	23584101146 23464105189	27 जुलाई 2017 27 दिसंबर 2017	45,891 0	2,81,654 7,81,556	2,35,763 7,81,556

सं. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	वैट विवरणी की दिनांक जिससे क्रेडिट को ट्रान-1 में अग्रोषित किया गया	वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 विवरणी में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 में दावा किया गया अधिक क्रेडिट
29	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, टीकमगढ़	फूलचंद अशोक कुमार	23APQPJ0126B1ZI	23457800070	18 अगस्त 2017	0	6,35,215	6,35,215
30	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छतरपुर	गौतम प्रवीण इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	23AAAFCG4436NIZG	23179106241	27 दिसंबर 2017	60,972	2,38,123	1,77,151
		श्री एस आर इंटरप्राइसेज	23ACTPR6511QIZU	23609063906	31 अक्टूबर 2017	2,84,961	2,86,183	1,222
31	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बैदन	विजय श्री ट्रेडर्स	23AMMPK9441R1ZA	23189209254	25 अगस्त 2017	0	1,37,138	1,37,138
		ऐ. के. एजेंसिया	23ACAPGS492L1ZK	23179099645	25 अक्टूबर 2017	0	1,57,111	1,57,111
		अग्रवाल सेनेटरी	23ATXPG1994P1ZR	23539173135	10 अगस्त 2017	2,659	2,01,897	1,99,238
		गर्ग इलेक्ट्रिकल, एण्ड हार्डवेयर स्टोर	23AEZPJ3011M1ZB	23767306315	31 जुलाई 2017	0	3,61,302	3,61,302
		नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	23AAABCN4884H1ZE	23657300604	29 जुलाई 2017	0	65,64,68,742	65,64,68,742
		शारदा पेंट्स स्टोर	23AETPA8530L1ZA	23847301033	29 जुलाई 2017	29	2,80,143	2,80,114
		विजय श्री	23AHGPG0944E1ZW	23587300109	05 अक्टूबर 2017	0	1,29,680	1,29,680
		गोपाल इंटरप्राइसेज	23AAVFS7646H1ZL	23337305436	23 सितंबर 2017	0	2,90,956	2,90,956
		शार्च प्रोजेक्ट लिमिटेड	23AAAPCS9159L1ZK	23979066197	25 अगस्त 2017	1,52,342	2,57,305	1,04,963
32		विदिशा रेफ्रिजरेटर	23AAQPJ8622B1ZW	23264402895	30 जुलाई 2017	25	5,70,710	5,70,685

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	बैट विवरणी की दिनांक जिससे क्रेडिट को ट्रान-1 में अंग्रेजित किया गया	बैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 विवरणी में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 में दावा किया गया अधिक क्रेडिट
	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विदिशा	शांति इंडस्ट्रीज बंसल ब्रदर्स किसान ट्रेक्टर नीमतल बंसल ट्रेडर्स	23AA YPJ4841Q1ZW 23AA YPB9341B1ZU 23AA BFK9912A1ZU 23AHL PB5370L1ZB	23964403092 23784400281 239644403559 23734403461	30 अगस्त 2017 03 अगस्त 2017 29 जुलाई 2017 04 अगस्त 2017	0 2,33,358 0 11,08,949	1,87,457 2,37,102 2,43,750 11,10,183	1,87,457 3,744 2,43,750 1,234
33	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, सिवनी	ओमी, इंटरप्राइसेज, एण्ड इलेक्ट्रिकल्स	23ADBPH1011N2Z4	23609189909	25 सितंबर 2017	65,057	77,663	12,606
34	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बालाघाट	गिरनार ट्रेडर्स	23AHGPP2B31F1ZN	23866504555	06 दिसंबर 2017	1,90,082	2,01,525	11,443
35	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भिंड	हाजी बाली मोहम्मद ट्रेडर्स हरीश चंद जैन	23ABKPU3010H1ZX 23AFKPI8609K1Z6	23299047447 23044801880	14 सितंबर 2017 05 सितंबर 2017	2 2,22,999	1,49,192 2,65,432	1,49,190 42,433
36	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कटनी-2	अरुणोदय कोल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड राजश्री मोबाइल्स अनमोल मल्टी सर्विसेज	23AAKCA9160C3ZV 23AIEPR1175M1Z2 23AIGPG9058D1ZE	23486207459 23746206831 23669071854	20 अगस्त 2017 25 अगस्त 2017 08 नवंबर 2017	18,26,505 27,042 0	18,82,509 3,78,577 1,46,254	56,004 3,51,535 1,46,254
37	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कटनी-1	अतुल ड्रग हाउस ओजस्वी मार्बल एण्ड ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड	23ACGPI7242M2ZG 23AAAACO3136A1Z9	23646201260 23176204283	04 अक्टूबर 2017 07 अगस्त 2017	35,163 1,85,881	2,31,990 1,89,474	1,96,827 3,593

सं. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	बैट विवरणी की दिनांक जिससे क्रेडिट को ट्रान-1 में अग्रोषित किया गया	बैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 विवरणी में दावा की गई क्रेडिट की राशि	ट्रान-1 में दावा किया गया अधिक क्रेडिट
		दुर्गा माता मार्बल	23AAFFD1411P1ZO	23686206476	30 जुलाई 2017	3,67,805	3,88,372	20,567
		कृष्णा मार्बल	23AAJFK0150H1ZT	23686204536	07 अगस्त 2017	5,90,409	5,94,549	4,140
38	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, नरसिंहपुर	सत्कार ऑटोमोबाइल्स विनायक ट्रेडर्स	23AAAFS8401E1ZA 23ANDPK3900F1ZM	23366401622 23596404260	03 अक्टूबर 2017 27 दिसंबर 2017	1,22,680 2,67,360	1,26,680 3,09,059	4,000 41,699
39	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मंडला	चंद्रकान्त गोहिल टिंबर मर्चेन्ट बुरहानपुर टेक्स्टाइल्स लिमिटेड	23AKNPG5976A1Z8 23AAADC7362C2Z2	23856300715 23831910603	16 सितंबर 2017 31 जुलाई 2017	4,21,479 1,09,141	4,45,632 8,33,195	24,153 7,24,054
40	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बुरहानपुर	टेक्समो पाइप्स एण्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2388CCT9780D1ZA	23151910492	30 जुलाई 2017	0	56,66,045	56,66,045
योग						5,75,63,573	77,02,44,762	71,26,81,189

परिशिष्ट 2.5
(कड़िका 2.4.9.5 में संदर्भित)

ड्रान-1 में दोहरी प्रविष्टि के माध्यम से अधिक एसजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने वाले व्यवसायियों के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (सैसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ड्रान-1 फाईल करने का दिनांक	ड्रान-1 में दावा की गई क्रेडिट की राशि			वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि		ड्रान-1 में दावा किया गया अधिक क्रेडिट
						टेबल 5(सी)	टेबल 7(सी)	योग	वैट विवरणी का दिनांक	राशि	
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, धार	भगवती सेल्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स	23AYIPJ2570L1ZB	23459203116	08 सितंबर 2017	95,046	95,046	95,046	23 अगस्त 2017	95,046	95,046
						95,046	95,046				
						योग	1,90,092				
2	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पीथमपुर	कार्स टेक्नो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	23AAFCK1638NE	23219084897	28 अक्टूबर 2017	27,471	27,471	27,471	02 अगस्त 2017	27,471	27,471
						27,471	27,471				
						योग	54,942				
3	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रतलाम	श्री खंडेलवाल ऑटोमोबाइल्स	23ADQPK4909HIZF	23459199624	21 सितंबर 2017	80,829	80,829	80,829	26 जुलाई 2017	80,829	80,829
						80,829	80,829				
						योग	1,61,658				
4	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन-1	मालवा मार्केटिंग	23ABVVPB7764NIZZ	23402703281	27 दिसंबर 2017	1,59,443	1,59,443	1,59,443	26 सितंबर 2017	1,59,443	1,59,444
						1,59,444	1,59,444				
						योग	3,18,887				
5	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मंदसौर	सोना ट्रेडिंग कंपनी	23AOGTM4633KIZW	23313005631	18 दिसंबर 2017	1,22,121	1,22,121	1,22,121	02 अगस्त 2017	1,22,121	1,22,121
						1,22,121	1,22,121				
						योग	2,44,242				
		खुराना टायर्स एजेंसी	23CEKPK3983EIZF	23929150786	28 अगस्त 2017	1,02,566	1,02,566	1,02,566	28 अगस्त 2017	1,02,566	1,02,566

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मिसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 फाईल करने का दिनांक	ट्रान-1 में दावा की गई क्रेडिट की राशि			वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि		ट्रान-1 में दावा किया गया अधिक क्रेडिट
						टेबल 7(सी)	योग	वैट विवरणी का दिनांक	वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	राशि	
		फोन्स 4यू	23BRSPS7304DIZO	23119130303	31 अगस्त 2017	1,02,566	2,05,132	31 जुलाई 2017	59,248	59,248	59,248
						59,248	59,248				
						1,18,496					
						2,41,492	2,41,492				
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बैङ्कन	मिश्रा ट्रेडर्स	23CSNPK5775MIZO	23749099297	15 सितंबर 2017	2,41,492	4,82,984	30 अगस्त 2017	2,41,492	2,41,492	2,41,492
						2,41,492					
7	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छतरपुर	बजाज इलेक्ट्रिकल्स	23BMPE8436F1ZR	23917701459	28 अगस्त 2017	57,430	57,430	10 अगस्त 2017	57,430	57,430	57,430
						57,430					
						1,14,860					
						95,047	95,047				
8	पटेल टिम्बर ट्रेडर्स	कृष्णा ट्रेडर्स	23AASPA4041M2ZQ	23039204322	19 नवंबर 2017	95,047	1,90,094	11 नवम्बर 2017	95,047	95,047	95,047
						95,047					
8	पटेल टिम्बर ट्रेडर्स	महावीर हैंड लूम	23ANGPA9105RIZV	23807706030	28 अगस्त 2017	1,39,417	2,78,834	17 जुलाई 2017	1,39,417	1,39,417	1,39,417
						1,39,417					
8			23AEPPP8370K1ZV	23199018163	28 अगस्त 2017	1,08,975	1,08,975	20 जुलाई 2017	1,08,975	1,08,975	1,08,975

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व संबंध विभाग)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (सेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 फाईल करने का दिनांक	ट्रान-1 में दावा की गई क्रेडिट की राशि		वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि		ट्रान-1 में दावा किया गया अधिक क्रेडिट	
						टेबल 7(सी)	योग	वैट विवरणी का दिनांक	राशि		
	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कटनी-1	शिवशक्ति सॉ मिल	23AEPPP8126F1ZC	23199165797	28 अगस्त 2017	1,08,975	2,17,950				
						1,15,183	1,15,183	20 जुलाई 2017	1,15,183	1,15,183	
						योग	2,30,366				
									योग	14,04,268	14,04,269

परिशिष्ट 2.6

(कड़िका 2.4.9.6 में संदर्भित)

उन डीलरों का विवरण दिखाने वाला पत्रक जिन्होंने वेट तिमाही विवरणी फाईल नहीं किया लेकिन एसजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट को अप्रेषित किया

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मिसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 फाईल करने की दिनांक	2016-17 के चौथे त्रैमास के वेट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2017-18 के पहले त्रैमास के वेट विवरणी फाईल करने की दिनांक	ट्रान-1 विवरणी में अस्वीकार्य दावा लिये जाने की राशि
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजगढ़	राजमशीनरी एवं हाईवेयर राजगढ़ करुणा इंटरग्राइसेज खिलचीपुर	23ASOPA3829R1ZA 23CCDDPD6672A1Z5	23422404995 23079117891	09 सितंबर 2017 08 अक्टूबर 2017	फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ	23 अगस्त 2017 08 अक्टूबर 2017	13,75,665 1,46,655
2	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, धार	पद्मावती इंटरग्राइसेज रवि ऑटो पार्ट्स म्यूजिक सेन्टर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति प्रबंधक यज्ञालाल पटेल अग्रवाल कृषि सेवा केंद्र	23CROPP4041B1Z2 23ALIPM1841Q1ZS 23AEMPS0735G1ZJ 23AABAA1229M1Z3	23829167480 23721702453 23211601514 23569039660	25 दिसंबर 2017 27 सितंबर 2017 24 दिसंबर 2017 27 दिसंबर 2017	फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ	25 दिसंबर 2017 22 अगस्त 2017 07 सितंबर 2017 फाईल नहीं हुआ	1,53,635 2,60,102 2,93,185 2,21,105
3	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, देवास	श्री वरुण टायर्स जुनेजा इलेक्ट्रॉनिक्स हाइड्रोक्विप इंजीनियरिंग मीरा इलेक्ट्रिकल वर्क्स श्री ट्रेडिंग कंपनी	23AEMPA4470N1ZE 23,AM QPB2914E1ZI 23ACZP15862A1ZH 23FZPM7956V1ZZ 23AKHPC3332J1ZL 23BXZPS0292K1ZP	23391703265 23772304650 23612303380 23542302594 23892305845 23619222500	27 दिसंबर 2017 27 दिसंबर 2017 24 अक्टूबर 2017 26 दिसंबर 2017 21 दिसंबर 2017 29 अगस्त 2017	06 मई 2017 30 मई 2017 31 अक्टूबर 2017 फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ	25 जनवरी 2018 12 मार्च 2018 13 फरवरी 2018 फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ 19 अगस्त 2017	2,59,452 1,62,726 8,33,099 1,02,921 2,22,565 1,73,561

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (सि.सि.)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 फाईल करने की दिनांक	2016-17 के चौथे त्रैमास के बैट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2017-18 के पहले त्रैमास के बैट विवरणी फाईल करने की दिनांक	ट्रान-1 विवरणी में अस्वीकार्य दावा लिये जाने की राशि
		सिद्धि विनायक बेक वेल	23AABQCS1653J1Z4	23079040679	21 दिसंबर 2017	फाईल नहीं हुआ	फाईल नहीं हुआ	8,23,149
		दुर्गेश इंटरप्राइसेज़	23AUDPD2526K1Z0	23589158968	17 अक्टूबर 2017	30 अगस्त 2017	फाईल नहीं हुआ	1,91,180
		एस एन बी	23AEZPG6623G1ZB	23469169844	17 अक्टूबर 2017	16 मई 2017	फाईल नहीं हुआ	3,39,285
		फूड माईन्स कार्पोरेशन	23ATXPJ3378C1ZH	23629097175	17 दिसंबर 2017	15 मई 2017	फाईल नहीं हुआ	5,78,580
4	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रतलाम-1	सेफ कार डेकोर	23AIHPA7200P1ZG	23639159545	27 दिसंबर 2017	फाईल नहीं हुआ	02 अगस्त 2017	1,79,340
5	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रतलाम-2	द्विवेदी इंटरप्राइसेज़	23AMRPD7351C1ZA	23833504022	16 दिसंबर 2017	03 फरवरी 2018	03 फरवरी 2018	1,04,272
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छिंदवाड़ा-1	द्विवेदी मोटर्स	23BHGPD4013E1Z6	23709149256	20 दिसंबर 2017	07 दिसंबर 2018	02 जनवरी 2018	3,90,000
7	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन-1	एवन इंडस्ट्रीज	23AAWFA7486L1ZN	23579071766	12 अक्टूबर 2017	01 मई 2017	27 नवंबर 2017	2,04,233
		गजानंद मार्केटिंग	23CKDPK6697Q1ZB	23589124727	27 दिसंबर 2017	13 जुलाई 2017	25 जून 2018	1,28,924
		चौधरी कृषि सेवा केंद्र उज्जैन	23AIAPC7320H1ZX	23369008349	27 दिसंबर 2017	23 जून 2017	07 मई 2018	3,24,958
		सांवरिया ट्रेक्टर पोर्ट	23ACVPJ8663K1ZV	23572604684	27 दिसंबर 2017	30 दिसंबर 2017	30 दिसंबर 2017	1,50,126
		नवधा गरोटेक	23AWDPP2178B1ZV	23399114173	27 दिसंबर 2017	16 अप्रैल 2018	16 अप्रैल 2018	1,33,702
8	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शाजापुर	मनोहरलाल नंद किशोर	23ACMPB4121B1ZI	23442501693	27 सितंबर 2017	03 अक्टूबर 2017	28 अक्टूबर 2017	5,89,806
		खरलाल हजारीलाल	23ACKPJ9240P1Z5	23462500712	27 दिसंबर 2017	30 मार्च 2018	30 मार्च 18	10,76,192

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (सिर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 फाईल करने की दिनांक	2016-17 के चौथे त्रैमास के बेट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2017-18 के पहले त्रैमास के बेट विवरणी फाईल करने की दिनांक	ट्रान-1 विवरणी में अस्वीकार्य दावा लिये जाने की राशि
9	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शिवपुरी	दिनेश सेल्स एजेंसी गैस प्वाइंट पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड	23AKTPK0051G1ZE 23AABCG0745J1ZV	23095602442 23219037852	25 अक्टूबर 2017 27 दिसंबर 2017	01 जनवरी 2017 18 अगस्त 2017	10 नवंबर 2017 17 मार्च 2018	1,47,344 1,23,304
10	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, झाबुआ	पाटीदार कृषि एजेंसीज जयंत निधि ट्रेडर्स	23CNBPP6235L1ZU 23AJIPN9929L1ZK	23439109804 23789155165	27 दिसंबर 2017 13 सितंबर 2017	12 जून 2017 फाईल नहीं	फाईल नहीं हुआ 07 सितंबर 2017	1,20,261 1,72,193
11	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मंदसौर	मोरणा फैंब्रिकेशन एंड इंजीनियरिंग	23ADZPD2051J1ZJ	23793102755	26 अक्टूबर 2017	11 मई 2017	19 मार्च 2018	2,96,601
12	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-1	विद्युत कार्य और रखरखाव अरिहत मेडिकोज प्रिया टिम्बर ए.के.जी. इन्टरप्राइजेज	23AYTPK8039N1ZN 23ACHPJ1364P1ZF 23ABJPV5552C1ZO 23AAQFA3164M1Z8	23635810986 23175803964 23545806816 23475810492	27 दिसंबर 2017 14 दिसंबर 2017 30 सितंबर 2017 24 अगस्त 2017	27 अप्रैल 2017 फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ 08 मई 2017	फाईल नहीं हुआ 25 दिसंबर 2017 26 सितंबर 2017 08 जनवरी 2018	1,56,388 2,81,211 2,83,697 3,75,251
13	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-2	ए एजेंसीज शेख सफरुद्दीन आईडियल प्रापर्टीज	23AGQPBI856P1Z1 23AXKPS1536L1Z6 23AABFI8682H1Z9	23849080663 81489000254 81379000071	20 दिसंबर 2017 27 दिसंबर 2017 27 दिसंबर 2017	फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ	19 दिसंबर 2017 फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ	6,36,062 2,82,334 58,67,393
14	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-3	समर्थ इंडस्ट्रीज	23AFSPM2290P1ZS	23419233287	23 दिसंबर 2017	फाईल नहीं हुआ	24 अगस्त 2017	2,36,119
15	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-4	गुलाटी एण्ड कंपनी	23ADDBPG3919L1ZP	23505902286	26 दिसंबर 2017	फाईल नहीं हुआ	फाईल नहीं हुआ	1,30,780

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (सिर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 फाईल करने की दिनांक	2016-17 के चौथे त्रैमास के बैट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2017-18 के पहले त्रैमास के बैट विवरणी फाईल करने की दिनांक	ट्रान-1 विवरणी में अस्वीकार्य दावा लिये जाने की राशि
16	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शहडोल	ओमकार हार्डवेयर कुलदीप ट्रेडर्स	23DDFP1318K1ZM 23BENPG2945E1ZP	23249198675 23569172453	04 अक्टूबर 2017 04 अक्टूबर 2017	फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ	04 अक्टूबर 2017 22 सितंबर 2017	3,02,276 3,20,815
17	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मंडीदीप	मीनेश इरिगेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड तोमर पेंट्स एण्ड प्लाईवुड हार्डवेयर	23AAHCM8918M1ZZ 23AIVPT1115G1Z8	23979230515 23509189240	25 दिसंबर 2017 23 अगस्त 2017	फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ	30 दिसंबर 2017 16 अगस्त 2017	40,57,592 1,34,946
18	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बीना	अपना मोबाइल फोन ट्रेडर्स पॉइंट	23DSYPK8286B1Z7	23179233990	16 अक्टूबर 2017	फाईल नहीं हुआ	16 अक्टूबर 2017	1,28,440
19	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छतरपुर	मौर्या हार्डवेयर	23AJMPM0893L1ZS	23387703060	27 दिसंबर 2017	30 दिसंबर 2019	31 दिसंबर 2019	20,94,203
20	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बैड़न	आदिशक्ति महामाया इंट्रस्ट्राइसेज आनंद कार्बो प्रा. लिमिटेड वी पी पारंढे आरडीवी ऑटोमोटिक्स अवधेश प्रसाद गुप्ता दामोदर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	23BIZPD9291C1ZY 23AADCA7304F1Z8 23AJMP4695D1ZY 23AKBPS4517R1ZQ 23ALXPG9175A1ZX 23AABCD3754A1ZB	23769092214 23079191223 23629009778 23517304658 23267304553 23097305568	09 सितंबर 2017 13 अक्टूबर 2017 27 दिसंबर 2017 26 दिसंबर 2017 30 अक्टूबर 2017 27 दिसंबर 2017	10 मई 2017 15 जून 2017 फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ 26 मई 2017 05 मई 2017	10 सितंबर 2017 25 दिसंबर 2017 फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ	2,68,013 2,29,093 6,74,428 16,67,652 1,08,244 5,90,548
21		अग्रवाल कृषि केंद्र प्रोप प्रसन्न चंद मालू	23AJTPA4460G1ZD 23ADPRM8982F2ZY	2394050195 81833000407	27 दिसंबर 2017 01 सितंबर 2017	फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ	फाईल नहीं हुआ फाईल नहीं हुआ	2,14,403 2,39,720

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (सिर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 फाईल करने की दिनांक	2016-17 के चौथे त्रैमास के बैट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2017-18 के पहले त्रैमास के बैट विवरणी फाईल करने की दिनांक	ट्रान-1 विवरणी में अस्वीकार्य दावा लिये जाने की राशि
	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, सिवनी	सुदीप ट्रेडर्स	23ACGPA64981JZG	23966701410	27 दिसंबर 2017	फाईल नहीं हुआ	फाईल नहीं हुआ	3,05,328
		जैन बोरवेल्ल एण्ड ड्रिलिंग	23AKKPJ0604M1ZC	23099001683	27 दिसंबर 2017	01 मई 2017	फाईल नहीं हुआ	59,69,157
		दादागुरु कंस्ट्रक्शन	23AADFD9376M1Z0	23396702645	28 सितंबर 2017	24 अक्टूबर 2017	25 जुलाई 2017	8,55,777
22	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बालाघाट	राजेश इंटरप्राइसेज	23AEOPP9B71Q1ZC	23266503721	20 नवंबर 2017	21 नवंबर 2017	21 नवंबर 2017	5,33,200
23	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भिण्ड	बरुआ मोटर्स	23AQGPB9539H1ZV	23749033143	27 दिसंबर 2017	08 नवंबर 2017	11 मार्च 2018	2,94,910
		बैशा टायर्स प्रा. लिमिटेड	23AAGCB5970R1Z3	23899180374	16 दिसंबर 2017	02 नवंबर 2017	27 दिसंबर 2017	1,40,985
		कल्पना जनरल स्टोर	23APPPK9470A1ZV	23854802647	26 अक्टूबर 2017	फाईल नहीं हुआ	31 जुलाई 2017	2,23,656
24	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कटनी-1	लक्ष्मी पेंट्स एण्ड हार्डवेयर स्टोर	23AEQPJ0228M1ZF	23486204355	27 दिसंबर 2017	फाईल नहीं हुआ	30 जुलाई 2017	99,445
		पावर सेल्ल्स एण्ड सर्विस	23.AM JPK4053A1ZM	23289094493	22 दिसंबर 2017	10 जून 2019	फाईल नहीं हुआ	2,41,622
		अंजली मिनरल्ल्स	23BPKPS2295R1ZZ	23816206841	27 सितंबर 2017	27 अगस्त 2017	12 अक्टूबर 2017	1,50,080
25	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मंडला	श्री जी बिल्डर्स	23AUHPP0157G1ZU	23309028822	21 सितंबर 2017	16 अगस्त 2017	23 जनवरी 2018	2,53,664
		सुरेश कुमार जीवनलाल	23AHOPP0518R1ZU	23936300574	28 अगस्त 2017	25 अगस्त 2017	30 अगस्त 2017	2,40,361
		माँ रीवा इंटरप्राइसेज	23AHYPPD6198D1Z1	23026302384	24 अक्टूबर 2017	31 मई 2018	31 मई 2018	6,48,501
		अमित राईस इंडस्ट्रीज	23ANJPP3748A2Z6	23899107721	22 दिसंबर 2017	फाईल नहीं हुआ	26 दिसंबर 2017	1,67,102
योग								3,96,81,517

परिशिष्ट 2.7
(कड़िका 2.4.9.7 में संदर्भित)

वैट में अपंजीकृत डीलरों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण जिन्होंने ड्रान-1 की तालिका 5(C) में एसजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया (राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (भेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ड्रान-1 फाईल करने की दिनांक	ड्रान-1 विवरणी के टेबल 5(सी) में अस्वीकार्य वैट क्रेडिट के दावे की राशि	टिप्पणी
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, धार	महावीर इंटरप्राइसेज	23AJKPI4779LIZO	23419067126	29 सितंबर 2017	2,45,077	डीलर का पंजीकरण 01 अप्रैल 2013 को वैटीज मॉड्यूल में रद्द कर दिया गया था और इसलिए ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए पात्र नहीं था।
2	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, देवास	अग्रोद किसान सेवा केंद्र	23AHWPC5123DIZP	23189006815	27 दिसंबर 2017	12,95,931	डीलर का पंजीकरण 09 जून 2015 को वैटीज मॉड्यूल में रद्द कर दिया गया था।
3	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-1	बलदेव होलानी, एण्ड संजय कुमार लखोटिया	23AAAABB0381RIZO	वैट में पंजीकृत नहीं	14 अक्टूबर 2017	6,11,901	डीलर वैट व्यवस्था में पंजीकृत नहीं थे, लेकिन ड्रान-1 की तालिका 5(सी) में ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रोषित किया था।
		विनायक इंजीनियरिंग सर्विसेज	23AMMPV5324JZZO	वैट में पंजीकृत नहीं	27 दिसंबर 2017	1,64,877	डीलर वैट व्यवस्था में पंजीकृत नहीं थे, लेकिन ड्रान-1 की तालिका 5(सी) में ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रोषित किया था।
4	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-3	बरसैया ग्लास हाउस	23ADBPG6110B2ZK	वैट में पंजीकृत नहीं	18 दिसंबर 2017	1,15,237	डीलर का पंजीकरण 16 जनवरी 2017 को वैटीज मॉड्यूल में रद्द कर दिया गया था और इसलिए ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए पात्र नहीं था।
योग						24,33,023	

परिशिष्ट 2.8
(कड़िका 2.4.9.8 में संदर्भित)

उन डीलरों के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक जिन्होंने वैट विवरणी में आईटीआर के अधिक दावे के साथ-साथ ट्रान-1 विवरणी में गलत अतिरिक्त क्रेडिट को अग्रोषित किया

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	अवसाधियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 में दावे की राशि	2016-17 के चौथे त्रैमास के वैट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2016-17 के चौथे त्रैमास के वैट विवरणी में अग्रोषित की गई क्रेडिट की राशि	2017-18 के पहले त्रैमास विवरणी फाईल करने की दिनांक	2017-18 के पहले त्रैमास के वैट विवरणी में लाई गयी अग्रोषित राशि	2017-18 के पहले त्रैमास के वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	वैट विवरणी में दावा किये गए अतिरिक्त क्रेडिट के साथ-साथ ट्रान-1 में भी अग्रोषित किया गया
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजगढ़	लक्ष्मी मोटर्स (मेसर्स)	23DXGPS5027 FIZI	23539063040	2,75,657	28 नवंबर 2018	21,553	02 दिसंबर 2017	1,67,772	2,75,657	1,46,219
2	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पीथमपुर	कोमर्शियल सिन बैरस लिमिटेड	23AABCC2596 D2ZZ	23471400484	11,68,810	30 नवंबर 2019	23,76,399	05 दिसंबर 2017	25,13,242	12,21,589	84,064
3	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, धार	धूत टेलीकॉम भगवती ट्रेडर्स श्री कृष्णा एग्री एजेंसी जवाहर एंड कंपनी वल्लभराम लालचंद	23ADYPD6993 L1ZP 23AJNPI0580 G1ZD 23AJDPB4752 C1ZX 23ABEPI8491 M1Z8 23AASPA9481 H1ZG	23171704744 23041704282 23311704473 23321600629 23781600667	28,57,308 1,00,400 1,29,902 16,20,192 7,04,466	28 अप्रैल 2017 18 मई 2017 15 मई 2017 12 सितंबर 2017 19 सितंबर 2017	22,88,775 38,108 43,072 13,69,366 7,42,632	07 नवंबर 2017 27 दिसंबर 2017 04 दिसंबर 2017 12 सितंबर 2017 26 जुलाई 2017	25,86,533 1,14,279 1,18,782 13,71,295 7,61,927	28,57,308 1,00,400 1,29,902 16,20,192 7,04,467	2,97,758 76,171 75,710 1,929 19,294
4	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, देवास	मयंक किसान सेवा केंद्र	23ANMPM940 2H1ZY	23122304959	4,47,824	17 दिसंबर 2018	5,95,133	18 सितंबर 2017	6,02,248	4,47,824	7,115

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 में दावे की राशि	2016-17 के चौथे त्रैमास के वेट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2016-17 के चौथे त्रैमास के वेट विवरणी में अग्रोषित की गई क्रेडिट की राशि	2017-18 के पहले त्रैमास के वेट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2017-18 के पहले त्रैमास के वेट विवरणी में लाई गयी अग्रोषित राशि	2017-18 के पहले त्रैमास के वेट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	2017-18 के वेट विवरणी में दावा किये गए अतिरिक्त क्रेडिट के साथ-साथ ट्रान-1 में भी अग्रोषित किया गया
5	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रतलाम-2	मानक श्याम	23AFQPA7061 LIZB	239333500960	1,21,646	27 अप्रैल 2017	2,96,554	11 जुलाई 2017	4,80,967	1,21,646	1,84,413
		लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी	23CZDPS5398 MIZL	23069113624	1,35,484	20 अप्रैल 2017	83,559	02 जून 2017	1,38,287	1,35,484	54,728
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छिंदवाड़ा-2	आदर्श विकास केंद्र	23AKJPK8801 AIZM	23286804313	1,40,570	19-06-2017	1,12,128	30-11-2017	1,15,152	1,40,570	3,024
		राजेंद्र कृषि केंद्र	23AFRPC9735 QIZP	23786802971	1,86,819	11 जून 2017	0	27 दिसंबर 2017	2,72,072	1,86,819	2,72,072
7	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन-2	फोन्स विला	23AAEFF4501 HIZZ	23969170085	9,17,830	04 मई 2017	6,45,449	25 दिसंबर 2017	7,66,199	9,17,830	1,20,750
		शांति लाल ओंकारलाल	23ABOPG0035 GIZ6	23732702954	8,06,617	09 अप्रैल 2017	1,00,394	18 जुलाई 2017	8,06,617	8,06,617	7,06,223
8	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शाजापुर	गौतम हार्डवेयर	23APRPP9085 LIZY	23472501531	1,66,016	13 नवंबर 2017	1,98,005	13 नवंबर 2017	2,00,062	1,65,184	2,889
		एस के एम कोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	23AADCK499 OKIZ9	23082205168	2,35,111	06 मई 2017	18	09 अगस्त 2017	66,202	2,33,781	67,514
10	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, खंडवा	विंध्या मार्केटिंग	23BAJPS3120F IZZ	23302004645	2,25,265	11 अप्रैल 2017	35,392	05 अक्टूबर 2017	1,91,979	2,26,290	1,55,562
		किरण बुडेन इंडस्ट्रीज	23AQRPP6227 HIZJ	235690009590	3,50,321	06 जून 2017	3,31,281	08 जून 2017	3,47,646	3,50,321	16,365

स. क्र.	लेखपरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 में दावे की राशि	2016-17 के चौथे त्रैमास के वेट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2016-17 के चौथे त्रैमास के वेट विवरणी में लाई गयी अग्रोषित की राशि	2017-18 के पहले त्रैमास के वेट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2017-18 के पहले त्रैमास के वेट विवरणी में लाई गयी अग्रोषित राशि	2017-18 के पहले त्रैमास के वेट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	वेट विवरणी में दावा किये गए अतिरिक्त क्रेडिट के साथ-साथ ट्रान-1 में भी अग्रोषित किया गया
11	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, खरगौन	श्री एग्री क्लिनिक एण्ड एग्री बिजनेस	23AOJPP4290 EIZY	23142108523	1,07,158	15 जुलाई 2017	1,00,049	15 नवंबर 2017	1,15,125	1,07,158	15,076
12	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, झाबुआ	सोमानी कृषि सेवा केंद्र	23AYQPS2571 LIZT	2320180429	2,58,907	30 अक्टूबर 2017	1,43,156	11 दिसंबर 2017	2,30,238	2,58,907	87,082
13	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-2	आदित्य इंटरप्राइसेज	23ABMPN554 9AIZS	23655809326	10,02,545	20 जुलाई 2017	10,49,336	27 जुलाई 2017	10,50,664	10,02,545	1,328
14	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-3	मार्केटिंग एण्ड बिजनेस एजेंसी	23ACUPA9979 JIZU	23816003238	11,05,434	27 अप्रैल 2017	1,20,477	07 अक्टूबर 2017	11,93,483	11,05,434	10,73,006
		क्रोमलाइट	23AABFC5766 GIZM	23426005635	1,92,235	29 अप्रैल 2017	10,49,083	02 अगस्त 2017	13,70,239	1,92,235	3,21,156
		संस्कारधानी मोबाइल	23BCWPG477 7RIZJ	23149081800	2,62,731	02 मई 2017	2,94,980	09 नवंबर 2017	3,15,703	2,78,446	5,008
15	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर 4	श्री महावीर पाइप वर्क्स	23AADPO0191 PIZJ	23656001483	3,74,070	16 अप्रैल 2017	1,21,254	30 जुलाई 2017	2,48,026	3,74,070	1,26,772
		शरद कुमार जैन	23ACOPJ3871 CIZR	23369075085	4,81,394	29 जून 2017	2,84,612	29 अक्टूबर 2017	5,93,895	4,81,394	3,09,283
15	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर 4	वीणा गारमेंट्स प्रा. लिमिटेड	23AABCV851 9PIZT	23295902935	3,26,100	01 दिसंबर 2017	2,42,700	27 दिसंबर 2017	3,28,522	3,26,100	85,822
		खेमी इंटरप्राइसेज	23AAPEK1470 RIZS	23059088017	3,99,242	13 अप्रैल 2017	4,63,778	28 जुलाई 2017	4,70,805	3,99,242	7,027

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 में दावे की राशि	2016-17 के चौथे त्रैमास के वेट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2016-17 के चौथे त्रैमास के वेट विवरणी में अग्रहित की गई क्रेडिट की राशि	2017-18 के पहले त्रैमास के वेट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2017-18 के पहले त्रैमास के वेट विवरणी में लाई गयी अग्रहित राशि	2017-18 के पहले त्रैमास के वेट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	वैट विवरणी में दावा किये गए अतिरिक्त क्रेडिट के साथ-साथ ट्रान-1 में भी अग्रहित किया गया
		राजेंद्र एण्ड कंपनी	23ACOPA2606 GIZ5	23756102308	7,15,783	30 मई 2017	6,76,690	10 नवंबर 2017	7,26,751	5,74,141	1,91,703
		शंकर बीज मंडार	23AIYPK1004 CIZQ	23936102597	6,12,174	21 मई 2017	4,20,450	06 नवंबर 2017	4,25,212	6,12,174	4,762
16	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शहडोल	एम पी इंजीनियरिंग	23AAATFM267 4FZ22	23869027505	3,41,430	06 जून 2017	1,06,188	16 सितंबर 2017	1,17,497	0	3,52,739
17	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मंडीदीप	प्रॉक्टर एण्ड गैबल हेल्थ केयर एंड हाइजीन लिमिटेड	23AAACVP6332 MIZF	23471101239	13,12,81,699	29 अप्रैल 2017	8,28,55,648	26 जुलाई 2017	13,98,41,026	13,12,81,699	5,69,85,378
		एंड्रिट्टज हाइड्रो प्रा. लिमिटेड	23AAABCV246 6RIZV	23974101853	1,92,97,835	28 अप्रैल 2017	0	26 सितंबर 2017	2,10,07,364	1,92,97,835	2,10,07,364
		प्रीसिजन इंजीनियरिंग कंपनी प्रा। लिमिटेड	23AAAFCP3324 CIZI	23089002363	8,92,745	05 मई 2017	8,90,745	27 दिसंबर 2017	8,92,745	8,92,745	2,000
18	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बीना	अग्रवाल खाद विकास केंद्र	23AHPPA2372 RIZO	23307403762	7,54,478	28 अगस्त 2017	0	28 अगस्त 2017	2,80,090	7,54,478	2,80,090
19	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बालाघाट	अनिल ट्रेडर्स	23AFBPP4932 QIZ3	23796503187	17,72,951	10 अक्टूबर 2017	16,22,129	10 अक्टूबर 2017	16,97,540	17,72,951	75,411

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 में दावे की राशि	2016-17 के चौथे त्रैमास के वैट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2016-17 के चौथे त्रैमास के वैट विवरणी में अग्रोषित की गई क्रेडिट की राशि	2017-18 के पहले त्रैमास के वैट विवरणी फाईल करने की दिनांक	2017-18 के पहले त्रैमास के वैट विवरणी में लाई गयी अग्रोषित राशि	2017-18 के पहले त्रैमास के वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट की राशि	वैट विवरणी में दावा किये गए अतिरिक्त क्रेडिट के साथ-साथ ट्रान-1 में भी अग्रोषित किया गया
20	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भिंड	साईराम ऑटोमोबाइल्स	23ASVBP3496 L1Z7	23494804494	2,59,989	28 अप्रैल 2017	30,357	12 सितंबर 2017	1,51,105	2,59,989	1,20,748
21	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कटनी-1	श्री कमल लाइम इंडस्ट्रीज कैलाश चंद बगरिया के सी बगरिया सस	23ADEPB9818 L1ZH 23AADFK1818 K1ZI 23ADCPB6594 P1Z8	23716204277 23856200611 23286202816	39,70,828 15,44,184 24,01,324	01 मई 2017 29 अप्रैल 2017 09 मई 2017	36,02,050 3,21,967 10,42,780	26 दिसंबर 2017 26 दिसंबर 2017 26 दिसंबर 2017	38,74,735 13,40,387 23,12,413	39,70,828 15,44,184 24,01,324	2,72,685 10,18,420 12,69,633
22	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बुरहानपुर	विजय कृषि केंद्र	23ABVPT964E 1ZA	23061904964	3,67,576	03 अक्टूबर 2017	1,91,633	25 सितंबर 2017	2,57,471	4,13,877	19,537
				योग	17,93,13,050		10,49,07,880		19,04,62,297	17,89,43,637	8,59,23,830

परिशिष्ट 2.9

(कांडिका 2.4.9.9 में संदर्भित)

उन व्यवसायियों के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक जिन्होंने ट्रान-1 में दावा किए गए एसजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट को संशोधित वैट विवरणी से अधिक क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 में दावे की दिनांक	ट्रान-1 की राशि	मूल वैट विवरणी फाईल करने की दिनांक	वैट विवरणी से ट्रान-1 में अप्रोपित किये गये क्रेडिट की राशि	संशोधित वैट विवरणी फाईल करने की दिनांक	संशोधित वैट विवरणी में अप्रोपित की जाने वाली क्रेडिट की दर्शायी गई राशि	ट्रान-1 में लिये गये अधिक क्रेडिट
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजगढ़	शुभम ट्रेडर्स मितल मशीनरी सर्वाफ ट्रेडर्स	23AEGPV743 7J1Z2 23AFQPM117 5F1ZH 23BGZPS4104 F1Z8	23509022691 23262402561 23592403883	30 अगस्त 2017 28 अगस्त 2017 02 सितम्बर 2017	2,81,020 3,82,545 7,33,367	29 अगस्त 2017 19 अगस्त 2017 02 सितंबर 2017	2,81,020 3,82,545 7,33,466	26 अक्टूबर 2018 23 सितंबर 2018 30 नवंबर 2017	2,30,448 3,67,175 0	50,572 15,370 7,33,367
2	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, देवास	मेघा ग्राफिक्स त्यागी इंडस्ट्रीज वक्त टेलीकॉम	23AJGPP8484 Q1ZA 23ALFPT6096 H1ZQ 23ALJPN0422 H1ZI	23692305567 23049041943 33499178183	28 सितम्बर 2017 29 अगस्त 2017 23 अक्टूबर 2017	1,55,135 2,03,464 5,46,246	19 अगस्त 2017 22 अगस्त 2017 23 अगस्त 2017	1,55,135 2,03,464 5,46,246	20 अक्टूबर 2018 19 जून 2018 15 सितंबर 2018	17,575 1,94,134 1,27,068	1,37,560 9,330 4,19,178
3	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पीथमपुर	भीम सिंह ठाकुर	23AAQFB994 3F1Z7	23021703129	27 दिसम्बर 2017	6,27,814	26 अगस्त 2017	6,27,814	29 जनवरी 2020 (कर निर्धारण)	0	6,27,814
4	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, नीमच	फिरोज शॉ एण्ड कंपनी	23AARFP925 ID1Z3	23023300040	11 सितम्बर 2017	33,87,062	27 जुलाई 2017	33,87,062	11 दिसंबर 2019	6,45,323	27,41,739

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	अवसाधियों के नाम (मैसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ड्राउन-1 में दावे की दिनांक	ड्राउन-1 की राशि	मूल वैट विवरणी फाईल करने की दिनांक	वैट विवरणी से ड्राउन-1 में अग्रहित किये गये क्रोडिट की राशि	संशोधित वैट विवरणी फाईल करने की दिनांक	संशोधित वैट विवरणी में अग्रहित की जाने वाली क्रोडिट की दर्शायी गई राशि	ड्राउन-1 में लिये गये अधिक क्रोडिट
5	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर I	नेशनल टायर	23AGRPL9521E1ZB	23969102185	26 दिसंबर 2017	4,43,562	30 जुलाई 2017	4,43,562	2 जनवरी 2020	2,26,827	2,16,735
		प्राची एस टेली कम्युनिकेशन	23AHZPK0857B1ZB	23905807976	27 दिसंबर 2017	1,07,916	27 दिसंबर 2017	1,07,916	08 फरवरी 2021	1,03,075	4,841
		सौम्या ट्रेडर्स	23AJFPC9642N1Z0	23325809750	22 अक्टूबर 2017	1,09,049	12 सितंबर 2017	1,09,049	07 दिसंबर 2018	59,189	49,860
		साई प्लास्टिक	23AJJPB6524D1ZT	23895810552	27 दिसंबर 2017	2,52,980	16 अगस्त 2017	2,52,980	05 फरवरी 2021	2,14,139	38,841
		सूर्या रेक्रेट्रीज	23AMXPS880711Z7	23895805023	05 सितंबर 2017	3,14,354	06 अगस्त 2017	3,14,354	20 मार्च 2019	3,04,354	10,000
		लांबा एजेंसी	23ABEPL4553A1Z8	23229089261	26 दिसंबर 2017	3,40,928	12 अगस्त 2017	3,41,937	06 फरवरी 2021	3,20,370	20,558
		पवनसुत कंसल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड	23AADCP9321P1Z3	23355810364	11 नवंबर 2017	2,97,342	26 जुलाई 2017	2,97,342	27 जुलाई 2018	1,87,665	1,09,677
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मंदसौर	नीलेश मेडिकल स्टोर	23AGAPI0285G1ZV	23573001705	25 अक्टूबर 2017	5,72,059	01 अगस्त 2017	5,72,059	27 नवंबर 2019	2,41,904	3,30,155
		राठौर कृषि	23AABFR2427B1ZX	23282003201	23 दिसंबर 2017	2,36,346	23 दिसंबर 2017	2,37,681	08 अप्रैल 2019	0	2,36,346
7	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, खंडवा				योग	89,91,189		89,93,632		32,39,246	57,51,943

परिशिष्ट 2.10

(कड़िका 2.4.9.12 में संदर्भित)

उन डीलरों के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक जिन्होंने पूंजीगत माल और कर दत्त स्टॉक पर दावा किए गए आईटीसी के संबंध में संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मिस्सर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 की तालिका जिसमें आई टी सी का दावा किया था	दावा की गई आईटीसी की राशि, जो असत्यापित रही
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, धार	वैसमेट इंडिया लिमिटेड	23AAACV5120B1Z4	23849165344	6 (बी)	34,97,391
2	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पीथमपुर	मैन ट्रक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	23AAEBCM6932E1ZP	23721604774	7 (बी)	2,40,369
		मान एल्युमिनियम लिमिटेड	23AAAFCM0088C1ZX	23471101336	7 (बी)	49,89,043
		हिम टेक्नोफोर्ज लिमिटेड	23AAAACH3906R2ZE	23961601926	7 (बी)	23,32,016
		एम आर ट्रेडर्स	23ADFPPT9084M1ZU	23051603833	7 (बी)	20,033
		कॉमर्शियल सिन बैग्स लिमिटेड	23AABCC2596D2ZZ	2347140048	7 (बी)	1,87,733
		हरिहर टायर्स	23AIDPB1541QJZH	23459005818	7 (बी)	10,419
3	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, देवास	फोर्स मोटर्स लिमिटेड	23AAAACB7066L1ZM	23431603624	7 (बी)	6,51,411
		पॉलीहोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	23AAAACP6469R1ZR	23769158174	7 (बी)	15,54,728
		शालू फूड्स	23AVMPV7462J1ZW	23629242287	7 (बी)	2,48,256
		श्री राम ट्रेडर्स	23ANGPM9214M1ZR	23282305938	7 (बी)	60,354
		जॉन डीरे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	23AAAACJ4233B1ZC	23119043779	7 (बी)	1,00,245
		मालवा इंटरप्राइसेज	23AHYPA6520E1ZK	23509019587	7 (बी)	13,00,016
					7 (सी)	41,586
		नवीन पलोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड	23AABCP0464B1Z4	23582300535	7 (बी)	41,586
						4,161

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मिसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 की तालिका जिसमें आई टी सी का दावा किया था	दावा की गई आईटीसी की राशि, जो असत्यापित रही
		देवास हाइड्रोक्विप प्राइवेट लिमिटेड	23AABCD3564G1ZZ	23592303003	7 (सी)	6,04,836
		फूड मार्ग्स	23ATXPI3378C1ZH	23629097175	7 (सी)	58,750
		गोब्रियल इंडिया लिमिटेड	23AAAACG1994N1ZC	23432302315	7 (बी)	1,96,006
		बेयरलोचर इंडिया एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड	23AAAACB6493M1ZF	23232303395	10(ए)	67,33,797
4	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छिंदवाड़ा-1	पूजा एजेंसी	23ADBPV4804H1ZP	23186602899	7 (बी)	1,65,915
		नीर सामग्री आपूर्तिकर्ता	23CAOPD5984N1Z2	23289149492	7 (सी)	39,385
		लालवाला इंटरप्राइसेज	23AKIPJ8532G1Z8	23179215657	7 (सी)	2,99,349
5	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छिंदवाड़ा-2	अर्पणा इंटरप्राइसेज	23AAAACV8686N1ZM	23186800391	7 (सी)	2,06,907
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इटारसी	विशाल निर्मती प्राइवेट लिमिटेड	23AFACC9547H1Z6	23464302875	7 (बी)	1,32,357
7	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन-2	मोहता अभिकरण	23ACBPM9433A1Z3	23352702678	7 (सी)	18,534
		ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	23AAAACG4464B5Z2	23802700151	7 (बी)	3,60,653
		अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड	23AAAACL6442L1ZI	23762701822	7 (बी)	7,72,248
8	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन-3	कशिश इंटरप्राइसेज	23BQSPK6586Q1ZP	23199174430	7 (बी)	1,03,605
9		फिन्स सिस्टम	23AODPP2085D1Z9	23422504808	7 (बी)	2,32,900
		अग्रवाल सीमेंट्स	23AWGPA1007P1ZW	23819172622	7 (सी)	6,797

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 की तालिका जिसमें आई टी सी का दावा किया था	दावा की गई आईटीसी की राशि, जो असत्यापित रही
	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शाजापुर	अमर रत्न ट्रेडर्स	23AETPJ1967NIZU	23029106935	7 (सी)	3,90,159
		महिमा ट्रेडर्स	23ACMPA3045P1ZL	23592502338	7 (बी)	1,46,872
		नकोदा सेल्स एण्ड सर्विस	23ACMPA3045P1ZL	23592502338	7 (सी)	36,695
		अग्रवाल ट्रेडर्स	23AAVPT4233F1ZI	23422503256	7 (बी)	70,647
		लक्ष्मी टेलीकॉम	23ACMPA3035D1ZC	23792501646	7 (सी)	41,176
		गर्ग ट्रेडिंग कंपनी	23BDNPG5201Q1ZF	23119031751	7 (सी)	5,88,741
		मंगल श्री कृषि सेवा केंद्र	23AFHPG4385C1ZS	23262502859	7 (बी)	77,718
10	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शिवपुरी	जेटराम चोखाराम	23ASWPM9760B1ZD	23262502859	7 (सी)	2,94,481
		रामजीलाल प्रदीप कुमार	23AABFJ4161G1ZS	23585700094	7 (सी)	75,977
		मेसर्स पीएस बाइक एलएलपी	23AIYPM4714B1ZB	23475700591	7 (सी)	46,007
		दशमेश इंजीनियरिंग	23AARFP0831B1ZN	23509139576	7 (सी)	11,705
		प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति	23DONPS9570H1Z9	23125703548	7 (सी)	2,81,428
11	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मंदसौर	मराल ओवरसीज लिमिटेड	23AAATP7565P1ZX	23589249469	7 (बी)	68,193
		मराल ओवरसीज लिमिटेड	23AAACCM0230B1ZI	235622022091	7 (बी)	48,733
12	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, सेंधवा	ऑटो स्पार्क	23ACUPV5342E1ZB	23355809588	7 (सी)	3,51,774
13	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-1	रमेश चंद्र पोरवाल	23AGYPP6886H1ZG	उपलब्ध नहीं	7 (बी)	1,25,00,000
		राज प्रिंट पैक इंडस्ट्रीज	23AIZPP7357A1ZW	23565803604	7 (बी)	1,44,752

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मिसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 की तालिका जिसमें आई टी सी का दावा किया था	दावा की गई आईटीसी की राशि, जो असत्यापित रही
14	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-2	पवनसुत कंस्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	23AADCP9321P1Z3	23355810364	7 (सी)	2,91,597
		नैयर टिम्बर	23ACVFN5052E1ZJ	23675805435	7 (सी)	3,74,774
		राशि इंटरप्राइसेज	23AOZPP7272E1ZE	23145810722	7 (डी)	17,14,055
15	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-2	नाथ बिल्डर्स	23AWSPS1465R1ZK	2398138170	7 (सी)	5,71,655
		स्टील हाउस	23AAACHV6728E1Z6	23615903050	7 (सी)	41,109
		जे के मोटर्स	23AAAFJ1581D1ZP	23469061107	6 (बी)	5,34,373
16	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-3	अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल्स	23ANAPK2829E1ZH	23406006228	7 (सी)	1,14,552
		इन्फो साल्यूशन	23AABFI2330Q1ZH	23096003925	7 (सी)	3,68,910
		कंप्यूटर बाजार	23ACGPJ7286B1ZS	23236002393	7 (सी)	88,382
17	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-4	श्री महावीर पाइप वर्क्स	23AADPO0191P1ZJ	23656001483	7 (सी)	87,410
		मेडिसेल	23AAKFM7147A1ZK	23626005331	10(ए)	33,374
		कर्मशियल ऑटो मोबाइल्स प्रा. लिमिटेड	23AACCC4267E1Z1	23196000766	11	4,92,501
17	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर-4	डी जे एक्वा सोल्यूशन	23AZIPD5411HI1ZU	23309047058	7 (सी)	23,50,999
		सुनील होजरी प्रा. लिमिटेड	23AAUCS3850M1ZR	23779181744	7 (सी)	1,19,541
		सेंट्रल मार्ट	23AAHFC4821A1Z6	23449026383	7 (सी)	3,05,815
17	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शहडोल	पीएजी फार्मा	23AEEPA6383G1ZT	23276102960	10 (ए)	6,501
		साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड	23AADCS2066E1ZR	23897201241	7 (बी)	6,41,341
		श्री राधे टायर्स	23.AM RPG7550N1ZJ	23509179346	7 (बी)	2,79,480
					7 (सी)	1,88,558
					7 (सी)	1,88,558

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मिसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 की तालिका जिसमें आई टी सी का दावा किया था	दावा की गई आईटीसी की राशि, जो असत्यापित रही
18	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मंडीदीप	शांति ट्रेडर्स	23ACLP7050C1ZR	23937203159	7 (सी)	93,409
		मैकसन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	23AABCM0082E1Z3	23644101641	7 (सी)	35,212
		तिरुपति मोटर्स	23BXQPS3812J1Z4	23579133458	7 (सी)	72,420
		एड्रिटज हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	23AABCV2466R1ZV	23974101853	7 (बी)	4,53,940
19	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भिंड	एवगोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	23AAKCA0736E2Z4	23589204073	7 (बी)	5,41,578
		बरुआ मोटर्स	23AQQPB9H1ZV	23749033143	7 (सी)	15,044
20	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, टीकमगढ़	खुर्खुरिया ऑटोमोबाइल्स	23AAZPJ7642N1ZW	23457801137	7 (बी)	1,71,210
		जैन कृषि केंद्र	23AGJ3016E1ZZ	23427801784	7 (बी)	1,19,870
		महेंद्र ट्रेडिंग कंपनी पृथ्वीपुर	23ACWJP3791K1ZZ	23557800500	7 (सी)	80,524
21	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, दतिया	शिवहरे ट्रेडर्स	23CPSPK2402R1ZH	23449158594	7 (बी)	3,47,758
		बालाघाट मिनरल्स प्रोप	23AHLPG5310K2ZJ	23126505835	7 (बी)	5,018
22	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बालाघाट	रविशंकर एण्ड कंपनी	23AAHFR2379A1ZI	23236500391	7 (सी)	2,47,361
		माखन मिनरल्स एलएलपी	23ABCFM1171B1Z0	अपंजीकृत	7 (बी)	14,19,350
23	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विदिशा	यूनिकिल कीटनाशक	23AAACU1930A1Z5	23194402497	7 (सी)	2,12,699
		अमृत कीटनाशक	23AJSPB5589L1ZM	23954405474	7 (सी)	6,715
		शिव शक्ति इंटरप्राइसेज	23DIPT3285B1ZN	23814405648	7 (सी)	4,10,066

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मिसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 की तालिका जिसमें आई टी सी का दावा किया था	दावा की गई आईटीसी की राशि, जो असत्यापित रही
24	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बैङ्कन	सुषमा ट्रेडर्स	23AGCPB0733D1ZE	23174405127	7 (डी)	3,27,883
		प्राइमर एक्सप्लोसिव लिमिटेड	23AABCP2277J1ZG	23767303308	7 (बी)	3,23,828
		नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड	23AABCN4884H1ZE	23667300604	7 (बी)	9,54,978
		स्पेशल ब्लास्ट्स लिमिटेड	23AADCS2831D1ZW	23157304856	7 (बी)	7,88,387
		ब्लास्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	23AAAACB7455K1ZN	23267302904	7 (बी)	2,50,271
		शार्क प्रोजेक्ट लिमिटेड	23AAPCS9159L1ZK	23979066197	7 (सी)	20,132
		सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	23AAACCS2132E4ZY	23237303357	7 (बी)	5,02,509
		सोनल हाइवेयर	23ALOPG4284H1Z0	23606206714	7 (सी)	5,041
25	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कटनी-2	एमएन आयरन ट्रेडर्स	23AEWPN5344N1ZS	23796206367	7 (सी)	1,12,969
		रूपा केमिको एण्ड मिनरल	23AJDPS4709C1ZJ	23566202080	7 (सी)	51,808
		लक्ष्मी गौर मार्बल एण्ड मिनरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	23AABCL8015E1ZZ	23219089262	7 (बी)	1,78,828
		काल्डेरीस इंडिया रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	23AAAFCA3610G1ZB	23846206388	7 (बी)	13,85,992
		महेंद्र आयरन ट्रेडर्स	23AEVPN5993E1ZX	23796202584	7 (सी)	2,59,914
		जय हिंद स्टोर्स	23ACHPJ0642E1Z7	23126202904	7 (सी)	1,49,340
		एकता हाइवेयर स्टोर	23ADTPM6573A1ZG	23386202373	7 (सी)	5,20,166
		अमित पॉलीमर्स	23ADUPA8169R1ZO	23266402356	7 (सी)	1,46,726
26	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कटनी-1	हिरानी इंटरप्राइसेज	23ADWPR4877M1ZG	23256404156	7 (सी)	2,88,547
		वर्धमान ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लिमिटेड	23AAACCV6427F1ZI	23056302901	7 (बी)	69,615
27	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, नरसिंहपुर	आर के जैन एण्ड संस	23AALHR5719N1ZL	23439003395	7 (बी)	18,700
28	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मंडला					

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मिसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 की तालिका जिसमें आई टी सी का दावा किया था	दावा की गई आईटीसी की राशि, जो असत्यापित रही
		आदी इंटरप्राइसेज	23AALHP5667F1ZX	23089011578	7 (बी)	43,320
		श्याम बाबा मिनरल्स	23ACQPA5094C1ZV	237836301481	7 (सी)	1,83,142
		सीताराम सरजू प्रसाद	23ACQPA5118H1ZW	23876301189	7 (सी)	27,628
		संकेत मोबाइल्स	23ATNPR2109R1Z5	23986303214	7 (सी)	2,80,785
		अर्चना इंटरप्राइसेज	23AJTPA2205M1ZD	23839087551	7 (सी)	1,16,445
29	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बुरहानपुर	श्री वासुदेव इंडस्ट्रीज	23ACHFS9161K1ZQ	23939084243	11	3,34,306
		बंधु प्रेम एजेंसी	23AAKPI3354B1Z8	23511908063	7 (सी)	22,270
					योग	6,12,53,964

परिशिष्ट 2.11

(कांडिका 2.4.9.12 में संदर्भित)

उन व्यवसायियों के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक जिनके संबंध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (मेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 में लिये गये क्रेडिट की राशि	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छिंदवाड़ा-1	खंडेलवाल किराना स्टोर्स	23AFAPK9363F1ZL	23146600302	6,60,901	चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वैट विवरणियाँ
		लक्ष्मी डिपार्टमेंटल स्टोर	23AGDPJ5322K1ZN	23886601544	3,65,303	चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वैट विवरणियाँ
		सागर ट्रेडर्स	23ARDPC4905A1ZP	23419093801	1,69,111	चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वैट विवरणियाँ
2	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छिंदवाड़ा-2	शिव एजेंसिज	23CDNPS8556H1ZX	23936804004	1,08,092	चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वैट विवरणियाँ, वैट विवरणिया फाईल किये जाने की दिनांक
		रघुवंशी कंस्ट्रक्शन	23.AM VPR7164H1ZF	23749015780	1,29,894	चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वैट विवरणियाँ
		के.कोटेश्वर रेड्डी	23AGKPK3616N1Z8	23226804249	1,29,367	चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वैट विवरणियाँ
		मुसाले कंस्ट्रक्शन	23AAHFM4293N1ZV		11,50,388	इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर की प्रति
		एस्कॉन इंफ्राटेक प्रा. लिमिटेड	23AAICA3955H1ZQ	23376602649	37,78,978	इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर की प्रति ट्रान-1 फार्म की प्रति जमा किये गये वैट विवरणी की प्रति
		नाहर उर्वरक	23ACFPN7733G1ZN	23216800326	2,89,783	वैट विवरणी फाईल किये जाने की दिनांक
3	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, होशंगाबाद	कपालांश धातु उद्योग	23AAACK7380C1ZV	23799188241	23,51,624	वैट विवरणी फाईल किये जाने की दिनांक
		श्रीवास्तव इंटरप्राइसेज	23DXOPS8954K1ZH	23229122532	1,32,017	चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वैट विवरणियाँ
		डी बी ट्रेडिंग कंपनी	23CBZPM7110D1ZN	23189215947	71,707	चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वैट विवरणियाँ

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (भिसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 में लिये गये क्रेडिट की राशि	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये
		शिप्रा ऑटो मोबाइल	23ABZFS2050G1Z1	23814202433	2,57,684	चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वेट विवरणियाँ
		ओमकार इंडस्ट्रीज	23ABLPP8193P1ZQ	23329132804	4,56,061	चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वेट विवरणियाँ
4	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, हरदा	कृषि सेवा केंद्र बी के पटेल एण्ड कंपनी	23AAATPR0923Q1Z2 23AABFB2484L1ZJ	23124600270 23544600524	45,91,592 4,92,698	चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वेट विवरणियाँ चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वेट विवरणियाँ
5	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन-1	अथर्व इंटरप्राइसेज गिरिराज कंस्ट्रक्शन	23ANLPV7571K1Z9 23AAZFS3834M1ZG	23299108169 81079000392	1,45,170 61,56,039	चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वेट विवरणियाँ चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वेट विवरणियाँ
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन-2	ज्योति इंटरप्राइसेज	23AZPPS7716R1ZB	23252703218	2,27,530	प्रथम तिमाही (2017-18) की वेट विवरणियाँ
7	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन-3	अमन मेडिकोज सतीश ऑटो मोबाइल्स	23ADAPN7180P1Z6 23ACBPB7185J1ZQ	23062803184 23352801812	2,32,268 2,36,081	प्रथम तिमाही (2017-18) की वेट विवरणियाँ चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वेट विवरणियाँ
8	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शाजापुर	सुंदर उर्वरक जिनेंद्र आर आर प्लाईवुड	23AWGPP7156E1ZI 23ABOPC8832D1ZV 23CZKPK5456M1ZV	23542505615 23399248227 23779100361	2,83,505 2,12,341 1,03,037	चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वेट विवरणियाँ चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वेट विवरणियाँ चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वेट विवरणियाँ
9	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शिवपुरी	भारती इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड मोबाइल आशुतोष एण्ड संस प्रोप. अनिल कुमार गुप्ता	23APRPG9246A1ZZ 23AKNPG7039C1ZE	23695705126 23819055640	1,45,881 1,16,661	चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वेट विवरणियाँ चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वेट विवरणियाँ

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	व्यवसायियों के नाम (भेसर्स)	जीएसटीआईएन	टिन	ट्रान-1 में लिये गये क्रेडिट की राशि	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये
10	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, नीमच	शिव इंटरप्राइजेज	23CSZPM6688R1Z6	23949149523	1,19,556	चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वैट विवरणियाँ
		आशुतोष सेल्स	23BAOPG0133P1ZP	23379155691	1,60,982	चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वैट विवरणियाँ
		एम. के. मोबाइल एण्ड लैपटॉप	23AXIPC9152E1ZR	23449168779	1,98,172	चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वैट विवरणियाँ
		सीता ट्रेडर्स	23ARWPB6354R1Z1	23359029496	1,99,083	चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वैट विवरणियाँ
		चौधरी टायर्स	23ARLPJ4138Q1ZC	23789181161	2,49,145	चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वैट विवरणियाँ
		स्टार डीजल	23ASUPR3872K1ZY	23929002764	4,69,587	चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वैट विवरणियाँ
11	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, नीमच	संदेश सेल्स, एजेंसी, प्रोप. संदेश धाकड़	23DPSPS1217B1Z2	23879031384	2,08,209	चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वैट विवरणियाँ
		विजय लक्ष्मी एजेंसी मनासा	23CXZPS7955Q1ZW	23489004554	2,87,791	चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वैट विवरणियाँ
		जैन ऑटो मोबाइल प्रोप. सुरेश कुमार जैन	23AEXPJ4949Q1ZG	23289153954	1,08,152	चतुर्थ तिमाही (2016-17) की वैट विवरणियाँ
12	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कटनी-2	अंबिका इलेक्ट्रानिक्स	23CIXPS923N1Z1	23686204827	1,27,149	प्रथम तिमाही (2017-18) की वैट विवरणियाँ
		स्वास्तिक ट्रेडर्स	23AAOFS4303G1ZE	23866402220	2,50,934	प्रथम तिमाही (2017-18) की वैट विवरणियाँ
		आर के कोल्ड	23ACMPL0463C1Z1	23549235311	1,52,925	चतुर्थ तिमाही (2016-17) एवं प्रथम तिमाही (2017-18) की वैट विवरणियाँ
				योग	2,55,25,398	

परिशिष्ट 2.12
(कड़िका 2.5.7 में संदर्भित)
आवेदनों की पावती में देरी/जारी ना करना सभी प्रकार के रिफंड के लिए (प्री-ऑटोमेशन)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कमिश्नरी का नाम	संसाधित किए गए प्री-ऑटोमेशन रिफंड के प्रकरणों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफंड के प्रकरणों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें पावती में देरी देखी गई	दिनों में देरी की अवधि	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें पावती जारी नहीं की गई थी और मैनुअल पावती की दिनांक दर्ज नहीं की गई
1	वृत्त-1 ग्वालियर	इंदौर	98	1	0	0	0
2	वृत्त-2 ग्वालियर	इंदौर	142	9	1	5	4
3	वृत्त-3 ग्वालियर	इंदौर	137	18	0	0	18
4	वृत्त-4 ग्वालियर	इंदौर	164	5	0	0	5
5	वृत्त-बीना	इंदौर	60	6	0	0	5
6	वृत्त-सागर	इंदौर	242	8	0	0	5
7	वृत्त-1 जबलपुर	इंदौर	156	6	0	0	0
8	वृत्त-2 जबलपुर	इंदौर	40	1	0	0	1
9	वृत्त-4 जबलपुर	इंदौर	116	1	0	0	0
10	वृत्त-नरसिंहपुर	इंदौर	100	6	0	0	6
11	वृत्त-देवास	इंदौर	134	17	0	0	9
12	वृत्त-1 उज्जैन	इंदौर	190	8	0	0	7
13	वृत्त-2 उज्जैन	इंदौर	54	3	0	0	3
14	वृत्त-3 उज्जैन	इंदौर	27	1	0	0	1
15	वृत्त-11 इंदौर	इंदौर	679	76	1	45	1
16	वृत्त-4 इंदौर	इंदौर	45	1	0	0	0
17	वृत्त-6 इंदौर	इंदौर	89	1	0	0	0

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कमिश्नरी का नाम	संसाधित किए गए प्री-ऑटोसेशन रिफंड के प्रकरणों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफंड के प्रकरणों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें पावती में देरी देखी गई	दिनों में देरी की अवधि	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें पावती जारी नहीं की गई थी और मैनुअल पावती की दिनांक दर्ज नहीं की गई
18	वृत्त-14 इंदौर	इंदौर	226	8	1	5	0
19	वृत्त-15 इंदौर	इंदौर	112	6	0	0	0
20	वृत्त-पीथमपुर	इंदौर	130	14	1	317	2
21	वृत्त-बुरहानपुर	इंदौर	188	12	0	0	0
22	वृत्त-1 भोपाल	इंदौर	263	14	1	29	4
23	वृत्त-2 भोपाल	इंदौर	58	2	0	0	0
24	वृत्त-3 भोपाल	इंदौर	58	3	0	0	0
25	वृत्त-4 भोपाल	इंदौर	34	4	0	0	0
26	वृत्त-5 भोपाल	इंदौर	179	13	0	0	1
27	वृत्त-6 भोपाल	इंदौर	93	6	0	0	0
28	संयुक्त आयुक्त संभाग-1 भोपाल	इंदौर	38	15	1	12	0
29	वृत्त-मंडीदीप	इंदौर	135	11	1	5	0
30	वृत्त-1 इंदौर	इंदौर	449	30	0	0	0
31	वृत्त-2 इंदौर	इंदौर	224	12	1	17	0
32	वृत्त-3 इंदौर	इंदौर	282	13	0	0	0
33	वृत्त-7 इंदौर	इंदौर	139	11	0	0	0
34	वृत्त-8 इंदौर	इंदौर	259	22	3	20	1
35	वृत्त-9 इंदौर	इंदौर	238	19	0	0	1
36	वृत्त-10 इंदौर	इंदौर	142	12	0	0	0

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व संबद्ध विभाग)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कमिजरी का नाम	संसाधित किए गए प्री-ऑटोसेशन रिफंड के प्रकरणों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफंड के प्रकरणों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या पावती में देरी देखी गई	दिनों में देरी की अवधि	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें पावती जारी नहीं की गई थी और मैनुअल पावती की दिनांक दर्ज नहीं की गई
37	वृत्त-12 इंदौर	इंदौर	330	19	1	47	0
38	वृत्त-13 इंदौर	इंदौर	524	33	0	0	5
	योग (38 इकाईयों)		6,574	447	12	5 से 317 दिन	79

परिशिष्ट 2.13

(कड़िका 2.5.7 के में संदर्भित)

सभी प्रकार की रिफंड के लिए आवेदनों की पावती में देरी (पोस्ट-ऑटोमेशन)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा नमूने से जाँचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की कुल संख्या जिनमें पावती में देरी देखी गई	दिनों में देरी की सीमा
1	वृत्त-1 ग्वालियर	4	0	0
2	वृत्त-2 ग्वालियर	21	10	15 से 112
3	वृत्त-3 ग्वालियर	16	8	7 से 34
4	वृत्त-4 ग्वालियर	6	6	1 से 70
5	वृत्त-बैठन	5	0	0
6	वृत्त-भिंड	4	0	0
7	वृत्त-बीना	4	1	16
8	वृत्त-छतरपुर	1	0	0
9	वृत्त-दमोह	1	0	0
10	वृत्त-दतिया	11	1	21
11	वृत्त-1 जबलपुर	4	1	4
12	वृत्त-2 जबलपुर	1	0	0
13	वृत्त-3 जबलपुर	1	0	0
14	वृत्त-4 जबलपुर	2	2	40 से 53
15	वृत्त-मन्दसौर	6	4	6 से 48
16	वृत्त-मुरैना	13	5	28 से 45
17	वृत्त-नौगाँव	2	1	15
18	वृत्त-नीमच	9	1	21

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा नमूने से जांचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकारों की कुल संख्या जिनमें पावती में देरी देखी गई	दिनों में देरी की सीमा
19	वृत्त-पन्ना	2	0	0
20	वृत्त-1 उज्जैन	10	1	5
21	वृत्त-2 उज्जैन	2	0	0
22	वृत्त-रीवा	1	0	0
23	वृत्त-सागर	11	2	49 से 51
24	वृत्त-1 सतना	6	2	7 से 33
25	वृत्त-2 सतना	1	0	0
26	वृत्त-सीहोर	3	1	6
27	वृत्त-सिवनी	1	0	0
28	वृत्त-शाजापुर	1	0	0
29	वृत्त-श्योपुर	1	0	0
30	वृत्त-टीकमगढ़	6	2	4 से 30
31	वृत्त-झाबुआ	3	0	0
32	वृत्त-खण्डवा	6	1	26
33	वृत्त-खरगौन	2	1	10
34	वृत्त-धार	4	1	74
35	वृत्त-पीथमपुर	10	5	4 से 49
36	वृत्त-3 भोपाल	3	0	0
37	वृत्त-4 भोपाल	2	1	3
38	वृत्त-5 भोपाल	19	5	7 से 170
39	वृत्त-8 इंदौर	14	3	2 से 19

स. क्र.	लोखापरीक्षित इकाई का नाम	लोखापरीक्षा द्वारा नमूने से जांचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की कुल संख्या जिनमें पावती में देरी देखी गई	दिनों में देरी की सीमा
40	वृत्त-9 इंदौर	33	15	1 से 45
41	वृत्त-10 इंदौर	3	0	0
42	वृत्त-11 इंदौर	57	11	1 से 126
43	वृत्त-12 इंदौर	16	7	2 से 41
44	वृत्त-13 इंदौर	19	7	2 से 41
45	वृत्त-14 इंदौर	17	3	1 से 25
46	वृत्त-15 इंदौर	5	1	4
47	वृत्त-1 भोपाल	17	0	0
48	वृत्त-6 भोपाल	14	0	0
49	वृत्त-1 इंदौर	21	0	0
50	वृत्त-2 इंदौर	20	0	0
51	वृत्त-3 इंदौर	7	0	0
52	वृत्त-5 इंदौर	2	0	0
53	वृत्त-7 इंदौर	4	0	0
54	वृत्त-बालाघाट	6	3	24 से 36
55	वृत्त-बैतूल	2	0	0
56	वृत्त-1 छिंदवाड़ा	1	0	0
57	वृत्त-देवास	16	0	0
58	वृत्त-हरदा	2	0	0
59	वृत्त-होशंगाबाद	2	0	0
60	वृत्त-इटारसी	2	0	0

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा नमूने से जांचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकारों की कुल संख्या जिनमें पावती में देरी देखी गई	दिनों में देरी की सीमा
61	वृत्त-मंडीदीप	18	0	0
62	वृत्त-नरसिंहपुर	8	0	0
63	वृत्त-1 रतलाम	7	0	0
64	वृत्त-बुरहानपुर	46	0	0
	योग (64 इकाईयों)	564	112	1 से 170

परिशिष्ट 2.14

(कड़िका 2.5.8 के में संदर्भित)

समय के भीतर आवेदनों का निपटान नहीं किया जाना (ब्याज देय/भुगतान नहीं किया गया) (प्री-ऑटोमेशन)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कमिश्नरी का नाम	संसाधित किए गए प्री-ऑटोमेशन रिफंड आवेदनों की कुल संख्या	नमूना के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियाँ देखी गईं	देरी की अवधि	देय ब्याज का भुगतान	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	देरी के कारण	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें मैनुअल रसीद की दिनांक दर्ज नहीं की गई है
1	वृत्त-1 ग्वालियर	इंदौर	98	1	0	0	0	0	लागू नहीं	0
2	वृत्त-2 ग्वालियर	इंदौर	142	9	0	0	0	0	लागू नहीं	1
3	वृत्त-3 ग्वालियर	इंदौर	137	18	0	0	0	0	लागू नहीं	12
4	वृत्त-4 ग्वालियर	इंदौर	164	5	0	0	0	0	लागू नहीं	5
5	वृत्त-बीना	इंदौर	60	6	0	0	0	0	लागू नहीं	4
6	वृत्त-सागर	इंदौर	242	8	0	0	0	0	लागू नहीं	3
7	वृत्त-1 जबलपुर	इंदौर	156	6	0	0	0	0	लागू नहीं	0
8	वृत्त-2 जबलपुर	इंदौर	40	1	0	0	0	0	लागू नहीं	0
9	वृत्त-4 जबलपुर	इंदौर	116	1	0	0	0	0	लागू नहीं	0
10	वृत्त-नरसिंहपुर	इंदौर	100	6	0	0	0	0	लागू नहीं	5
11	वृत्त-देवास	इंदौर	134	17	0	0	0	0	लागू नहीं	5
12	वृत्त-1 उज्जैन	इंदौर	190	8	0	0	0	0	लागू नहीं	1
13	वृत्त-2 उज्जैन	इंदौर	54	3	0	0	0	0	लागू नहीं	1
14	वृत्त-3 उज्जैन	इंदौर	27	1	0	0	0	0	लागू नहीं	1
15	वृत्त-11 इंदौर	इंदौर	679	76	1	75	0	134	मैनुअल आवेदन और सहायक दस्तावेजों को जमा	1

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व संबंध विभाग)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कमिश्नरी का नाम	संसाधित किए गए प्री-ऑटोमेशन रिफंड आवेदनों की कुल संख्या	नमूना के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिन्हें लेखापरीक्षा आपत्तियाँ देखी गईं	देरी की अवधि	देय ब्याज का भुगतान	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	देरी के कारण	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिन्हें मैनुअल रसीद की दिनांक दर्ज नहीं की गई है
16	वृत्त-4 इंदौर	इंदौर	45	1	0	0	0	0	लागू नहीं	0
17	वृत्त-6 इंदौर	इंदौर	89	1	0	0	0	0	लागू नहीं	0
18	वृत्त-14 इंदौर	इंदौर	226	8	1	117	0	271	सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	0
19	वृत्त-15 इंदौर	इंदौर	112	6	2	5 से 15	0	126	व्यवसायी ने ब्याज का दावा नहीं किया है। सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	0
20	वृत्त-पीथमपुर	इंदौर	130	14	6	11 से 299	0	10,72,529	मैनुअल आवेदन और सहायक दस्तावेजों को जमा करने में देरी के कारण।	2
21	वृत्त-बुरहानपुर	इंदौर	188	12	0	0	0	0	लागू नहीं	0
22	वृत्त-1 भोपाल	इंदौर	263	14	3	2 से 110	0	3,309	परिपत्र 17/2017 के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर रिफंड स्वीकृत किया गया।	3
23	वृत्त-2 भोपाल	इंदौर	58	2	0	0	0	0	लागू नहीं	0
24	वृत्त-3 भोपाल	इंदौर	58	3	1	13	0	133	संबंधित दस्तावेज जमा करने में देरी।	0

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कमिश्नरी का नाम	संसाधित किए गए प्री-ऑटोमेशन रिफंड आवेदनों की कुल संख्या	नमूना के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियाँ देखी गईं	देरी की अवधि	देय ब्याज का भुगतान	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	देरी के कारण	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें मैनुअल रसीद की दिनांक दर्ज नहीं की गई है
25	वृत्त-4 भोपाल	इंदौर	34	4	3	11 से 200	0	641	व्यवसायी द्वारा दस्तावेज और विवरण जमा करने में देरी और लिपिकीय त्रुटि के कारण तिथि में परिवर्तन।	0
26	वृत्त-5 भोपाल	इंदौर	179	13	1	130	0	412	रिफंड निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकृत किया जाता है।	1
27	वृत्त-6 भोपाल	इंदौर	93	6	0	0	0	0	लागू नहीं	0
28	संयुक्त आयुक्त सभाग-1 भोपाल	इंदौर	38	15	3	3 से 9	0	3,632	व्यवसायी ने न तो ब्याज का दावा किया है और न ही विभाग द्वारा भुगतान किया गया है।	0
29	वृत्त-मंडीदीप	इंदौर	135	11	0	0	0	0	लागू नहीं	1
30	वृत्त-1 इंदौर	इंदौर	449	30	0	0	0	0	लागू नहीं	0
31	वृत्त-2 इंदौर	इंदौर	224	12	0	0	0	0	लागू नहीं	0
32	वृत्त-3 इंदौर	इंदौर	282	13	0	0	0	0	लागू नहीं	0
33	वृत्त-7 इंदौर	इंदौर	139	11	0	0	0	0	लागू नहीं	0
34	वृत्त-8 इंदौर	इंदौर	259	22	0	0	0	0	लागू नहीं	0

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व संबंध विभाग)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कमिजरी का नाम	संसाधित किए गए प्री-ऑटोमेशन रिफंड आवेदनों की कुल संख्या	नमूना के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियाँ देखी गईं	देरी की अवधि	देय ब्याज का भुगतान	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	देरी के कारण	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें मैनुअल रसीद की दिनांक दर्ज नहीं की गई है
35	वृत्त-9 इंदौर	इंदौर	238	19	1	11	0	3,188	नई प्रणाली और मैनुअल कार्य के कारण।	0
36	वृत्त-10 इंदौर	इंदौर	142	12	0	0	0	0	लागू नहीं	0
37	वृत्त-12 इंदौर	इंदौर	330	19	2	11 से 97	0	4,458	3 प्रकरणों में विलम्ब स्वीकार किया गया लेकिन कारणों का उल्लेख नहीं किया गया और 1 प्रकरण में नई प्रणाली और मैनुअल कार्य के कारण।	2
38	वृत्त-13 इंदौर	इंदौर	524	33	3	8 से 95	0	3,281	2 प्रकरणों में जीएसटीआरएफडी -8 और जीएसटीआरएफडी -9 के निर्धारित द्वारा उत्तर देर से प्रस्तुत करने के कारण और 1 प्रकरण में नई प्रणाली और मैनुअल कार्य के कारण।	0
	योग (38 इकाईयों)		6,574	447	27	2 से 299 दिन	0	10,92,114		48

परिशिष्ट 2.15

(कड़िका 2.5.8 के में संदर्भित)

समय के भीतर आवेदनों का निपटारा नहीं किया गया (ब्याज का कम भुगतान/भुगतान नहीं किया गया) पोस्ट-ऑटोमेशन
(राशि ₹ में)

सं.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियाँ देखी गईं	देरी की अवधि (दिनों में)	देय ब्याज का भुगतान	देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	देरी के कारण
1	वृत्त-1 ग्वालियर	4	0	0	0	0	लागू नहीं
2	वृत्त-2 ग्वालियर	21	11	20 से 71	0	35,434	दर्ज नहीं है
3	वृत्त-3 ग्वालियर	16	1	27	0	326	दर्ज नहीं है
4	वृत्त-4 ग्वालियर	6	2	4 से 25	0	1,203	दर्ज नहीं है
5	वृत्त-बैठन	5	2	8 से 12	0	13,634	दर्ज नहीं है
6	वृत्त-भिंड	4	0	0	0	0	लागू नहीं
7	वृत्त-बीना	4	0	0	0	0	लागू नहीं
8	वृत्त-छतरपुर	1	0	0	0	0	लागू नहीं
9	वृत्त-दमोह	1	1	14	0	3	उत्तर प्रतीक्षित है
10	वृत्त-दतिया	11	0	0	0	0	लागू नहीं
11	वृत्त-1 जबलपुर	4	0	0	0	0	लागू नहीं
12	वृत्त-2 जबलपुर	1	0	0	0	0	लागू नहीं
13	वृत्त-3 जबलपुर	1	0	0	0	0	लागू नहीं
14	वृत्त-4 जबलपुर	2	2	7 से 11	0	3,575	उत्तर प्रतीक्षित है
15	वृत्त-मन्दसौर	6	1	58	0	870	उत्तर प्रतीक्षित है
16	वृत्त-मुरैना	13	2	4 से 5	0	6,213	उत्तर प्रतीक्षित है
17	वृत्त-नौगाँव	2	0	0	0	0	लागू नहीं

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकारों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियाँ देखी गईं	देशी की अवधि (दिनों में)	देशी का भुगतान	देशी के कारण देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	देशी के कारण
18	वृत्त-नीमच	9	0	0	0	0	लागू नहीं
19	वृत्त-पन्ना	2	0	0	0	0	लागू नहीं
20	वृत्त-1 उज्जैन	10	0	0	0	0	लागू नहीं
21	वृत्त-2 उज्जैन	2	0	0	0	0	लागू नहीं
22	वृत्त-रीवा	1	0	0	0	0	लागू नहीं
23	वृत्त-सागर	11	2	5 से 10	0	499	उत्तर प्रतीक्षित है
24	वृत्त-1 सतना	6	0	0	0	0	लागू नहीं
25	वृत्त-2 सतना	1	1	128	0	1,013	उत्तर प्रतीक्षित है
26	वृत्त-सीहोर	3	0	0	0	0	लागू नहीं
27	वृत्त-सिवनी	1	1	115	0	2,836	उत्तर प्रतीक्षित है
28	वृत्त-शाजापुर	1	0	0	0	0	लागू नहीं
29	वृत्त-श्यापुर	1	1	42	0	38	उत्तर प्रतीक्षित है
30	वृत्त-टीकमगढ़	6	0	0	0	0	लागू नहीं
31	वृत्त-झाबुआ	3	0	0	0	0	लागू नहीं
32	वृत्त-खण्डवा	6	1	4	0	267	उत्तर प्रतीक्षित है
33	वृत्त-खरगौन	2	0	0	0	0	लागू नहीं
34	वृत्त-धार	4	1	29	0	784	उत्तर प्रतीक्षित है
35	वृत्त-पीथमपुर	10	3	16 से 30	0	1,34,533	दर्ज नहीं है
36	वृत्त-3 भोपाल	3	1	29	0	26	उत्तर प्रतीक्षित है
37	वृत्त-4 भोपाल	2	0	0	0	0	लागू नहीं
38	वृत्त-5 भोपाल	19	0	0	0	0	लागू नहीं

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकारों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियाँ देखी गईं	देशी की अवधि (दिनों में)	देय ब्याज का भुगतान	देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	देशी के कारण
39	वृत्त-8 इंदौर	14	1	22	0	599	उत्तर प्रतीक्षित है
40	वृत्त-9 इंदौर	33	1	2	0	189	उत्तर प्रतीक्षित है
41	वृत्त-10 इंदौर	3	0	0	0	0	उत्तर प्रतीक्षित है
42	वृत्त-11 इंदौर	57	7	3 से 47	0	18,370	उत्तर प्रतीक्षित है
43	वृत्त-12 इंदौर	16	2	13 से 47	0	590	उत्तर प्रतीक्षित है
44	वृत्त-13 इंदौर	19	14	3 से 85	0	14,552	उत्तर प्रतीक्षित है
45	वृत्त-14 इंदौर	17	0	0	0	0	लागू नहीं
46	वृत्त-15 इंदौर	5	2	68 से 86	0	535	उत्तर प्रतीक्षित है
47	वृत्त-1 भोपाल	17	0	0	0	0	लागू नहीं
48	वृत्त-6 भोपाल	14	0	0	0	0	उत्तर प्रतीक्षित है
49	वृत्त-1 इंदौर	21	0	0	0	0	लागू नहीं
50	वृत्त-2 इंदौर	20	0	0	0	0	लागू नहीं
51	वृत्त-3 इंदौर	7	0	0	0	0	लागू नहीं
52	वृत्त-5 इंदौर	2	0	0	0	0	लागू नहीं
53	वृत्त-7 इंदौर	4	0	0	0	0	लागू नहीं
54	वृत्त-बालाघाट	6	0	0	0	0	लागू नहीं
55	वृत्त-बैतूल	2	0	0	0	0	लागू नहीं
56	वृत्त-1 छिंदवाड़ा	1	0	0	0	0	लागू नहीं
57	वृत्त-देवास	16	0	0	0	0	लागू नहीं
58	वृत्त-हरदा	2	0	0	0	0	लागू नहीं
59	वृत्त-होशंगाबाद	2	0	0	0	0	लागू नहीं

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकारों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियाँ देखी गईं	देरी की अवधि (दिनों में)	देय ब्याज का भुगतान	देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	देरी के कारण
60	वृत्त-इटारसी	2	0	0	0	0	लागू नहीं
61	वृत्त-मंडीदीप	18	0	0	0	0	लागू नहीं
62	वृत्त-नरसिंहपुर	8	0	0	0	0	लागू नहीं
63	वृत्त-1 रतलाम	7	0	0	0	0	लागू नहीं
64	वृत्त-1 बुरहानपुर	46	0	0	0	0	लागू नहीं
	योग (64 इकाईयों)	564	60	2 से 128	0	2,36,089	

परिशिष्ट 2.16

(कड़िका 2.5.9 के में संदर्भित)

पूत्य दर आपूर्ति समय के भीतर स्वीकृत नहीं होने के कारण अनंतिम रिफंड (प्री-ऑटोमेशन)

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कमिश्नरी का नाम	संसाधित किए गए शून्य दर रिफंड आवेदनों की कुल संख्या	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	देरी की अवधि	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं है
1	वृत्त-1 ग्वालियर	इंदौर	19	0	0	0	0
2	वृत्त-2 ग्वालियर	इंदौर	उपलब्ध नहीं	2	1	17	0
3	वृत्त-3 ग्वालियर	इंदौर	उपलब्ध नहीं	6	0	0	0
4	वृत्त-4 ग्वालियर	इंदौर	26	2	0	0	0
5	वृत्त-बीना	इंदौर	29	0	0	0	0
6	वृत्त-सागर	इंदौर	उपलब्ध नहीं	0	0	0	0
7	वृत्त-1 जबलपुर	इंदौर	8	1	0	0	0
8	वृत्त-2 जबलपुर	इंदौर	0	0	0	0	0
9	वृत्त-4 जबलपुर	इंदौर	0	0	0	0	0
10	वृत्त-नरसिंहपुर	इंदौर	0	0	0	0	0
11	वृत्त-देवास	इंदौर	29	6	3	31 से 121	0
12	वृत्त-1 उज्जैन	इंदौर	0	0	0	0	0
13	वृत्त-2 उज्जैन	इंदौर	21	1	0	0	0
14	वृत्त-3 उज्जैन	इंदौर	0	0	0	0	0
15	वृत्त-11 इंदौर	इंदौर	145	20	2	9 से 22	0
16	वृत्त-4 इंदौर	इंदौर	8	0	0	0	0
17	वृत्त-6 इंदौर	इंदौर	39	1	0	0	0

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कमिश्नरी का नाम	संसाधित किए गए शून्य दर रिफंड आवेदनों की कुल संख्या	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	देरी की अवधि	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें अनतिम रिफंड स्वीकृत नहीं है
18	वृत्त-14 इंदौर	इंदौर	29	6	0	0	0
19	वृत्त-15 इंदौर	इंदौर	14	2	0	0	0
20	वृत्त-पीथमपुर	इंदौर	54	6	0	0	3
21	वृत्त-बुरहानपुर	इंदौर	0	0	0	0	0
22	वृत्त-1 भोपाल	इंदौर	13	8	2	2 से 90	0
23	वृत्त-2 भोपाल	इंदौर	0	0	0	0	0
24	वृत्त-3 भोपाल	इंदौर	11	0	0	0	0
25	वृत्त-4 भोपाल	इंदौर	1	2	0	0	0
26	वृत्त-5 भोपाल	इंदौर	32	7	0	0	0
27	वृत्त-6 भोपाल	इंदौर	24	0	0	0	0
28	संयुक्त आयुक्त संभाग-1 भोपाल	इंदौर	18	7	0	0	0
29	वृत्त- मंडीदीप	इंदौर	उपलब्ध नहीं	6	1	10	0
30	वृत्त-1 इंदौर	इंदौर	185	18	0	0	0
31	वृत्त-2 इंदौर	इंदौर	87	6	0	0	0
32	वृत्त-3 इंदौर	इंदौर	उपलब्ध नहीं	2	0	0	0
33	वृत्त-7 इंदौर	इंदौर	21	0	0	0	0
34	वृत्त-8 इंदौर	इंदौर	22	8	2	4 से 6	0
35	वृत्त-9 इंदौर	इंदौर	उपलब्ध नहीं	3	0	0	0
36	वृत्त-10 इंदौर	इंदौर	उपलब्ध नहीं	6	0	0	0

स.क्र.	लोखापरीक्षित इकाई का नाम	कमिश्नरी का नाम	संसाधित किए गए शून्य दर रिफंड आवेदनों की कुल संख्या	नमूना से लोखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें लोखापरीक्षा आपत्तियाँ देखी गईं	देरी की अवधि	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें अनतिम रिफंड स्वीकृत नहीं है
37	वृत्त-12 इंदौर	इंदौर	उपलब्ध नहीं	13	1	40	0
38	वृत्त-13 इंदौर	इंदौर	300	22	0	0	0
	योग		1135	161	12	2 से 121 दिन	3

परिशिष्ट 2.17

(कांडिका 2.5.9 के में संदर्भित)

शून्य दर आपूर्ति के कारण अनंतिम रिफंड समय के भीतर स्वीकृत नहीं (पोस्ट-ऑटोमेशन)

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए शून्य दर रिफंड के प्रकरणों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियाँ देखी गईं	देशी की अवधि	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं किया गया है
1	वृत्त-1 ग्वालियर	0	0	0	0
2	वृत्त-2 ग्वालियर	1	0	0	0
3	वृत्त-3 ग्वालियर	3	0	0	0
4	वृत्त-4 ग्वालियर	0	0	0	0
5	वृत्त-बैठन	0	0	0	0
6	वृत्त-भिंड	0	0	0	0
7	वृत्त-बीना	0	0	0	0
8	वृत्त-छतरपुर	0	0	0	0
9	वृत्त-दमोह	0	0	0	0
10	वृत्त-दतिया	0	0	0	0
11	वृत्त-1 जबलपुर	1	0	0	0
12	वृत्त-2 जबलपुर	0	0	0	0
13	वृत्त-3 जबलपुर	0	0	0	0
14	वृत्त-4 जबलपुर	0	0	0	0
15	वृत्त-मन्दसौर	2	0	0	0
16	वृत्त-मुरैना	0	0	0	0
17	वृत्त-नौगाँव	0	0	0	0

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए शून्य दर' रिफंड के प्रकरणों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियाँ देखी गईं	देशी की अवधि	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें अनतिम रिफंड स्वीकृत नहीं किया गया है
18	वृत्त-नीमच	2	0	0	0
19	वृत्त-पन्ना	0	0	0	0
20	वृत्त-1 उज्जैन	0	0	0	0
21	वृत्त-2 उज्जैन	0	0	0	0
22	वृत्त-रीवा	0	0	0	0
23	वृत्त-सागर	0	0	0	0
24	वृत्त-1 सतना	0	0	0	0
25	वृत्त-2 सतना	1	1	14	0
26	वृत्त-सीहोर	2	0	0	0
27	वृत्त-सिवनी	0	0	0	0
28	वृत्त-शाजापुर	0	0	0	0
29	वृत्त-श्यापुर	0	0	0	0
30	वृत्त-टीकमगढ़	1	0	0	0
31	वृत्त-झाबुआ	0	0	0	0
32	वृत्त-खण्डवा	0	0	0	0
33	वृत्त-खरगोन	0	0	0	0
34	वृत्त-धार	1	0	0	0
35	वृत्त-पीथमपुर	3	0	0	2
36	वृत्त-3 भोपाल	0	0	0	0
37	वृत्त-4 भोपाल	0	0	0	0

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए शून्य दर' रिफंड के प्रकरणों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियाँ देखी गईं	देशी की अवधि	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें अनतिम रिफंड स्वीकृत नहीं किया गया है
38	वृत्त-5 भोपाल	10	0	0	0
39	वृत्त-8 इंदौर	6	0	0	0
40	वृत्त-9 इंदौर	10	2	1 से 14	0
41	वृत्त-10 इंदौर	1	0	0	0
42	वृत्त-11 इंदौर	14	2	10 से 21	1
43	वृत्त-12 इंदौर	11	2	45	0
44	वृत्त-13 इंदौर	11	9	7 से 67	1
45	वृत्त-14 इंदौर	3	0	0	0
46	वृत्त-15 इंदौर	4	1	7	0
47	वृत्त-1 भोपाल	4	0	0	0
48	वृत्त-6 भोपाल	0	0	0	0
49	वृत्त-1 इंदौर	10	0	0	0
50	वृत्त-2 इंदौर	6	0	0	0
51	वृत्त-3 इंदौर	0	0	0	0
52	वृत्त-5 इंदौर	0	0	0	0
53	वृत्त-7 इंदौर	0	0	0	0
54	वृत्त-बालाघाट	0	0	0	0
55	वृत्त-बैतूल	0	0	0	0
56	वृत्त-1 छिंदवाड़ा	0	0	0	0
57	वृत्त-देवास	6	0	0	0

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	नमूना से लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए शून्य दर' रिफंड के प्रकरणों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियाँ देखी गईं	देशी की अवधि	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें अनतिम रिफंड स्वीकृत नहीं किया गया है
58	वृत्त-हरदा	0	0	0	0
59	वृत्त-होशंगाबाद	0	0	0	0
60	वृत्त-इटारसी	0	0	0	0
61	वृत्त-मंजीदीप	6	0	0	0
62	वृत्त-नरसिंहपुर	0	0	0	0
63	वृत्त-1 रतलाम	0	0	0	0
64	वृत्त-बुरहानपुर	0	0	0	0
	योग (64 इकाईयों)	119	17	1 से 67	4

परिशिष्ट 2.18

(कांडिका 2.5.13.1 के में संदर्भित)

पोर्टल पर परिलिखित जीएसटीआर-2 (अ) का सत्यापन न होना (प्री-ऑटोमेशन)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कमिश्नरी का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए रिफंड के प्रकरणों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें विविध आपत्तियाँ देखी गईं	रिफंड में अंतर
1	वृत्त-1 ग्वालियर	इंदौर	0	0	0
2	वृत्त-2 ग्वालियर	इंदौर	8	0	0
3	वृत्त-3 ग्वालियर	इंदौर	13	0	0
4	वृत्त-4 ग्वालियर	इंदौर	4	0	0
5	वृत्त-बीना	इंदौर	5	0	0
6	वृत्त-सागर	इंदौर	7	0	0
7	वृत्त-1 जबलपुर	इंदौर	1	0	0
8	वृत्त-2 जबलपुर	इंदौर	0	0	0
9	वृत्त-4 जबलपुर	इंदौर	0	0	0
10	वृत्त-नरसिंहपुर	इंदौर	5	0	0
11	वृत्त-देवास	इंदौर	13	0	0
12	वृत्त-1 उज्जैन	इंदौर	7	0	0
13	वृत्त-2 उज्जैन	इंदौर	0	0	0
14	वृत्त-3 उज्जैन	इंदौर	0	0	0
15	वृत्त-11 इंदौर	इंदौर	70	10	62,80,587
16	वृत्त-4 इंदौर	इंदौर	0	0	0
17	वृत्त-6 इंदौर	इंदौर	1	0	0

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कमिश्नरी का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए रिफंड के प्रकरणों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें विविध आपत्तियाँ देखी गईं	रिफंड में अंतर
18	वृत्त-14 इंदौर	इंदौर	8	1	14,554
19	वृत्त-15 इंदौर	इंदौर	3	0	0
20	वृत्त-पीथमपुर	इंदौर	11	3	21,79,378
21	वृत्त-बुरहानपुर	इंदौर	11	1	1,69,675
22	वृत्त-1 भोपाल	इंदौर	16	0	0
23	वृत्त-2 भोपाल	इंदौर	0	0	0
24	वृत्त-3 भोपाल	इंदौर	2	0	0
25	वृत्त-4 भोपाल	इंदौर	1	0	0
26	वृत्त-5 भोपाल	इंदौर	7	0	0
27	वृत्त-6 भोपाल	इंदौर	0	0	0
28	संयुक्त आयुक्त संभाग-1 भोपाल	इंदौर	0	0	0
29	वृत्त-मंडीदीप	इंदौर	8	0	0
30	वृत्त-1 इंदौर	इंदौर	29	0	0
31	वृत्त-2 इंदौर	इंदौर	10	0	0
32	वृत्त-3 इंदौर	इंदौर	7	0	0
33	वृत्त-7 इंदौर	इंदौर	10	0	0
34	वृत्त-8 इंदौर	इंदौर	19	0	0
35	वृत्त-9 इंदौर	इंदौर	10	0	0
36	वृत्त-10 इंदौर	इंदौर	10	0	0
37	वृत्त-12 इंदौर	इंदौर	13	0	0

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व संबद्ध विभाग)

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कमिश्नरी का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए रिफंड के प्रकरणों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की संख्या जिनमें विविध आपत्तियाँ देखी गईं	रिफंड में अंतर
38	वृत्त-13 इंदौर	इंदौर	23	0	0
	योग (38 इकाईयाँ)		332	15	86,44,194

परिशिष्ट 2.19

(कांडिका-2.5.13.1 के में संदर्भित)

पोर्टल पर परिलक्षित जीएसटीआर-2(अ) का सत्यापन न होना (पोस्ट-ऑटोमेशन)

(राशि ₹ में)

सं.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा नमूने से जाँचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकरणों की कुल संख्या जिनमें विविध आपत्तियाँ देखी गई	कर प्रभाव
1	वृत्त-1 ग्वालियर	1	0	0
2	वृत्त-2 ग्वालियर	15	0	0
3	वृत्त-3 ग्वालियर	13	0	0
4	वृत्त-4 ग्वालियर	5	0	0
5	वृत्त-बैठन	0	0	0
6	वृत्त-भिड	1	0	0
7	वृत्त-बीना	4	0	0
8	वृत्त-छतरपुर	0	0	0
9	वृत्त-दमोह	0	0	0
10	वृत्त-दतिया	10	0	0
11	वृत्त-1 जबलपुर	1	0	0
12	वृत्त-2 जबलपुर	0	0	0
13	वृत्त-3 जबलपुर	0	0	0
14	वृत्त-4 जबलपुर	1	0	0
15	वृत्त-मन्दसौर	4	0	0
16	वृत्त-पुरैना	12	0	0
17	वृत्त-नौगाँव	1	0	0

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा नमूने से जाँचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकारों की कुल संख्या जिनमें विविध आपत्तियाँ देखी गईं	कर प्रभाव
18	वृत्त-नीमच	8	0	0
19	वृत्त-पन्ना	0	0	0
20	वृत्त-1 उज्जैन	6	0	0
21	वृत्त-2 उज्जैन	1	0	0
22	वृत्त-रीवा	0	0	0
23	वृत्त-सागर	8	0	0
24	वृत्त-1 सतना	4	0	0
25	वृत्त-2 सतना	1	0	0
26	वृत्त-सीहोर	2	0	0
27	वृत्त-सिवनी	0	0	0
28	वृत्त-शाजापुर	0	0	0
29	वृत्त-श्यापुर	0	0	0
30	वृत्त-टीकमगढ़	1	0	0
31	वृत्त-झाबुआ	0	0	0
32	वृत्त-खण्डवा	3	0	0
33	वृत्त-खरगोन	1	0	0
34	वृत्त-धार	3	0	0
35	वृत्त-पीथमपुर	10	0	0
36	वृत्त-3 भोपाल	1	1	37,80,319
37	वृत्त-4 भोपाल	0	0	0
38	वृत्त-5 भोपाल	15	1	0

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा नमूने से जाँचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकारों की कुल संख्या जिनमें विविध आपत्तियाँ देखी गईं	कर प्रभाव
39	वृत्त-8 इंदौर	9	0	0
40	वृत्त-9 इंदौर	26	8	42,17,805
41	वृत्त-10 इंदौर	2	0	0
42	वृत्त-11 इंदौर	55	7	1,37,53,513
43	वृत्त-12 इंदौर	14	0	0
44	वृत्त-13 इंदौर	15	0	0
45	वृत्त-14 इंदौर	15	3	6,70,133
46	वृत्त-15 इंदौर	4	0	0
47	वृत्त-1 भोपाल	11	0	0
48	वृत्त-6 भोपाल	1	0	0
49	वृत्त-1 इंदौर	19	0	0
50	वृत्त-2 इंदौर	16	0	0
51	वृत्त-3 इंदौर	3	0	0
52	वृत्त-5 इंदौर	2	0	0
53	वृत्त-7 इंदौर	4	0	0
54	वृत्त-बालाघाट	6	0	0
55	वृत्त-बैतूल	0	0	0
56	वृत्त-1 छिंदवाड़ा	0	0	0
57	वृत्त-देवास	14	0	0
58	वृत्त-हरदा	0	0	0
59	वृत्त-होशंगाबाद	2	0	0

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा नमूने से जाँचे गए रिफंड आवेदनों की संख्या	रिफंड के प्रकारों की कुल संख्या जिनमें विविध आपत्तियाँ देखी गईं	कर प्रभाव
60	वृत्त-इटारसी	0	0	0
61	वृत्त-मंडीदीप	12	0	0
62	वृत्त-नरसिंहपुर	5	0	0
63	वृत्त-1 रतलाम	3	0	0
64	वृत्त बुरहानपुर	45	0	0
	योग (64 इकाईयों)	415	20	2,24,21,770

परिशिष्ट 2.20

(कांडिका 2.5.16.6 के में संदर्भित)

प्रतिपक्ष राज्य कर प्राधिकरण को स्वीकृति आदेश अग्रोषित करने में विलंब

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	निर्धारिता का नाम	जीएसटी संख्या	एआरएन संख्या	एआरएन तिथि	फॉर्म जीएसटी में रिफंड स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि	स्वीकृत रिफंड की कुल राशि		राज्य नोडल अधिकारी से केन्द्रीय नोडल अधिकारी को रिफंड आदेश प्राप्त होने की तिथि	केन्द्रीय नोडल अधिकारी को रिफंड आदेश जारी करने में देरी
							आईजीएसटी	सीजीएसटी		
1	वृत्त-2 ग्वालियर	प्रियंका पॉलीमर्स	23ARXPS6222L1Z4	AA2306190191890	27/06/2019	11/09/2019	0	61,424	04/10/2019	16
2	वृत्त-2 ग्वालियर	मेहता प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	23BWIPM0961R1Z0	AA2308190102885	12/08/2019	11/09/2019	0	1,25,506	04/10/2019	16
3	वृत्त-2 ग्वालियर	मेहता प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	23BWIPM0961R1Z0	AA2308190253563	31/08/2019	11/09/2019	7,591	2,17,812	04/10/2019	16
4	वृत्त-सागर	लक्ष्मी अगरबत्ती फैक्टरी	23AABFL8558P1ZQ	AA231118277719U	19/02/2019	09/07/2019	0	2,51,491	18/07/2019	2
5	वृत्त-सागर	मध्य भारत एग्री प्रोडक्ट्स लिमिटेड यूनिट-II	23AADCM5913E2ZU	AA2308190234365	29/08/2019	18/10/2019	0	10,55,962	29/11/2019	35
6	वृत्त-सागर	मध्य भारत एग्री प्रोडक्ट्स लिमिटेड यूनिट-II	23AADCM5913E2ZU	AA2308190251369	30/08/2019	16/09/2019	0	6,39,997	24/09/2019	1
7	वृत्त-सागर	मध्य भारत एग्री प्रोडक्ट्स लिमिटेड यूनिट-II	23AADCM5913E2ZU	AA230919000227D	02/09/2019	18/10/2019	0	15,46,041	29/11/2019	35
8	वृत्त-नरसिंहपुर	अग्रवाल प्रोव्हीजन्स	23ADIPA9328E1ZW	AA231218017127L	25/12/2018	20/05/2019	0	33,581	14/06/2019	18
9	वृत्त-1 उज्जैन	एस्कॉन हेल्थ केयर	23AHCPD2163L1ZP	AA2310180596390	16/03/2019	08/04/2019	7,77,710	0	16/04/2019	1
10	वृत्त-6 इंदौर	एस. एम. इंटरग्राइसेज	23ALHPB3132C1Z1	AA231018061406J	27/06/2019	10/06/2019	0	57,903	29/10/2019	134

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	निर्धारिता का नाम	जीएसटी संख्या	एआरएन संख्या	एआरएन तिथि	फॉर्म जीएसटी में रिफंड स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि - आएफडी-06	स्वीकृत रिफंड की कुल राशि			राज्य नोडल अधिकारी से केन्द्रीय नोडल अधिकारी को रिफंड आदेश प्राप्त होने की तिथि	केन्द्रीय नोडल अधिकारी को रिफंड आदेश जारी करने में देरी
							आईजीएसटी	सीजीएसटी	उपकर		
11	वृत्त-11 इंदौर	एड्रोइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	23AAACA6850F1Z2	AA230618559473W	15 / 10 / 2018	14 / 12 / 2018	56,43,204	0	0	03 / 01 / 2019	13
12	वृत्त-11 इंदौर	कॉन्ड्यूएन्ट बिजनेस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड	23AAAAX2366G1ZC	AA2308183643060	12 / 11 / 2018	16 / 09 / 2019	48,06,460	0	0	25 / 09 / 2019	2
13	वृत्त-11 इंदौर	माधुरी रिफाइनर्स प्रा. लिमिटेड	23AAABCM1884C1ZV	AA230817474657M	23 / 11 / 2018	29 / 12 / 2018	42,70,618	0	0	04 / 02 / 2019	30
14	वृत्त-11 इंदौर	जेएमबीएच ग्लोबल फूड्स	23AAMFJ0416H1ZP	AA2309186144047	03 / 12 / 2018	28 / 01 / 2019	0	24,31,702	0	07 / 03 / 2019	31
15	वृत्त-11 इंदौर	टाटा ग्लोबल बेवरेजेज लिमिटेड	23AAABCT0602K1ZT	AA230717000105T	17 / 12 / 2018	26 / 03 / 2019	14,57,780	0	0	05 / 04 / 2019	3
16	वृत्त-11 इंदौर	टाटा ग्लोबल बेवरेजेज लिमिटेड	23AAABCT0602K1ZT	AA2310170004034	26 / 12 / 2018	26 / 03 / 2019	12,20,558	0	0	01 / 07 / 2019	90
17	वृत्त-11 इंदौर	उपहार इंडस्ट्रीज	23CJQPK7643Q1ZC	AA2303180159846	03 / 02 / 2019	13 / 02 / 2019	6,00,000	1,00,000	0	21 / 02 / 2019	1
18	वृत्त-11 इंदौर	जयलक्ष्मी रबर फैक्ट्री	23AECPG7310K1ZV	AA230818405729U	25 / 02 / 2019	15 / 03 / 2019	5,454	1,80,696	0	25 / 03 / 2019	3
19	वृत्त-11 इंदौर	कृष्णा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	23CDLDP7004F1Z1	AA2304180128774	27 / 02 / 2019	05 / 03 / 2019	1,84,101	0	0	15 / 03 / 2019	3
20	वृत्त-11 इंदौर	कृष्णा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	23CDLDP7004F1Z1	AA230618639983IZ	27 / 02 / 2019	05 / 03 / 2019	1,96,301	0	0	15 / 03 / 2019	3
21	वृत्त-11 इंदौर	कृष्णा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	23CDLDP7004F1Z1	AA2308184064348	27 / 02 / 2019	05 / 03 / 2019	1,98,652	0	0	15 / 03 / 2019	3
22	वृत्त-11 इंदौर	उपहार इंडस्ट्रीज	23CJQPK7643Q1ZC	AA231118283946V	03 / 03 / 2019	05 / 03 / 2019	0	81,500	0	15 / 03 / 2019	3

सं. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	निर्धारिता का नाम	जीएसटी संख्या	एआरएन संख्या	एआरएन तिथि	फॉर्म जीएसटी में रिफंड स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि — आरएफडी-06	स्वीकृत रिफंड की कुल राशि			राज्य नोडल अधिकारी से केन्द्रीय नोडल अधिकारी को रिफंड आदेश प्राप्त होने की तिथि	केन्द्रीय नोडल अधिकारी को रिफंड आदेश जारी करने में देरी
							आईजीएसटी	सीजीएसटी	उपकर		
23	वृत्त-11 इंदौर	टाटा ग्लोबल बेररेजेज लिमिटेड	23AABCT0602K1ZT	AA230718032192G	29/04/2019	26/03/2019	13,45,063	0	0	05/04/2019	3
24	वृत्त-11 इंदौर	टाटा ग्लोबल बेररेजेज लिमिटेड	23AABCT0602K1ZT	AA230918729289L	17/05/2019	19/08/2019	66,16,764	0	0	05/09/2019	10
25	वृत्त-11 इंदौर	माधुरी रिफाइनर्स प्रा. लिमिटेड	23AABCM1884C1ZV	AA230718034033K	05/06/2019	27/06/2019	7,84,966	0	0	06/07/2019	2
26	वृत्त-11 इंदौर	माधुरी रिफाइनर्स प्रा. लिमिटेड	23AABCM1884C1ZV	AA2310180765292	05/06/2019	27/06/2019	8,91,967	0	0	06/07/2019	2
27	वृत्त-11 इंदौर	माधुरी रिफाइनर्स प्रा. लिमिटेड	23AABCM1884C1ZV	AA230219414961B	06/06/2019	27/06/2019	10,63,946	0	0	06/07/2019	2
28	वृत्त-11 इंदौर	श्री लक्ष्मी इंटरग्राइसेज	23ACYFS1727J1ZN	AA230619010643F	18/06/2019	06/08/2019	5,35,718	0	0	19/08/2019	6
29	वृत्त-11 इंदौर	पैराग्राफ्स उद्योग	23AAIFP3456F1ZD	AA230919005909S	07/09/2019	23/03/2019	0	5,77,954	0	01/10/2019	185
30	वृत्त-14 इंदौर	क्राउन केमिकल	23ACJPG8466H1ZG	AA230918611737V	30/11/2018	27/12/2018	5,44,506	1,920	0	09/01/2019	6
31	वृत्त-14 इंदौर	आदर्श ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	23AABCA4940M1ZR	AA231218619154G	15/02/2019	26/03/2019	0	1,35,091	0	11/04/2019	9
32	वृत्त-14 इंदौर	क्वालिटी कॉटन एण्ड स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड	23AAAACQ2767R1ZX	AA230319643629W	04/06/2019	16/09/2019	13,20,945	4,71,832	0	24/09/2019	1
33	वृत्त-14 इंदौर	जे के फूड इंडस्ट्रीज	23ACIPL073B1ZA	AA2304180226396	06/06/2019	16/07/2019	21,552	0	0	14/08/2019	22
34	वृत्त-15 इंदौर	ग्रीन मिलर कॉर्पोरेशन	23AGHPA3813G1ZI	AA230318018441IN	15/02/2019	02/04/2019	2,02,884	0	0	28/08/2019	141
35	वृत्त-15 इंदौर	एसआरपी लिनन मर्कटाइल प्राइवेट लिमिटेड	23AAAPCS9863F1ZU	AA230819003290J	03/08/2019	25/06/2019	0	2,39,100	0	15/08/2019	44

सं. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	निर्धारिता का नाम	जीएसटी संख्या	एआरएन संख्या	एआरएन तिथि	फॉर्म जीएसटी में रिफंड स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि - आरएफडी-06	स्वीकृत रिफंड की कुल राशि			राज्य नोडल अधिकारी से केन्द्रीय नोडल अधिकारी को रिफंड आदेश प्राप्त होने की तिथि	केन्द्रीय नोडल अधिकारी को रिफंड आदेश जारी करने में देरी	
							आईजीएसटी	सीजीएसटी	उपकर			
36	वृत्त-15 इंदौर	के आर इंटरप्राइसेज	23AAAMPY3488L1ZU	AA230919007034F	09/09/2019	10/05/2019	53,824	0	0	0	29/06/2020	409
37	वृत्त-15 इंदौर	कमर्शियल सिन बेस लिमिटेड	23AABCC2596DZZ	AA230918632417Y	18/12/2018	03/01/2019	5,12,733	0	0	0	14/01/2019	4
38	वृत्त-15 इंदौर	लखानी रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	23AABCL3584E1ZR	AA230418003142W	04/01/2019	12/04/2019	11,02,641	0	0	0	28/06/2019	70
39	वृत्त-15 इंदौर	लखानी रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	23AABCL3584E1ZR	AA230518004731K	07/01/2019	05/07/2019	2,27,11,924	0	0	0	30/07/2019	18
40	वृत्त-15 इंदौर	महिंद्रा सस्टेन प्रा. लिमिटेड	23AAGCM8122LIZE	AA2310180441200	01/02/2019	17/05/2019	8,09,84,202	0	0	0	13/06/2019	20
41	वृत्त-15 इंदौर	कमर्शियल सिन बेस लिमिटेड	23AABCC2596DZZ	AA230918695477D	04/03/2019	15/10/2019	10,70,954	0	0	0	28/11/2019	37
42	वृत्त-15 इंदौर	लखानी रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	23AABCL3584E1ZR	AA2302194089239	23/05/2019	18/07/2019	52,81,630	0	0	0	27/07/2019	2
43	वृत्त-15 इंदौर	किंग्सपैन जिवल प्राइवेट लिमिटेड	23AAAACK1091J1ZS	AA2307190195816	24/07/2019	13/12/2019	10,64,256	0	0	0	24/01/2020	35
44	वृत्त-15 इंदौर	ल्यूपिन लिमिटेड सेज यूनिट	23AAAACL1069K3ZL	AA2308190214292	27/08/2019	26/12/2019	55,52,062	0	0	0	31/01/2020	29
45	वृत्त-1 भोपाल	शिमर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	23AAECE2302G1ZD	AA2311173966980	27/08/2018	15/07/2019	9,94,347	1,57,818	0	0	08/08/2019	17
46	वृत्त-1 भोपाल	अट्रेक्टिव ऑटो मोबाइल	23AAATFA3528N1Z3	AA2312186079528	09/02/2019	16/04/2019	38,24,985	0	0	0	20/06/2019	58
47	वृत्त-1 भोपाल	एमपी स्टेट को ऑपरेटिव तिलसीड प्रोअर्स फंडेशन लिमिटेड	23AAAAAM2180N2ZL	AA2303190176880	22/03/2019	05/09/2019	0	0	61,839	0	19/09/2019	7

सं. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	निर्धारिता का नाम	जीएसटी संख्या	एआरएन संख्या	एआरएन तिथि	फॉर्म जीएसटी में रिफंड स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि - आरएफडी-06	स्वीकृत रिफंड की कुल राशि			राज्य नोडल अधिकारी से केन्द्रीय नोडल अधिकारी को रिफंड आदेश प्राप्त होने की तिथि	केन्द्रीय नोडल अधिकारी को रिफंड आदेश जारी करने में देरी
							आईजीएसटी	सीजीएसटी	उपकर		
48	वृत्त-1 भोपाल	शिमर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	23AAECE2302G1ZD	AA2310180690895	04/04/2019	15/07/2019	20,69,670	2,89,823	0	08/08/2019	17
49	वृत्त-1 भोपाल	रेजोनेस एक्जिम	23BHUPS2651F1Z3	AA230319573999E	09/05/2019	20/09/2019	82,708	1,38,619	0	23/12/2019	87
50	वृत्त-1 भोपाल	अट्रोक्टिव ऑटो मोबाइल्स	23AAATFA3528N1Z3	AA230319647816V	06/06/2019	18/07/2019	10,73,335	0	0	29/01/2020	188
51	वृत्त-1 भोपाल	अट्रोक्टिव ऑटो मोबाइल	23AAATFA3528N1Z3	AA230419370914Z	07/06/2019	16/04/2019	4,25,701	19,36,771	0	20/06/2019	58
52	वृत्त-1 भोपाल	डी. के. सेल्स एण्ड सर्विस	23ABOPD1105E1ZG	AA230619017424C	26/06/2019	09/07/2019	0	25,862	0	07/12/2019	144
53	वृत्त-1 भोपाल	भोलवाड़ा इफोटैक्नोलॉजी लिमिटेड	23AAABCB2496F1ZY	AA2307190038529	05/07/2019	10/01/2020	3,681	4,69,204	0	22/01/2020	5
54	वृत्त-1 भोपाल	मैसर्स अट्रोक्टिव ऑटो मोबाइल्स	23AAATFA3528N1Z3	AA230719024314E	29/07/2019	22/08/2019	7,01,315	7,19,021	0	29/01/2020	153
55	वृत्त-1 भोपाल	पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर सोसायटी	23AAACAP4317J1ZQ	AA230819020647I	26/08/2019	04/12/2019	0	0	0	17/12/2019	6
56	वृत्त-1 भोपाल	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च भोपाल	23AAAAI2511F1ZG	AA230119001594L	03/01/2019	20/05/2019	62,430	0	0	19/06/2019	23
57	वृत्त-1 भोपाल	लायन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	23AAACCL7258G1ZJ	AA231218579539P	01/02/2019	16/04/2019	0	17,01,532	0	30/04/2019	7
58	वृत्त-1 भोपाल	एससीएम एग्रीटेक इंटरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड	23AAAXCS9992D1ZK	AA231218603152S	07/02/2019	14/10/2019	20,21,211	2,83,502	2,00,682	26/11/2019	36

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व संबंध विभाग)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटी संख्या	एआरएन संख्या	एआरएन तिथि	फॉर्म जीएसटी में रिफंड स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि — आरएफडी-06	स्वीकृत रिफंड की कुल राशि			राज्य नोडल अधिकारी से केन्द्रीय नोडल अधिकारी को रिफंड आदेश प्राप्त होने की तिथि	केन्द्रीय नोडल अधिकारी को रिफंड आदेश जारी करने में देरी
							आईजीएसटी	सीजीएसटी	उपकर		
59	वृत्त-1 भोपाल	चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	23AAAACC9762AIZ1	AA230419020420T	23 / 04 / 2019	06 / 04 / 2019	0	27,20,996	0	13 / 06 / 2019	61
60	वृत्त-1 भोपाल	सागर मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड	23AAAPCS1247MIZ1	AA230919013888O	17 / 09 / 2019	12 / 09 / 2019	3,48,340	0	0	20 / 12 / 2019	92
						योग	16,26,38,689	1,66,52,660	2,62,521		
						महायोग	17,95,53,870				

परिशिष्ट 2.21

(कांडिका 2.6.5 में संदर्भित)

टर्नओवर की त्रुटिपूर्ण परिगणना के कारण कर का अवनिर्धारण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
1	सं.उ.वा.क. (एलटीयू) इंदौर मेसर्स सांघी ब्रदर्स टिन-23891300052 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001084880	2016-17	65,40,000	24,86,871	40,53,129	1.5	60,797	लेखापरीक्षित खातों में अचल संपत्तियों की अनुसूची के अनुसार पुराने वाहन की बिक्री नहीं की गई है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
2	सं.उ.वा.क. (एलटीयू) इंदौर मेसर्स वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड टिन-23321001945 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001084948	2016-17	16,28,00,000	62,56,695	15,65,43,305	1.5	23,48,150	लेखापरीक्षित खातों में अचल संपत्तियों की अनुसूची के अनुसार पुराने वाहन की बिक्री नहीं की गई है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
3	वा.क.अधि. खंडवा मेसर्स एम डी एग्रो एण्ड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज टिन- 23079016623 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00633910	2014-15	2,75,99,476	2,73,78,476	2,21,000	13	28,730	जीटीओ में जेनरेटर की बिक्री को सम्मिलित नहीं किया गया है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
4	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स सेंचुरी डेनिम टिन-23192202537	2014-15	5,63,650	1,54,825	4,08,825	13	53,147	संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण और विद्युत स्थापना की बिक्री पूरी तरह से नहीं ली गई है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
	प्रकरण क्रमांक: 122 / 2015 (सीएसटी)								उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
5	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स सेंचुरी यार्न टिन-23812202293 प्रकरण क्रमांक: 119 / 2015 (सीएसटी)	2014-15	45,77,749	1,50,981	44,26,768	13	5,75,480	संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण और फर्नीचर / फिक्स्चर की बिक्री पूरी तरह से नहीं ली गई है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
6	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स कैपस पॉली प्लास्ट प्रा. लिमिटेड टिन-23221402028 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001276634 (बैट)	2016-17	4,11,318	0	4,11,318	14	57,585	मोल्ड्स की बिक्री सम्मिलित नहीं है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
7	वा.क.अधि.-15 इंदौर मेसर्स आर.जी. इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड टिन-23241502024 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 000000959576 (बैट)	2015-16	4,79,12,919	4,56,29,108	22,83,811	14	3,19,733	कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करते समय नि. प्रा. ने संयंत्र और मशीनरी की बिक्री को सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
8	वा.क.अधि.-15 इंदौर मेसर्स विनेश एजेंसिज टिन-23531501040 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001105180	2015-16	8,01,774	0	8,01,774	1.5	12,029	नि.प्रा. ने कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करते समय अचल संपत्ति की बिक्री को सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
9	वा.क.अधि.-15 इंदौर मेसर्स श्री अपेरल्स टिन- 23201503792 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001332889	2016-17	2,59,84,823	2,56,44,823	3,40,000	14	47,600	नि.प्रा. ने कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करते समय अचल संपत्ति की बिक्री को सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
10	वा.क.अधि. हरदा मेसर्स परफेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कौन्ट्रेक्टर्स टिन-23949020222 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001536580	2016-17	2,63,41,503	2,27,06,492	36,35,011	14 / 5	3,25,750	नि.प्रा. ने कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करते समय अचल संपत्ति की बिक्री को सम्मिलित नहीं किया था।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
11	वा.क.अधि.-3 जबलपुर मेसर्स तिलकराज मोटर्स टिन- 23839108988 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001338885 (बैट)	2016-17	10,24,51,489	10,18,09,064	6,42,425	14	89,939	नि.प्रा. ने कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करते समय अचल संपत्ति की बिक्री को सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
12	वा.क.अधि.-3 जबलपुर मेसर्स संजय मोबाइल्स टिन- 23465905121 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001325948 (बैट)	2016-17	5,12,89,245	5,04,39,245	8,50,000	1.5	12,750	नि.प्रा. ने कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करते समय अचल संपत्ति की बिक्री को सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
13	वा.क.अधि.-4 इंदौर मेसर्स गणगौर क्रिएशन टिन- 23180302458 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001126222	2016-17	49,84,840	41,04,840	8,80,000	14	1,23,200	नि.प्रा. ने कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करते समय अचल संपत्ति की बिक्री को सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
14	स.आ.वा.क.-2 भोपाल मेसर्स शिवशक्ति टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड टिन- 23434705102 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000000947913	2015-16	26,90,67,981	26,74,68,391	15,99,590	1.5	23,994	वैट का आरोपण नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
15	स.आ.वा.क.-12 इंदौर मेसर्स अग्रसार पॉलीपैक, टिन- 23889158259 प्रकरण क्रमांक:-सीएस 0000001413452 (वैट)	2016-17	4,40,88,100	4,19,55,139	2,13,29,610	14	29,86,145	जीटीओ में सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
16	स.आ.वा.क.-12 इंदौर मेसर्स ट्रेड्स अपेरल्स टिन- 23381204448 प्रकरण क्रमांक: 139 / 17 (वैट)	2016-17	7,32,78,523	7,30,58,203	2,20,320	14	30,845	जीटीओ में सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
17	वा.क.अधि. छतरपुर मेसर्स रेडिसन जस होटल	2016-17	3,22,93,172	3,21,76,662	1,16,510	14	16,311	प्लॉट और मशीनरी की बिक्री पर टैक्स नहीं लगाया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
18	टिन- 23207700831 प्रकरण क्रमांक:- 73 / 17 (वैट) वा.क्र.अधि. छतरपुर मेसर्स राखी ट्रेडर्स टिन- 23937704455 प्रकरण क्रमांक:- 619 / 17 (वैट)	2016-17	4,85,69,584	4,74,55,023	11,14,561	1.5	16,718	जीटीओ में सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
19	सं.आ.वा.क.-3 ग्वालियर मेसर्स जे.पी. फुटवियर प्रा. लिमिटेड टिन-2352503203 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000000842791	2015-16	72,95,395	71,93,395	1,02,000	14	14,280	संयंत्र और मशीनरी की लागत जीटीओ में सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
20	सं.उ.वा.क.-3 इंदौर मेसर्स विलोवुड ग्रोप साइंस प्रा. लिमिटेड टिन-23369045694 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001067761	2016-17	55,53,15,673	54,82,98,702	70,16,971	1.5	1,05,254	अचल संपत्तियों की बिक्री जीटीओ/टीटीओ में सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
21	सं.आ.वा.क.-3 इंदौर (श्रीति श्रीवास्तव)	2016-17	35,03,27,955	34,73,59,553	29,68,402	15	4,45,260	निर्धारण आदेश में गलत जीटीओ लिया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
	मैसर्स ए.वी. एस सेल्स कॉर्पोरेशन टिन-23720800741 प्रकरण क्रमांक: - सीएस 0000001153998	2016-17	34,75,76,553	34,73,59,553	2,17,000	14	30,380	संपत्ति की बिक्री को जीटीओ में नहीं लिया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
22	स.आ.वा.क.-3 इंदौर (श्रीति श्रीवास्तव) मैसर्स हरीश कम्बाइन्स टिन -23070702304 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001143881	2016-17	38,08,30,687	37,96,73,687	11,57,000	1.5	17,355	संपत्ति की बिक्री को जीटीओ में नहीं लिया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
23	स.आ.वा.क.-3 इंदौर (श्रीति जौहरी) मैसर्स प्रिसिजन कोटिंग्स टिन-23061202781 प्रकरण क्रमांक:- 0000001136585	2016-17	18,50,91,712	18,42,96,315	7,95,397	14	1,11,356	संपत्ति की बिक्री को जीटीओ में नहीं लिया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
24	स.आ.वा.क.-3 इंदौर (श्रीति जौहरी) मैसर्स गैलेक्सी कंपोनेंट प्रा. लिमिटेड टिन-236309000555 प्रकरण क्रमांक:- 000000822840	2015-16	31,47,91,732	31,38,54,828	9,36,904	14	1,31,167	संपत्ति की बिक्री को जीटीओ में नहीं लिया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
25	स.आ.वा.क. सिवनी	2015-16	2,20,66,659	2,19,53,278	1,13,381	14	15,873	संपत्ति की बिक्री को जीटीओ में नहीं लिया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
	मेसर्स वैभव लक्ष्मी स्टोन क्रेशर टिन-23846703125 प्रकरण क्रमांक:- 000000968208								उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
26	स.आ.वा.क. सिवनी मेसर्स एस एस पी इंटरप्राइसेज टिन-23979079389 प्रकरण क्रमांक:- 0000000778071	2014-15	3,76,84,935	3,68,41,035	8,43,900	1.5	12,659	संपत्ति की बिक्री को जीटीओ में नहीं लिया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
27	वा.क.अधि. वृत्त-6 भोपाल मेसर्स झूले लाल स्टोन क्रेशर टिन - 23023804925 प्रकरण क्रमांक:- 1968825	2016-17	4,77,38,975	4,72,32,209	5,06,766	5	25,338	नि.प्रा. द्वारा लेखापरीक्षित खातों में दर्ज जीटीओ के विरुद्ध कम जीटीओ निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
28	वा.क.अधि. वृत्त-3 भोपाल मेसर्स वीर अर्जुन इंडस्ट्रीज, टिन-239009175135 प्रकरण क्रमांक:- 1330280	2016-17	86,61,432	73,04,072	13,57,360	5	67,868	नि.प्रा. ने लेखों में दर्ज बिक्री के अनुसार कर का उद्ग्रहण नहीं किया। खाते के विरुद्ध उसने 5 प्रतिशत कर योग्य बिक्री अधिक और 15 प्रतिशत कर योग्य बिक्री कम निर्धारित की।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
29	सं.उ.वा.क. (एलटीयू) इंदौर	2016-17	1,66,98,72,470	1,66,94,29,652	4,42,818	15	64,227	जीटीओ कम निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
	मेसर्स राजपाल अभिकरण प्रा.लि टिन-23461101778 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001084811								उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
30	वा.क.अधि. खंडवा मेसर्स अग्रवाल एग्री टिन-23922006923 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00637656	2016-17	40,18,030	30,09,116	10,08,914	5	50,446	टीटीओ कम निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
31	वा.क.अधि. खंडवा मेसर्स सेवा सहकारी समिति केहलारी टिन-23899047290 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001057365	2015-16	70,27,977	38,91,953	31,36,024	5	1,56,802	खाद की बिक्री कर योग्य है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
32	वा.क.अधि. खंडवा मेसर्स गायत्री ट्रेडर्स टिन- 23662003283 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00609031	2014-15	1,31,38,706	1,19,07,906	12,30,800	5	61,540	उर्वरक की बिक्री का अंकड़ा लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार नहीं लिया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
33	वा.क.अधि. खंडवा मेसर्स सेवा सहकारी समिति धनगाव	2015-16	1,30,12,099	1,18,85,447	11,26,652	5	56,333	खाद की बिक्री कर योग्य है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
34	टिन- 23449033658 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001058477 वा.क.अधि. खंडवा मैसर्स सोहनलाल कन्हैयालाल, टिन- 23142001629 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001147343	2016-17	2,11,15,897	1,65,64,538	45,51,359	5	2,27,568	उर्वरक की बिक्री का आँकड़ा लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार नहीं लिया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
35	वा.क.अधि. 15 इंदौर मैसर्स कालरा मोबाइल जोन टिन-23259068209 डीम्ड केस (वैट)	2016-17	2,94,41,539	2,86,74,378	7,67,161	5 / 14	1,07,126	नि.प्रा. ने लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार बिक्री नहीं ली।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
36	वा.क.अधि. हरदा मैसर्स परफेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स टिन-23949020222 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001536580	2016-17	2,42,86,859	2,27,06,492	15,27,024	5 / 14 / 15	3,91,699	नि.प्रा. ने लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार कर योग्य टर्नओवर निर्धारित नहीं किया। नि.प्रा. ने टीटीओ का निर्धारण करते समय 14 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की वस्तुओं की बिक्री नहीं ली थी, जबकि उक्त वस्तुएं खरीदी गई थी और क्लोजिंग स्टॉक लगभग नगण्य था।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
37	वा.क.अधि. हरदा मैसर्स आदिल ट्रेडर्स टिन- 23469141502 डीम्ड केस (वैट)	2015-16	11,90,367	2,34,408	9,55,959	5	45,522	नि.प्रा. ने सोयाबीन की बिक्री को टीटीओ में सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
38	वा.क.अधि. शहडोल मेसर्स एसएम ऑटो एजेन्सीस टिन- 23599004155 डीम्ड केस (वैट)	2016-17	2,08,08,028	1,82,28,806	25,78,622	14	3,61,007	नि.प्रा. ने ₹ 25.79 लाख की वस्तु की बिक्री को 14 प्रतिशत की दर से सम्मिलित नहीं किया जबकि यह लेखा परीक्षित खातों से प्रमाणित होती है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
39	वा.क.अधि.-3 जबलपुर मेसर्स ग्लोरी फैशन टन- 23949048643 प्रकरण क्रमांक:- 98 / 16 (सीएसटी)	2015-16	1,34,73,813	93,15,024	41,58,789	5	2,07,939	नि. प्रा. ने आपत्ति की गई राशि पर कर का उद्ग्रहण नहीं किया, यद्यपि इसे टीटीओ में सम्मिलित किया गया था।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
40	वा.क.अधि.-3 जबलपुर मेसर्स भाटिया बैटरी ट्रेडर्स टिन- 23326003556 डीम्ड केस (वैट)	2016-17	95,645 @ 5 प्रतिशत, 0 @ 14 प्रतिशत, 2,41,662 @ 15 प्रतिशत	2,11,66,312, 5,12,937 @ 5 प्रतिशत, 32,65,919 @ 14 प्रतिशत, 23,66,457 @ 15 प्रतिशत	2,10,70,667 @ 5 प्रतिशत, 32,65,919 @ 14 प्रतिशत, 23,66,457 @ 15 प्रतिशत	5 / 14 / 15	65,081	व्यवसायी ने लेखापरीक्षित खाते के अनुसार कर जमा नहीं किया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
41	वा.क.अधि.-3 जबलपुर मेसर्स सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स लैबोरेटरीज टिन-23246001757 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001035619 (वैट)	2015-16	1,17,55,740	1,15,82,714	1,73,026	14	24,224	नि.प्रा. ने टीटीओ का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार बिक्री नहीं सम्मिलित की।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
42	वा.क.अधि.-4 इंदौर मेसर्स बसंत ड्रेसस टिन- 23350300473 डीम्ड केस (बैट)	2016-17	70,96,115	30,48,872	40,47,243	5 / 14	5,66,614	डीलर ने लेखापरीक्षित लेखे के अनुसार कर का स्व-निर्धारण नहीं किया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
43	स.आ.वा.क.-12 इंदौर मेसर्स ओरियन इंटरप्राइसेज टिन- 23501201763 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001174356 (बैट)	2016-17	3,74,47,335	3,56,67,984	63,74,338	5	3,18,717	सीए रिपोर्ट में निर्धारित माल की तुलना में 5 प्रतिशत की बिक्री अधिक दिखाई गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
44	स.आ.वा.क.-2 ग्वालियर मेसर्स योगेश इंटरप्राइसेज टिन-23565205696 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001513551	04 / 2017 से 06 / 2017	42,12,334	19,46,967	22,65,367	5	1,13,268	लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार टीटीओ का निर्धारण न किया जाना।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
45	स.आ.वा.क.-2 ग्वालियर मेसर्स एस.आर. ट्रेडिंग कंपनी टिन-23549043251 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001513804 (बैट)	04 / 2017 से 06 / 2017	6,28,325	0	6,28,325	5	31,416	बारदाना की बिक्री टीटीओ में सम्मिलित नहीं है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
46	स.आ.वा.क.-3 ग्वालियर	2015-16	85,90,168	75,64,757	10,25,411	14 / 5	1,33,077	कर-मुक्त माल मानते हुए छूट की अनुमति दी गई लेकिन वैटिस रिपोर्ट	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
47	मेसर्स लक्ष्मी स्टेशनरी स्टोर्स टिन-23605303838 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 000000842945 (वैट)	04 / 2017 से 06 / 2017	28,17,73,214	28,11,38,112	6,35,102	5	31,755	76 के अनुसार उपरोक्त बिक्री कर योग्य पाई गई। निर्धारण आदेश में गलत जीटीओ लिया गया।	उपरांत कार्यवाही की जाएगी। नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
48	स.आ.वा.क.-3 इंदौर (श्रीति श्रीवास्तव) मेसर्स कोहिनूर इलास्टिक प्राइवेट लिमिटेड प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001442924	2016-17	20,09,20,254	19,56,96,696	52,23,556	15	7,83,533	टीटीओ का गलत निर्धारण।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
49	वा.क.अधि. वृत्त-6 भोपाल मेसर्स श्री बालाजी होम्स एण्ड रियलिटी टिन-23449118145 प्रकरण क्रमांक:- 982435	2016-17	5,62,41,389 3,46,57,780	5,16,57,923 3,18,33,298	45,83,466 28,24,482	5 14	2,29,173 3,95,427	नि.प्रा. ने खरीद में 10 प्रतिशत लाभ जोड़कर जीटीओ निर्धारित किया जबकि लेखापरीक्षित खाते के अनुसार लाभ 19.76 प्रतिशत था। इसके परिणामस्वरूप कर की कम वसूली हुई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
50	वा.क.अधि. वृत्त-6 भोपाल मेसर्स संरचना श्री कंस्ट. एण्ड डेवलपर्स टिन-23739153424 प्रकरण क्रमांक:- 1545050	2016-17	39,83,529 22,93,764	35,76,170 20,59,202	4,07,359 2,34,562	5 14	20,368 32,839	नि.प्रा. ने खरीद में 10 प्रतिशत लाभ जोड़कर जीटीओ निर्धारित किया जबकि लेखापरीक्षित खाते के अनुसार लाभ 22.53 प्रतिशत था। इसके परिणामस्वरूप कर की कम वसूली हुई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
51	वा.क.अधि. वृत्त-6 भोपाल मेसर्स हिमालय बिल्डर्स टिन-23119141943 प्रकरण क्रमांक:- 1504334	2016-17	26,50,032 31,88,676	24,40,703 29,36,799	2,09,329 2,51,877	5 14	10,466 35,263	नि.प्रा. ने खरीद में 10 प्रतिशत लाभ जोड़कर जीटीओ निर्धारित किया जबकि लेखा परीक्षित खाते के अनुसार लाभ 20.52 प्रतिशत था। इसके परिणामस्वरूप कर की कम वसूली हुई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
52	वा.क.अधि. खंडवा मेसर्स अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी टिन- 23609026852 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001157303	2016-17	33,14,741 22,01,355	31,71,157 21,06,000	1,43,584 95,355	5 14	7,179 13,350	लेखापरीक्षित खातों के अनुसार लाभ को जीटीओ बनाते समय हस्तांतरित सामग्री में नहीं माना गया है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
53	स.आ.वा.क. रीवा मेसर्स ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी, टिन-23496901343 प्रकरण क्रमांक:-	2016-17	40,96,822 29,31,892	32,26,819 16,00,965	8,70,003 13,30,927	5 14	43,500 1,86,330	सकल लाभ को खातों के अनुसार नहीं लिए जाने के कारण टी.टी.ओ. का कम निर्धारण।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
54	सीएस 001192002 (वैट) स.आ.वा.क. रीवा मेसर्स रमा कंस्ट्रक्शन कंपनी टिन-23136905712 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001197274 (वैट)	2016-17	58,42,062	50,36,262	8,05,800	14	1,12,813	सकल लाभ को खातों के अनुसार नहीं लिए जाने के कारण टी.टी.ओ. का कम निर्धारण।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
55	स.आ.वा.क. रीवा मेसर्स एच एस ए इंटरप्राइसेज, टिन-23469120180 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001197212 (वैट)	2016-17	44,52,002	34,85,548	9,66,454	5	48,323	सकल लाभ को खातों के अनुसार नहीं लिए जाने के कारण टी.टी.ओ. का कम निर्धारण।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
56	वा.क.अधि. वृत्त-3 भोपाल मेसर्स कृष्णा इंडस्ट्रीज टिन-23869151180 प्रकरण क्रमांक.-1330155	2016-17	1,05,68,100	1,00,64,857	5,03,243	5	25,162	नि.प्रा. ने खाते में दर्ज बिक्री को कर सहित मानते हुए धारा 2(X)(iii) की कटौती गलत तरीके से दी, जबकि खाते में दर्ज बिक्री कर योग्य बिक्री है यानी कर के अलावा।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
57	सं.उ.वा.क. (एलटीयू) इंदौर मेसर्स राजपाल अभिकरण प्रा. लिमिटेड,	2016-17	1,44,90,24,817	1,44,76,88,525	13,36,292	15	2,00,444	₹ 13,36,292 की बिक्री पर वसूल किया गया कर जीटीओ में नहीं लिया गया है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
58	टिन-23461101778 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001084811 स.आ.वा.क.-3 ग्वालियर मेसर्स डिजिटल टेकनीकस् टिन-23489077595 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001046299	2015-16	8,80,94,421	8,68,82,920	12,11,501	5	60,575	विक्रय विवरणी के संबंध में कोई सहायक दस्तावेज नहीं मिला।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
59	स.आ.वा.क.-3 ग्वालियर मेसर्स पूर्वा पैकिंग टिन-23215308466 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001369359	2016-17	2,88,94,724	2,84,47,159	4,47,565	5	22,378	ट्रेडिंग खाते में विक्रय रिफंड की राशि ₹ 4,47,565 सम्मिलित नहीं थी। इसलिए फिर से विक्रय रिफंड की छूट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
60	सं.उ.वा.क.-3 इंदौर मेसर्स कंसल नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड टिन-23071001161 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001067850	2016-17	1,09,18,75,293	1,08,90,68,100	28,07,193	14	3,93,007	अतिरिक्त विक्रय रिफंड की कटौती।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
61	वा.क.अधि. वृत्त-6 भोपाल मेसर्स दल्लू कंस्ट्रक्शन टिन-2344380624 प्रकरण क्रमांक:- 120 / 17	2016-17	1,74,70,461	1,17,63,555	57,06,906 (42,13,535 @ 14% और 1,49,375 @ 5%)	5 और 14	6,64,562	नि.प्रा. ने उप-ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के मूल्य को विभाजित करके 40 प्रतिशत सामग्री और 60 प्रतिशत श्रम द्वारा किए गए कार्य के मूल्य पर 5 प्रतिशत कर लगाया। जबकि विभाजन को 60 प्रतिशत सामग्री और 40 प्रतिशत श्रम के रूप में किया	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
62	वा.क.अधि. खडवा मेसर्स मनोज इंटरप्राइसेज टिन- 23039179490 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00883721	2015-16	1,27,98,500 3,75,679 74,64,520 (10,663.6 घन मीटर)	0 0 0	1,27,98,500 3,75,679 74,64,520 (10,663.6 घन मीटर)	14 5 35/घन मीटर	17,91,790 18,784 3,73,226	जाना चाहिए था। उप-ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए चालानों से भी स्पष्ट है कि उन्होंने सीमेंट कंक्रीट का काम भी किया है जो कि 14 प्रतिशत कर योग्य है। ठेकेदार को श्रम प्राप्तियों में छूट दी गई, लेकिन चालू खाता बिलों की जाँच के बाद सामग्री की आपूर्ति पाई गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
63	वा.क.अधि. खडवा मेसर्स अकित ट्रेडर्स टिन- 23699041490 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00887737	2015-16	81,59,528	75,10,640	6,48,888	14	90,844	यदि बिक्री के लिए माल की लागत के आधार पर गणना की जाती है तो जीटीओ कम निर्धारित होता है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
64	वा.क.अधि.-15 इंदौर मेसर्स स्वस्तिक इंजीनियरिंग टिन-2325150404 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001170408 (बैट)	2016-17	7,33,02,734	6,89,03,887	43,98,847	5	2,19,942	उपभोग की गई सामग्री की गणना के अनुसार मानी गई बिक्री की गणना अधिक पाई गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
65	वा.क.अधि. बीना मेसर्स बिलफिगर न्यू स्टैंडो प्राइवेट लिमिटेड,	2014-15	19,96,640	0	19,96,640	5	99,832	फॉर्म 49 के अनुसार, ₹ 18,71,410 राशि का माल राज्य के बाहर बेचा गया था जबकि सभी बिक्री को नि.प्रा. द्वारा श्रम कार्य के रूप में	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/ अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर में)	कम प्राप्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
66	टिन-23417404138 प्रकरण क्रमांक: /2016 (बैट) स.आ.वा.क.-2 भोपाल मैसर्स संजय पालिया, टिन-23304302963 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000000947130 (बैट)	2015-16	10.30,14,702 (1,47,163.86 घन.मी.)	9,25,13,351 (132,161.93 घन.मी.)	1,05,01,351 (15,001.93 मीटर)	35 / घन मीटर	5,25,067	माना गया है। श्रम व्यय की अधिक/गलत कटौती के कारण नि. प्रा. ने कम जीटीओ निर्धारित किया। नि.प्रा. ने 9ए माल के मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जबकि इन सामानों पर वजन और मात्रा के आधार पर कर लगाया जाता है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
67	स.आ.वा.क.-3 र्वालियर मैसर्स शिवा कार्पोरेशन (आई) प्रा.लिमिटेड मुरैना टिन-23775605269 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001232043 (बैट)	04 / 2017 से 06 / 2017	38,45,61,100 (5,49,373 घन. मी.)	3,61,11,600 (51,588 घन. मी.)	34,84,49,500 (4,97,785 घन मीटर)	35 / - प्रति घन मीटर	1,74,22,475	नि.प्रा. ने टीकमगढ़ में 5,49,373 घन मीटर के लिए कर भुगतान की हुई रेत की बिक्री पर कटौती की अनुमति दी जबकि लेखा पुस्तकों के अनुसार टीकमगढ़ में रेत की कर भुगतान बिक्री की मात्रा मात्र 51,588 घन मीटर थी।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
						योग	3,49,46,706		

परिशिष्ट 2.22

(कांडिका 2.6.6 में संदर्भित)

त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाने से वैट का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	टर्नओवर	कर की दर	लागू की गई कर की दर	कम आरोपित कर	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
1	स.आ.वा.क.-3 इंदौर (श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव) मैसर्स कोहिनूर इलास्टिक प्रा. लिमिटेड टिन-23730700389 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001442924 (बैट)	1/4/17 से 30/6/17	इलास्टिक टेप	19,51,87,632	5	0	97,59,382	नि.प्रा. ने बिना 'एच' फॉर्म के इलास्टिक टेप की निर्यात बिक्री पर कर आरोपित नहीं किया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि अपीलीय बोर्ड ने मैसर्स कोहिनूर के मामले में अपने निर्णय में इलास्टिक टेप को कर मुक्त माना है। इलास्टिक टेप पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाता है इसलिए यह अनुसूची I की प्रविष्टि संख्या 48 के अनुसार कर मुक्त है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त निर्णय वर्ष 1999 में दिया गया था जब वाणिज्यिक कर अधिनियम लागू था। वैट की अनुसूची I कि प्रविष्टि संख्या 48 के अनुसार, केवल वे कपड़े कर मुक्त हैं जो पहली अनुसूची में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के लिए निर्दिष्ट हैं। इलास्टिक टेप को केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ 5806 के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कर मुक्त नहीं है, बल्कि यह अनुसूची II की प्रविष्टि II / II / 34 के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
2	स.आ.वा.क.-3 इंदौर (श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव) मैसर्स कोहिनूर इलास्टिक प्रा. लिमिटेड टिन-23730700389 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001442924 (सीएसटी)	1/4/17 से 30/6/17	इलास्टिक टेप	8,59,50,480	5	0	42,97,524	नि.प्रा. ने बिना 'सी' फॉर्म के इलास्टिक टेप की अंतरराज्यीय बिक्री (आईएसएस) को कर मुक्त वस्तु के रूप में मानते हुए कर आरोपित नहीं किया, जबकि इलास्टिक टेप प्रविष्टि संख्या II / II / 34 के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि अपीलीय बोर्ड ने मैसर्स कोहिनूर के मामले में अपने निर्णय में इलास्टिक टेप को कर मुक्त माना है। इलास्टिक टेप पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाता है इसलिए यह अनुसूची I की प्रविष्टि संख्या 48 के अनुसार कर मुक्त है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त निर्णय वर्ष 1999 में दिया गया था जब वाणिज्यिक कर अधिनियम लागू था। वैट की अनुसूची I कि प्रविष्टि संख्या 48 के अनुसार, केवल वे कपड़े कर मुक्त हैं जो पहली अनुसूची में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के लिए निर्दिष्ट हैं। इलास्टिक टेप को केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ 5806 के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	टर्नओवर	कर की दर	लागू की गई कर की दर	कम आरोपित कर	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
3	स.आ.वा.क.-1 इंदौर, (श्रीमती रुबी रघुवंशी) मेसर्स जेनिथ मेटल प्राइवेट लिमिटेड टिन-23341403417 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00204 / 217	2016-17	ताना बुना हुआ कपड़ा	3,04,87,444	5	0	15,24,372	नि.प्रा. ने ताना बुने हुए कपड़ों की बिक्री को कर मुक्त मानकर इस पर कर नहीं लगाया, जबकि यह प्रविष्टि संख्या II/II/34 के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
4	स.आ.वा.क.-1 इंदौर मेसर्स इनेर्सिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, टिन-23040105625 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001097869	2016-17	ताना बुना हुआ कपड़ा	1,17,84,444	5	0	5,89,222	नि.प्रा. ने ताना बुने हुए कपड़ों पर कर मुक्त माल की कटौती की अनुमति दी, जबकि इस पर 5 प्रतिशत की दर से कर उद्ग्रहणीय था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
5	वा.क.अधि. खंडवा मेसर्स श्री कृष्णा औषधि मंडार टिन-23222005950 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00886494	2015-16	मोबाइल	18,30,938	14	0	2,56,331	नि.प्रा. ने कर भुगतान किए गए माल की कटौती की अनुमति दी जबकि मोबाइल 2015-16 में 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
6	स.आ.वा.क. रीवा मेसर्स मोबाइल प्लाजा टिन-23876905208	2016-17	मोबाइल	1,13,91,021	14	0	15,94,743	नि.प्रा. ने कर भुगतान किए गए माल पर कटौती की अनुमति दी जबकि मोबाइल पर	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	टर्नओवर	कर की दर	लागू की गई कर की दर	कम आरोपित कर	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
7	प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00.1217401 वा.क.अधि.-6 भोपाल मेसर्स भवसार कंस्ट्रक्शन टिन-23693606919 प्रकरण क्रमांक: 71 / 17	2016-17	राजमार्ग / प लड लाइट	29,28,992	14	5	2,63,609	नि.प्रा. ने राजमार्ग एलईडी लाइट और पलड लाइट्स को एलईडी बल्ब और ट्यूब के रूप में मानते हुए पूरे सेट पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
8	वा.क.अधि.-6 भोपाल मेसर्स मैत्री इंक्राटेक टिन-23899113153 प्रकरण क्रमांक: 211 / 17	2016-17	आरसीसी पोल	2,73,48,735	14	5	24,61,386	नि.प्रा. ने आरसीसी पोल की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जबकि यह एंटी नंबर 5-II/IV/5 के अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
9	वा.क.अधि.-3 भोपाल मेसर्स प्रगति ऑटोमोबाइल टिन-23489146950 प्रकरण क्रमांक:- 1102807	2016-17	तिपहिया	4,13,89,646	15	14	4,13,896	नि.प्रा. ने 14 प्रतिशत की दर से तिपहिया की बिक्री पर कर लगाया है जबकि 2016-17 के दौरान तिपहिया 15 प्रतिशत की दर से कर योग्य है (18/12/15 से 15 प्रतिशत)।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
10	वा.क.अधि.-3 भोपाल मेसर्स अप्ति ट्रेडिंग कापिरेशन टिन-23403805783 प्रकरण क्रमांक:- 1097279	2016-17	वास्तुकला डब्लू डब्लू सी	1,53,55,622	14	14 और 5	2,57,266	नि.प्रा. ने धारा 2(x)(iii) के तहत कटौती देकर विदेश से आयातित माल पर कर लगाया, जबकि इसकी खरीद मूल्य में कर शामिल नहीं है। पुनः डीलर ने स्वयं इन वस्तुओं पर 2 प्रतिशत प्रवेश कर प्रस्तावित किया जो की उसने मान्य भी	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	टर्नओवर	कर की दर	लागू की गई कर की दर	कम आरोपित कर	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
11	सं.उ.वा.क. (एलटीयू) इंदौर मेसर्स साधी ब्रदर्स टिन-23891300052 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001084880	2016-17	स्पेयर पार्ट्स (वारंटी दावा)	6,40,63,759 @ 15% 5,61,96,279 @ 14%	15	14	17,42,085	किया यानि की इस माल पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। लेकिन नि.प्रा. द्वारा बिक्री के अनुपात में 5 और 14 प्रतिशत की दर पर बेट लगाया जिसके परिणामस्वरूप बेट का कम आरोपण हुआ। कर छूट दी गई और वारंटी के दावे पर कर कम लगाया गया लेकिन इसमें स्पेयर पार्ट्स सम्मिलित हैं जिन पर 15 प्रतिशत कर देय हैं।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
12	स.आ.वा.क. रीवा मेसर्स पीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी टिन-23198690166 प्रकरण क्रमांक:-सीएस 001223497 (बेट)	2016-17	संगमरमर / ग्रेनाइट	5,79,120	14	5	52,121	कम दर पर कर लगाया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
13	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स गोल्डन इंटरप्राइसेज टिन-23041402903 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001113335 (बेट)	2016-17	पीपी बैग	1,41,63,531	14	5	12,74,718	कम दर पर कर लगाया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	टर्नओवर	कर की दर	लागू की गई कर की दर	कम आरोपित कर	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
14	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स कैपस पॉली प्लास्ट प्रा. लिमिटेड टिन-23221402028 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001276634 (बैट)	2016-17	प्लोस्टिंग ड्रॉक	90,78,232	14	5	8,17,040	एंटी नहीं इसलिए 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
15	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स श्री साई सेल्स टिन-23081403560 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001108867 (बैट)	2016-17	मोटर पार्ट्स	31,84,162 29,43,292	15 15	5 14	3,18,416 29,433	कम दर पर कर लगाया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
16	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स एंजल इंप्रोटेक प्रा. लिमिटेड टिन-23269036295 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00944496 (बैट)	2015-16	अनुबंध सामग्री	37,66,972	14	5	3,39,028	ठेकेदार धारा 9बी के तहत नामांकित नहीं है इसलिए 5 प्रतिशत और 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है लेकिन सम्पूर्ण राशि पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
17	स.आ.वा.क.-11 इंदौर मेसर्स क्रिष इंडस्ट्रीज टिन-23821104393 प्रकरण क्रमांक:- 199 / 2016	2015-16	पीईटी पेरफोर्म	69,06,900 62,790 किग्रा @ 110 / किग्रा	14	5	6,21,621	कम बैट लगाया गया।	डीलर पीईटी पेरफोर्म की बिक्री नहीं करता है। वह प्लास्टिक सामग्री बेचते हैं जिस पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षित खाते पीईटी पेरफोर्म की बिक्री को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	टर्नओवर	कर की दर	लागू की गई कर की दर	कम आरोपित कर	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
18	वा.क.अधि. बुरहानपुर मेसर्स यूनिवर्सल कंज्यूमर केयर टिन-23939079296 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00.1304895	2016-17	कनफेकशनरी	रिकॉर्ड के अनुसार 2,22,55,733 @ 14% और 203021 @ 5%	14	5	19,84,744	नि.प्रा. ने पांच प्रतिशत की दर से कर लगाया, जबकि यह 14 प्रतिशत की दर से आरोपणीय था।	नि.प्रा. ने कहा कि डीलर ने ₹ 100 प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर टॉफियां बेचीं जो कि पांच प्रतिशत पर कर योग्य है। नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 100 प्रति किग्रा से कम मूल्य की टॉफियों की बिक्री के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।
योग							2,85,96,937		

परिशिष्ट 2.23

(कांडिका 2.6.7 में संदर्भित)

सीएसटी अधिनियम के तहत अनियमित रियायत का दिया जाना

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	आपत्ति की राशि	कर की दर (प्रतिशत)	'सी' फॉर्म के साथ कर की दर (प्रतिशत)	कर शक्ति	योग	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
1	वा.क.अधि.-3 भोपाल मैसर्स न्यू स्टार एण्ड कंपनी टिन-23299037068 प्रकरण क्रमांक: 63 / 17	2016-17	तेंदू पत्ता	13,56,900	25	0	3,39,225 10,17,675	13,56,900	नि.प्रा. ने तेंदूपत्ता की अंतर्राज्यीय बिक्री के केवल ₹ 7,17,225 पर कर आरोपित किया जबकि ₹ 20,74,125 का 'सी' प्रपत्र डीलर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
2	सं.उ.वा.क.खंडवा मैसर्स सेंचुरी डेनिम टिन-23192202537 प्रकरण क्रमांक:- 122 / 2015 (सीएसटी)	2014-15	डेनिम	25,40,896	5	2	76,227 2,28,681	3,04,908	प्रकरण के साथ पूरा सी-फॉर्म नहीं मिला।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
3	स.आ.वा.क.रीवा मैसर्स इस्सर अहमद एण्ड कंपनी टिन-23109122447 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001197890 (सीएसटी)	2016-17	तेंदू पत्ता	11,61,600	25	0	2,90,400 8,71,200	11,61,600	सी-फॉर्म डीलर के बजाय किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	आपत्ति की गई राशि	कर की दर (प्रतिशत)	'सी' फॉर्म के साथ कर की दर (प्रतिशत)	कर शास्ति	योग	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
4	वा.क.अधि. शहडोल मेसर्स महिमा मार्केटिंग टिन-23857206501 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00,1547922	2016-17	विविध वस्तुएँ	20,18,387	5	2	60,552 1,81,656	2,42,208	नि. प्रा. ने अधिक राशि की छूट दी थी यद्यपि डीलर ने उक्त अधिक राशि के लिए सी-फॉर्म जमा नहीं किया था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
5	वा.क.अधि.-3 जबलपुर मेसर्स ग्लोरी फैशन टिन-2394904863 प्रकरण क्रमांक: 98 / 16	2015-16	रेडीमेड कपड़े	10,97,600	5	2	32,928 98,784	1,31,712	नि. प्रा. ने अधिक राशि की छूट दी थी यद्यपि डीलर ने उक्त अधिक राशि के लिए सी-फॉर्म जमा नहीं किया था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
6	स.आ.वा.क.-12 इंदौर मेसर्स अग्रसर पॉलीपैक टिन-23889158259 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001413453	2016-17	पैकिंग सामग्री	2,70,57,764	5	0	13,52,888 40,58,664	54,11,552	₹ 2,70,57,764 के सी' फॉर्म संलग्न नहीं है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
7	वा.क.अधि. छतरपुर मेसर्स हर्ष इटस्प्राइसेज टिन-23367705011 प्रकरण क्रमांक: 682 / 17	2016-17	सोयाबीन और सरसों	6,27,948	5	0	31,397 94,191	1,25,588	₹ 6,27,948 के 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
8	वा.क.अधि. छतरपुर मेसर्स सुल्तानिया टोबाको	2016-17	तेंदु पत्ता	5,75,436	25	0	1,43,859 4,31,577	5,75,436	'सी' फॉर्म संलग्न नहीं है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	आपत्ति की गई राशि	कर की दर (प्रतिशत)	'सी' फॉर्म के साथ कर की दर (प्रतिशत)	कर शास्ति	योग	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
9	टिन-23069161445 प्रकरण क्रमांक:- 1149 / 17 वा.क.अधि. छत्तरपुर मेसर्स ओम राधे ट्रेडर्स टिन-23567705289 प्रकरण क्रमांक:- 726 / 2017	2016-17	सोयाबीन	8,64,570	5	0	43,229 1,29,687	1,72,916	'सी' फॉर्म संलग्न नहीं है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
10	वा.क.अधि.-2 उज्जैन मेसर्स अग्रवाल ऑटो एजेंसी टिन-23049026229 प्रकरण क्रमांक:- 316 / 17 (डीम्ड)	2016-17	ऑटो पाटर्स	64,35,794	15	2	8,36,653 25,09,959	33,46,612	'सी' फॉर्म संलग्न नहीं है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
11	वा.क.अधि.-2 उज्जैन मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज टिन-23679059825 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001381902	2015-16	रसायन	14,25,784	5	2	42,773 1,28,319	1,71,092	TINXSYS पर 'सी' फॉर्म सत्यापित नहीं पाए गए।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
12	स.वा.क.-3 ग्वालियर मेसर्स जे.पी. फुटबियर प्रा. लिमिटेड टिन- 23525303203 प्रकरण क्रमांक:-	2016-17	औद्योगिक सुरक्षा जूते	4,63,600	14	2	55,632 1,66,896	2,22,528	कम 'सी' फॉर्म प्रस्तुत किए गए।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	आपत्ति की गई राशि	कर की दर (प्रतिशत)	'सी' फॉर्म के साथ कर की दर (प्रतिशत)	कर शास्ति	योग	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
13	सीएस 0000001368824 (सीएसटी) स.आ.वा.क.-1 ग्वालियर मेसर्स सी-पोल्ड केमिकल्स एण्ड फिल्टर्स टिन- 23665307491 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001506926	04 / 2017 से	रसायन	10,31,029	5	0	51,551 1,54,653	2,06,204	₹ 10,31,029 की राशि के 'सी' फॉर्म प्राप्त किए बिना नि.प्रा. ने ई-सी बिक्री में कटौती की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
14	स.आ.वा.क.-3 इंदौर (श्रीति श्रीवास्तव) मेसर्स गौरव सेल्स एजेंसी टिन-23380801219 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001154070	2016-17	दूध पाउडर, घी और एलपीजी	4,00,746	14	2	48,090 1,44,270	1,92,360	'सी' फॉर्म के बिना कर की रियायती दर लगाई गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
15	स.आ.वा.क.-3 इंदौर (श्रीति जौहरी) मेसर्स प्रेसिजन कॉटिंग्स टिन-23061202781 प्रकरण क्रमांक:- 28 / 2017 (सीएसटी)	2016-17	चिपकने वाला टेप, कपास क्रेप पट्टी, औषधीय ड्रेसिंग प्लास्ट आदि।	14,74,12,448	5	2	44,22,373 1,32,67,119	1,76,89,492	'सी' फॉर्म के बिना कर की रियायती दर लगाई गई।	नि.प्रा.ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	आपत्ति की गई राशि	कर की दर (प्रतिशत)	'सी' फॉर्म के साथ कर की दर (प्रतिशत)	कर शास्ति	योग	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
16	वा.क.अधि.-4 इंदौर मेसर्स गंगाराम मोहनलाल मित्तल एण्ड संस टिन- 23500400058 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000000875011	2015-16	धातु स्क्रेप	63,94,210	5	0	3,19,711 9,59,133	12,78,844	नि.प्रा. ने 'एफ' फॉर्म के बिना कसाइनमेंट बिक्री की छूट को प्रदान किया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
17	वा.क.अधि. खंडवा मेसर्स संदीप इंडस्ट्रीज टिन- 23152004582 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00628379	2014-15	बिनौला तेल	10,42,728	5	0	52,136 1,56,408	2,08,544	कम 'एफ' फॉर्म संलग्न पाए गए।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
18	वा.क.अधि.-2 उज्जैन मेसर्स डेल्टा पावर सोल्यूशंस टिन-23829048170 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000000888571	2015-16	टीवी टावर	4,54,947	14	0	63,693 1,91,079	2,54,772	कम 'एफ' फॉर्म संलग्न पाए गए।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
19	वा.क.अधि.-15 इंदौर मेसर्स हिवाकी पम्पस् प्रा. लिमिटेड टिन-23229013698 प्रकरण क्रमांक:-	2015-16	पम्पस्	1,88,86,558	5	0	9,44,328 28,32,984	37,77,312	नि.प्रा. ने 'एच' फॉर्म के बिना निर्यात बिक्री पर छूट दी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	आपत्ति की गई राशि	कर की दर (प्रतिशत)	'सी' फॉर्म के साथ कर की दर (प्रतिशत)	कर शास्ति	योग	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
	सीएस 0000000961665									
20	सं.उ.वा.क. रतलाम मैसर्स अमृत रिफाईंड टिन-23783004839 प्रकरण क्रमांक:- 165 / 2017 (वैट)	2015-16	कच्चा तेल	16,48,066	5	0	82,403 2,47,209	3,29,612	कम 'एफ' फॉर्म संलग्न पाए गए।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
21	वा.क.अधि. छतरपुर मैसर्स हर्ष इंटरप्राइसेज टिन-23367705011 प्रकरण क्रमांक:- 682 / 17 (सीएसटी)	2016-17	तिलहन	38,21,000	5	0	1,91,050 5,73,150	7,64,200	प्रकरण में 'एच' फॉर्म संलग्न नहीं पाए गए।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
			योग	22,67,18,011			94,81,098 2,84,43,294	3,79,24,392		

परिशिष्ट 2.24
(कांडिका 2.6.8 में संदर्भित)
प्रवेश कर नहीं लगाया गया/कम लगाया गया

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	कर योग्य टर्न ओवर (टीटीओ)	उपयुक्त कर की दर	कर की लगाई गई दर	कर के गैर/कम उद्ग्रहण की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण (नि. प्रा.) का उत्तर	प्राधिकारी
1	वा.क.अधि. वृत्त-6 भोपाल मेसर्स सामी ट्रेडर्स टिन- 23233705627 प्रकरण क्रमांक:- 996602	2016-17	स्टील स्क्रैप	60,00,000	2	0	1,20,000	नि.प्रा. ने प्रवेश कर भुगतान किए गए माल की कटौती की अनुमति दी जबकि ये सामान कर योग्य हैं क्योंकि इसे अपंजीकृत डीलर से खरीदा गया था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
2	वा.क.अधि. वृत्त-6 भोपाल मेसर्स झूले लाल स्टोन क्रशर टिन-23023804925 प्रकरण क्रमांक:-1968826	2016-17	रेत	70,37,088	1	0	70,371	नि.प्रा. ने अपंजीकृत व्यवसायी से खरीदी जा रही बालू पर कर आरोपित नहीं किया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
3	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स अग्रवाल डिस्टिलरीज टिन-23302102615 प्रकरण क्रमांक:-1069041	2016-17	कोयला, कार्टून लोहा	1,79,53,706	3,2,1	0	2,68,601	नि.प्रा. ने प्रवेश कर भुगतान किए गए सामानों की कटौती की, जबकि खरीद बिलों से पता चला कि ये सामान प्रवेश कर भुगतान नहीं किए गए सामान हैं और प्रवेश कर के लिए योग्य हैं।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
4	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स सागर स्टील सप्लायर टिन-23131402417 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001328753 (ईटी)	2016-17	लोहा और इस्पात	4,64,43,252	2	0	9,28,865	नि.प्रा. ने प्रवेश कर भुगतान नहीं किए गए बिलों को प्रवेश कर भुगतान बिल माना गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	कर योग्य टर्न ओवर (टीटीओ)	उपयुक्त कर की दर	कर की लगाई गई दर	कर के नैर/कम उद्ग्रहण की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण (नि. प्रा.) का उत्तर	प्राधिकारी
5	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स कैपस पॉली प्लास्ट प्रा. लिमिटेड टिन-23221402028 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001276635 (ईटी)	2016-17	एचडीपीई मास्टर बैच	1,32,24,822	1	0	1,32,248	कर मुक्त के रूप में छूट दी गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
6	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स तिरुपति इंटरप्राइसेज टिन-23071401286 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001151724 (वैट)	2016-17	अंतरराज्यीय खरीद	11,30,684	1	0	11,307	प्रवेश कर नहीं लगाया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
7	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स मयूर ग्लोबल इम्पेक्स टिन-23529036560 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001151297 (ईटी)	2016-17	अंतरराज्यीय खरीद	6,51,479	5	0	32,574	प्रवेश कर नहीं लगाया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
8	सं.उ.वा.क.-2 ग्वालियर मेसर्स केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टिन- 23435503800 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001062712	2016-17	बिटुमिन इमल्शन	72,18,549	1	0	72,185	नि.प्रा. ने कर योग्य वस्तुओं पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	कर गोरय टर्न ओवर (टीटीओ)	उपयुक्त कर की दर	कर की लगाई गई दर	कर के गैर/कम उद्ग्रहण की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण (नि. प्रा.) का उत्तर	प्राधिकारी
9	स.आ.वा.क. छिन्दवाडा मेसर्स रॉयल यूनिफोर्स रूफिंग प्रा. लिमिटेड टिन- 23409011352 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001528544	2016-17	कॉसमेटिक्स और प्रसाधन वस्तुएँ	7,35,59,691	2	0	14,71,194	कॉसमेटिक और प्रसाधन की वस्तुओं पर अनुचित छूट।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
10	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स रवि उद्योग टिन-23071907141 प्रकरण क्रमांक: 52 / 17	2016-17	पीपी बैग	40,73,492	5	1	1,62,940	नि.प्रा. ने अधिसूचना सं. 14 दिनांक 1/4/2007 के अनुसार 115 प्रतिशत वृद्धि दर के बजाय खपत और पैकिंग में उपयोग के लिए खरीदे गए आयातित पीपी बैग पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
11	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स रवि उद्योग टिन-23071907141 प्रकरण क्रमांक:- 86 / 16	2015-16	पीपी बैग	20,88,632	5	1	83,545	नि.प्रा. ने अधिसूचना सं. 14 दिनांक 1/4/2007 के अनुसार 115 प्रतिशत वृद्धि दर के बजाय खपत और पैकिंग में उपयोग के लिए खरीदे गए आयातित पीपी बैग पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
12	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स रवि उद्योग टिन-23071907141 प्रकरण क्रमांक:-573549	2014-15	पीपी बैग	23,77,189	5	1	95,088	नि.प्रा. ने अधिसूचना सं. 14 दिनांक 1/4/2007 के अनुसार 115 प्रतिशत वृद्धि दर के बजाय खपत और पैकिंग में उपयोग के लिए खरीदे गए आयातित पीपी बैग पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	कर गोरय टर्न ओवर (टीटीओ)	उपयुक्त कर की दर	कर की लगाई गई दर	कर के नैर/कम उद्ग्रहण की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण (नि. प्रा.) का उत्तर	प्राधिकारी
13	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स कमल कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड टिन-23721910227 प्रकरण क्रमांक:- 54 / 14, 100 / 16, 61 / 17, 60 / 18	2014-18	पीपी बैग	30,05,967	5	1	1,20,239	नि.प्रा. ने अधिसूचना सं. 14 दिनांक 1/4/2007 के अनुसार 115 प्रतिशत वृद्धि दर के बजाय खपत और पैकिंग में उपयोग के लिए खरीदे गए आयातित पीपी बैग पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
14	सं.उ.वा.क. (एलटीयू) इंदौर मेसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज टिन-23711304225 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001083851	2016-17	भट्टी का तेल	21,52,380	10	1	1,93,714	खरीदे गए फर्नेस तेल को आयातित माल की सूची के अनुसार पूरी तरह से नहीं लिया गया है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
15	सं.उ.वा.क. (एलटीयू) इंदौर मेसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज टिन-23711304225 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001083851	2016-17	पीपी बैग	20,77,986	5	1	83,119	खरीदे गए पीपी बैग को पूरी तरह से आयातित माल की सूची के अनुसार नहीं लिया गया है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
16	सं.उ.वा.क.-2 ग्वालियर मेसर्स बी आर ऑयल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड टिन-23799019752 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001359613	2017-18	हेक्सेन	33,93,128	10	1	3,05,382	नि.प्रा. ने लौह और इस्पात की खरीद पर 10 प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत की दर से हेक्सेन पर प्रवेश कर लगाया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
17	सं.उ.वा.क.-2 ग्वालियर मेसर्स बी आर ऑयल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	2017-18	पीपी बैग	30,72,830	5	1	1,22,913	नि.प्रा. ने पाँच प्रतिशत के बजाय लौह और इस्पात की खरीद पर	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	कर गोरय टर्न ओवर (टीटीओ)	उपयुक्त कर की दर	कर की लगाई गई दर	कर के गैर/कम उद्ग्रहण की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण (नि. प्रा.) का उत्तर	प्राधिकारी
18	टिन-23799019752 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001359613 वा.क.अधि. वृत्त-3 भोपाल मेसर्स वर्धमान सेल्स टिन-23113806670 प्रकरण क्रमांक:- 368 / 17 (डीन्ड)	2016-17	ज्ञात नहीं है	17,18,322	2	0	34,366	डीलर ने कम खरीद राशि पर प्रवेश कर जमा किया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
19	वा.क.अधि. खंडवा मेसर्स मनोज इंटरप्राइसेज टिन- 23039179490 प्रकरण क्रमांक:- 1556 / 16	2016-17	सीमेंट, लोहा रेत, गिट्टी	1,30,68,455 77,65,400	2 1	0 0	2,61,369 77,654	नि.प्रा. द्वारा सकल खरीद शून्य निर्धारित की गई है लेकिन चालू बिल से यह स्पष्ट है कि ठेकेदार ने सामग्री खरीदकर अनुबंध कार्य में स्थानांतरित कर दी है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
20	वा.क.अधि खंडवा मेसर्स संजय सिंह तोमर टिन- 23659087181 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001135479	2016-17	प्लांट और मशीनरी	27,05,970	2	0	54,119	जीटीओ में प्लांट व मशीनरी की खरीद सम्मिलित नहीं की गई है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
21	स.आ.वा.क.रीवा मेसर्स ओम कस्ट्रक्शन कंपनी टिन-23496901343 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001192003 (ईटी)	2016-17	मशीनरी, विद्युत फिटिंग्स, जनरेटर, टार बॉयलर आदि।	18,08,771	2	0	36,175	अचल संपत्ति की खरीद जीटीओ में सम्मिलित नहीं की गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	कर गोरय टर्न ओवर (टीटीओ)	उपयुक्त कर की दर	कर की लगाई गई दर	कर के नैर/कम उद्ग्रहण की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण (नि. प्रा.) का उत्तर	प्राधिकारी
22	स.आ.वा.क. रीवा मेसर्स नेशनल ट्रेडर्स टिन-23859017321 प्रकरण क्रमांक:- 49 / 18 (ईटी)	2016-17	अचल सम्पत्ति	32,42,183	1	0	32,422	माल डुलाई और अचल संपत्तियों की खरीद सम्मिलित न होने से जीटीओ कम निर्धारित हुआ ।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
23	स.आ.वा.क -12 इंदौर मेसर्स सुरेखा मार्केटिंग, टिन- 23041203277 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001077814 (ईटी)	2016-17	रसायन	44,89,042	2	0	89,781	सीए रिपोर्ट के अनुसार खरीद पर प्रवेश कर नहीं लगाया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
24	स.आ.वा.क.-2 ग्वालियर मेसर्स गणेश स्टोन इंडस्ट्रीज टिन-23325206313 प्रकरण क्रमांक:- 71 / 2017	2014-15	प्लांट और मशीनरी	2,56,24,760	2	0	5,12,495	संग्रह और मशीनरी की खरीद को टीटीओ में सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
25	सं.उ.वा.क.-2 ग्वालियर मेसर्स वीआएस फूड लिमिटेड टिन- 238894803595 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001055516	2016-17	कोयला	16,09,687	3	0	48,291	नि.प्रा. ने खरीद मूल्य में वैट की राशि जोड़े बिना टर्नओवर का कम का निर्धारण किया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
26	वा.क.अधि वृत्त-6 भोपाल मेसर्स भावसर कंस्ट्रक्शन	2016-17	राजमार्ग / पलडलाइट्स	26,62,720	2	1	26,627	नि.प्रा. ने हाईवे / पलड लाइट पर प्रवेश कर 1 प्रतिशत की दर	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	कर गोरय टर्न ओवर (टीटीओ)	उपयुक्त कर की दर	कर की लगाई गई दर	कर के गैर/कम उद्ग्रहण की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण (नि. प्रा.) का उत्तर	प्राधिकारी
27	टिन-23693606919 प्रकरण क्रमांक:- 72 / 17 वा.क.अधि वृत्त-3 भोपाल मैसर्स वाल्मीकि सेल्स उद्योग टिन-23343805622 प्रकरण क्रमांक:-285 / 17	2016-17	इलेक्ट्रॉनिक सामान	97,98,646	2	1	97,986	से लगाया जबकि ये वस्तुएँ 2 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। नि.प्रा. ने 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 2 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
28	वा.क.अधि वृत्त-3 भोपाल मैसर्स केवी केम टिन-23634105726 प्रकरण क्रमांक:-477 / 17	2016-17	रासायन और पेंट	47,57,724	2	1	47,577	नि.प्रा. ने पूरी खरीद पर प्रवेश कर 1 प्रतिशत के दर से लगाया लेकिन जैसा कि वैट मामले से स्पष्ट है कि 49.60 प्रतिशत बिक्री पर 14 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया है, इसका मतलब है कि उस खरीद पर 2 प्रतिशत के दर से कर लगाया जाना चाहिए था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
29	सं.उ.वा.क. खडवा मैसर्स मराल ओवरसीज टिन-23562202091 प्रकरण क्रमांक:-1175849	2016-17	एचडीपीई बैग, पलड लाइट, सीमेंट, लोहा	41,27,273	2	1	41,273	नि.प्रा. ने 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया जबकि ये सामान 2 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	
30	सं.आ.वा.क. छिदवाड़ा मैसर्स रीन वाटरटेक प्रा. लिमिटेड टिन- 23589148589 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000000865495	2015-16	लोहा और इस्पात	17,41,02,379	2	1	17,41,024	प्रवेश कर दो प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत की दर से लगाया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।	

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	कर गोरय टर्न ओवर (टीटीओ)	उपयुक्त कर की दर	कर की लगाई गई दर	कर के गैर/कम उद्ग्रहण की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण (नि. प्रा.) का उत्तर
31	स.आ.वा.क. सिवनी मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स टिन-23036702843 प्रकरण क्रमांक:- 0000000966499 डीओए 22.06.2018	2015-16	तैदूपत्ता की बिक्री	63,38,258	2	1	63,383	कर की गलत दर लागू की गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
32	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स एमजी ऑयल टिन-235490587 प्रकरण क्रमांक:-818449	2015-16	रिफाईंड तेल	23,58,80,079	1	0	23,58,800	नि.प्रा. ने कच्चे खाद्य तेल के लिए फरवरी 2011 की अधिसूचना संख्या 16 के अनुसार कटौती दी, जबकि डीलर ने स्थानीय क्षेत्र में रिफाईंड तेल और आरबीडी पाम तेल की प्रविष्टि की थी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
33	सं.उ.वा.क. (एलटीयू) इंदौर मेसर्स पटेल मोटर्स टिन-23040801503 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001084322	2016-17	बस बॉडी	6,81,39,858	2	0	13,62,797	नि.प्रा. ने भारी मालवाहक वाहन के बजाय बस बॉडी की खरीद के लिए प्रवेश कर से छूट की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
			योग	76,33,00,402			1,11,60,424		

परिशिष्ट 2.25

(कंडिका 2.6.9 में संदर्भित)

स्रोत पर काटे गए कर का गलत समायोजन

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	कटौती/समायोजन का प्रकार	अतिरिक्त/गलत समायोजन/कटौती की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
1	सं.उ.वा.क. रतलाम मेसर्स सोरथिया रत्ना वेलजी एण्ड कंपनी टिन- 23601704750 प्रकरण क्रमांक: 174 / 16-17 (वैट)	2016-17	टीडीएस	57,42,487	प्रकरण में टीडीएस की कम राशि पाई गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
2	स.आ.वा.क. रीवा मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स टिन-23609003766 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001197311 (वैट)	2016-17	टीडीएस	32,287	प्रकरण में कम राशि का टीडीएस मिला है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
3	स.आ.वा.क. रीवा मेसर्स नेशनल ट्रेडर्स टिन-23859017321 प्रकरण क्रमांक: 49 / 17 (वैट)	2016-17	टीडीएस	4,47,760	प्रकरण में कम राशि का टीडीएस मिला है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
4	वा.क.अधि बीना मेसर्स एलमैटिक्स इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड टिन- 23937404434 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000000589689	2014-15	टीडीएस	99,961	नि.प्रा. ने टीडीएस के चार मामलों में ₹ 8,00,282 की कटौती की अनुमति दी, हालांकि एक टीडीएस ₹ 99,961 प्रासंगिक वर्ष 2014-15 से संबंधित नहीं था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	कटौती/समायोजन का प्रकार	अतिरिक्त/गलत समायोजन/कटौती की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
5	वा.क.अधि-6 इंदौर मेसर्स एम. के. ब्रदर्स टिन-23980600099 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000000908447	2015-16 04 / 2018	टीडीएस	27,44,687	नि.प्रा. ने ₹ 40,60,739 के टीडीएस समायोजन की अनुमति दी जबकि डीलर द्वारा केवल ₹ 13,16,052 का टीडीएस जमा किए गया था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
6	वा.क.अधि-6 इंदौर मेसर्स एम. के. ब्रदर्स टिन-23980600099 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001289551	2016-17	टीडीएस	3,64,379	नि.प्रा. ने ₹ 29,11,027 के टीडीएस समायोजन की अनुमति दी जबकि ₹ 3,64,379 का टीडीएस लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित नहीं था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
7	वा.क.अधि-2 उज्जैन मेसर्स श्री हरि कंस्ट्रक्शन, उज्जैन टिन-23859022947 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 000000888528	2015-16	टीडीएस	5,67,403	नि.प्रा. ने ₹ 6,75,133 के टीडीएस कटौती की अनुमति दी यद्यपि अभिलेखों में केवल ₹ 1,07,730 का टीडीएस पाया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
8	वा.क.अधि-2 उज्जैन मेसर्स राम चंद्र सामरिया टिन-23482704304 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000000884631	2015-16	टीडीएस	3,66,989	टीडीएस के ₹ 3,42,879 के दावे के लिए भुगतान की ₹ 9,75,890 की रसीद प्रमाण के रूप में संलग्न की गई थी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
9	वा.क.अधि-2 उज्जैन मेसर्स उमंग ट्रेडर्स टिन-23892704321 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001171342	2016-17	टीडीएस	2,51,832	नि.प्रा. ने ₹ 3,78,636 के टीडीएस समायोजन की अनुमति दी हालांकि अभिलेखों में केवल ₹ 1,26,804 के टीडीएस की मूल प्रतियां पाई गई हैं।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	कटौती /समायोजन का प्रकार	अतिरिक्त / गलत समायोजन / कटौती की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
10	वा.क.अधि-2 उज्जैन मेसर्स रवि इंटरप्राइसेज टिन-23742703385 (डीम्ड केस) (बैट)	2016-17	टीडीएस	14,85,507	नि.प्रा. ने ₹ 55,97,059 के टीडीएस समायोजन की अनुमति दी यद्यपि अभिलेखों में केवल ₹ 41,11,552 के टीडीएस की मूल प्रतियां पाई गईं।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
11	वा.क.अधि-2 उज्जैन मेसर्स जगदीश चंद्र जयप्रकाश पोरवाल टिन-23352701029 (डीम्ड केस) (बैट)	2016-17	टीडीएस	4,08,139	नि.प्रा. ने ₹ 9,07,819 के टीडीएस समायोजन की अनुमति दी यद्यपि अभिलेखों में केवल ₹ 4,99,680 के टीडीएस की मूल प्रतियां पाई गईं।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
योग				1,25,11,431		

परिशिष्ट 2.26 (अ)

(कांडिका 2.6.11.1 में संदर्भित)

प्रावधान के विरुद्ध अतिरिक्त इनपुट कर छूट मान्य किया जाना

(राशि ₹ में)

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	लेखा पुस्तकों के अनुसार इनपुट कर छूट/ स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
1	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स अनूप फूड्स लिमिटेड टिन-2376083047 प्रकरण क्रमांक:-सीएस 001112588 (वैट)	2016-17	सोयाबीन	27,64,984	0	27,64,984	धारा 26ए के अनुसार सोयाबीन की खरीद पर आईटीआर स्वीकार्य नहीं है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
2	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स चंद्रिका ट्रेडिंग कंपनी टिन-23119032624 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001113670 (वैट)	2016-17	सोयाबीन	4,71,565	0	4,71,565	धारा 26ए के अनुसार सोयाबीन की खरीद पर आईटीआर स्वीकार्य नहीं है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
3	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स मोहनलाल परमेश्वरीलाल अग्रवाल टिन-23691403758 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001153374 (वैट)	2016-17	राईदाल (सरसों)	40,618	0	40,618	राईदाल/सरसों इनपुट कर छूट के लिए पात्र नहीं है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
4	वा.क.अधि वृत्त-6 भोपाल मेसर्स सामी ट्रेडर्स टिन-23233705627	2016-17	रही माल	73,15,472	71,51,407	1,64,065	वैट की धारा 14(1)(ए)(1ए) के प्रावधान के अनुसार, इनपुट कर छूट को कम किया जाना चाहिए था	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	लेखा पुस्तकों के अनुसार इनपुट कर छूट/ स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
	प्रकरण क्रमांक: 17 / 17						क्योंकि डीलर ने माल अंतरराज्यीय बेचा था परन्तु नि.प्रा. ने ऐसा नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अधिक इनपुट कर छूट दी गई।	
5	वा.क.अधि वृत्त-3 भोपाल मेसर्स गर्ग ट्रेडिंग कंपनी टिन-23439018915 प्रकरण क्रमांक:- 875584	2015-16	तेंदू पत्ता	16,10,151	11,39,852	4,70,299	धारा 14(1एडी) के प्रावधान के अनुसार तेंदूपत्ता की अंतरराज्यीय बिक्री पर कोई इनपुट कर छूट स्वीकार्य नहीं है। नि.प्रा. ने गलत तरीके से अधिक इनपुट कर छूट की अनुमति दी, जबकि इनपुट कर छूट की गणना करने पर वह राज्यान्तरिक बिक्री और अंतरराज्यीय बिक्री के अनुपात में कम पाई गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
6	वा.क.अधि वृत्त-3 भोपाल मेसर्स अल्बाज ट्रेडिंग टिन-23409061016 प्रकरण क्रमांक:- 876558	2015-16	तेंदू पत्ता	13,66,131	10,07,156	3,58,975	धारा 14(1एडी) के प्रावधान के अनुसार तेंदूपत्ता की अंतरराज्यीय बिक्री पर कोई इनपुट कर छूट स्वीकार्य नहीं है। नि.प्रा. ने गलत तरीके से अधिक इनपुट कर छूट की अनुमति दी, जबकि इनपुट कर छूट की गणना करने पर वह राज्यान्तरिक बिक्री और अंतरराज्यीय बिक्री के अनुपात में कम पाई गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	लेखा पुस्तकों के अनुसार इनपुट कर छूट/ स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
7	वा.क.अधि खंडवा मेसर्स मयूर इंटरप्राइजेज टिन-23982003786 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00637620	2014-15	लकड़ी	10,84,462	5,55,245	5,29,217	बिक्री के अनुपात में कम पाई गई। धारा 14(1एई) के अनुसार अंतरराज्यीय बेचे जाने पर लकड़ी की खरीद इनपुट कर छूट के लिए पात्र नहीं है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
8	वा.क.अधि खंडवा मेसर्स विजय इंडस्ट्रीज लिमिटेड टिन- 23432001809 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001130200	2016-17	सरकि	6,33,313	4,64,821	1,68,492	धारा 14(1)(ए)(1ए) के अनुसार, इनपुट कर या देय सीएसटी की राशि, जो भी कम हो, के बराबर इनपुट कर छूट, स्वीकार्य है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
9	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स राठी ऑयल सेल्स टिन-239714011664 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001278863 (वैट)	2016-17	लुब्रिकेंट्स	30,40,354	28,43,084	1,97,270	धारा 14(1)(ए)(1ए) के अनुसार, इनपुट कर या देय सीएसटी की राशि, जो भी कम हो, के बराबर इनपुट कर छूट, स्वीकार्य है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
10	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स आईबी कन्युनिकेशन टिन-23419031333 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001104484 (वैट)	2016-17	हार्डवेयर, पेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान	3,13,532	1,38,780	1,74,752	धारा 14(1)(ए)(1ए) के अनुसार, इनपुट कर या देय सीएसटी की राशि, जो भी कम हो, के बराबर इनपुट कर छूट, स्वीकार्य है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
11	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स मदन ऑयल इंडस्ट्रीज,	2016.17	तेल	1,68,215	0	1,68,215	धारा 14(1)(ए)(1ए) के अनुसार, इनपुट कर या देय सीएसटी की राशि के	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	लेखा पुस्तकों के अनुसार इनपुट कर छूट/स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
12	टिन-23401400668 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00115689 (लेट) वा.क.अधि खंडवा मेसर्स एस के पटेल टिन- 23222002458 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00-877483	2015-16	लकड़ी	32,79,353	31,83,019	96,334	धारा 14(1एई) के अनुसार अंतरराज्यीय बेचे जाने पर लकड़ी की खरीद इनपुट कर छूट के लिए पात्र नहीं है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
13	वा.क.अधि-15 इंदौर मेसर्स अमित ट्रेडर्स, टिन-23781500854 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00868230	2015-16	तेंदु पत्ता	36,72,758	18,75,811	17,96,947	नि.प्रा. ने तेंदूपत्ते की अंतरराज्यीय बिक्री पर इनपुट कर छूट की अनुमति दी जो अधिनियम की धारा 14(1एडी) के विरुद्ध थी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
14	वा.क.अधि-3 जबलपुर मेसर्स वेंकट साई बीड़ी वर्क्स टिन-2310600484 प्रकरण क्रमांक: (डीमड) 238 / 17	2016-17	तेंदु पत्ता	3,56,799	2,74,963	81,836	नि.प्रा. ने तेंदूपत्ते की अंतरराज्यीय बिक्री पर इनपुट कर छूट की अनुमति दी जो अधिनियम की धारा 14(1एडी) के विरुद्ध थी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
15	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स जीवीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड टिन-23759003363 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00828745	2015-16	अहस्तांतरणीय माल	1,15,25,100	67,54,210	47,70,890	धारा 14(1ए) के अनुसार जो माल कर चुकाने के बाद खरीदा जाता है और बिक्री के उद्देश्य से या अनुसूची I या II में निर्दिष्ट माल के निर्माण के लिए आगे उपयोग किया जाता है, केवल वह इनपुट कर छूट	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	लेखा पुस्तकों के अनुसार इनपुट कर छूट/ स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
16	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स आर. के. पटेल एण्ड कंपनी टिन-23061400564 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001108727 (बेट)	2016-17	मशीनरी	61,799	0	61,799	अनुबंध कार्य में गैर-हस्तांतरणीय वस्तुएं इनपुट कर छूट के लिए पात्र नहीं हैं।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
17	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स मराल ओवरसीज टिन-23562202091 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001069898	2016-17	पैट, सोफा सेट, गद्दे, वाटर कूलर आदि, यानी खरीदे गए सामान जिन्हें न तो बेचना है और न ही निर्माण प्रक्रिया में उपयोग करना है	3,79,193	0	3,79,193	धारा 14(1)(ए) के अनुसार जो माल कर चुकाने के बाद खरीदा जाता है और बिक्री के उद्देश्य से या अनुसूची-I या II में निर्दिष्ट माल के निर्माण के लिए आगे उपयोग किया जाता है, केवल वह इनपुट कर छूट के लिए पात्र हैं। लेकिन न तो उक्त खरीदे गए सामान को बेचा गया है और न ही कपड़े के निर्माण में इस्तेमाल किया गया है इसलिए गैर-हस्तांतरणीय वस्तुओं पर इनपुट कर छूट	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	लेखा पुस्तकों के अनुसार इनपुट कर छूट/ स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
18	वा.क.अधि खंडवा मेसर्स एम जी ऑयल टिन-23549090587 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00637499	2014-15	वे ब्रिज	30,907	0	30,907	की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वे ब्रिज का निर्माण में उपयोग नहीं किया गया है इसलिए इनपुट कर छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
19	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स अग्रवाल डिस्टिलरीज टिन-23302102615 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001069039	2016-17	भीतरी सजावट	60,000	0	60,000	इनपुट कर छूट की अनुमति धारा 14 के प्रावधान के विरुद्ध थी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
20	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स अग्रवाल डिस्टिलरीज टिन-23302102615 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001069039	2016-17	कार	2,74,765	0	2,74,765	धारा 14 के प्रावधान के विरुद्ध, निर्माण प्रक्रिया में कार का उपयोग नहीं किया गया है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
21	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स अग्रवाल डिस्टिलरीज टिन-23302102615 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001069039	2016-17	निर्माण सामग्री	5,50,052	0	5,50,052	अधिसूचना संख्या 28 दिनांक 17.08.2017 के अनुसार भवन निर्माण सामग्री इनपुट कर छूट के लिए पात्र नहीं है।।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
22	सं.उ.वा.क. खंडवा	2016-17	फर्नीचर	3,65,337	0	3,65,337	अधिसूचना संख्या 28 दिनांक 17.08.2017 के	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	लेखा पुस्तकों के अनुसार इनपुट कर छूट/ स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
23	मेसर्स अग्रवाल डिस्टिलरीज टिन-23302102615 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001069039	2016-17	प्लांट और मशीनरी और कार्यालय उपकरण	7,21,170	0	7,21,170	कार्यालय उपयोग के लिए प्लांट और मशीनरी एवं कार्यालय उपकरण की खरीद पर इनपुट कर छूट की अनुमति दी गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
24	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स मराल ओवरसीज टिन-23562202091 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001069898	2016-17	आयरन बार (भवन निर्माण सामग्री)	62,446	0	62,446	अधिसूचना संख्या 28 दिनांक 17.08.2017 के अनुसार भवन निर्माण सामग्री इनपुट कर छूट के लिए पात्र नहीं है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
25	वा.क.अधि -15 इंदौर मेसर्स कालरा मोबाइल जॉन टिन-23259068209 प्रकरण क्रमांक: (डीम्ड)	2016-17	सीमेंट (भवन निर्माण सामग्री)	31,317	0	31,317	अधिसूचना संख्या 28 दिनांक 17.08.2017 के अनुसार भवन निर्माण सामग्री इनपुट कर छूट के लिए पात्र नहीं है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
26	वा.क.अधि हरदा मेसर्स गुजन रेडियो	2016-17	मोबाइल और उसके सहायक उपकरण	40,54,756	38,53,948	2,00,808	नि.प्रा. ने अधिक खरीद राशि पर इनपुट कर छूट की अनुमति दी और लेखापरीक्षित खातों के अनुसार खरीद राशि पर विचार नहीं किया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
26	वा.क.अधि हरदा मेसर्स गुजन रेडियो	2016-17	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	46,73,084	37,59,304	9,13,780	नि.प्रा. ने अधिक खरीद राशि पर इनपुट कर छूट	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	लेखा पुस्तकों के अनुसार इनपुट कर छूट / स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
27	टिन-23844600262 प्रकरण क्रमांक: (डीम्ड) वा.क.अधि हरदा मेसर्स हर्ष एग्रो एजेंसी टिन-23119051151 प्रकरण क्रमांक: (डीम्ड)	2014-15	कीटनाशक	11,81,708	11,16,349	65,359	नि.प्रा. ने अनुमति दी और लेखापरीक्षित खातों के अनुसार खरीद राशि पर विचार नहीं किया। नि.प्रा. ने क्रय रिफंड राशि पर भी इनपुट कर छूट की अनुमति दी थी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
28	वा.क.अधि हरदा मेसर्स हिंद खाद मंडार टिन-23904600811 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001536550	2016-17	कृषि उपकरण और कीटनाशक	8,61,591	8,20,472	41,119	नि.प्रा. ने अधिक खरीद राशि पर इनपुट कर छूट की अनुमति दी और लेखापरीक्षित खातों के अनुसार खरीद राशि पर विचार नहीं किया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
29	वा.क.अधि वृत्त -3 भोपाल मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स टिन-23853802092, प्रकरण क्रमांक:77 / 17	2015-16	दवाइयाँ	89,83,124	88,04,229	1,78,895	नि.प्रा. ने अधिक खरीद राशि पर इनपुट कर छूट की अनुमति दी और लेखापरीक्षित खातों के अनुसार खरीद राशि पर विचार नहीं किया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
30	वा.क.अधि हरदा मेसर्स रामचंद्र रामेश्वर अग्रवाल टिन-23254600053 प्रकरण क्रमांक: (डीम्ड)	2016-17	एफएमसीजी आइटम	37,91,015	37,64,556	26,459	नि.प्रा. ने अधिक खरीद राशि पर इनपुट कर छूट की अनुमति दी और लेखापरीक्षित खातों के अनुसार खरीद राशि पर विचार नहीं किया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	लेखा पुस्तकों के अनुसार इनपुट कर छूट/ स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
31	सं.उ.वा.क. रतलाम मेसर्स अमृत रिफाईंड टिन-23783004839 प्रकरण क्रमांक: 149 / 2017	04 / 2017-06 / 2017	मशीनरी के पुर्जे	3,63,090	0	3,63,090	04 / 17 से 06 / 17 की अवधि के दौरान नहीं खरीदे गए मशीनरी पुर्जों की खरीद पर इनपुट कर छूट की अनुमति दी। जीएसटी अवधि के दौरान खरीदे गए प्लांट और मशीनरी के इनपुट कर छूट का वैट ऑकलन में दावा किया गया है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
32	वा.क.अधि छतरपुर मेसर्स पुलिस कल्याण केंद्र पेट्रोल पंप, टिन-23337705270 प्रकरण क्रमांक: 721 / 16-17	2016-17	पेट्रोल, डीजल	4,89,844	0	4,89,844	पेट्रोल/डीजल के वाष्पीकरण पर इनपुट कर छूट प्रत्यावर्तन नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
33	स.आ.वा.क.-2 ग्वालियर मेसर्स बी.ई.डब्ल्यू. ऑटो पार्ट्स, टिन-23555303526 प्रकरण क्रमांक:- 252 / 2017 (डीम्ड)	2016-17	कृषि उपकरण और मशीनरी के पुर्जे	7,56,282	2,20,381	5,35,901	कर-मुक्त वस्तुओं के निर्माण में उपभोग की गई सामग्री के लिए इनपुट कर छूट का गैर-प्रत्यावर्तन।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
34	स.आ.वा.क.-2 ग्वालियर मेसर्स बी.ई.डब्ल्यू. ऑटो पार्ट्स, टिन-23555303526	04 / 2017 से 06 / 2017	कृषि उपकरण और मशीनरी के पुर्जे	80,524	32,393	48,131	कर-मुक्त वस्तुओं के निर्माण में उपभोग की गई सामग्री के लिए इनपुट कर छूट का गैर-प्रत्यावर्तन।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	वस्तु	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	लेखा पुस्तकों के अनुसार इनपुट कर छूट / स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
35	प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001324125 स.आ.वा.क.-1 ग्वालियर मेसर्स वैद्य एण्ड मुकजी, टिन -23085306355 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001417439 (वैट)	2017-2018	पेट्रोल और डीजल	7,65,72,089	7,63,64,232	2,07,857	इनपुट कर छूट का प्रत्यावर्तन ₹ 2,27,448 के बजाय ₹ 19,591 किया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
36	स.आ.वा.क.-1 ग्वालियर मेसर्स सैनिक सर्विस स्टेशन टिन-23535301112 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001516688 (वैट)	2017-2018	पेट्रोल और डीजल	4,63,73,300	4,62,42,464	1,30,836	इनपुट कर छूट का प्रत्यावर्तन ₹ 1,43,212 के बजाय ₹ 12,376 किया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
37	वा.क.अधि खंडवा मेसर्स एम जी ऑयल टिन-23549090587 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00637499	2014-15	तेल	54,99,175	51,13,160	3,86,015	रिफाईंड तेल के स्टॉक ट्रांसफर पर इनपुट कर छूट का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
38	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स हर्ष एग्रो फूड्स टिन-23849096959 प्रकरण क्रमांक:- 333 / 2016 (वैट)	2015-16	दाल	2,42,874	17,598	2,25,276	कर-मुक्त माल की बिक्री में उपयोग की गई सामग्री और संपत्ति पर इनपुट कर छूट का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
			योग	19,41,02,249	17,54,97,434	1,86,04,815		

परिशिष्ट 2.26 (ब)

(कांडिका 2.6.11.2 में संदर्भित)

उचित सत्यापन किये बिना इनपुट कर छूट अनुमत करना

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
1	वा.क.अधि वृत्त-6 भोपाल मेसर्स श्री बालाजी होम्स एण्ड रियलिटी टिन-23449118145 प्रकरण क्रमांक:- 982435	2016-17	62,92,766	50,64,498	12,28,268	फॉर्म 75 में उत्पन्न आंकड़ों में बेमेल होने के बावजूद, नि.प्रा. ने इस पर विचार किए बिना अतिरिक्त इनपुट कर छूट की अनुमति दी। कमिश्नर के सर्कुलर के अनुसार, विक्रेताओं के वृत्त में अपेक्षित आगे की जाँच की गई हो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
2	वा.क.अधि वृत्त-6 भोपाल मेसर्स मैत्री इंफ्राटेक टिन-23899113153 प्रकरण क्रमांक:- 211 / 17	2016-17	11,55,500	10,00,171	1,55,329	नि.प्रा. ने ऐसे खरीद बिलों पर इनपुट कर छूट की अनुमति दी, जिन पर खरीददार डीलर का टिन उल्लेखित नहीं था, जो कि धारा 14(6)(x) के प्रावधान के विरुद्ध है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
3	वा.क.अधि वृत्त-6 भोपाल मेसर्स वैदिक ट्रेडर्स टिन-23689039357 प्रकरण क्रमांक:- 887 / 17	2016-17	7,59,882	34,008	7,25,864	नि.प्रा. ने ऐसे खरीद बिलों पर इनपुट कर छूट की अनुमति दी, जिन पर खरीददार डीलर का टिन उल्लेखित नहीं था, जो कि धारा 14(6)(x) के प्रावधान के विरुद्ध है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
4	वा.क.अधि वृत्त-6 भोपाल मेसर्स विध्य इंफ्रास्ट्रक्चर टिन-23634105726 प्रकरण क्रमांक:- 57 / 17	2016-17	3,61,539	2,52,663	1,08,876	नि.प्रा. ने ऐसे खरीद बिलों पर इनपुट कर छूट की अनुमति दी, जिन पर खरीददार डीलर का टिन उल्लेखित नहीं था, जो कि धारा 14(6)(x) के प्रावधान के विरुद्ध है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
5	वा.क.अधि वृत्त-6 भोपाल मेसर्स कौपिटल सीमेंट डीलर टिन-23933901764 प्रकरण क्रमांक:- 1239724	2016-17	10,83,441	9,78,907	1,04,534	फॉर्म 75 में उत्पन्न आंकड़ों में बेमेल होने के बावजूद, नि.प्रा. ने इस पर विचार किए बिना अतिरिक्त इनपुट कर छूट की अनुमति दी। कमिश्नर के सर्कुलर के अनुसार, विक्रेताओं	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
6	वा.क.अधि वृत्त-3 भोपाल मेसर्स सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स टिन-23209181704 प्रकरण क्रमांक:- 1236474	2016-17	12,06,866	7,89,432	4,17,434	के वृत्त में आगे की जाँच की गई हो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। नि.प्रा. ने ऐसे खरीद बिलों पर इनपुट कर छूट की अनुमति दी, जिन पर खरीददार डीलर का टिन उल्लेखित नहीं था, जो कि धारा 14(6)(x) के प्रावधान के विरुद्ध है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
7	वा.क.अधि वृत्त-3 भोपाल मेसर्स विनायक एजेंसी टिन-23463805847 प्रकरण क्रमांक:- 1097286	2016-17	47,00,156	45,75,612	1,24,544	फॉर्म 75 में उत्पन्न आंकड़ों में बेमेल होने के बावजूद, नि.प्रा. ने इस पर विचार किए बिना अतिरिक्त इनपुट कर छूट की अनुमति दी। कमिश्नर के सर्कुलर के अनुसार, विक्रेताओं के वृत्त में अपेक्षित आगे की जाँच की गई हो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
8	वा.क.अधि वृत्त-3 भोपाल मेसर्स लकी द फर्नीचर शॉप टिन-23973806197 प्रकरण क्रमांक:- 332 / 17	2016-17	7,36,756	7,00,380	36,376	निर्धारण आदेश में पिछले वर्ष की इनपुट कर छूट को ₹36376 के रूप में लिया गया है। 2015-16 के परीक्षण के बाद यह पाया गया कि कोई भी इनपुट कर छूट अगले वर्ष यानी 2016-17 के लिए अयोग्य नहीं की गई है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
9	वा.क.अधि वृत्त-3 भोपाल मेसर्स विपुल इंटरप्राइसेज टिन-236669100469 प्रकरण क्रमांक:- 662 / 17	2016-17	3,13,461	2,08,512	1,04,949	नि.प्रा. ने ऐसे खरीद बिलों पर इनपुट कर छूट की अनुमति दी, जिन पर खरीददार डीलर का टिन उल्लेखित नहीं था, जो कि धारा 14(6)(x) के प्रावधान के विरुद्ध है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
10	वा.क.अधि खंडवा मेसर्स अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी टिन-23609026852 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001157303	2016-17	4,19,785	2,43,035	1,76,750	खरीद बिलों पर टिन नहीं लिखा हुआ था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
11	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स अग्रवाल डिस्टिलरीज टिन-23302102615 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001069039	2016-17	5,68,061	5,08,061	60,000	खरीद सूची के अनुसार इनपुट कर छूट की अनुमति नहीं दी गई है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
12	सं.उ.वा.क. खंडवा मेसर्स पटेल एण्ड कंपनी टिन-23072004044 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00570737	2014-15	4,04,07,519	3,77,36,101	26,71,418	खरीद बिलों पर टिन नहीं लिखा हुआ था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
13	स.आ.वा.क. रीवा मेसर्स मोबाइल प्लाजा टिन-23876905208 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001217401 (बैट)	2016-17	3,57,628	0	3,57,628	खरीद का प्रमाण नहीं मिला।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
14	स.आ.वा.क. रीवा मेसर्स विवेक कुमार दुबे टिन-23659028302 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001176213 (बैट)	2016-17	4,92,745	31,562	4,61,183	खरीद बिलों पर टिन नहीं लिखा हुआ था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
15	स.आ.वा.क. रीवा मेसर्स पी एस कंस्ट्रक्शन कंपनी टिन-23198690166 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001223497 (बैट)	2016-17	2,62,654	1,84,012	78,642	खरीद बिलों पर टिन नहीं लिखा हुआ था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत इनपुट कर छूट	स्वीकार्य इनपुट कर छूट	अधिक इनपुट कर छूट की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
16	स.आ.वा.क. रीवा मेसर्स जय माता दी इंटरप्राइसेज टिन-23176906272 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 00197569 (बैट)	2016-17	12,24,143	11,86,559	37,584	विक्रेता का टिन उपलब्ध नहीं है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
17	स.आ.वा.क.-14 इंदौर मेसर्स तिरुपति इंटरप्राइज टिन-23071401286 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 001151724 (बैट)	2016-17	94,14,867	93,61,024	53,843	अंतरराज्यीय खरीद पर इनपुट कर की छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती है और खरीद बिल भी लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
18	वा.क.अधि-2 उज्जैन मेसर्स शरत चंद्र अवतीलाल जैन टिन-23932704299 प्रकरण क्रमांक:-सीएस 00702497	2014-15	4,73,792	38,900	4,34,892	फॉर्म 75 में उत्पन्न आंकड़ों में बेमेल होने के बावजूद, नि.प्रा. ने इस पर विचार किए बिना अतिरिक्त इनपुट कर छूट की अनुमति दी। कमिश्नर के सर्कुलर के अनुसार, विक्रेताओं के वृत्त में अपेक्षित आगे की जाँच की गई हो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
19	स.आ.वा.क.-2 ग्वालियर मेसर्स बी.ई.डब्ल्यू. ऑटोपार्ट्स टिन-23555303526 प्रकरण क्रमांक:- सीएस 0000001324125	04 / 17 से 06 / 17	5,86,112	5,75,881	10,231	इनपुट कर का अतिरिक्त अग्रोषण।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।
			योग		73,48,345		

परिशिष्ट 3.1(i)

(कड़िका 3.1.8.1 में संदर्भित)

डीएमएफ निधि में कम/विलम्ब से अंशदान

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	आंकलन वर्ष / अवधि	डीएमएफ में अंशदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पट्टेदार का नाम	पट्टेदार द्वारा देय डीएमएफ की राशि	पट्टेदार द्वारा जमा की गई राशि	पट्टेदार से वसूली योग्य शेष राशि	महीने में विलम्ब की अवधि की सीमा माह में	विलंबित भुगतान की अवधि के लिए ब्याज
1	डीएमओ छिदवाड़ा	10/2015 से 12/2020	मेसर्स छिदवाड़ा माइंस प्रा. लिमिटेड	9,77,686	6,09,255	3,68,431	4 से 54 माह	3,04,166
2		06/2018 से 12/2020	मेसर्स शाकंभरी माइंस एण्ड (डोलोमाइट)	1,84,626	0	1,84,626	6 से 36 माह	1,16,677
3		06/2017 से 12/2020	मेसर्स शाकंभरी माइंस एण्ड मिनरल्स (मैगनीज)	29,69,424	26,82,518	2,86,906	4 से 36 माह	1,69,677
4		12/2015 से 12/2018	मेसर्स कृष्णा पिंग अलॉयज प्रा. लिमिटेड	1,68,63,895	1,19,84,312	48,79,583	4 से 48 माह	44,83,031
5		10/2015 से 06/2020	मेसर्स हीरा पावर एण्ड स्टील लिमिटेड	54,55,470	0	54,55,470	12 से 48 माह	37,61,463
6		01/2016 से 12/2020	मेसर्स मुरलीधर मिनरल्स (डोलोमाइट)	14,42,761	0	14,42,761	6 से 42 माह	6,74,826
7		01/2016 से 06/2020	मेसर्स क्वालिटी मिनरल्स प्रा. लिमिटेड	6,48,473	0	6,48,473	12 से 18 माह	4,21,413
8		06/2018 से 12/2020	मेसर्स वसुधा मिनरल्स एण्ड कोमिकल	9,62,479	0	9,62,479	6 से 30 माह	2,60,045
9	डीएमओ बालाघाट	06/2016 से 12/2017	मेसर्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	19,79,42,692	5,46,00,294	14,33,42,398	44 से 62 माह	19,01,35,425

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व संबंध विभाग)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	आंकलन वर्ष / अवधि	डीएमएफ में अंशदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पट्टेदार का नाम	पट्टेदार द्वारा देय डीएमएफ की राशि	पट्टेदार द्वारा जमा की गई राशि	पट्टेदार से वसूली योग्य शेष राशि	महीने में विलम्ब की अवधि की सीमा माह में	विलंबित भुगतान की अवधि के लिए ब्याज
10	डीएमओ सिंगरौली	12 / 2017 से 03 / 2021	मेसर्स सासन पावर लिमिटेड	2,63,20,93,470	2,03,85,51,450	59,35,42,020	19 से 27 माह	27,19,82,792
11	डीएमओ सतना	06 / 2016 से 12 / 2020	मेसर्स जितेंद्र कुमार कुषवाहा	1,62,031	0	1,62,031	06 से 18 माह	51,415
12		01 / 2018 से 12 / 2018	मेसर्स हीरालाल रामेश्वर प्रसाद	2,03,453	0	2,03,453	30 माह	1,22,072
13		2018--2020	मेसर्स रिलायंस ऑरनेट्स इंटर्प्राइजेज़ एण्ड वेंचर्स प्रा. लिमिटेड	9,32,721	0	9,32,721	18 से 30 माह	4,06,178
योग				2,85,67,07,445	2,10,51,36,056	75,15,71,389	4 से 62 माह	47,22,98,660

परिशिष्ट 3.1(ii)

(कड़िका 3.1.8.1 में संदर्भित)

डीएमएफ निधि में विलम्ब से अंशदान (मैसर्स सासन पावर लिमिटेड)

(राशि ₹ में)

माह/अवधि	इस माह/अवधि के लिए देय रॉयल्टी की राशि	पड़ेदार द्वारा देय डीएमएफ की राशि	डीएमओ सिंगरौली			विलम्ब की अवधि माह में	ब्याज 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से
			पड़ेदार द्वारा जमा की गई राशि	भुगतान की तिथि	विलम्ब की अवधि माह में		
जुलाई-18	23,63,62,219.52	7,09,08,665.86	5,42,90,203.00	24/10/18	1	10,85,804.06	
			1,66,18,463.00	06/11/18	2	6,64,738.52	
अगस्त-18	18,09,67,342.08	5,42,90,202.62	5,42,90,202.62	27/12/18	2	21,71,608.10	
सितम्बर 18	19,34,17,871.36	5,80,25,361.41	5,80,25,361.00	27/02/19	3	34,81,521.66	
अक्टूबर-18	20,35,29,912.32	6,10,58,973.70	6,10,58,974.00	30/4/19	4	48,84,717.92	
नवंबर-18	21,06,84,149.76	6,32,05,244.93	6,32,05,245.00	30/5/19	4	50,56,419.60	
दिसंबर-18	23,90,41,904.64	7,17,12,571.39	7,17,12,572.00	29/6/19	4	57,37,005.76	
जनवरी-19	21,88,39,613.44	6,56,51,884.03	6,56,51,884.00	16/10/19	7	91,91,263.76	
फरवरी-19	22,17,56,129.28	6,65,26,838.78	3,32,63,420.00	18/10/19	6	39,91,610.40	
			3,32,63,420.00	07/11/19	7	46,56,878.80	
मार्च-19	25,75,61,722.88	7,72,68,516.86	7,72,68,517.00	27/03/20	10	1,54,53,703.40	
जनवरी-20	25,28,85,893.12	7,58,65,767.94	7,58,65,767.94	30/07/20	4	60,69,261.44	
फरवरी-20	23,65,44,000.00	7,09,63,200.00	7,09,63,200.00	30/07/20	3	42,57,792.00	
मार्च-20	22,47,82,745.60	6,74,34,823.68	6,74,34,823.68	30/07/20	2	26,97,392.95	
अप्रैल-20	19,37,79,138.56	5,81,33,741.57	5,81,33,742.00	31/07/20	1	11,62,674.84	
मई-20	20,77,91,718.40	6,23,37,515.52	6,23,37,516.00	30/09/20	2	24,93,500.64	
जून 20	22,60,23,669.76	6,78,07,100.93	6,78,07,101.00	4/11/20	2	27,12,284.04	

डीएमओ सिंगरोली							
माह/अवधि	इस माह/अवधि के लिए देय रॉयल्टी की राशि	पट्टेदार द्वारा देय डीएमएफ की राशि	पट्टेदार द्वारा जमा की गई राशि	भुगतान की तिथि	विलम्ब की अवधि माह में	ब्याज 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से	
जुलाई-20	23,07,13,262.08	6,92,13,978.62	5,98,67,480.00	27/11/20	2	23,94,699.20	
अगस्त-20	21,84,56,555.52	6,55,36,966.66	93,46,499.00	02/12/20	2	3,73,859.96	
सितंबर-20	19,72,90,885.12	5,91,87,265.54	6,55,36,966.66	31/12/20	2	26,21,478.67	
अक्टूबर-20	23,41,35,552.00	7,02,40,665.60	84,35,073.34	31/12/20	1	1,68,701.47	
नवंबर-20	24,65,73,465.60	7,39,72,039.68	5,07,52,192.00	29/01/21	2	20,30,087.68	
दिसंबर-20	21,65,26,188.65	6,49,57,856.60	7,02,40,666.00	24/03/21	4	56,19,253.28	
जनवरी-21	16,00,69,267.51	4,80,20,780.25	7,39,72,040.00	26/03/21	3	44,38,322.40	
फरवरी-21	22,63,91,626.08	6,79,17,487.82	6,49,57,857.00	30/03/21	2	25,98,314.28	
मार्च-21	24,05,32,000.02	7,21,59,600.01	4,80,20,780.00	30/04/21	2	19,20,831.20	
योग	5,27,46,56,833.00	1,58,23,97,050.00	7,21,59,600.00	31/07/21	2	27,16,699.52	
			1,58,23,97,054.00		01 से 10 माह	28,86,384.00	
						10,35,36,809.55	

परिशिष्ट 3.1(iii)

(कांडिका 3.1.8.1 में संदर्भित)

कोयले के ग्रेड के गलत वर्गीकरण के कारण डीएमएफ को कम भुगतान / अंशदान

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	आकलन वर्ष / अवधि	डीएमएफ अंशदान भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पट्टेदार का नाम	मीरा साइडिंग को गई (मैट्रिक टन में)	खान/रेलवे स्थानांतरित मात्र मात्र	पट्टेदार भुगतान की वाली रॉयल्टी	द्वारा जाने	पट्टेदार से वसूल की गयी राशि	रॉयल्टी की प्राप्ति में कमी	डीएमएफ का भुगतान (30 प्रतिशत की दर से)
1	डीएमओ अनूपपुर	मार्च 2018-अप्रैल 2021	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) जमुना कोटमा क्षेत्र, अनूपपुर	30,39,772.67		90,59,49,940.1		49,67,58,528.35	40,91,91,411.80	12,27,57,423.50
			योग	30,39,772.67		90,59,49,940.1		49,67,58,528.35	40,91,91,411.80	12,27,57,423.50

परिशिष्ट 3.2

(कड़िका 3.1.8.5 में संदर्भित)

कार्य निष्पादन एजेंसियों से अप्रयुक्त राशि की वसूली न होना

(राशि लाख में)

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	एजेंसी का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति आदेश/ दिनांक	स्वीकृत राशि / तिथि	उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार राशि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूल की जाने वाली शेष राशि
1	डीएमओ सतना	सिविल सर्जन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल, सतना	3020-20/09/18	355.80 20/09/18	123.67	232.13	227.77 (21.11.19 को जमा की गई)	4.36
		सीएमएचओ सतना	3021-20/09/18	308.45 20/09/18	191.31	117.14	0	117.14
		सिविल सर्जन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल, सतना	7773-30/01/18	290.45 03/02/18	140.55	149.90	149.89	0
		सीएमएचओ सतना	7774-30/01/18	241.82 03/02/18	210.06	31.76	0	31.76
		एम.पी.एग्रो	3241-28/09/18	683.50 01/01/18	679.11	4.39	0	4.39
		सीएमओ सतना	30/01/20	144.82	125.43	19.39	0	19.39
		सीएमओ सतना	11/12/20	23.33	17.36	5.97	0	5.97
2	डीएमओ, कटनी	पीएचई, कटनी	17/09/20	97.40	0	97.40	0	97.40
			04/07/19	23.74	0	23.74	0	23.74
		सीएमएचओ कटनी	22/04/20	39.99	35.76	4.23	0	4.23
		सीएमएचओ कटनी	13/01/20	62.95	62.65	0.30	0	0.30

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	एजेंसी का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति आदेश / दिनांक	स्वीकृत राशि / तिथि	उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार राशि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूल की जाने वाली शेष राशि
		पीएचई, कटनी	04 / 07 / 19	67.55	64.09	3.46	0	3.46
3	डीएमओ, नीमच	पीडब्ल्यूडी नीमच	890-29 / 05 / 18	42.20	32.03	10.17	0	10.17
			719-17 / 04 / 18	153.23	126.78	26.45	0	26.45
			629-31 / 03 / 18	16.48	13.92	2.56	0	2.56
			126-04 / 02 / 20	16.80	15.15	1.65	0	1.65
		आरईएस नीमच	126-04 / 02 / 20	38.33	35.50	2.83	0	2.83
			126-04 / 02 / 20	29.76	23.63	6.13	0	6.13
4	डीएमओ सिंगरौली	एमपीआरआरडीए (पीआईयू-1) सिंगरौली	41-30 / 01 / 17	710.90	564.35	146.55	0	146.55
5	डीएमओ शहडोल	पीडब्ल्यूडी शहडोल	140-07 / 04 / 17	75.34	59.66	15.68	6.76	8.92
6	डीएमओ अनूपपुर	पीडब्ल्यूडी अनूपपुर	5001-14 / 10 / 16	161.70	158.14	3.56	0	3.56
			6309-30 / 01 / 17	120.52	116.49	4.03	0	4.03
			7250-31 / 03 / 17	256.36	254.89	1.47	0	1.47
			7249-31 / 03 / 17	162.53	155.02	7.51	0	7.51
			6559-14 / 02 / 17	91.60	90.00	1.60	0	1.60
			योग	4,215.55	3,295.55	920.00	384.42	535.58

परिशिष्ट 3.3

(कांडिका 3.1.9.1 में संदर्भित)

निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में अनियमितताएं

(राशि लाख में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	डीएमएफ के माध्यम से निष्पादित कार्य	कार्यकारी एजेंसी	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	कार्य के निष्पादन में पाई गई अनियमितताएं	विभाग / डीएमएफ द्वारा दिया गया उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	डीएमओ बैतूल	मोंगा नाला पुलिया का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	63.70	1. अनियमित तकनीकी स्वीकृति।	डीएमएफ बैतूल ने उत्तर दिया कि ईई, आरईएस, बैतूल द्वारा पुलिया के निर्माण कार्य के लिए केवल ₹ 33.07 लाख का प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत की गई थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमान में ईई, आरईएस, बैतूल से एप्रोच रोड सहित लिया जाना चाहिए था। चूंकि सड़क का काम पीएमजीएसवाई में शामिल था, इसलिए एप्रोच रोड का काम संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा निष्पादित किया जाना था।
		ओपन ऑडिटोरियम भवन का निर्माण	पीआईयू	76.84	1. ₹ 76.08 लाख का अनियमित कार्य किया गया। 2. ₹ 0.76 लाख का अधिक भुगतान।	रामपुर मॉल के पास खुले सभागार भवन एवं मोंगा नाला (बजरंग नाला) के निर्माण कार्य की ओर इशारा किये जाने पर डीएमएफ बैतूल द्वारा जवाब नहीं दिया गया।	लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत किया जा सकता है।
		मोंगा नाला (बजरंग नाला) रामपुर मॉल के पास	लोक निर्माण विभाग	5.09	1. खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग न करने के कारण ₹ 1.42 लाख की अतिरिक्त लागत। 2. ₹ 27 लाख मूल्य की उत्खनित मिट्टी का उपयोग न करना/फेंकना। 3. ₹ 40 लाख का अधिक भुगतान।	डीएमएफ बैतूल ने बताया कि पीआईयू विभाग द्वारा उत्तर नहीं दिया गया।	लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत किया जा सकता है।
2	डीएमओ छिंदवाड़ा		नगर पालिका छिंदवाड़ा	13.67	निष्पादित कार्य 7.5 मीटर कम था, जिसकी कीमत 0.79 लाख थी।	इसे इंगित किये जाने पर डीएमएफ छिंदवाड़ा ने उत्तर के आलोक में कहा	लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत किया जा सकता है।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	डीएमएफ के माध्यम से निष्पादित कार्य	कार्यकारी एजेंसी	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	कार्य के निष्पादन में पाई गई अनियमितताएं	विभाग / डीएमएफ द्वारा दिया गया उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		जम्होदीप से काकई गांव			2. निविदा की स्वीकृति से पहले ₹ 12.88 लाख के वस्तुओं की खरीद।	कि पत्र संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को लिखा जाएगा और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	
3	डीएमओ सतना	अक्षयवट बाईपास रोड से कामतानाथ मंदिर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य	नगर परिषद चित्रकूट	3.73	<ol style="list-style-type: none"> कार्य में विलम्ब के कारण ठेकेदार के बिल से 3.04 लाख की कटौती न होना। निर्धारित दर से कम कटौती, ₹ 0.69 लाख के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का उपयोग न करना। निर्माण स्थल पर प्रयोगशाला की स्थापना न करना। काम शुरू करने से पहले अनुचित सर्वेक्षण, साइट की जाँच और आकलन। 	डीएमएफ द्वारा इंगित किये जाने पर सतना ने उत्तर के मद्देनजर कहा कि पत्र संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को लिखा जाएगा और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत किया जा सकता है।
		कलेक्ट्रेट, सतना के पीछे 100 मीटर चारदीवारी के साथ खनन भवन (जोन-1) का निर्माण	ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवाएं, सतना	1.23	<ol style="list-style-type: none"> रनिंग बिल से ₹ 45,151 की रॉयल्टी नहीं काटी गई। गलत दर अपनाने के कारण ठेकेदार को ₹ 72,712 अधिक भुगतान। तकनीकी कार्मिकों की गैर-तैनाती, ₹ 5.00 लाख। अग्निशामक प्रतिष्ठान की स्थापना न करना। वर्षा जल संचयन एवं संरक्षण कार्य का प्रावधान न करना। 		

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	डीएमएफ के माध्यम से निष्पादित कार्य	कार्यकारी एजेंसी	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	कार्य के निष्पादन में पाई गई अनियमितताएं	विभाग / डीएमएफ द्वारा दिया गया उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		सतना में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यंकट नं. 1 नवीन भवन का निर्माण।	परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सतना	58.59	<ol style="list-style-type: none"> विलम्ब के लिए ₹7.44 लाख के मुआवजे की वसूली न होना। गलत दर अपनाने के कारण ठेकेदार को ₹ 5,101 का अधिक भुगतान। चौथे रनिंग बिल से ₹ 82,569 की कम कटौती। रनिंग बिल से ₹ 2.26 लाख की रॉयल्टी नहीं काटी गई। तकनीकी कार्मिकों की गैर-तैनाती ₹ 10.56 लाख। क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना न करने पर ₹ 11.00 लाख का जुर्माना लगाया गया। अग्निशमन प्रतिष्ठान की स्थापना न करना। वर्षा जल संचयन एवं संरक्षण कार्य का प्रावधान न होना। कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के लिए ₹ 33.95 लाख की क्षतिपूर्ति की वसूली न होना। 		
		शापुर से वीरगाढ़ देवी रोड और चकर		0	<ol style="list-style-type: none"> स्वीकृत राशि पूरी तरह से 3 किस्तों में डीएमएफ के माध्यम से भुगतान की गई जबकि 11 की.मी. की जगह केवल 8 की.मी. सड़क का निर्माण किया गया। 		

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	डीएमएफ के माध्यम से निष्पादित कार्य	कार्यकारी एजेंसी	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	कार्य के निष्पादन में पाई गई अनियमितताएं	विभाग / डीएमएफ द्वारा दिया गया उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		से केल्होरा रोड			2. दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान पूर्णता प्रमाण पत्र और उपयोगिता प्रमाण पत्र के बिना किया गया।		
4	डीएमओ कटनी	सीसी रोड एवं ड्रेन पिप्रोध निवार देवरीहाताइ ' बड़वाड़ा विजयराघ व किमोर रोड का निर्माण किमी 35/ 4-6-8	लोक निर्माण विभाग, कटनी	4.51	महंगी वस्तु मद के प्रावधान के साथ कार्य के निष्पादन में ₹ 4.12 लाख की परिहार्य अतिरिक्त लागत। 2. मोटर ग्रेडर और वाइब्रेटरी रोलर का उपयोग न करने पर ₹ 39,370 की वसूली न होना। 3. HYSड स्टील के साथ सुदृढीकरण का कार्य।	ई.ई. पी.डब्ल्यू.डी. कटनी ने उत्तर दिया कि उच्च अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं स्थल की स्थिति के अनुसार पलाई ऐश के स्थान पर सीमेंट द्वारा सड़क का कार्य किया गया है। ई.ई. पी.डब्ल्यू.डी. में उत्तर दिया गया कि वाइब्रेटरी रोलर व मोटर ग्रेडर के बिल स्वयं के नाम से या किराए के रूप में ठेकेदार से मांगे जा रहे हैं। ई.ई. पी.डब्ल्यू.डी ने उत्तर दिया कि एचवाईएसडी बार सुदृढीकरण के बिल अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किए जाएंगे।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ई-इन-सी पीडब्ल्यूडी एमपी द्वारा जारी परिपत्र में उल्लिखित निर्देश का पालन नहीं किया गया था, पास के थर्मल पावर प्लांट से सीमेंट के बजाय पलाई ऐश का उपयोग लागत प्रभावी हो सकता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिलों की प्रति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिलों की प्रति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।
		रेलवे के लाइन पास विलायतक ला गणेशपुर सकरीगढ़ सलाहा रोड का	लोक निर्माण विभाग, कटनी	2.64	1. मोटर ग्रेडर और वाइब्रेटरी रोलर का उपयोग न करने पर ₹ 1.66 लाख की वसूली न होना। 2 कार्य में प्रयुक्त सामग्री पर रायल्टी की कम वसूली ₹ 0.98 लाख।	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने उत्तर दिया कि थरथरनेवाला रोलर और मोटर ग्रेडर के बिल अपने नाम से या किराए के ठेकेदार से मांगे जा रहे हैं। अधिसूची अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने उत्तर दिया कि रायल्टी राशि	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिलों की प्रति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस मामले में की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	डीएमएफ के माध्यम से निष्पादित कार्य	कार्यकारी एजेंसी	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	कार्य के निष्पादन में पाई गई अनियमितताएं	विभाग / डीएमएफ द्वारा दिया गया उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		निर्माण, लंबाई 1.10 कि.मी				की कटौती उसके अगले बिल से की जानी चाहिए।	
		सुरखीपौड़ी तालाब का सौंदर्यीकरण	ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवाएं, कटनी	46.45	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना ₹ 46.45 के लाख निष्पादित मद ।	कटनी ने सुरखीपौड़ी तालाब के सौंदर्यीकरण के कार्य के जवाब में कहा कि स्थल की आवश्यकता के अनुसार डीपीआर तैयार किया जाता है, आवश्यकता के अनुसार, तालाब कि चौड़ाई बढ़ाने से तालाब के ताल कि चौड़ाई बढ़ गयी परिणामस्वरूप, रॉक टो दीवार और नाली का निर्माण बहुत आवश्यक है और तकनीकी मानकों के अनुसार है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संशोधित तकनीकी स्वीकृति निष्पादन से पहले प्राप्त की जानी चाहिए थी।
		कलेक्ट्रेट परिसर कटनी में 200 सीटर सभागार का निर्माण	पीआईयू कटनी	5.94	कार्य पूर्ण करने में विलम्ब तथा ₹ 5.94 लाख के विलम्ब के लिए मुआवजे की वसूली न होना।	डीएमएफ, कटनी ने कहा कि ड्राइंग डिजाइन में लगातार बदलाव और कोविड-19 के कारण काम पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित कर दिया गया था।	लेखापरीक्षा में कार्य में देरी के लिए वसूली की प्रगति की प्रतीक्षा की जाएगी।
5	डीएमओ सिंगरौली	लमती नालों में आरसीसी स्लेब ब्रिज 2 स्पैन में से प्रत्येक 6 मीटर का निर्माण	पीडब्ल्यूडी सिंगरौली	2.79	घटिया कार्य, अनुमान (मात्राओं का बिल) के अनुसार कुल 19 मदों में से 8 मदों का निष्पादन नहीं किया गया था। सबस्ट्रक्चर में स्टील वर्क और स्टोन पिचिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित नहीं किए गए।	डीएमएफ सिंगरौली ने उत्तर के महेनजर बताया कि पत्र संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को लिखा जाएगा और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	उत्तर प्रतीक्षित है।

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	डीएमएफ के माध्यम से निष्पादित कार्य	कार्यकारी एजेंसी	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	कार्य के निष्पादन में पाई गई अनियमितताएं	विभाग / डीएमएफ द्वारा दिया गया उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		कुशाही में 1000 मीट्रिक टन गोदाम का निर्माण	पीडब्ल्यूडी पीआईयू सिंगरौली	134.93	डीएम फाउंडेशन की पूर्वानुमति / अनुमोदन के बिना प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के विरुद्ध अन्य स्थान एवं क्षमता पर गोदाम निर्माण का कार्य निष्पादित किया गया था। बगदरा में 2000 मीट्रिक टन गोदाम का निर्माण		
		सिंगरौली जिले के देवसर सब डिविजन द्वारा ग्राम पचौर में कौडिया नाला पर स्लैब पुलिया का निर्माण	पीडब्ल्यूडी सिंगरौली	19.64	डीएमएफ की पूर्वानुमति के बिना कूडिया नाला के स्थान पर पत्थरफोडवा नाला पर स्लैब पुलिया का कार्य निष्पादित किया गया था।		
	योग	15 कार्य		439.75			

परिशिष्ट 3.4(i)

(कडिका 3.1.9.2(अ) में संदर्भित)

विलंब से पूर्ण हुए कार्य

(राशि लाख में)

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	निष्पादित कार्यों की संख्या (पूर्ण)	प्रशासनिक अनुमोदन तिथि की सीमा	कुल स्वीकृत राशि	कार्य के निष्पादन में विलम्ब की सीमा (दिनांक 31/03/21) तक
1	डीएमओ सतना	13	23/03/19	199.24	16 माह (दिनांक 31/10/20 को जारी सीसी)
		13	04/08/17 से 14/02/20	196.78	3 से 34 माह
2	डीएमओ कटनी	24	17/09/18 से 05/05/20	754.26	10 से 30 माह
3	डीएमओ छिंदवाड़ा	1	15/02/19	876.13	8 माह
4	डीएमओ बालाघाट	1	15/03/17	31.80	39 माह
		1	20/06/17	69.09	6 माह
	योग	53		2,127.30	3 से 34 माह

परिशिष्ट 3.4(ii)
(कडिका 3.1.9.2 (ब) में संदर्भित)

कार्य जो प्रारंभ हुए किंतु अपूर्ण रहे

(राशि लाख में)

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	निष्पादित कार्यों की संख्या (अपूर्ण)	प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा/कार्य आदेश दिनांक	कुल स्वीकृत राशि	कार्य के निष्पादन में विलंब की सीमा (31/03/21) को
1	डीएमओ सतना	7	23/03/2019	157.59	21 माह
		110	07/04/2018 से 18/02/2020	2,860.39	1 से 32 माह
2	डीएमओ कटनी	27	17/09/2018 से 05/05/2020	1,387.93	10 से 30 माह
3	डीएमओ सिंगरौली	1	30/11/2017	263.06	17 माह
4	डीएमओ अनूपपुर	107	25/07/2017 से 07/12/2019	1,564.32	15 से 44 माह
5	डीएमओ बैतूल	372	28/01/2017 से 03/02/2020	2,103.55	13 से 50 माह
6	डीएमओ छिंदवाड़ा	99	24/12/2018 से 17/10/2020	5,637.17	5 से 27 माह
7	डीएमओ बालाघाट	42	12/02/2018 से 22/09/2020	2,522.70	6 से 37 माह
	योग	765		16,496.71	1 से 50 माह

परिशिष्ट 3.4(iii)

(कडिका 3.1.9.2 (स) में संदर्भित)

उन कार्यों में वसूली न होना जो अभी तक प्रारंभ नहीं हुए या रुद नहीं किए गए

(राशि लाख में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	प्रशासनिक/बोर्ड अनुमोदन आदेश/दिनांक	प्रशासनिक/बोर्ड अनुमोदन आदेश/दिनांक	कुल वसूली राशि	योर्य	वसूल की गई कुल राशि	वसूल की जाने वाली शेष राशि
1	डीएमओ सतना	24/05/17	48	495.27	0	495.27	
2	डीएमओ बालाघाट	27/06/17 से 17/03/20	2	23.59	0	23.59	
3	डीएमओ सिंगरौली	09/12/16	4	425	0	425	
		योग	54	943.86	0	943.86	

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली

नि.प्रा.	निर्धारण प्राधिकारी
स.आ.वा.क.	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर
स.वा.क.अ.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
ए.आर.एन.	पावती रसीद संख्या
ए.टी.एन.	कार्यान्वयन प्रतिवेदन
ए.टी.आर.	कार्यवाही प्रतिवेदन
बी.आर.सी.	बैंक वसूली प्रमाणपत्र
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.बी.ई.सी.	केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड
सी.बी.आई.सी.	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सी.जी.एस.टी.	केंद्रीय जीएसटी
सी.एस.टी.	केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम
वा.क.अ.	वाणिज्यिक कर अधिकारी
डी.सी. / ए.सी.	उपायुक्त / सहायक आयुक्त
सं.उ.वा.क.	उपायुक्त वाणिज्यिक कर
डी.जी.एंड एम.	संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म
डी.एम.एफ.	जिला खनिज प्रतिष्ठान
डी.एम.ओ.	जिला खनन कार्यालय
डी.पी.सी.	कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें
ई.सी.एल.	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर
ई.टी.	प्रवेश कर
एफ.आई.आर.सी.	विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र
एफ.ओ.बी.	फ्री ऑन बोर्ड
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश सरकार
जी.एस.टी.	माल और सेवा कर
जी.टी.ओ.	सकल टर्नओवर
आईसगेट	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे
आई.डी.एस.	इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर
आई.जी.एस.टी.	एकीकृत जीएसटी
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
आई.टी.सी.	इनपुट टैक्स क्रेडिट
आई.टी.आर.	इनपुट कर छूट
एम.एम.डी.आर.	खान और खनिज (विकास और विनियमन)
एम.पी.जी.एस.टी.	मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम

पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
पी.एम.जी.एस.वाई.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी.एम.के.के. के.वाई.	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
एस.ई.जेड.	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एस.जी.एस.टी.	राज्य माल और सेवा कर
एस.एम.एफ.	राज्य खनिज निधि
एस.एस.सी.ए.	विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
टी.टी.ओ.	कर योग्य टर्नओवर
वैट	मूल्य संवर्धन कर

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in